सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08

भारत के महामहिम राष्ट्रपति के साथ जनजातीय अतिथि

भारत के प्रधानमंत्री के साथ जनजातीय अतिथि

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08

सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय

छायाचित्र सौजन्य से:
आवरण पृष्ठ : श्री अभिजीत नंदी
पिछला पृष्ठ एवं पृ. सं. 55, 102 तथा 103 - श्री जी. बी. मुखर्जी

विषय सूची..........

अध्याय 1	2007-08 की विशेषताएं	1-4
अध्याय 2	जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन	5-8
अध्याय 3	मंत्रालय : एक परिचय	9-15
अध्याय 4	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	16-18
अध्याय 5	जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम	19-24
अध्याय 6	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	25-45
अध्याय 7	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1)के अंतर्गत कार्यक्रम	46-57
अध्याय 8	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	58-72
अध्याय 9	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. तथा निगमों को समर्थन के लिए सहायता हेतु कार्यक्रम	73-85
अध्याय 10	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम	86-97
अध्याय 11	आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए कार्यक्रम	98-105
अध्याय 12	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	106-114
अध्याय 13	पूर्वोत्तर पर ध्यान	115-116
अध्याय 14	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	117
अध्याय 15	प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति	118-119
अध्याय 16	अनुसूचित जनजातियों का विस्थापन, पुनर्स्थापना और पुनर्वास	120
अध्याय 17	जेंडर संबंधी मामले	121-123
अध्याय 18	महालेखा नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	124

अनुबंध

1.	संगठन चार्ट - जनजातीय कार्य मंत्रालय	125
2.	10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान बजट आबंटन, संशोधित आबंटन तथा व्यय	126-128
3.	2007-08 के दौरान महिला लाभार्थियों को कवर करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां	129-132
4.	जनसांख्यिकीय आंकड़े : जनगणना, 2001	133-134
5.	शिशु लिंग अनुपात (0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या)	135
6.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश	136
7.	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार सूची	137-146
8.	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची	147-175
9.	दसवीं योजना तथा 11वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान 31.12.2007 तक जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां	176
10.	दसवीं योजना तथा 11वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियां	177
11.	कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा साक्षरता की दर में अंतर - भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 1991-2001	178-179
12.	लड़के/लड़कियों के छात्रावास की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता-अनुदान	180
13.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता-अनुदान	181

14.	विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या के साथ मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता-अनुदान	182
15.	प्रतिभा उन्नयन की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता-अनुदान	183
16.	दसवी योजना और 2007–08 (31.12.2007) के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत कुल राज्यवार निर्मुक्तियां	184
17.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	185-186
18.	10वीं योजना और 11वीं योजना के दौरान "लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान " की योजना के अंतर्गत राज्यों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे)	187
19.	स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान वित्तपोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची	188-207
20.	जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों मे शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान वित्तपोषित संगठनों की राज्यवार सूची	208-211
21.	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा व्यक्तिगत संस्थानों को निर्मुक्त अनुदान	212
22.	भारत में आदिम जनजातीय समूह और उनकी 1961 से 1991 तक जनसंख्या	213-215
23.	आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के अंतर्गत जनश्री बीमा योजना के लिए राज्यों को 2004-05 से कवर किए गए लाभार्थियों तथा निर्मुक्त राशि दर्शाने वाला विवरण	216

24.	गत पांच वर्षों के दौरान आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निर्मुक्त अनुदान	217-218
25.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां : 10वीं योजना अवधि के दौरान जनजातीय अनुसंधान संस्थान तथा अनुसंधान अध्येतावृत्ति के अवार्ड के लिए सहायता अनुदान	219
26.	2007-08 के दौरान स्वीकृत कार्यशाला/सेमिनारों के प्रथम बैच की सूची	221
27.	पुनर्संरचित बीस सूत्री कार्यक्रम, 2006 के अंतर्गत लाभार्थी	222-223
28.	2003-04 से 2007-08 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को वर्षवार निर्मुक्ति	224
29.	2007-08* के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को निर्मुक्त धनराशि	225
30.	सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	226-228
31.	वर्ष 2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान योजनावार बजट आबंटन, संशोधित आबंटन तथा वास्तविक व्यय	229-231
32.	जनजातीय क्षेत्र तथा जनजातीय सलाहकार परिषद वाले जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तथा राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (माडा) पॉकेट तथा आदिम जनजातीय समूहों की स्थिति के ब्यौरे	232

अनुबंध-3 का परिशिष्ट 1

	2006-07 के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत लाभार्थी	233

अध्याय 1

2007-08 की विशेषताए

1.1 अनुसूचित जनजातियों के अधिकार, कल्याण और विकास पर और अधिक ध्यान देने के लिए वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा कई नई पहलों सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 की सं. 2) को अधिसूचित किया जो 31 दिसम्बर 2007 को प्रचालित हुआ। अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) नियम 2008, को 1 जनवरी 2008 को अधिसूचित कर दिया गया है।

1.3 अधिनियम के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ प्रदान किए गए प्रमुख अधिकार हैं, कब्जे वाली वन भूमि को जोतने का अधिकार बशर्ते कि उसकी सीमा 4 हैक्टेयर हो लघु वन उत्पाद के संग्रहण, उपयोग और निपटान करने का अधिकार, वनों के अंदर के वे अधिकार, जो परंपरागत और प्रथागत हैं, जैसे चराई आदि।

1.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय जनजातीय नीति, का एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें जनजातियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दे कवर किए गए हैं। नीति ने संविधान और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 में निहित सिद्धांतों से शक्ति प्राप्त की है । साथ ही नीति में जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की शक्ति का भी पता लगाया गया है। नीति में कवर किए गए मुख्य मुद्दे निम्नलिखित से संबधित हैं : जनजातीय भूमि का अन्य संक्रमण; जनजातीय-वन अंतरापृष्ठ; विस्थापन; पुनर्स्थापन और पुनर्वास; मानव विकास सूचकांक की वृद्धि; महत्वपूर्ण अवसंरचना का सृजन, प्रबल अभिव्यक्तियां; विशेषकर असुरक्षित आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) का संरक्षण और विकास, जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) नीति को अपनाना, सशक्तिकरण लिंग समानता, गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन प्राप्त करना, जनजातीय संस्कृति और परंपरागत ज्ञान जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन विनियामक और संरक्षणात्मक प्रशासन जनजातियों को सूची में डालना और सूची से निकालना आदि। नीति का मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया और बड़े स्तर पर चर्चाएं

आयोजित की गई। नीति का अंतिम मसौदा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष 31.5.2007 को अनुमोदन के लिए रखा गया। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने यह नीति राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के साथ सुमेलित करने के लिए भेजी है। यह नीति मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है।

1.5 मंत्रालय ने देश में अभिज्ञात वन ग्रामों के विकास के लिए 2005-2006 में शुरू किए गए कार्यक्रमों को वर्ष के दौरान जारी रखा। अब तब लगभग 2388 वन ग्रामों के विकास के लिए 459.25 करोड़ रुपए से अधिक राशि निर्मुक्त कर दी गई है। राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे कार्यान्वयन पर पहली बार में ही समर्थन प्राप्त करने के लिए, वर्ष के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में लगाया गया।

1.6 मंत्रालय, वर्ष के दौरान प्रभावी जनजातीय उपयोजना संघटक (केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए 8 प्रतिशत और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में) को अलग बजट शीर्ष में रखने की जनजातियों के कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन को अधिक केन्द्रीयकृत तथा एकीकृत रूप से समर्थ बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चिन्हित निधियों के पैटर्न पर अपरिवर्तनीय और अव्यगत बनाने की आवश्यकता की सक्रिय रूप से वकालत करता रहा है।

1.7 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति की योजना में मौजूदा आयु सीमा 1,00,000/- रु. को संशोधित करके 1,08,000/- रु. किया है। यह वर्ष 2007-08 से प्रभावी होगी। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इसका पर्याप्त प्रचार कराने का अनुरोध किया गया है।

1.8 विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मंत्रालय ने पीटीजी आबादी वाले सभी राज्यों में तथा अंडमान निकोबार द्वीपसमूहों के संघ राज्य में 11वीं योजना अवधि के लिए "संरक्षण एवं विकास (सीसीडी) योजना" की तैयारी सुनिश्चित की है। ये सीसीडी योजनाएं राज्यों द्वारा अधिवास विकास दृष्टिकोण तैयार किया गया, जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से आधारभूत सर्वेक्षणों पर आधारित हैं। सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में और योजना आयोग, राष्ट्रीय आयोग, प्रशासनिक सुधार विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों सहित एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया, जिन्होंने इन योजनाओं की जांच की तथा दो राज्यों के अलावा यह संपूर्ण कार्य 26 सितम्बर 2007 को पूरा हुआ।

1.9 एक नई योजना अर्थात् अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा को शैक्षिक वर्ष 2007-08 से आरंभ किया गया, जिसमें 5 शीर्ष पात्र, प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने देश के 127 अभिज्ञात अग्रणी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश लिया, जिन्हें इस पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक संस्थान को हर वर्ष 5 छात्रवृत्तियां आबंटित की गई हैं, जिससे प्रत्येक वर्ष 635 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी।

1.10 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्तमान वर्ष अर्थात् 2007 से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग के सहयोग से जनजातियों के खुशहाल जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फोटो प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से उनकी जीवन शैली के सांस्कृतिक और सांकेतिक घटकों को उभारने का प्रयास किया है। भारत के विभिन्न भागों के फोटोग्राफरों ने इसमें भाग लिया। संग्रह की गई सामग्री से तस्वीरों और दस्तावेज़ों से एक मूल्यवान डेटाबेस बनाया जाएगा। पूरे देश से 1949 प्रविष्टियों के उत्साहजनक प्रत्युत्तर में से विशेषज्ञ जूरी ने 13 पुरस्कार विजेता प्रविष्टियों को चुना और अन्य

केन्द्रीय जनजातीय कार्यमंत्री, श्री पी. आर. किंडिया नई दिल्ली में 5 दिसम्बर 2007 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी ''खुशहाल आदिवासी'' पर लगाई गई एक प्रदर्शनी में। सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, श्रीमती आशा स्वरूप तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव, श्री जी. बी. मुखर्जी भी उपस्थित हैं।

26 जनवरी 2008 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड-2008 में राजपथ से गुजरती हुई जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी

111 तस्वीरों को राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शन के लिए चुना गया। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 5 दिसम्बर 2007 को आयोजित जनजातीय त्यौहार प्रकृति के दौरान नई दिल्ली तीन प्रथम पुरस्कार विजेताओं को आमंत्रित किया गया।

1.11 द्वितीय जनजातीय त्यौहार "प्रकृति" का आयोजन 5 से 7 दिसम्बर 2007 के बीच मेघदूत ओपन थियेटर, रविन्द्र भवन कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने त्यौहार का उद्घाटन किया और वर्ष 2007 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण विभाग के फोटो प्रभाग द्वारा आयोजित फोटो प्रतिस्पर्द्धा के विजेताओं को पुरस्कार दिए।

1.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय कलाओं के रूप प्रदर्शित करने के लिए लगातार तीसरे वर्ष गणतंत्र दिवस 2008 परेड में भाग लिया।

अध्याय 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन

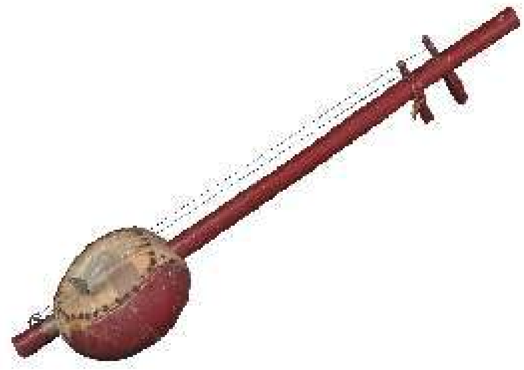

2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है । मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करने एवं उन्हें पूरक बनाने तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण स्वरूप के अंतराल को दूर करने से संबंधित होती हैं । यद्यपि, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवर्धन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्रालयों की होती है, तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से बनाई गई अनुकूल योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से उनके प्रयासों को पूरक बनाता है। आर्थिक, शिक्षा एवं सामाजिक विकास से संबंधित ये योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित होती हैं और राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं ।

2.2 मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त सिंहावलोकन नीचे दिया गया है और ब्यौरा अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है ।

2.3 चूंकि आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान शिक्षा का विकास होता है, इसलिए जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय होता है, इसलिए उनकी शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए वर्ष के दौरान हर संभव प्रयास किए गए ।

2.4 अनुसूचित जनजातियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति " (पीएमएस) की प्रायोगिक योजना एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में जारी रही । पीएमएस की योजना के अंतर्गत 10.52 लाख छात्रों से भी अधिक लाभान्वित हुए और 31.12.07 तक इस पर 140.86 करोड़ रुपए व्यय हुए । "**अनुसूचित जनजातीय लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास**" की योजना का लक्ष्य अनुसूचित जनजातीय लड़कों और लड़कियों को प्रमुख समर्थन सेवा उपलब्ध कराकर अनुसूचित

जनजातियों की मिडिल/उच्च स्तर पर स्कूल छोड़ने की वर्तमान दर को कम करना है। मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटक, त्रिपुरा, झारखण्ड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हैदराबाद, दादरा और नगर हवेली और दिल्ली विश्वविद्यालय में 304 छात्रावासों के निर्माण के लिए 31.12.2007 तक 35.28 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे।

2.5 आश्रम विद्यालयों की योजना एक ऐसी योजना है, जिसका लक्ष्य अनुसूचित जनजातीय लड़कों और लड़कियों को दी जा रही शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना है। यह विस्तार उनके शिक्षण के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाकर समर्पित आवासीय विद्यालयों के अध्ययन से किया जाता है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों को आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए दिनांक 31.12.2007 तक 3.74 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। व्यावसायिक शिक्षा केन्द्रों (वीटीसी) की योजना के अंतर्गत, जिसका लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों के युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनके रोजगार की संभावना में वृद्धि करना है, राज्यों को 5.96 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है जिसमें से 0.97 करोड़ रु. की राशि 8 गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की गई, जिसमें 2007-2008 (31.12.2007 तक) 750 लाभार्थी शामिल हैं।

2.6 2007-08 (31.12.2007 तक), मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में कम साक्षरता वाले पॉकेटों में महिला साक्षरता के विकास हेतु 59 शैक्षिक परिसरों को निधियाँ उपलब्ध कराई हैं। राज्य सरकारों की स्वायत्त संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को 8.71 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। जिसमें लगभग 7775 अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को इसके अंतर्गत लाया गया।

2.7 लगभग 331 परियोजनाओं, यथा, आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, सचल औषधालय तथा 10 या अधिक बिस्तरों वाले चिकित्सालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, ग्रामीण रात्रि विद्यालय, कृषि प्रशिक्षण आदि हेतु धनराशि उपलब्ध कराई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 4.49 लाख अनुसूचित जनजातीय लोगों को लाभ मिला है। 20.78 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

2.8 "प्राचीन जनजातीय समूहों का विकास" योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-2008 के दौरान मंत्रालय ने अधिवास विकास दृष्टिकोण अपना कर पूरी ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए एक व्यापक पीटीजी के लिए संरक्षण-एवं-विकास (सीसीडी) योजना तैयार कराई है। ये योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित पीटीजी के आधारभूत सर्वेक्षण पर आधारित हैं। मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच के लिए 17 राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह ने सीसीडी योजनाएं जमा की हैं। वर्ष 2007-08 (31.12.2007 तक) अनुमोदित सीसीडी योजना के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त गतिविधियों के आधार पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सात राज्यों को 34.00 करोड़ रु. जारी किए गए। बजट के तहत राज्य शीर्ष में धन की अनुपलब्धता के कारण अन्य राज्यों को धनराशि जारी नहीं की जा सकी। मंत्रालय ने यह मुद्दा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है।

2.9 जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन, मंत्रालय द्वारा विनिर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप जनजातीय क्षेत्रों में आय अर्जन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई पहल का समर्थन करने के उद्देश्य से गत वर्षों की भांति मंत्रालय ने टीएसपी राज्यों को निधियां निर्मुक्त करना जारी रखा । 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार 2007-08 के लिए 666.71 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 563.08 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं । वन ग्रामों के विकास के कार्यक्रम के तहत वर्ष 2007-08 के दौरान 46.47 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए।

2.10 वर्ष 2007-08 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर संविधान की धारा 275 (1) के तहत धनराशि निर्मुक्त करने की प्रथा जारी रही। विभिन्न राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और इन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर ऊपर उठाने के लिए 31.12.2007 तक 314.99 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई।

2.11 अन्य राष्ट्रीय स्तर के संगठन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त प्रदान करने, सरलीकरण एवं निधियां जुटाने के लिए एक उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा । मंत्रालय द्वारा की गई पहल पर, विभिन्न राज्य सरकारों के जनजातीय कल्याण के प्रभारी सचिवों/आयुक्तों और एनएसटीएफडीसी के राज्य चैनेलाइजिंग अभिकरणों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला 17.12.2007 को आयोजित की गई थी । इस कार्यशाला में एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के कार्यान्वयन में एससीए द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, उनसे संबंधित विभिन्न मामलों और योजनाओं के संचालन में सुधार करने से संबंधित सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया था। बैठक में लिए गए एक निर्णय एनएसटीएफडीसी ने वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाएं/योजनाएं स्वीकृत की हैं और 73.12 करोड़ रुपए का योगदान दिया है (30.11.2007 के अनुसार)।

2.12. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) ने ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए "रोड मैप" नामक एक पंचवर्षीय योजना अपनी गतिविधियों के लिए तैयार की है। रोड मैप के अनुसार, जिसके लिए ट्राइफेड द्वारा 11वीं योजना अवधि में 69.59 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को केन्द्रित किया जाएगा:

(i) खुदरा विपणन विकास

(ii) एमएफपी विपणन विकास

(iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन अनु. जनजाति के लिए और क्षमता निर्माण

(iv) अनुसंधान और विकास

यह नया रोड मैप अब नई केन्द्रीय योजना *जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास* के तहत शामिल किया गया है। ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2007-08 हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान वर्ष (2007-08) के लिए ट्राइफेड द्वारा 18.69 करोड़ रु. की सम्पूर्ण राशि ट्राइफेड को जारी की गई है।

2.13. जनजातीय विकास में संबंधित अंतर क्षेत्रक मुद्दों पर स्थायी समिति, जिसके अध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुंगेकर, सदस्य, योजना आयोग हैं और कुछ मुख्य मंत्रालयों के सचिव इसके सदस्य हैं, ने *अनुसूचित जनजातियों का विस्थापन, पुनर्स्थापना और पुनर्वास* नामक द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट 7.5.2007 को प्रस्तुत की, स्थायी समिति ने *अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन* पर इसकी अगली रिपोर्ट की सामग्री पर विचार विमर्श के लिए एक से अधिक आयोजित की ।

अध्याय 3

मंत्रालय : एक परिचय

अधिदेश

3.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्तूबर, 1999 में किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत अल्पसुविधा प्राप्त वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय कार्य आबंटन नियमावली, 1961 के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप करता है।

1) अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ।

2) जनजातीय कल्याणः जनजातीय कल्याण योजना बनाना, परियोजनाओं का प्रतिपादन करना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी एवं प्रशिक्षण।

3) जनजातियों के कल्याण में स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन एवं विकास

4) अनुसूचित जनजातियां, जिसमें इन जनजातियों के लिए छात्रवृत्तियां शामिल हैं; और

5) अनुसूचित जनजातियों का विकास

5(क) वन भूमियों पर वनों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संबंध में विधान सहित सभी मामले

टिप्पणीः जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र नीति, आयोजन और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। क्षेत्रक कार्यक्रमों और इन समुदायों की नीति, आयोजना, निगरानी, मूल्यांकन आदि के विकास की योजनाओं के विषय में, इनका समन्वय संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का दायित्व होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जो इस क्षेत्रक से संबंध रखता है, नोडल मंत्रालय या विभाग होगा।

6(क) अनुसूचित क्षेत्रः

(ख) सड़कों, पुल निर्माण कार्य तथा उन पर नौघाटों को छोड़कर असम के स्वायत्त जिले;

(ग) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और संविधान की

छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 से संलग्न सारणी के भाग "क" में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा बनाए गए विनियम;

7(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग जहां तक कि वे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं; तथा

(ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के संबंध में निर्देश जारी करना।

8 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।.

9 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955(1955 का 22) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989(1989 का 33) का कार्यान्वयन, जिसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपराधों के संबंध में आपराधिक मामलों का न्याय करना शामिल नहीं है।.

भूमिका

3.2 इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन देने और उन्हें पूरक बनाने के लिए है तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए हैं। **इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है।** यह मंत्रालय विशेष रूप से अनुकूल बनाई गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के जरिए अपने प्रयासों को पूरक बनाता है। इनमें आर्थिक, शिक्षा और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं और ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं तथा इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

3.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री पी.आर. किंडिया और मंत्रालय के सचिव श्री गौतम बुद्ध मुखर्जी के समग्र मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। सचिव के कार्य में संयुक्त सचिव डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव, श्रीमती रुचिरा पंत, उपमहानिदेशक (सांख्यिकी) श्री ए. के. माथुर (26.10.2007 तक) तथा उपमहानिदेशक (सांख्यिकी) श्री एच.के. शर्मा और आर्थिक सलाहकार श्री बी.सी. मुंडा सहायता करते हैं। संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में श्री एस. के. रे और मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में श्री ए. एस. चौहान सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की सहायता करते हैं। इस मंत्रालय के संगठन में प्रभाग, अनुभाग और एकक हैं। प्रत्येक प्रभाग के अध्यक्ष उपसचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में (5 वेतन एवं लेखा कार्यालय सहित) कुल 131 कर्मचारी हैं, और कार्यशील संख्या 110 है, जिसमें समूह "क" के 33 पद, समूह "ख" के 51 पद, समूह "ग" के 31 पद तथा समूह "घ" के 16 पद हैं। मंत्रालय का संगठन चार्ट **अनुबंध-1** पर दिया गया है।

प्रशासन

3.4.1 मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के स्थापना और सामान्य प्रशासन से संबंधित मामलों पर प्रशासन प्रभाग में कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभाग के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और संवर्ग बाह्य पदों जैसे आर्थिक सलाहकार संवर्ग, सांख्यिकीय संवर्ग आदि के स्थापना संबंधी मामलों पर इस प्रभाग में कार्रवाई की जाती है।

3.4.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय आरंभ से ही स्थान की समस्या से जूझ रहा है। शहरी विकास मंत्रालय की अनुमति से अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में 3593.62 वर्ग मी. कार्यालय स्थान किराए पर लेकर इस समस्या का समाधान कर लिया गया है। और अनुसंधान और मीडिया प्रभाग, प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रभाग और सहकारी विपणन एवं नियमन प्रभाग अगस्त क्रांति भवन में स्थानांतरित हो गए हैं।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी)

3.5.1 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, विकास और प्रचालन के लिए शास्त्री भवन में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किया है। तकनीकी निदेशक, एनआईसी इस केन्द्र के प्रधान हैं। एनआईसी ने शास्त्री भवन के लिए 34 एमबीपीएस के ऑप्टीकल फाइबर केबल (ओएफसी) से युक्त और फुल डुप्लेक्स तथा लीज्ड लाइन के 4 एमबीपीएस के साथ 54 एमबीपीएस आरएफ के बैक-अप के साथ निकनेट गेटवे के माध्यम से डब्ल्यूएएन कनेक्टीविटी उपलब्ध कराई है। एनआईसी ने शास्त्री भवन में 140 नोड वाले एक लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) की स्थापना की है। लैन को वायरस मुक्त रखने और वैन एवं इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक एंटी वायरस सर्वर और पैच प्रबंधन सर्वर की स्थापना शास्त्री भवन में विंडोज़ और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन उन्नयन के लिए की गई है।

3.5.2 एनआईसी ने इंटरनेट कनेक्शन के लिए 24 नोड वाले अगस्त क्रांति भवन में जनजातीय कार्य की मंत्रालय के लिए भी लैन की स्थापना की है। एनआईसी ने 20 एमबीपीएस आरएफ बैकअप (फुल डुप्लेक्स) के साथ 2 एमबीपीएस लीज़ लाइन सहित वैन कनेक्टीविटी निकनेट गेटवे के जरिए प्रदान की है। नेटवर्क प्रबंधन का समन्वय, नेटवर्क सुरक्षा और इंटरनेट का रखरखाव एनआईसी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ द्वारा मंत्रालय के 140+24 नोडों के लिए किया जाता है।

3.5.3 मंत्रालय की वेबसाइट का नियमित अद्यतनीकरण **(URL: http://www.tribal.gov.in)** किया जाता है जैसे कि *(अनुसूचित जनजातियां और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम, 2006)* शिक्षा प्रभाग, अनुसंधान और मीडिया की अधिसूचनाएं, नियम, समाचार, योजनाएं आदि समय-समय पर वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं।

3.5.4 वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निगरानी प्रणाली पर वेब आधारित पोर्टल विकास कार्य भी आरंभ किया गया है। मंत्रालय के कर्मचारियों को फाइल ट्रेकिंग प्रणाली (एफटीएस) पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिश्रित पेरोल प्रणाली (सीपीएस) पर आंकड़ा प्रविष्टि कार्य जारी है। गैर-सरकारी संगठन प्रभाग की विभिन्न योजनाओं और सभी प्रभागों की योजनाओं की निगरानी के लिए प्रणाली अध्ययन का प्रयास किया जा रहा है।

बजट आबंटन

3.6.1 मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के लिए 1719.71 करोड़ रूपए का आबंटन था। इसे संशोधित अनुमान के समय उसी स्तर पर रखा गया था । वर्ष 2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई कुल निर्मुक्तियां 1194.53 करोड़ रूपए हैं, जो संशोधित अनुमान का 69.46 प्रतिशत है । इसकी तुलना में, वर्ष 2006-07 के दौरान की गई कुल निर्मुक्तियां 1282.91 करोड़ रूपए थीं जो कि बजट अनुमान की तुलना में 77.43 % था । वर्ष 2008-09 के लिए बजट-आबंटन 2121 करोड़ रूपए है ।

3.6.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना-वार बजट आबंटन और व्यय **अनुबंध-2** में दिया गया है और वर्ष 2007-08 के दौरान 31.12.07 तक बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और योजना-वार व्यय **अनुबंध-31** में दिया गया है ।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

3.7.1 हिन्दी संघ की राजभाषा है इसलिए सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय सक्रियता से कार्य कर रहा है । हिन्दी अनुभाग एक उपसचिव अथवा समकक्ष अधिकारी के नियंत्रण में है । हिन्दी अनुभाग में एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ अनुवादक, दो कनिष्ठ अनुवादक एवं एक आशुलिपिक अनुवाद का कार्य और राजभाषा नीति तथा अधिनियम का कार्य कर रहे हैं । यह मंत्रालय के अधीन संगठनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति को भी मानीटर करता है।

3.7.2 मंत्रालय में अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल संख्या 110 है जिनमें से अधिकांश को या तो हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है अथवा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है ।

राजभाषा नीति, अधिनियम/ नियम तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3.8.1 राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम, 2007-08 में विभिन्न कार्यालयों/क्षेत्रों आदि को पत्राचार संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं । हिन्दी में प्राप्त अधिकांश पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जा रहा है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को अधिकतर पत्र हिन्दी में भेजे गए । सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं । सभी रबड़ की मोहरें तथा लेखन सामग्री की मदें हिन्दी और अंग्रेजी में बनाई गईं हैं । राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का मंत्रालय में पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है ।

3.8.2 वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी/ समीक्षा राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिन्दी की बैठकों में नियमित रूप से की जा रही है ।

हिन्दी सलाहकार समिति

3.9 हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक श्री पी. आर. किंडिया, माननीय केन्द्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 5 दिसम्बर, 2007 को आयोजित में की गई। चर्चा के दौरान, कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए।

संसदीय समिति का निरीक्षण

3.10 राजभाषा पर संसदीय समिति का निरीक्षण 2 जुलाई 2007 को आयोजित किया गया। बैठक के दौरान शासकीय कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समिति के सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए।

सतर्कता कार्यकलाप

3.11.1 श्री बचित्तर सिंह संयुक्त सचिव को दिनांक 28.03.2007 से मंत्रालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया । मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में मंत्रालय के सचिव की सहायता करते हैं और मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच सम्पर्क-सूत्र का कार्य करते हैं । मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपने सामान्य कार्य करने के अतिरिक्त सतर्कता कार्य भी देखते हैं । मंत्रालय में निदेशक (सतर्कता) मुख्य सतर्कता अधिकारी को कार्यों को निभाने में सहायता करते हैं । जनता की जानकारी के लिए कार्यालय परिसर में मानक सूचना पटल लगाए गए हैं।

3.11.2 केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अनुदेशों के अनुसरण में मंत्रालय ने दिनांक 12.11.2007 से 16.11.2007 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया । सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 12.11.2007 को मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई ।

लोक शिकायत निवारण प्रक्रिया

3.12 डॉ. बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव को दिनांक 16.1.2007 से निदेशक, शिकायत के तौर पर नामोनिर्दिष्ट किया गया है। डॉ. सिंह के सम्पर्क विवरण जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। शिकायत निदेशक द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों और कभी कभार उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनी जाती हैं।

गणतंत्र दिवस समारोह, 2008

3.13.1 मंत्रालय ने इस वर्ष भी पहले से अनुसरण की जा रही प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से दो-दो जनजातीय प्रतिनिधियों, एक पुरुष और एक महिला को भारत सरकार के जनजातीय अतिथियों के रूप में गणतंत्र दिवस परेड और समारोह, 2008 को देखने के लिए आमंत्रित किया। 30 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों से 60 जनजातीय अतिथियों ने गणतंत्र दिवस परेड 2008 का विटनस किया ।

3.13.2 नई दिल्ली में अपने रहने की अवधि के दौरान जनजातीय अतिथि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री से भी मिलने गए थे । जनजातीय कार्य मंत्री ने 31.01.2008 को जनजातीय अतिथियों को रात्रिभोज भी दिया । जनजातीय कार्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय मेहमानों को गणतंत्र दिवस समारोह में भागीदारी के लिए एक प्रमाणपत्र और एक शॉल भी उपहार-स्वरूप प्रदान किया। 26 जनवरी, 2008 को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के अलावा, जनजातीय अतिथि 28 जनवरी, 2008 को प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली तथा

झांकी के जनजातीय अतिथियों के सम्मान में मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सिरी फोर्ट ऑडीटोरियम के अंदर प्रदर्शन करते कलाकार

29.01.2008 को बीटिंग रीट्रिट समारोह में भी उपस्थित हुए। जनजातीय मेहमानों ने 30.01.2008 को राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

3.13.3 मेहमानों को दिल्ली और उसके आसपास दर्शनीय स्थानों पर ले जाया गया और आगरा, मथुरा भ्रमण के लिए ले जाया गया। उन्होंने सिकन्दरा का किला, आगरा का किला और मथुरा में मन्दिरों का भ्रमण किया ।

संसदीय स्थायी समिति

3.14.1 श्रीमती सुमित्रा महाजन, संसद सदस्या (लोकसभा) की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2006-07) ने वर्ष 2007-08 के लिए मंत्रालय के अनुदान मांग की जांच करने के संबंध में मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों का 09.04.2007 को साक्ष्य लिया । स्थायी समिति ने पच्चीसवीं रिपोर्ट लोकसभा में 28.04.07 को पेश की, जो 03.05.2007 को ही राज्यसभा के पटल पर रख दी गई ।

3.14.2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण (2006-07) संबंधी संसदीय समिति ने वर्ष 1994-95 से 1998-99 के दौरान परंपरागत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीय कारीगरों को वित्तीय सहायता के संबंध में सहायता एवं संरक्षण प्रदान करने के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय पर अपनी 18वीं रिपोर्ट भी दिनांक 6.12.2006 को लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत की ।

3.14.3 गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और जनजातीय कार्य मंत्रालय पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (2006-07) के कल्याण से संबंधित समिति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार और सामाजिक अपराध पद्धति पर 10.9.2007 को राज्यसभा में तथा 23.11.2007 को लोकसभा में अपनी 17वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	विषय
1	03.05.2007	आदिम जनजाति समूह (पीटीजी) का विकास
2	05.09.2007	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उत्कृष्ट/उच्च कक्षा संस्थान की योजना
3	14.11.2007	गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जाने वाले प्रशिक्षण केन्द्र

संसद की परामर्शदात्री समिति की बैठकें

3.15 जनजातीय कार्य मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति की तीन बैठकें वर्ष 2007-08 के दौरान 30.05.2007, 05.09.2007 और 14.11.2007 को हुईं । बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई।

अध्याय 4

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

4.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य संरक्षणात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय के अतिरिक्त, 1978 में एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी । तथापि, 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए । चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं और समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं और उनके समाधानों की तुलना में कहीं अधिक भिन्न थे, जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण की और अनुसूचित जनजाति के विशेष अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए विशेष स्वतंत्र तंत्र का होना आवश्यक समझा गया था, इसलिए संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान में एक नए अनुच्छेद 338(क) का समावेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 से एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी।

4.2 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है । आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसे कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं ।

4.3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में श्रीमती उर्मिला सिंह, अध्यक्ष और श्री शेरिंग सैम्फेल, सदस्य हैं । उपाध्यक्ष तथा दो सदस्यों के पद रिक्त पड़े हैं । राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्त्तव्य, कार्यकलाप और शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 338(क) के उपखंड (5), (8) और (9) में दी गई हैं । राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अन्य कार्यों का विनिर्देशन) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग सुरक्षा, कल्याण, विकास एवं उन्नयन से संबंधित कुछ अन्य कार्य भी करेगा, अर्थात:-

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व अधिकार देने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपाय;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जन संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय और अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य आजीविका नीति के लिए कार्य करना;

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ड.) जनजातीय लोगों का भूमि से हस्तांतरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही हस्तान्तरण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने और शामिल करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा खेती को बंटाई पर देने, जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, की प्रक्रिया को कम करने और और अन्ततः समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

4.4. आयोग के मुख्य कर्त्तव्य हैं अनुसूचित जनजातियों को दी गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना और मानीटर करना और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना; और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से वंचन और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना । आयोग के पास अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के वंचन और सुरक्षोपायों से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर करने के सभी अधिकार हैं, अर्थात्

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाना एवं बुलावा भेजना तथा उसे शपथ दिलाकर जांच करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की मांग करना;

(ड.) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित कर सकता है;

4.5 338 के खंड (9) में यह प्रावधान है कि संध और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगी।

4.6. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलांग में स्थित है। इन कार्यालयों के स्थान और क्षेत्राधिकार नीचे दिए गए हैं :-

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते	क्षेत्राधिकार
1.	कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल -462011. (टेलीफोनः 0755-2578272/ 2576530)	मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा तथा संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और लक्ष्यद्वीप
2.	एन-1/297, आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर - 751015 (टेलीफोनः 0674-2551616/ 2551818	आंध्र प्रदेश, उड़िसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित और पांडीचेरी
3.	सी-29, लाल कोठी योजना, एसएमएस स्टेडियम के पीछे, पंकज सिंघवी मार्ग, जयपुर -302015 (टेलीफोनः 0141-2741173/ 2743199)	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र और दमन और दीव
4.	आर-26, सैक्टर-2, अवंती विहार, पोस्ट ऑफिस रविग्राम, रायपुर -492006, (टेलीफोनः 0755-2560869)	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू ए. जी. को-ऑपरेटिव कॉलोनी, कदरू, रांची (टेलीफोनः 0651-2340368/ 2341677)	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश
6.	रबेका विला, टेम्पर रोड, लोवर लचुमैरी, शिलांग - 793001 (टेलीफोनः 0364-2221362/ 2504202)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

अध्याय 5

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम

5.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट जनजातीय विकास कार्यनीति विकसित करने के स्थान पर सामुदायिक विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के प्रावधानों पर जोर दिया गया। योजना के अंत तक (1954), 43 विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाएं (एम. टी. ड़ी. पी.) बनाई गई । इन विशेष बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास परियोजनाओं से जनजातीय लोगों के हितों का पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा सका क्योंकि इन योजनाओं की संख्या ज्यादा थी । यही दृष्टिकोण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहा । तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, जनजातीय विकास के लिए एक अलग कार्यनीति विकसित की गई जिसमें उन सामुदायिक विकास ब्लॉकों, जिनमें जनजातीय जनसंख्या की बहुलता 66% और उससे अधिक थी, को जनजातीय विकास ब्लॉकों में बदल दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक जनजातीय विकास ब्लॉकों की देश में संख्या 504 तक बढ़ गई । जनजातीय विकास ब्लॉकों के माध्यम से विकास की यह कार्यनीति की अपनी सीमाएं थी । टीडीबी के बाहर रहने वाली देश की जनजातीय आबादी के हितों का समाधान करने में विफल रही है, जिसमें 60% से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या सम्मिलित है ।

विद्यमान कार्यनीति - जनजातीय उपयोजना

5.2 जनजातीय लोगों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रो. एस सी दुबे की अध्यक्षता में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा 1972 में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जनजातीय उपयोजना कार्यनीति विकसित की गई जिसे पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया और वह तब से जारी है । जनजातीय उपयोजना कार्यनीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i) किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की सीमा क्षेत्र के भीतर जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित योजना तैयार करना राज्य अथवा संघ

शासित क्षेत्र की समग्र योजना का एक भाग है और इसलिए इसे उपयोजना कहा जाता है।

ii) जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत प्रावधान की गई निधियां कम से कम प्रत्येक राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र की जनजातीय आबादी के अनुपात के बराबर होनी चाहिए ।

iii) किसी राज्य अथवा किसी संघ शासित क्षेत्र की जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों को टीएसपी के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाते हैं । ये लाभ किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र, की समग्र योजना से मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होते हैं ।

iv) जनजातीय उपयोजना में निम्नलिखित कार्यनीतियों की संकल्पना की गई है

(क) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए संसाधनों की पहचान करती है;

(ख) विकास के लिए मोटे तौर पर नीति ढांचा तैयार करती है; तथा

(ग) कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त प्रशासनिक कार्यनीति को परिभाषित करता है।

v) जनजातीय उपयोजना रणनीति 22 राज्यों तथा 2 संघ क्षेत्रों में चल रही है ।

टीएसपी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तालिका 5.1 में दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश
असम	महाराष्ट्र
बिहार	मणिपुर
छत्तीसगढ़	राजस्थान
गोवा	सिक्किम
गुजरात	तमिलनाडु
हिमाचल प्रदेश	त्रिपुरा
जम्मू और कश्मीर	उत्तर प्रदेश
झारखंड	उत्तरांचल
कर्नाटक	पश्चिम बंगाल
केरल	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
उड़ीसा	दमन और दीव

vi) अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों और लक्षद्वीप और दादर व नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र में जनजातीय उपयोजना की अवधारणा लागू नहीं होती क्योंकि इन राज्यों में जनजातीय जनसंख्या यहां की कुल जनसंख्या के 80% से अधिक है । क्योंकि इन राज्यों/संघ शासत क्षेत्रों में वार्षिक योजना स्वयं में जनजातीय योजना है ।

राज्य सरकारों की टीएसपी

5.3 टीएसपी कार्ययोजना का पालन केन्द्रीय मत्रालयों/विभागों में भी किए जाने की अपेक्षा की जाती है ।इसलिए, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में निधियों का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखने की जरूरत है । योजना आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्यों को ऐसा करने का अनुरोध किया था, दुर्भाग्य से इसे 2007-08 की वार्षिक

योजना बनाते समय राज्यों द्वारा अपनाया नहीं गया। तालिका 5.2 में वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण और टीएसपी के तहत प्रदान की गई धनराशि का अनुपात दिया गया है। जिन राज्यों ने टीएसपी के तहत अपेक्षित प्रावधान नहीं किए हैं वे हैं असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कनार्टक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और दमन तथा दीप।

केन्द्रीय मंत्रालयों का जनजातीय उपयोजना घटक

5.4.1 टीएसपी कार्ययोजना का पालन केन्द्रीय मत्रालयों/विभागों में भी किए जाने की अपेक्षा की

तालिका 5.2: वार्षिक योजना (वा.यो.) 2007–08 के लिए राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार का विवरण परिव्यय

(क) राज्य, जिन्होंने पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं					
			वार्षिक योजना 2007-08 (करोड़ रु.)		
क्रम सं.	राज्य/संध राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत में	वार्षिक योजना 2006-07 के लिए सहमत परिव्यय	टीएसपी के लिए परिव्यय	वार्षिक योजना में टीएसपी का प्रतिशत
1	असम	12.40	3800	33.58	0.9
2	छत्तीसगढ़	31.80	7431.72	870.99	11.72
3	गोवा	12.06	-	-	-
4	गुजरात	14.80	16000	2361.60	14.76
5	जम्मू और कश्मीर	10.90	4850	11.97	0.24
6	झारखंड	26.30	6676	729.96	10.93
7	कर्नाटक	6.60	17782.58	11.61	0.07
8	मध्य प्रदेश	20.30	12011	1832.60	15.26
9	राजस्थान	12.60	11638.86	1431.17	12.30
10	सिक्किम	20.60	691.14	135.16	19.56
11	उत्तर प्रदेश	0.10	25000	-	-
12	दमन और दीव	8.80	71.67	-	-
	कुल भारत	**8.20**			

(ख) राज्य जिन्होंने पर्याप्त/अतिरिक्त प्रावधान किए हैं।

क्रम सं.	राज्य/संध राज्य क्षेत्र		वार्षिक योजना (करोड़ रु.)		
		अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत में	वार्षिक योजना 2006-07 के लिए सहमत परिव्यय	टीएसपी के लिए परिव्यय	वार्षिक योजना में टीएसपी का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	6.60	30500	2454.83	8
2	बिहार	0.90	10200	93.94	0.92
3	हिमाचल प्रदेश	4	2100	189	9
4	केरल	1.10	6950	139	2
5	महाराष्ट्र	8.90	20200	1798	8.90
6	मणिपुर	34.20	1374.31	592.61	43.12
7	उड़ीसा	22.10	5105	1257	24.63
8	तमिलनाडु	1	14000	3185.05	22.75
9	त्रिपुरा	31.10	1220	408.50	33.48
10	उत्तराखंड	3	4378.63	134.09	3.06
11	पश्चिम बंगाल	5.50	9150	721.07	30.96
12	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.30	550	86.34	15.70
	अखिल भारत				

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दादर और नागर हवेली, लक्ष्यद्वीप जनजातीय बहुल राज्य हैं, इसलिए इनमें टी एस पी नहीं है।

(स्रोतः योजना आयोग)

जाती है। इसलिए, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में निधियों का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखने की जरूरत है। योजना आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों से देश में जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशतता के अनुसार अपनी वार्षिक योजनाओं से धनराशि निर्धारित करने का अनुरोध किया है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 8.2% है।

5.4.2 इंगित मंत्रालयों के कुल परिव्यय में से जनजातीय उपयोजना के वास्तविक प्रवाह को समेकित नहीं किया जा सका क्योंकि सूचना अपर्याप्त थी। कई मंत्रालयों ने परियोजनाओं के अपने जनजातीय उपयोजना घटकों को अलग-अलग करने में कठिनाई की सूचना दी है, क्योंकि उनकी परियोजनाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित सभी समुदायों पर लागू होती हैं।

तथापि मंत्रालय और योजना आयोग जनजातीय उपयोजना के तहत आरक्षित निधियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं ।

राज्य सरकारों की जनजातीय उपयोजना

5.5.1 योजना आयोग ने भी राज्यों को निर्देश देते हुए आदेश जारी किया है कि राज्य के कुल बजट परिव्यय में से जनजातीय उपयोजना हेतु राशि आरक्षित रखें, जो अलग बजट शार्ष कोड 796 में रखी जानी है । योजना आयोग द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार जनजातीय उपयोजना की निधियां अ-परिवर्तनीय तथा अव्यपगत है । इन दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि राज्यों में जनजातीय उपयोजना के निरूपण एवं कार्यान्वयन हेतु जनजातीय कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा ।

5.5.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) तथा जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति के लिए यह व्यवस्था की गई है कि कुल आबंटन के 10% के बराबर राशि निर्धारित की जाए तथा इसे जनजातीय उपयोजना को अपनाने हेतु संस्थागत ढांचे में परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है और उसे केवल उन राज्यों में आबंटित किया जाना है, जो पूर्ववर्ती वर्ष में कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य के जनजातीय विकास विभाग के बजट शीर्ष के माध्यम से अनुमोदित जनजातीय उपयोजना निधियों का कम से कम 75% से अधिक राशि वास्तविक रूप से निर्मुक्त करते हैं । जनजातीय बहुल राज्यों के मामले में मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्मुक्त अनुदानों में 75% का उपयोग अभिनव परियोजनाओं हेतु करने के लिए विचार किया जाएगा । नवाचारी प्रकार की परियोजनाओं की संकल्पना को इस प्रोत्साहन में जोड़ा जा रहा है।

जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण

5.6. जनजातीय विकास के लिए निधियां निम्नलिखित स्रोतों से आती हैं

I. राज्य योजना,

II. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान तथा मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत निधियां

III. केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्रीय कार्यक्रम और संस्थागत वित्त

परिणाम

5.7.1 विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध मंत्रालयों द्वारा बजटिंग निष्पादन की प्रणाली प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 1969 में प्रारंभ की

गई थी। तत्पश्चात, वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण (2005-06) में कही गई बातों के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी संकल्पनात्मक, अभिकल्प और कार्यान्वयन को परिणामोन्मुख बनाते हुए निकाय कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने कि आवश्यकता पर जोर दिया।

5.7.2 तद्नुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय का पहला परिणामी बजट दस्तावेज फरवरी, 2006 के बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया था।

5.7.3 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा अपने 12.12.2006 के का.ज्ञा. द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि अब परिणाम और निष्पादन बजट एक ही दस्तावेज में दिए जाएंगे और इसका शीर्षक होगा परिणाम बजट 2007-08।

5.7.4 तदनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने परिणाम बजट 2007-08 को तैयार किया और इसे फरवरी 2007 के बजट सत्र में संसद में प्रस्तुत कया गया था।

5.7.5 वित्त मंत्रालय ने अपने परिपत्र दिनांक 12.12.2007 बजट 2008-09 को तैयार करने के लए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए। इस परिपत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने परिणाम 2008-09 तैयार किया गया है और इसे बजट सत्र 2008 में संसद में प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय 6

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियां

6.1.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदायों के लिए किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं । इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति के माने जाएंगे ।

6.1.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशेष से संबंधित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति का घोषित किया हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के लोग अनुसूचित जाति के माने जाएं । अनुसूचित जनजाति का पता लगाने की जो जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए, जिनका पहली बार निर्धारण लोकुर समिति द्वारा किया गया था । जनजातियां जिनमें :

(क) आदिम जनजातीय गुण,

(ख) अनूठी संस्कृति,

(ग) आम लोगों से संपर्क करने से कतराना,

(घ) भौगोलिक अलगाव और

(ड.) पिछड़ापन - सामाजिक और आर्थिक ।

जनजातियों का वितरण

6.2.1 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की कुल जनसंख्या 8.43 करोड़ है जो कुल आबादी का 8.2% है । जनजातियों की जनसंख्या में वर्ष 1991 से 2001 के बीच 24.45% की वृद्धि दर दर्शाई गई है । आधी से ज्यादा जनजातीय आबादी की बहुलता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात राज्यों में हैं ।

6.2.2 जनजातीय समुदाय देश के 15% क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं । जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं । कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली ली है वहीं दूसरी ओर ऐसे 75 आदिम जनजातीय समूह हैं जो अपनी

(क) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी;

(ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या;

(ग) बहुत ही कम साक्षरता; तथा

(घ) अर्थव्यवस्था के न्यूनतम स्तर विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं.

6.2.3 भारत के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जनजातियों की जनसंख्या तालिका 6.1 दर्शायी गयी है।

तालिका 6.1: विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जनजातीय आबादी वितरण:-

क्र. सं.	राज्य	देश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत
1	मध्य प्रदेश	14.51
2	महाराष्ट्र	10.17
3	उड़ीसा	9.66
4	गुजरात	8.87
5	राजस्थान	8.42
6	झारखण्ड	8.40
7	छत्तीसगढ़	7.85
8	आन्ध्र प्रदेश	5.96
9	पश्चिम बंगाल	5.23
10	कर्नाटक	4.11
11	असम	3.92
12	मेघालय	2.36
13	नागालैंड	2.10
14	जम्मू और कश्मीर	1.31
15	त्रिपुरा	1.18
16	मिजोरम	1.00
17	बिहार	0.90
18	मणिपुर	0.88
19	अरुणाचल प्रदेश	0.84
20	तमिलनाडु	0.77
21	केरल	0.43
22	उत्तरांचल	0.30
23	हिमाचल प्रदेश	0.29
24	दादरा और नगर हवेली	0.16
25	सिक्किम	0.13
26	उत्तर प्रदेश	0.13

6.2.4 जहां कुछ राज्यों में जनजातीय आबादी, जब भारत की कुल जनजातीय आबादी की प्रतिशतता की गणना की जाती है, राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनजातीय आबादी की प्रतिशतता की तुलना में कम है (उदाहरण के लिए लक्षद्वीप, मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नगर हवेली)। कुछ राज्यों में जनजातीय आबादी बहुलता है जैसा पहले बताया गया है, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निवास करती है।

6.2.5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में जनजातीय आबादी आकृति 6 (ख) में बताई गई है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनजातीय आबादी देश की जनजातीय आबादी के प्रतिशत के रूप में आकृति 6 (ग) में दर्शाई गई है।

आकृति 6 (क) : अनुसूचित जनसंख्या का वितरण

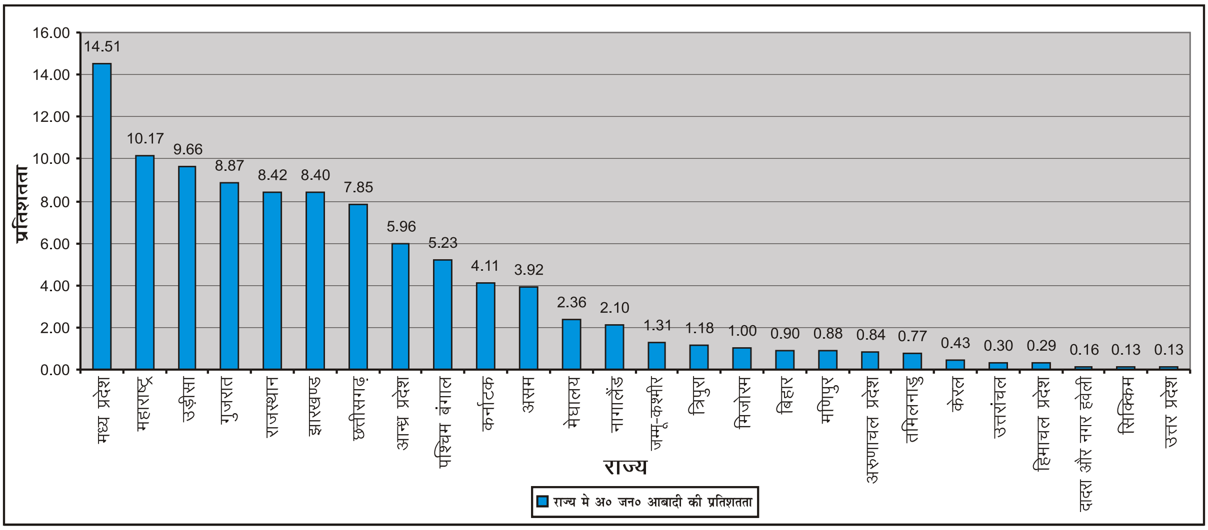

प्रमुख जनजातियां

6.3.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूची के अनुसार 700 से अधिक जनजातियां हैं। इन 700 समानार्थी अथवा इसी प्रकार की जनजातियां भी बहुत अधिक हैं और अनुसूची में दर्शाई गई हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं, अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या (अर्थात् 62) उड़ीसा में है।

जनसंख्या प्रवृत्तियां तथा वर्तमान स्थिति

6.4.1 **जनसंख्या प्रोफाइल :** वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.43 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.2% है। जनजातीय जनसंख्या 1961 से लगातार बढ़ रही है। 2001 की जनगणना पर आधारित राज्यवार कुल

आकड़े 6 घ : पाँच जनगणनाओं में कुल और अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या में तुलना

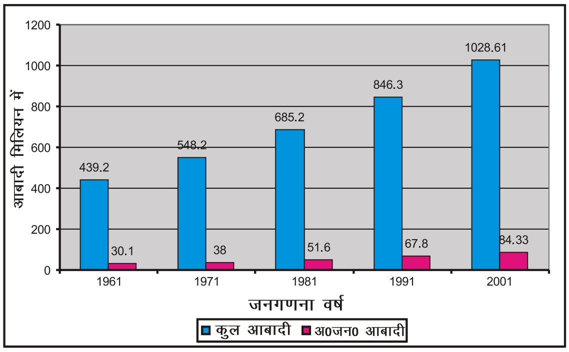

जनसंख्या अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या, 1991-2001 के बीच की वृद्धि दर, इत्यादि **अनुबंध -4** में दर्शाई गई है।

6.4.2 **वृद्धि :** जनजातीय जनसंख्या के संबंध में वर्ष 1971 से 1981 की जनगणना के बीच के दशक के दौरान बढ़ौतरी (35.79%) कुल जनसंख्या के मुकाबले काफी अधिक रही है। वर्ष 1981 से 1991 की जनगणना के बीच के दशक के दौरान बढ़ोतरी (31.64%) कुल जनसंख्या के मुकाबले (23.51%) काफी अधिक रही है।

आकृति 6 ख : राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (2001 की जनगणना) में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत (कोष्ठक में)

लक्ष्यद्वीप	94.6		अरुणाचल प्रदेश	64.63
मिजोरम	94.19		दादरा और नगर हवेली	62.25
नागालैंड	88.98		छत्तीसगढ़	31.82
मेघालय	86.43		त्रिपुरा	31.13

आकृति 6 ग : भारत के राज्यों में अनु. जनजाति के आबादी का वितरण

10-15%	(मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र)
8-9%	(उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखण्ड)
5-7.9%	(छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल)
2-4.9%	(कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड)
1-1.9%	(जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, मिजोरम)
Below 1%	(बिहार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तमिलनाडु, केरल, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश)

जनगणना वर्ष 1991-2001 के बीच जनजातीय जनसंख्या वृद्धि 24.45% रही है जोकि समस्त जनसंख्या के संदर्भ में 22.66% है ।

आकृति 6.ड़ : वर्ष 1971 से 2001 के दौरान कुल और अनुसूचित जनजातीय आबादी की घटती जनसंख्या की तुलना

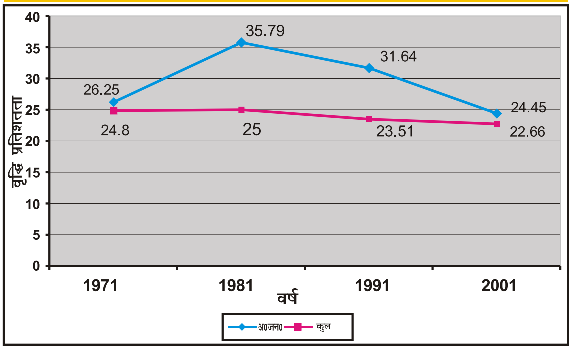

2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियों के संबंध में सबसे उच्च वृद्धि दर कर्नाटक राज्य 80.82% तथा नागालैंड (67.23%) रही । कुछ मामलों में आबादी की वृद्धि दर का कारण अनुसूचित जनजातियों की सूची में नए समुदायों को शामिल करना है। न्यूनतम वृद्धि दर अंडमान व निकोबार (10.08%) तथा हिमाचल प्रदेश (12.02%) रही।

6.4.3 **लिंग अनुपातः** (2001 की जनगणना के अनुसार) समग्र जनसंख्या के लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष, 933 महिलाएं) की तुलना में जनजातियों में लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुष, 977 महिलाएं ज्यादा अनुकूल है, यद्यपि गिर रही है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तरांचल को छोड़कर देश के अन्य समस्त राज्यों में 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात जनजातियों के संदर्भ में महिलाओं के ही अनुकूल देखा गया है।

आकृति 6.च. तुलनात्मक लिंगानुपात

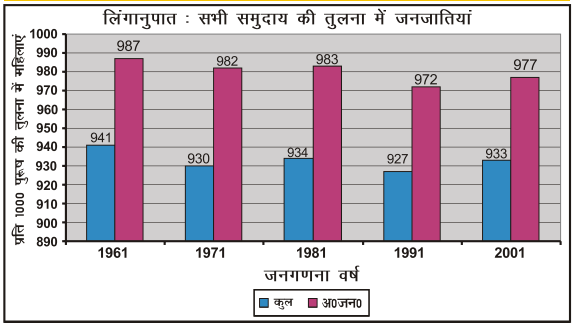

6.4.4 **बाल लिंग अनुपातः** वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, पूरे देश की सामान्य आबादी में 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 940 लड़कियां है । अनुसूचित जनजातियों के लिए यह अनुपात प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 985 लड़कियाँ का होना अधिक अनुकूल है । वर्ष 2001 में बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 919 लड़कियां होने पर और भी गिर गया । अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में यद्यपि गिरावट आयी है, तथापि प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 972 लड़कियों का होना बेहतर स्थिति दर्शाता है ।

6.4.5 दादरा और नगर हवेली के मामले में 6 वर्ष आयुवर्ग में वर्ष 2001 की गणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों की तुलना में 1009 लड़कियां बताई गई है जबकि दादरा और नगरहवेली में समग्र रूप में प्रति 1000 लड़कों में 911 लड़कियां है । वर्ष 1991 में कुल संघ शासित प्रदेश में सामान्य जनसंख्या के प्रति 1000 लड़कों के तुलना में 1005 लड़कियाँ थी वहीं दादरा और नगरहवेली

आकृति 6.छ : बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष)

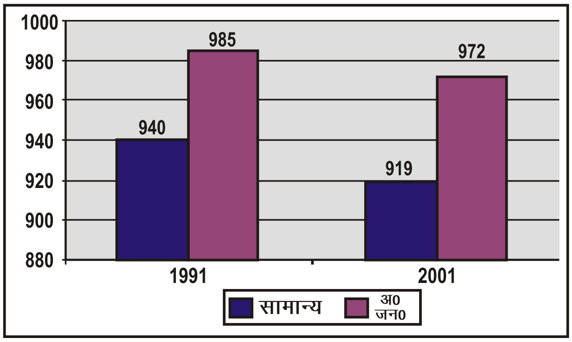

की जनजातियों में यह आकड़ा प्रति हजार लड़कों की तुलना में 1018 लड़कियां थी । 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात के राज्यवार आकड़े **अनुबंध - 5** और आकृति 6.छ में दिए गए हैं।

6.4.6 **साक्षरताः** समस्त जनसंख्या के संदर्भ में जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 तक साक्षरता दर 52.21% से बढ़कर 64.84 % हो गई है और जनजातियों में साक्षरता दर 29.60% से बढ़कर 47.10% हो गई। वर्ष 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनजातियों में पुरूष साक्षरता 40.65% से बढ़कर 59.17 % हो गई और महिला साक्षरता दर में 18.19 % से 34.76% वृद्धि हुई है, जोकि समग्र महिला साक्षरता दर की तुलना में लगभग 21% कम है । तथापि, महत्वपूर्ण बात यह है कि जनजातियों में कुल जनसंख्या तथा महिला साक्षरता में वृद्धि हो रही है ।

6.4.7 अनुसूचित जनजाति के लिए साक्षरता दर 1961 में 8.53% से बढ़कर 2001 में 47.10% हो गई जबकि कुल आबादी में संगत वृद्धि 1961 में 28.30% से बढ़कर 2001 में 64.84% हो गई। इसके विवरण तालिका 6.3 में दिए गए हैं।

तालिका 6.3: अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष समूहों में साक्षरता

वर्ष	अनुसूचित जनजातियां			सभी सामान्य समूह		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1961	13.83	3.16	8.53	40.40	15.35	28.30
1971	17.63	4.85	11.30	45.96	21.97	34.45
1981	24.52	8.04	16.35	56.38	29.76	43.57
1991	40.65	18.19	29.60	64.13	39.29	52.21
2001	59.17	34.76	47.10	75.26	53.67	64.84

स्रोत : भारत के महापंजीयक

वर्ष 1991 से 2001 के बीच अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि समान अवधि के दौरान कुल आबादी में 12.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ष 1991 में 22.46 की साक्षरता दर में पुरुष-महिला अंतराल वर्ष 2001 में बढ़कर 24.41 प्रतिशत हो गई जबकि आबादी के लिए इसका प्रतिशत 1991 में 24.84 प्रतिशत से घटकर 2001 में 21.59 प्रतिशत हो गया।

साक्षरता दर के रुझान 1961 से 2001 के बीच आकृति 6 (ज) में दर्शाए गए हैं।

आकृति 6 (ज) तुलनात्मक साक्षरता दरें

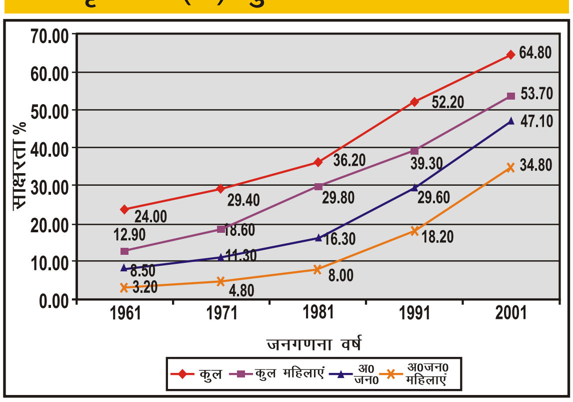

अनुसूचित जनजातियों तथा सभी आबादियों के बीच साक्षरता अंतराल का प्रतिशत 2001 के दौरान 0.5 से बढ़कर 31.9 प्रतिशत हो गया। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू तथा कश्मीर जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजाति और कुल आबादी के बीच वर्ष 2001 के दौरान साक्षरता दर का प्रतिशत अंतराल 17.7 से अधिक (अर्थात अखिल भारत में साक्षरता अंतराल) है। सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और दादरा तथा नगर हेवली के अलावा 1991 से 2001 के बीच साक्षरता अंतराल में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार ने 1991 की जनगणना की तुलना में उतना ही अंतराल बनाए रखा किन्तु यह अंतराल दादरा और नगर हेवली के मामले में बढ़ गया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजातियों और पूरी आबादियों के बीच साक्षरता अंतराल का प्रतिशत 25 से अधिक है। राज्यवार विवरण **अनुबंध -11** में दिए गए हैं।

पिछड़ेपन के संकेतक

6.5 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी का 44.70% वर्ग कृषक तथा 36.9% कृषि मजदूर थे । 2.1% घरेलु उद्योगों में कामगर तथा 16.3% अन्य धन्धों में कामगर थे । अतः इन समुदायों के प्रमुख कामगारों का लगभग 81.6% प्राइमरी क्षेत्र के क्रिया-कलापों में लगा था । ये असमानताएं औपचारिक शिक्षा बीच में छोड़ने की दर में बढ़ोतरी से और बढ़ जाती हैं । इसका परिणाम यह होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों में उनका प्रतिनिधित्व कम रह जाता है । हैरानी की बात नहीं है कि इसका समग्र प्रभाव यह होता है कि गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जनजातियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है । योजना आयोग से जारी किए गए आंकड़ों में यह देखा गया है कि वर्ष 1993-94 में अनुसूचित जनजातीय गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 51.94 था, जबकि उसी वर्ष शहर में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 41.14 था । 2004-05 के दौरान जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमश 47.2% तथा 39.9 % पाया गया है । इस तरह वर्ष 1993-94 से 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों में क्रमश 4.7% एवं 1.15% की गिरावट आई है । राज्यवार ब्यौरा तालिका 5.4 में नीचे दिया गया है ।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ स्वास्थ्य संकेतक

6.6 शिशु मृत्यु दर, पांच वर्ष की आयु तक के बाल मृत्यु दर एवं कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के बच्चों में अन्य विभिन्न सामाजिक - आर्थिक समूहों की तुलना में तथा संपूर्ण जनसंख्या के लोगों में व्याप्त दरों की तुलना में सर्वाधिक पाया गया है । जिसकी वास्तविक स्थिति निम्नलिखित तालिका 6.5 और आकृति 6 (झ) में दर्शाई गई है :

तालिका 6.4: वर्ष 2004-05 राज्यवार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी (सामाजिक समूह वार) प्रतिशत

क्रम सं.	राज्य	ग्रामीण				शहरी			
		अ.ज.	अ.ज.जा	ओ.बी.सी	अन्य	अ.ज.	अ.ज.जा	ओ.बी.सी	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	**30.5**	15.4	9.5	4.1	50.0	**39.9**	28.9	20.6
2	असम	**14.1**	27.7	18.8	25.4	4.8	**8.6**	8.6	4.2
3	बिहार	**53.3**	64.0	37.8	26.6	57.2	**67.2**	41.4	18.3
4.	छत्तीसगढ़		32.7	33.9	29.2	41.0	**52.0**	52.7	21.4
5	दिल्ली		0.0	0.0	10.6	9.4	**35.8**	18.3	6.4
6	गुजरात	**34.7**	21.8	19.1	4.8	21.4	**16.0**	22.9	7.0
7	हरियाणा	**0.0**	26.8	13.9	4.2	4.6	**33.4**	22.5	5.9
8	हिमाचल प्रदेश		19.6	9.1	6.4	2.4	**5.6**	10.1	2.0
9.	जम्मू और कश्मीर	**8.8**	5.2	10.0	3.3	0.0	**13.7**	4.8	7.8
10.	झारखंड	**54.2**	57.9	40.2	37.1	45.1	**47.2**	19.1	9.2
11.	कर्नाटक	**23.5**	31.8	20.9	13.8	58.3	**50.6**	39.1	20.3
12.	केरल	**44.3**	21.6	13.7	6.6	19.2	**32.5**	24.3	7.8
13.	मध्य प्रदेश	**58.6**	42.8	29.6	13.4	44.7	**67.3**	55.5	20.8
14.	महाराष्ट्र		44.8	23.9	18.9	40.4	**43.2**	35.6	26.8
15.	उड़ीसा		50.2	36.9	23.4	61.8	**72.6**	50.2	28.9
16.	पंजाब	**30.7**	14.6	10.6	2.2	2.1	**16.1**	8.4	2.9
17.	राजस्थान	**32.6**	28.7	13.1	8.2	24.1	**52.1**	35.6	20.7
18.	तमिलनाडु	**32.1**	31.2	19.8	19.1	32.5	**1**	20.9	6.5
19.	उत्तर प्रदेश	**32.4**	44.8	32.9	19.7	37.4	**44.9**	36.6	19.2
20.	उत्तराखंड	**43.2**	54.2	44.8	33.5	64.4	**65.7**	46.5	25.5
21.	पश्चिम बंगाल		29.5	18.3	27.5	25.7	**28.5**	10.4	13.0
	कुल भारत	**47.2**	**36.8**	**26.7**	**16.1**	**33.3**	**39.9**	**31.4**	**16.0**

संक्षेपाक्षर अ. ज.=अनुसूचित जाति, अ. ज.जा.=अनुसूचित जनजाति, ओबीसी=अल्प पिछड़ा वर्ग

तालिका 6.5 : कुछ स्वास्थ्य सूचकांक

संकेतक	शिशु मृत्यु दर/1000	5 वर्ष से नीचे उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर/1000	कम वजन के बच्चों का प्रतिशत
भारत	70	94.9	47
अनुसूचित जाति	83	119.3	53.5
अनुसूचित जनजाति	84.2	26.6	55.9
अन्य वंचित समूह	76	103.1	47.3
अन्य	61.8	82.6	41.1

आकृति 6झ : कुछ स्वास्थ्य सूचकांक

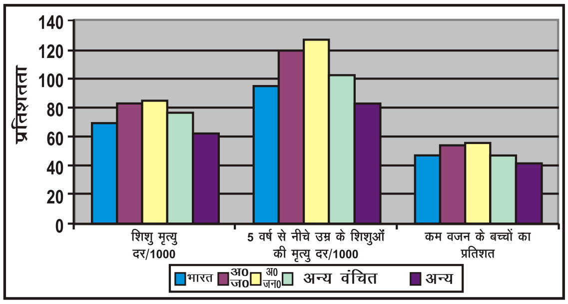

20.02.2006 तक

शिक्षा

6.71 प्रारंभिक चरण (I-VIII) के लिए सकल पंजीकरण अनुपात (जीईआर) को 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की आबादी में प्रारंभिक चरण पर नामिकाबद्ध प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। जीईआर 2001-01 में 88 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए 102.4 प्रतिशत और संपूर्ण आबादी के लिए 2000-01 में 81.6 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 93.5 प्रतिशत हो गया। आरंभिक चरण (I-VIII) पर सभी श्रेणियों और अनुसूचित जनजातियों में सकल पंजीकरण अनुपात नीचे तालिका 6.6 में दिया गया है।

इस तालिका में दर्शित नामांकन आंकड़ों में कम उम्र एवं अधिक उम्र के बच्चों का भी समावेश होने से कहीं-कहीं पर प्रतिशत 100 से अधिक देखा गया है ।

तालिका 6.6: प्रारंभिक चरण (I-VIII) के लिए सकल पंजीकरण अनुपात (जीईआर)

	अनुसूचित जनजाति			कुल आबादी		
वर्ष	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1995-96	105.7	75.1	90.9	86.9	69.4	78.5
1999-2000*	99.3	70.9	85.2	90.1	72.0	81.3
2000-01*	102.5	73.5	88.0	90.3	72.4	81.6
2001-02*	99.8	77.3	88.9	90.7	73.6	82.4
2002-03*	86.7	73.9	80.5	85.4	79.3	82.5
2003-04*	90.6	81.1	86.1	87.9	81.4	84.8
2004-05*	108.5	95.8	102.4	96.9	89.9	93.5

** अनंतिम*

स्रोत मानव संसाधन विकास मंत्रालय

प्रारंभिक चरण पर जीईआर में वर्ष 2001-01 की जेंडर विसंगति 29.0 प्रतिशत से घट कर अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए 2004-05 वर्ष में 12.7 प्रतिशत हो गई। और 2000-01 में कुल आबादी के लिए 17.9 प्रतिशत से घट कर 2004-05 में 7.0 प्रतिशत हो गई।

पुनर्रचित 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006

6.8 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। कार्यक्रमों की निगरानी पुनर्रचित 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत शामिल की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से जनजातीय उप योजना वाले 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्ष्य तय किए जाते हैं ।

20 सूत्रीय कार्यक्रम को सरकार द्वारा पुनर्रचित किया गया है और इस मंत्रालय द्वारा निगरानी किए जाने वाले मद निम्नानुसार हैं :

1. अनुसूचित जनजाति के सहायता प्राप्त परिवार
2. वन निवासियों के अधिकार - लघु वन उत्पाद के स्वामी
3. आदिम जनजातीय समूह

वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के परिवारों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य 15,0000 परिवारों का है। जनश्री बीमा योजना के तहत आदिम जनजातीय समूहों के लक्ष्य भी 90500 परिवरों के लिए तय किए गए हैं। इसके विवरण **अनुबंध-27** में दिए गए हैं।

संवैधानिक गारंटी :

6.9.1 भारत के संविधान में लोगों के वंचित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गारंटी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्दिष्ट कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं :

(1) सामाजिक

- कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)

- राज्य को नागरिकों के शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करने हैं [अनुच्छेद 15(4)] ।

- राज्य के अंतर्गत किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता [अनुच्छेद 16)]

- राज्य को किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्ति, पदों में आरक्षण के लिए प्रावधान करना जिसे राज्य की राय में राज्य के अंतर्गत, सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया हो (अनुच्छेद 16(4)।

• राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदों की किसी श्रेणी या श्रेणियों में पदोन्नति के मामले में प्रावधान करने हैं (अनुच्छेद 16(4क) ।

• अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध कराए गए संवैधानिक सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच, मानीटरिंग और मूल्यांकन करना है (अनुच्छेद 338) (क) ।

• राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति (अनुच्छेद 339(1) ।

• सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की तथा उन कठिनाइयों की जिनके अंतर्गत वे श्रम करते हैं, की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति और ऐसी कठिनाइयों को दूर करने तथा उनकी दशा में सुधार लाने के लिए सिफारिश करना (अनुच्छेद 340) ।

• अनुसूचित जनजातियां समझे जाने के लिए जनजातियों या जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट करना (अनुच्छेद 342) ।

(2) आर्थिक

• राज्य के लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को विशेष ध्यान रखकर बढ़ावा देना है और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना है (अनुच्छेद 46)।

• अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान तथा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन (अनुच्छेद 275(1)

• प्रशासन की दक्षता के अनुरक्षण से सामंजस्य रखने को ध्यान में रखते हुए संघ के या एक राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के दावे (अनुच्छेद 335) ।

(3) राजनीतिक

• अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशेष प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के द्वारा (असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के राज्यों से अन्यथा) किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना पांचवीं अनुसूचित स्थिति में विशेष रूप से करना अपेक्षित होता है । (अनुच्छेद 244(1)

● कतिपय जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में नामित करने के द्वारा और साथ ही जिला परिषदों का गठन करने के द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची और विनिर्दिष्ट प्रावधान (अनुच्छेद 244(2)।

● लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 330) ।

● राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 332) ।

● प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243 घ) ।

● योजना और निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया में जनजातियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के माध्यम से संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों का विस्तार।

6.9.2 जनजातियों सूचीकरण एवं गैर-सूचीकरणः " अनुसूचित जनजातियां " शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस रूप में की गई है, ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायो के अंतर्गत भागों या समूहों, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां होना समझा जाता है "। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने के लिए प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

6.9.3 अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं । यह जनजातियों या इसके भाग को संविधान में प्रावधान किए गए रक्षोपायों का आह्वान करते हुए संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

6.9.4 अनुच्छेद की धारा (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

6.9.5 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देशन संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्टि करने वाले आदेशों की सूची **अनुबंध-6** पर दी गई है । इन सबके बाद

आदेशों को संसद के अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है । उपर्युक्त अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का सूचीकरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार करने का प्रावधान है न कि अखिल भारतीय आधार पर ।

6.9.6 किसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्देशन के लिए अनुसरण किए जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं-

क. आदिम विशेषताओं के संकेत

ख. विशिष्ट संस्कृति

ग. भौगोलिक एकाकीपन

घ. समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथ्य

ड. पिछड़ापन ।

6.9.7 इस मानदंड का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु यह सुस्थापित और स्वीकृत हो चुका है। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेल्कर) 1955, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संशोधन संबंधी सलाहकार समिति (लोकूर समिति) 1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति आदेश (संशोधन) विधेयक 1967 (चंदा समिति) 1969 में परिभाषाओं को ध्यान में रखता है।

6.9.8 अनुसूचित जनजातियों की सूची **अनुबंध-7** में दर्शाई गई है ।अनुसूचित जनजातियों की इस सूची में हल ही में जोड़े/घटाए नाम मोटे अक्षरों में दिए गए हैं ।

6.9.9 हरियाणा तथा पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

6.10.1 (क) **सामान्य:** जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए;

(1) कि वह व्यक्ति या उसके माता-पिता दावा किए गए समुदाय से वास्तव में संबंधित हैं,

(2) कि वह समुदाय संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है ,

(3) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा राज्य के अंतर्गत उस राज्य से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(4) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

(5) कि वह या उसके माता-पिता / दादा-दादी आदि अधिसूचना की तारीख को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए ।

(6) वह व्यक्ति जो उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त

करने आदि के कारण दूर होता है तो उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति उस क्रम में उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई है। परन्तु उसे ऐसा इस तथ्य के होते हुए भी, उसके अस्थाई निवास स्थान के संबध में किसी भी राष्ट्रपति के आदेश में, नहीं माना जा सकता है कि उसकी जनजाति का नाम उस राज्य के संबंध में अनुसूचित की गई है जहां वह अस्थाई रूप से निवास करता है।

(7) राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए निवास स्थान होगा जो उक्त आदेश के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता-पिता का स्थायी निवास स्थान था । यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासितस क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है ।

(ख) देशांतरण पर अनुसूचित जनजाति दावे

(1) जहां एक व्यक्ति राज्य के उस भाग से जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, उसी राज्य के दूसरे भाग में जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाना जारी रहेगा ।

(2) जहां एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में देशांतरण करता है तो वह केवल उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

(ग) विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति दावे

मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना केवल इसलिए समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है।

(घ) अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करना

6.10.2 अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निर्धारित प्राधिकारियों से निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर/ उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त / उप कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेण्डरी मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेण्डरी मजिस्ट्रेट से नीचे के पद का नहीं)।

2. मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

3. राजस्व अधिकारी, तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं।

4. उस क्षेत्र का उप प्रभागीय अधिकारी जहां वह उम्मीदवार तथा / या उसका परिवार सामान्यतौर पर निवास करता है।

5. प्रशासक / प्रशासक का सचिव / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

(ड.) बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को दंड।

6.10.3 भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी यदि किसी अधिकारी को पाया जाता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र असावधानीपूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

(च) अन्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया का उदारीकरण।

6.10.4 किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जिन्होंने एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए देशांतरण किया है उस राज्य से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से उन्होंने, देशांतरण किया है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके पिता/माता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता/माता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर वहां छोड़कर जहां निर्धारित प्राधिकारी महसूस करता है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसने एक अन्य राज्य से देशांतरण किया है। यह प्रमाणपत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा चाहे वह प्रश्नगत जनजाति अनुसूचित हो या उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबधित नहीं हो जिसमें उस व्यक्ति ने देशांतरण कर लिया है। तथापि, वे प्रवास किए गए राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे।

(छ) अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने संबंधी प्रक्रिया:

6.10.5 जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों से शामिल करने और शामिल नहीं करने संबंधी दावों के निर्णय के लिए

प्रक्रियाओं को अनुमोदित किया । इन अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल उन मामलों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति होगी । जब कभी किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मंत्रालय में अभिवेदन प्राप्त होते हैं तो जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अपेक्षित है, मंत्रालय संबधित राज्य सरकार को उस अभिवेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करता है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को सिफारिश के साथ भेजते हैं । तत्पश्चात्, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्रवाई की जाती है। उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है । सूची में सम्मिलित करने या निकालने से संबंधित मामले, जिनके संबंध में राज्य सरकार अथवा भारत के महापंजीयक अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से समर्थन प्राप्त नहीं होता है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है ।

अनुसूचित क्षेत्र

6.11.1 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं । इसलिए विकास संबधी कार्यकलापों तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए विनियम संबंधी प्रावधानों के लिए एक क्षेत्र दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है।

6.11.2 अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की "पांचवी अनुसूची" तथा "छठी अनुसूची" में दिए गए हैं ।

6.11.3 संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राष्ट्रपति ऐसा होने के लिए किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में राज्य के संबंध में राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् घोषित करें ।

6.11.4 संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों को "जनजातीय क्षेत्र" घोषित किया गया है और ऐसे क्षेत्रों के लिए चुने हुए जिले या स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था की गई है । इन परिषदों की विभिन्न प्रकार की विधायी, न्यायिक तथा कार्यकारी शक्तियां हैं ।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र

6.11.5 पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत किसी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं-

- जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य;
- सघनता तथा क्षेत्र का उचित आकार,
- व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे जिला, ब्लॉक या तालुक, तथा
- निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

6.11.6 एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "अनुसूचित क्षेत्रों" का विनिर्देशन संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। परिवर्तन में वृद्धि, कमी, नए क्षेत्रों को शामिल करने या "अनुसूचित क्षेत्रों" से संबंधित किसी आदेशों को रद्द करने के किसी मामले में भी यह लागू होता है।

6.11.7 निम्नलिखित आदेश वर्तमान में अपने मूल या संशोधित रूप में लागू हैं-

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य(राज्यों) का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950 क	आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	आंध्र प्रदेश
3	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
4	अनुसूचित क्षेत्र (गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा), 1977 (सी.ओ. 109)	31.12.1977	गुजरात और उड़ीसा
5 क	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी.ओ.114)	12.2.1981	राजस्थान
6	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश 1985 (सी ओ. 123)	2.12.1985	महाराष्ट्र
7.	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़ झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़, तथा मध्य प्रदेश
8.	अनुसूचित क्षेत्र झारखंड राज्य) आदेश 2007 (सा.आ.229)	11.04.2007	झारखंड

6.11.8 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन क्रमशः मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया । इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इस प्रकार के संपूर्ण क्षेत्र मूल बिहार राज्य से झारखंड को अंतरित हो गए । यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के लोग संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त करते रहेंगे, इसलिए 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश के संयुक्त राज्यों से संबंधित है, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था । राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है । झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229) दिनांक 1..04.2007 के अनुसार पुनः परिभाषित किया गया है।

6.11.9 अनुसूचित क्षेत्रों की राज्यवार स्थिति **अनुबंध - VIII** में हैं ।

अनुसूचित क्षेत्रों के उद्देश्य तथा लाभ:-

6.12 जनजातियों को सुरक्षा और लाभ देने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रावधान होते हैं।

क) अनुसूचित क्षेत्रों वाले किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियां हैं :

1. जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण का निषेध या प्रतिबंध।

2. अनुसूचित जनजाति के लोगों को धन उधार देने के कारोबार को विनियमित करना । ऐसे किसी विनियम को बनाने में, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को रद्द या संशोधित कर सकते हैं, जो प्रश्नगत क्षेत्र के लिए लागू है ।

(ख) राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा दिशा-निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम कि अनुसूचित क्षेत्र पर या राज्य में उसके कोई भाग पर लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों तथा संशोधनों से लागू होगा जो वे विनिर्दिष्ट करेंगे ।

(ग) उस राज्य का राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं; उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट वार्षिक रूप से या जब कभी ऐसा राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए, देगा

तथा केन्द्र कार्यकारी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देने के लिए होगा।

(घ) जनजातीय सलाहकार परिषद (टी ए सी) की स्थापना अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में की जाएगी। जनजातीय सलाहकार परिषद अनुसूचित जनजातियों वाले राज्यों में भी परन्तु जहां कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हों, भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर स्थापित की जा सकती है। जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होगें, जिनमें यथासम्भव 3/4 राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातीय प्रतिनिधियों में से हो। जनजातीय सलाहकार परिषद की भूमिका राज्य सरकार को राज्य में जनजातियों के कल्याण एवं प्रगति से संबंधित मामलों पर सलाह देने की है जैसी कि इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजी जाए।

(ड.) पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996, के प्रावधान जिसके तहत संविधान के भाग-9 में दिए गए, के प्रावधानों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों को किया गया था, में भी अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान हैं।

अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 339(I)

6.13 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास पर और अधिक बल देने के लिए अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग जिसे ढेबर आयोग के नाम से जाना जाता है का गठन पहली बार 1960 में किया गया। दूसरे ऐसे आयोग की स्थापना पूर्व संसद सदस्य श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 10 अन्य सदस्यों के साथ दिनांक 18 जुलाई, 2002 को की गई थी। जिसकी अवधि 16 जुलाई, 2004 को समाप्त हो गई है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 16.07.2004 को महामहिम राष्ट्रपति को सौंप दी थी।

छठी अनुसूची

6.14.1 अनुच्छेद 244 के अंतर्गत भारत के संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्वायत्त जिला/क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान बनाती है।

6.14.2 सामान्यतः जनजातीय क्षेत्र शब्द का आशय उन क्षेत्रों से है जहां जनजातीय जनसंख्या की बहुलता है। तथापि, भारत के संविधान में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों को मान्यता दी गई है क्योंकि वे क्षेत्र छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 से संलग्न सारणी के भाग 1, 2, 2 क तथा 3 में विनिर्दिष्ट हैं। दूसरे शब्दों में, वे क्षेत्र जहां छठी अनुसूची के प्रावधान लागू हैं जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों के संबंध में स्वायत्त जिला परिषदें स्थापित की गई हैं और प्रत्येक परिषद में अधिक से अधिक तीस सदस्य हैं।

6.14.3 ये परिषदें चुने हुए निकाय हैं और इनके पास कार्यकारी, विकासात्मक तथा वित्तीय दायित्वों के अलावा विधान, न्याय प्रशासन की शक्तियां हैं । जनजातीय क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

भाग - 1

1.उत्तर कछार पहाड़ी जिला

2.कार्बी अंगलोंग जिला

3.बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट

भाग - 2

1. खासी पहाड़ी जिला

2. जयंतिया पहाड़ी जिला

3. गारो पहाड़ी जिला

(भाग 2 क)

त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला

भाग - 3

1. चकमा जिला

2. मारा जिला

3. लई जिला

6.14.4जिला तथा क्षेत्रीय परिषदों को जिले में प्राइमरी स्कूलों, औषधालयों, बाजारों, पशुओं के तालाबों, नौघाटों, मछली पालन, सड़क परिवहन तथा जलमार्गों की स्थापना, निर्माण और प्रबंधन जैसे मामलों के संबंध में राज्यपाल के अनुमोदन से नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं । उत्तर कछार पहाड़ियों तथा कार्बी अंगलोंग की स्वायत्त परिषदों को सेकण्डरी शिक्षा, कृषि, समाज सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, लघु सिंचाई आदि जैसे अन्य मामलों के संबंध में कानून बनाने की अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान की गई है । इन परिषदों को कुछ मुकदमों और अपराधों की सुनवाई के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता तथा अपराध प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी शक्तियां दी गई है और लगान तथा करों को एकत्र करने के लिए अपने क्षेत्र के लिए राजस्व प्राधिकारी की शक्तियां तथा प्राकृतिक संसाधनों के विनियम तथा प्रबंधन के लिए अन्य शक्तियां भी प्रदान की गई हैं ।

अध्याय 7

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यक्रम

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

7.1 इस मंत्रालय द्वारा जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को राज्य योजना के योगज के रूप में ऐसे क्षेत्रों में दी जाती है, जहां राज्यों में राज्य योजना के प्रावधान सामान्य रूप में जनजातियों का पर्याप्त आर्थिक विकास नहीं कर पाते । यह योजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1974 में ही शुरू कर दी गई थी । नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का उद्देश्य जनजातीय उपयोजना के परिवार-आधारित आय-सृजन क्रियाकलापों की चिंतनीय खाई को पाटना था ।

लक्ष्य:

7.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का उद्देश्य रोजगार व आय सृजनात्मक गतिविधियों एवे उससे संबंधित अवस्थापना सुविधाओं तक इसे बढ़ाना है । परिवार आधारित गतिविधियों के अतिरिक्त स्वयं-सहायक समूहों द्वारा संचालित अन्य गतिविधियां भी ली जा सकती हैं । जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का अंतिम लक्ष्य मांग आधारित आय-सृजन कार्यक्रमों को तेज करना और इस प्रकार जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना है । संशोधित दिशा-निर्देश मई, 2003 में जारी किए गए थे।

कवरेज

7.3 विशेष केन्द्रीय सहायता पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, सिक्किम तथा त्रिपुरा सहित 22 जनजातीय उपयोजना राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाती है । फिर भी, वर्ष 2003-04 से संघ राज्य क्षेत्रों की निधियां गृह मंत्रालय के बजट में उपलब्ध करा दी गई हैं ।

विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए निर्मुक्त की जाती हैं :

1. आई टी डी पी क्षेत्र (संख्या में 195), जो सामान्य रूप से कम से कम तहसील, ब्लॉक या उनसे अधिक आकार के अखंड क्षेत्र हैं जिनमें कुल

जनसंख्या का 50% या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है।

2. माडा पाकेट (संख्या में 259), ये पहचान किए गए क्षेत्र 10,000 की कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का 50% या उससे अधिक की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाले हैं।

3. क्लस्टर (संख्या में 82), ये पहचान किए गए क्षेत्र 5000 की कुल जनसंख्या का 50% या उससे अधिक की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाले हैं।

4. आदिम जनजातीय समूह (संख्या में 75), जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर, प्रौद्योगिकी का कृषि-पूर्व स्तर तथा साक्षरता की अत्यंत कम स्तर इनकी विशेषता है।

5. उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 4 में उल्लिखित श्रेणियों से अलग विस्थापित जनजातीय जनसंख्या।

वित्तपोषण पद्धतिः

7.4 मंत्रालय राज्य सरकारों को 100% सहायता-अनुदान प्रदान करता है।

दिशा-निर्देश की मुख्य विशेषताएं :

1. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनजातीय आबादी को सहायता

2. विशेष केन्द्रीय सहायता का 70% उपयोग प्राथमिक योजनाओं के लिए किया जाए जो परिवार/स्वयं सहायता समूह/कृषि, बागवानी, भूमि सुधार, जल संभर विकास, पशुपालन, पारिस्थितकी एवं पर्यावरण, वन एवं वन विकास, लघु क्षेत्र के उद्योगों में उद्यमिता विकास आदि जैसे क्षेत्रों में समुदाय आधारित रोजगार एवं आय-सृजन के लिए तथा 30% का उपयोग उनसे सम्बद्ध अवस्थापना के विकास के लिए किया जाए।

3. वन गांवों में रहने वाली उपेक्षित जनजातियों को प्राथमिकता एवं संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों के साथ समक्रमण।

4. एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों/ एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक विशिष्ट क्षेत्र लघु योजनाएं तैयार करना।

5. कम से कम 30% लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए।

6. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पालन।

7. विशेष केन्द्रीय सहायता को राज्य की वार्षिक योजना का अभिन्न भाग बनाया जाए।

8. जनजातीय उपयोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उन राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए एक वर्ष में समग्र परिव्यय/ आबंटन का 10% नियत आरक्षित रखना, जो कि इसके लिए उपयुक्त हैं।

9. निधियों का एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना-वार आरक्षित रखना।

10. प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

राज्यों को निधियों के आबंटन हेतु मानदंड

(क) टीएसपी को एससीए के अधीन कुल वार्षिक आबंटन का 10% प्रोत्साहन अनुदानों के लिए आरक्षित रखा जाता है और नीचे निर्धारित

दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाले चुने गए राज्यों को निर्मुक्त की जाती है :

• ज्यादा एकीकृत और केन्द्रित नियोजन तथा परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करके कि पूरी टीएसपी निधि, राज्य में कम से कम जनजातीय जनसंख्या के समानुपात में एक बजट शीर्ष में राज्य सरकार के जनजातीय विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखकर पूर्ण रूप से टीएसपी दृष्टिकोण अंगीकार किया जाए।

• उसके बाद अनुमोदित जनजातीय उपयोजना निधि का औसतन 75% वास्तव में प्रयोग किया जाए/ पहले तीन वित्तीय वर्षों में राज्य के जनजातीय विकास विभाग के बजट शीर्ष से कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्मुक्त किया जाए; और

• प्रोत्साहन के रूप में राज्यों को दी गई निधियों का उपयोग केवल जनजातियों के लाभार्थ रोजगार एवं आय-सृजन के क्रियाकलापों में किए जाए ।

• एससीए के अंतर्गत कुल आबंटन के शेष 90% को राज्यों में जनजातीय उप-योजना की स्थूल रणनीति के तहत कार्यक्रमों के हिस्से के आधार पर, जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पॉकेट, क्लस्टर एवं आदिम जनजातीय समूह में पुनः आबंटित किया जाएगा तथा उसकी गणना प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी ।

(ख) इस मानदण्ड को 2008-09 से लागू होने के लिए पुनः सूक्ष्मविभाजित किया जा रहा है।

आईटीडीपी, माडा क्लस्टर और आदिम जनजातीय समूह एवं बिखरी जनजातियों के कार्यक्रमों के अधीन राज्यों को धनराशि के लिए आबंटन किया जाता है :

(क) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी): एससीए को आईटीडीपी में आबंटित करने के लिए राज्यों को दो समूहों में बांटा जाता है ।

श्रेणी "क" : इसमें वे राज्य आते हैं जिनका काफी भूभाग जनजातीय बहुल जनसंख्या से आबाद है जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान और सिक्किम।

श्रेणी "ख" : इसमें वे राज्य आते हैं जिनके कुछ क्षेत्रों में जनजातीय संकुलता के साथ राज्य में जनजातियों की बिखरी जनसंख्या है जैसे असम, बिहार, गोवा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा दमन व दीव के संघ शासित प्रदेश ।

आईटीडीपी को एससीए का सकल परिव्यय के आबंटन उपर्युक्त दो श्रेणियों के राज्यों के बीच प्रत्येक श्रेणी के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की

जनजातीय जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

श्रेणी "क" के लिए आबंटित निधियों को राज्यों में निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर पुनः बांटा जाता है:

- 70% आईटीडीपी/आईटीडीए क्षेत्र में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के आधार पर ।

- 30% आईटीडपी/आईटीडीए के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ।

श्रेणी "ख" के लिए आबंटित निधियों को पुनः केवल आईटीडीपी में जनजातीय जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाता है ।

ख) माडा पॉकेट्स, क्लस्टर्स एवं बिखरी जनजातियां - माडा पॉकेट्स, क्लस्टर्स एवं बिखरी जनजातियों में जनजातीय जनसंख्या के 100% आधार पर।

ग) आदिम जनजातीय समूह - वितरण का सूत्र इस प्रकार है :

- आदिम जनजातीय समुदायों के संख्यात्मक आकार पर राशि का 70% ।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिम जनजातीय समूहों की संख्या के अनुसार राशि का 30% ।

7.5 मानदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य की पात्रता की गणना करने के बाद माडा, आदिम जनजातीय समूह, क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति और डीटीजी के लिए इस प्रकार परिगणित राशि में से प्रत्येक राज्य के लिए एससीए को निर्धारित किया जाएगा और उसे केन्द्रित और लक्ष्यबद्ध तरीके से माडा, आदिम जनजातीय समूह, क्लस्टर्स में अनुसूचित जनजाति और डीटीजी के लाभार्थ परियोजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा ।.

7.6 आईटीडीपी के लिए प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित एससीए के शेष भाग को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रत्येक आईटीडीपी को इन आईटीडीपी में एसटी की जनसंख्या के समानुपात में किसी राज्य विशेष में आईटीडीपी की कुल जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में पुनः निर्धारित किया जाता है । आईटीडीपी माडा पॉकेट क्लस्टर जनजातीय उप योजना क्षेत्र में पीटीजी और एक जनजातीय सलाहकार परिषद के अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के विवरण **अनुबंध XXXII** में दिए गए हैं।

आबंटन :

7.7 वर्ष 2007-08 के लिए कुल आबंटन 666.71 करोड़ रु हैं, इस धन राशि के अलावा वन ग्राम के विकास के लिए भी धनराशि (150.00 करोड़ रु.) को उद्दिष्ट किया गया है, एक कार्यक्रम अभिज्ञात वन ग्रामों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए बनाया गया है, जिसके लिए टीएसपी को एससीए के शीर्ष से धनराशि प्रदान की गई है।

उपलब्धि :

7.8 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार **666.71** करोड़ रुपए की आबंटित धनराशि में से 563.08 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को निर्मुक्त की गई। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 2002-03 से 2007-08 (31.12.2007

तक) के दौरान की गई निर्मुक्तियों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-9** में दिए गए हैं।

आकृति 7 (क) टीएसपी में एससीए के अंतर्गत निर्मुक्तियां (करोड़ रु.)

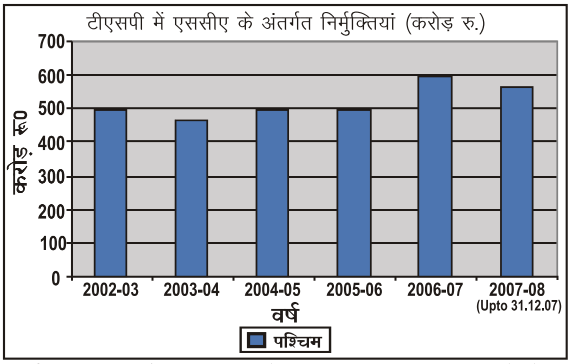

(वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए उपर उल्लिखित आंकड़े केवल वन ग्रामों के विकास के लिए निर्मुक्त निधियों के लिए हैं)

विभिन्न योजना अवधियों के दौरान निर्मुक्तियों की प्रवृत्ति नीचे आकृति 7(ख) दी गई है, जिससे जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष राज्य सरकारों/ संघ

चित्र 7 (ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत टीएसपी में एससीए की निर्मुक्तियां

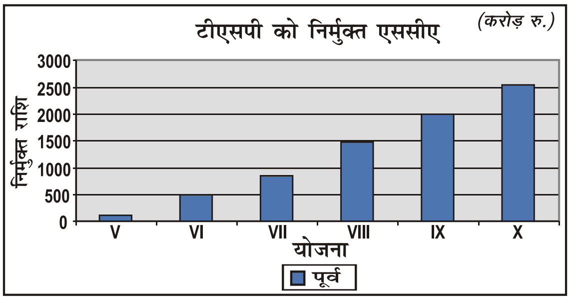

शासित प्रशासनों के समर्थन में निरंतर वृद्धि का पता चलता है।

वन ग्रामों के विकास की योजनाएं

7.9 स्वतंत्रता से पूर्व वानिकी के विभिन्न कार्यों हेतु श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के लिए वन क्षेत्रों में पर्यावास स्थापित किए गए थे। धीरे-धीरे ये पर्यावास गांवों में बदल गए। ये ग्राम जिलों के राजस्व प्रशासन से बाहर हैं, इसलिए विकास के लाभों से वंचित हैं। इन वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है। यद्यपि आरंभ में यह अनुमान लगाया गया था कि देश में इस प्रकार के 2690 गांव है, बाद में राज्यों ने पुष्टि की कि 12 राज्यों में 2474 ऐसे वन ग्राम हैं जो राज्यों के वन विभागों के प्रबंधन में हैं। इन ग्रामों के अधिकांश निवासी जनजातीय हैं। इन ग्रामों के विकास का स्तर राज्य के शेष बराबर नहीं है। वन ग्रामों पर उपलब्ध राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

तालिका 7.1 : देश में वन ग्रामों का वितरण

क्र. सं.	राज्यों के नाम	वन ग्रामों की संख्या
1.	असम	499
2.	छत्तीसगढ़	421
3.	गुजरात	194
4.	झारखंड	24
5.	मेघालय	22
6.	मध्य प्रदेश	925
7.	मिजोरम	85
8.	उड़ीसा	20
9.	त्रिपुरा	96
10.	उत्तरांचल	142
11.	उत्तर प्रदेश	19
12.	पश्चिम बंगाल	170
	कुल	**2,474**

7.10 2.5 लाख जनजातीय परिवारों वाले वन ग्रामों का विकास 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय विकास का प्रमुख क्षेत्र है । तद्नुसार, योजना आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को 10वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए वन ग्रामों के विकास के लिए औसतन 15 लाख रुपए प्रति ग्राम की दर से 450 करोड़ रुपए आबंटित किए । तद्नुसार, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के एक भाग के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन ग्रामों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए । दसवीं योजना के अंत में, बृहद विचार किया कि ग्यारहवीं योजना के दौरान सीमित समयावधि के लिए भी राजस्व गांवों में परिवर्तन के लिए लंबित गांवों में पर्याप्त विभागीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम चलाया जाए । यह निर्णय भी लिया गया कि दसवीं योजना के प्रथम चरण के दौरान वित्तपोषित सभी वन गांवों को 15 लाख रुपए तक की अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी । तदनुसार, कई राज्य सरकारों से इसके लिए प्रस्ताव भी प्राप्त हो गए हैं। 2007-08 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 150.00 करोड़ रुपए किए गए हैं ।

7.11 विकास में सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य परिचर्चा, प्राथमिक शिक्षा, संपर्क मार्ग, पेयजल, सिचांई जैसी न्यूनतम सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने तथा अन्य ढांचागत सुविधाएं एवं आयसृजन की गतिविधियों पर विचार किया गया है । परियोजनाओं के प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं ।

परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए कार्यविधि

7.12 पहले एनएईबी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा करता है फिर उसे जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रसारित करता है यह कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अनिवार्यतः कार्यान्वित किया जाता है ।

निधियों की निर्मुक्ति

7.13 वन ग्राम वाले सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए । इन राज्यों की निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है : अब तक 12 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वर्तमान (वर्ष 31.12.2007 के अनुसार) में इन राज्यों में 46.47 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई हैं। कार्यक्रम के तहत जारी कुल धन राशि इस प्रकार है :-

तालिका 7.2 वन ग्रामों के विकास के लिए जारी धनराशियां

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त राशि (2005-06) (लाख रु. में)	निर्मुक्त राशि (2006-07) (लाख रु. में)	निर्मुक्त राशि (2007-08) (लाख रु. में)
1.	असम	4059.00	1817.42	0.00
2.	छत्तीसगढ़	4359.00	4161.37	1034.00
3.	गुजरात	1979.00	1434.38	593.62
4.	झारखंड	129.71	173.87	0.00
5.	मेघालय	0.00	390.71	0.00
6.	मध्य प्रदेश	6190.65	10472.42	2829.00
7.	मिजोरम	202.50	1317.50	190.00
8.	उड़ीसा	157.14	133.46	0.00
9.	त्रिपुरा	0.00	930.00	0.00
10	उत्तराखंड	0.00	566.96	0.00
11	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
12	पश्चिम बंगाल	2104.00	699.00	0.00
	कुल	**19181˙00**	**22097˙09**	**4646.62**

** 31.12.2007 के अनुसार*

निधियों के प्रवाह की प्रणाली

7.14 प्रस्तावों की स्वीकृति के बाद एफडीए को हस्तांतरित करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है । इस क्षेत्र में वन विकास अभिकरण (एफडीए) परियोजनाएं कार्यान्वित करते हैं । परवर्ती किश्तें एफडीए द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा कार्यक्रम के संतोषजनक कार्यान्वयन से जुड़ी होती हैं ।

निगरानी तंत्र

7.15 राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे एनएईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव, निगरानी, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग की प्रणाली बनाएं । एफडीए को एनएईबी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से एनएईबी को अपनी प्रगति

सीडीएम चन्द्रशेखरपुर, जाटा, उड़ीसा

रिपोर्ट भेजनी होती है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय को अग्रसारित करता है।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत कार्यक्रम

7.16 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अनुसूचित जनजाति के कल्याण के सवंर्धन के लिए भारत सरकार की समेकित निधि से प्रत्येक वर्ष अनुदान देने की गारन्टी देता हैं तथा इस संवैधानिक बाध्यता के अनुसरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ''संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान'' के माध्यम से निधियां उपलब्ध करता है।

उद्देश्य

7.17 योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देना और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर का उन्नयन करना है।

कवरेज

7.18 योजना देश की सभी जनजातीय उपयोजना राज्यों और 4 जनजातीय बहुल राज्यों को कवर करती है।

निधिकरण पद्धति

7.19 यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और (1) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने,

और (2) जनजातीय लोगों को राज्य के शेष हिस्से के बराबर लाने के लिए जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनजातीय विकास की प्रत्येक योजना की लागत को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । राज्यों को अनुदान उस राज्य में जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर दिया जाता है । वर्ष 2002 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति एवं उपयोग के दिशानिर्देश संशोधित किए जा चुके हैं ।

मुख्य विशेषताएं :

i. 2000-01 से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को अनुदान ब्लॉक ग्रांट्स के रूप में जारी किए जाते थे । तब से निधियां ऐसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के उन्नयन एवं निर्माण के लिए परियोजनाएं चलाने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों को देश के शेष भाग के समकक्ष लाने के लिए आवश्यक हों ।

ii. राज्य ऐसे क्षेत्रों/सेक्टरों की पहचान करेंगे, जो मानव विकास सूचकांक की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हों तथा महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के बीच की खाई पाटने के लिए परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं ।

iii. दिशा-निर्देशों में परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी पर विचार किया गया है । राज्य पंचायत अधिनियमों, तथा पेसा अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर समुचित ध्यान दिया जाना है।

iv. बहु आयामी दलों के माध्यम से आईटीडीपी/माडा/क्लस्टरों के लिए माइक्रो-प्लान तैयार करने के लिए एकीकृत एवं समग्र दृष्टिकोण पर विचार किया गया है ।

v. कम से कम 30% परियोजनाएं महिलाओं के लाभ के लिए होनी चाहिए ।

vi. अनुदान का 2% परियोजना प्रबंधन, प्रशिक्षण, एमआईएस, प्रशासनिक खर्चों, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

vii. अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए मंत्रालय की पूर्वानुमति से राज्यों के आबंटन का 10% तक अनुमेय है ।

viii. अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान से निधियों के कुल आबंटन का 10% केवल उन्हीं राज्यों को आबंटित किया जाता है, जो अभिनव योजनाएं चला रहे हैं, जो टीएसपी दृष्टिकोण अपनाते हैं अर्थात् वे राज्य जिन्होंने अपने राज्य में कम से कम अनुसूचित जनजातीय आबादी के अनुपात में निधियां निर्धारित की हैं, निधियों को एक बजट शीर्ष जनजातीय विकास/कल्याण विभाग में रखे हैं और पिछले तीन वर्षों में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आबंटनों का कम से कम 75% व्यय किया जा चुका हो ।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय :

7.20 जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के 100 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निधियों के एक भाग का उपयोग करने का निर्णय 1997-98 के दौरान किया गया। देश के 24 राज्यों में 100 विद्यालयों को स्वीकृत किया गया है और 73 प्रचालनरत हैं।

7.21 इस प्रयोजन के लिए बनाई गई एक स्वायत्त सोसायटी के माध्यम से प्रत्येक राज्य में इन विद्यालयों को चलाया जाना अपेक्षित था। इन विद्यालयों में शिक्षा का एकसमान पैटर्न प्रदान करने के लिए और इनके विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों (चिकित्सा, तकनीकी आदि) के लिए प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए, इन विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक पहल की गई है, तथा इन विद्यालयों को सीबीएसई से सम्बद्ध किया है। इन विद्यालयों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का नाम दिया गया है और नवोदय विद्यालयों के अनुरूप चलाने की परिकल्पना की गई लेकिन राज्य केन्द्रित प्रबंधन के साथ।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन, सोन्हा, चन्दनचौकी, जिला खेड़ी, उत्तर प्रदेश

7.22 ईएमआरएस संबंधी दिशानिर्देशों में भवन-निर्माण और उससे जुड़ी अवसंरचना के लिए प्रति ईएमआरएस 250 लाख रुपए की राशि की निर्मुक्त का और आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए प्रति विद्यालय 72.50 लाख रुपए तक वार्षिक राशि की निर्मुक्ति का प्रावधान है।

आबंटन

7.23.1 2007–08 के दौरान योजना आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत जनजातीय कार्य मन्त्रालय के बजट मे 400 करोड़ रुपए का आबंटन किया।

7.23.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के रूप में की गई राज्यवार निर्मुक्तियां दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित तालिका में उपलब्ध है।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटन	सहायता अनुदान (निर्मुक्ति)
2002-03	300.00	300.00
2003-04	300.00	252.70
2004-05	330.00	330.00
2005-06	380.00	380.00
2006-07	400.00	400.00
2007-08	400.00	314.99

*(31.12.07 के अनुसार)

7.24 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को आबंटित और निर्मुक्त की गई राशियों का राज्यवार विवरण **अनुबंध–X** पर उपलब्ध है।

आकृति 7(ग) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान : 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार आबंटन और निर्मुक्तियां

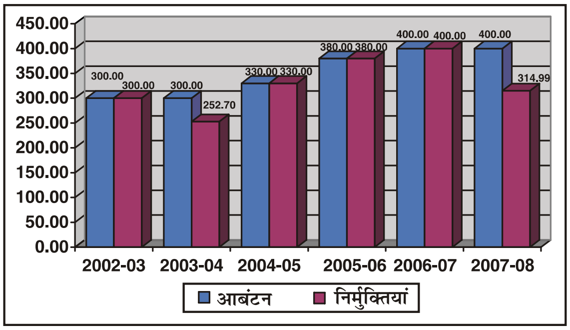

आकृति 7(घ), इसमें 9वीं, 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रथम वर्ष के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को आबंटित और निर्मुक्त की गई राशियां दी गई हैं।

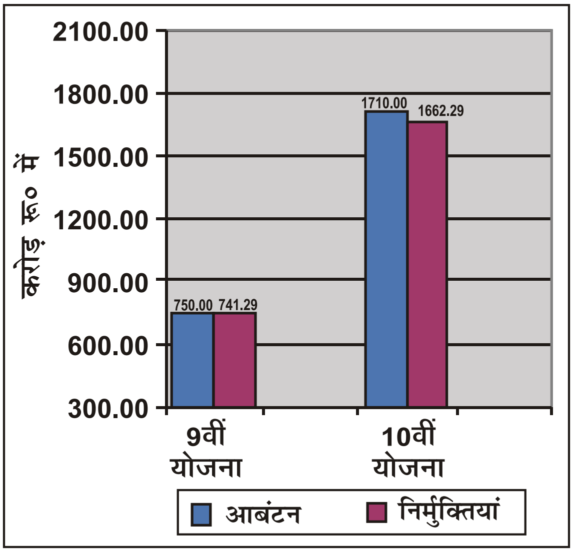

7.25 वित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद

मंत्रालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों में से शुरू की गई योजनाओं/कार्य के कार्यान्वयन को शीघ्रता से करने की पहल की । वर्ष के दौरान मंत्रालय ने योजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्रता से करने और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को राज्यों के सम्मुख उठाया और परिणामस्वरूप अव्ययित शेष राशि धीरे-धीरे कम हो रही है । कार्यान्वयन को और शीघ्रता से करने के लिए और निधियों की संभव पार्किंग को हतोत्साहित करने हेतु 2007-08 के दौरान, उन राज्यों को निधियां निर्मुक्त नहीं की गई, जिनके पास 1.4.2007 से पूर्व निर्मुक्त की गई निधियों में से अव्ययित शेष राशि पड़ी थी। दसवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों द्वारा प्रतिवेदित निर्मुक्ति और व्यय के ब्यौरे आकृति 7(ड.) में दिए गए हैं :

आकृति 7(ड.) 2002-03 से 2006-07 के दौरान राज्यों द्वारा प्रतिवेदित व्यय और व्यय

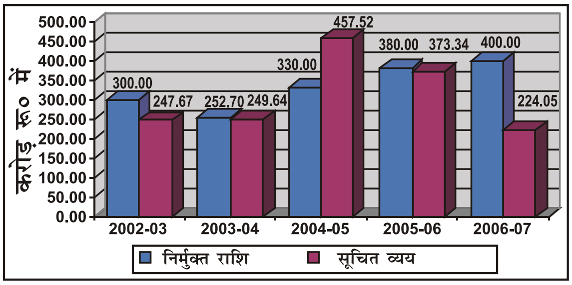

अनुच्छेद 275(1) निधियों से निर्मित नहारबगिया, ब्लॉक बामरा, जिला कुचिंडा, उड़ीसा में वेंटेड काजवे

अध्याय 8

शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु योजना

8.1 अनुसूचित जनजातीय छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए योजना तीसरी योजना अवधि के दौरान शुरू की गई थी । अनुसूचित जनजातीय लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की एक अलग योजना 1989-90 में शुरू की गई थी । 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोनों योजनाओं को एक योजना में विलय कर दिया गया था ।

8.2 **उद्देश्य :** योजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय **विद्यार्थियों को छात्रावास आवास देकर** जनजातीय विद्यार्थियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना है, जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति और अपने गांवों में दूर-दराज की अवस्थिति के कारण अपनी शिक्षा को अन्यथा जारी रखने में असमर्थ होते ।

8.3 **कवरेज :** योजना देश में संपूर्ण अनुसूचित जनसंख्या को कवर करती है न कि क्षेत्र विशिष्ट को ।

8.4 **निधिकरण प्रतिमान :** यह 50 : 50 के अनुपात में केन्द्र और राज्यों के बीच लागत बांटने के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है । संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, केन्द्र समर्थन 100% है।

8.5 **मुख्य विशेषताएं :**

(1) योजना में मिडिल, माध्यमिक, कालेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार और नए छात्रावासों के निर्माण की व्यवस्था है ।

(2) राज्य सरकार भवन के निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि की व्यवस्था करती है ।

(3) योजना छात्रावास चलाने के लिए आवर्ती व्यय प्रदान नहीं करती ।

(4) छात्रावासों का रख-रखाव और उनके प्रयोग के लिए विनियमन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

8.6 **आबंटन :** दसवीं पंचवर्षीय योजना में लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों की योजनाओं का कुल 134.24 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ विलय कर दिया गया था । वर्ष 2007-08 के दौरान 37.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर संघटक को मिलाकर) की राशि आबंटित की गई है ।

लड़कों के छात्रावास, हिमाचल प्रदेश, शिमला का पिछले हिस्से का उन्नतांश

8.7 **निष्पादन :** वर्ष 2007-08 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों के लिए कर्नाटक, मणिपुर, मणिपुर विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश, हैदराबाद विश्वविद्यालय, दादरा व नगर हवेली; और दिल्ली विश्वविद्यालय को 35.27 करोड़ रुपए

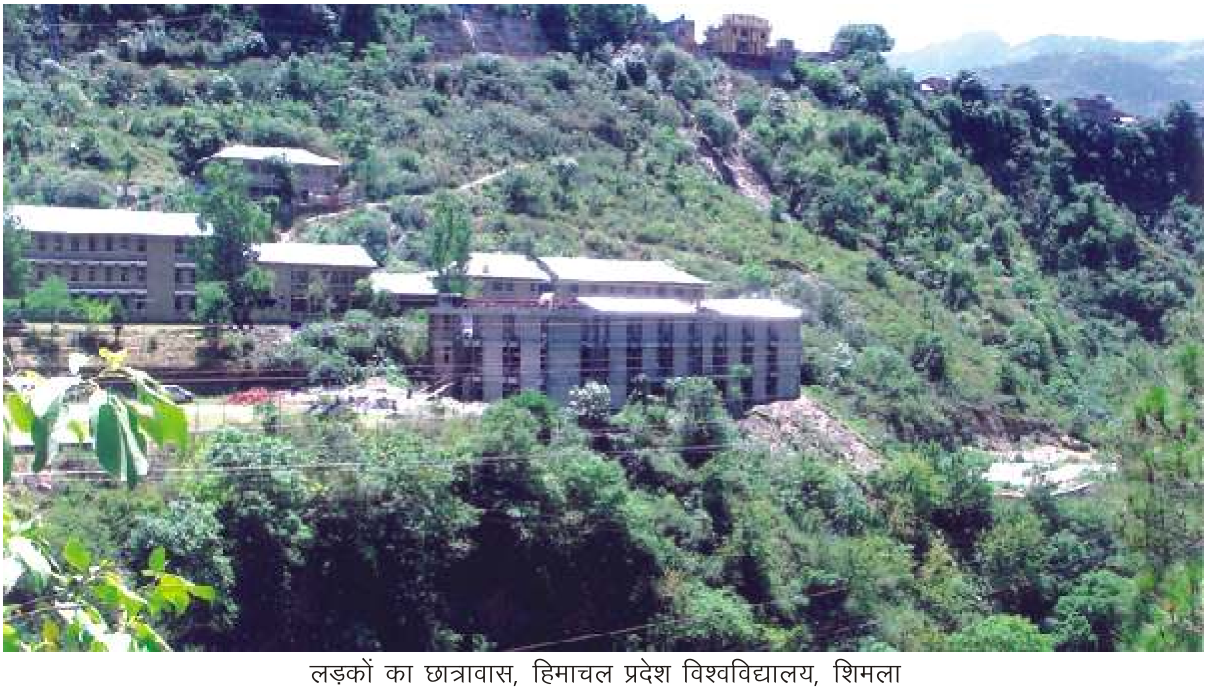

लड़कों का छात्रावास, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

(31.12.2007 तक) निर्मुक्त किए गए हैं।2004-05 से 2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और विश्वविद्यालयों को स्वीकृत किए गए छात्रावासों और निर्मुक्त किए गए सहायता-अनुदान के ब्यौरे अनुबंध-12 पर दिए गए हैं।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय की स्थापना हेतु योजना

8.8 योजना 1990-91 में शुरू हुई और जारी है।

8.9 **उद्देश्य :** योजना का उद्देश्य, शिक्षा के पुराने गुरुकुल प्रकार के पैटर्न पर जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना है।

8.10 **कवरेज :** योजना 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए देश के सभी जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों को कवर करती है।

8.11 **वित्त पोषण पद्धति:** यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें लागत को केन्द्र और राज्यों के मध्य आपस में 50 : 50 के अनुपात में बांटा जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण धनराशि प्रदान करता है।

8.12 **मुख्य विशेषताएं :**

1. इस योजना में शिक्षा के प्राइमरी स्तर से उच्चत्तर माध्यमिक स्तर तक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान है। इसमें मौजूदा प्राइमरी स्तर के आश्रम स्कूलों का स्तर बढ़ाने की भी व्यवस्था हैं।

2. इस योजना के अंतर्गत स्कूल भवनों के अतिरिक्त छात्रों के लिए छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण भी किया जाता है। राज्य सरकार आश्रम स्कूलों के लिए निशुल्क भूमि देती है।

3. स्कूल और छात्रावास के पुस्तकालय के लिए फर्नीचर, उपकरणों, पुस्तकों के सेटों की खरीद जैसी व्यय की अन्य अनावर्ती मदों के लिए भी 50 : 50 के आधार पर वित्तीय अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

4. इस योजना के अंतर्गत केवल पूंजी लागत की व्यवस्था की जाती है। आवर्ती खर्चों को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

5. नए स्कूलों के स्थान तथा दाखिला नीति का निर्णय इस प्रकार से किया जाता है कि प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा आदिम जनजातीय समूहों, देशांतरित अनुसूचित जनजाति, श्रमिक और खानाबदोश जनजातियों को दी जा सके।

8.13 **आबंटन :** दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 78.30 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। 2007-08 के लिए आबंटन 20.00 करोड़ रुपए है।

8.14 **2007-08 के दौरान निष्पादन:** 20.00 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों को 3.73 करोड

अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा - योजनाएं एक नजर में :

श्रेणी

I	ii	Iii	Iv	V	Vi	Vii	Viii	ix	X	XI	XII	स्नातक(3)	पीजी(2)	एम.फिल	पीएच.डी (2-4)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

छात्रवासियों के लिए 740 रुपए से 235 रुपए तक प्रतिमाह और दिवा छात्रों के लिए 330 रुपए से 140 रुपए प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता+अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति

प्रतिभा उन्नयन

प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 15,000/- रुपए तक

उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

सरकारी संस्थानों के लिए पूरा शिक्षा-शुल्क और अप्रतिदेय राशि : प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 2 लाख रुपए तक+अन्य भत्ते यदि लागू हों।

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना

अनुरक्षण भत्ता प्रतिवर्ष 14000/- अमरीकी डालर और प्रतिवर्ष 9000/- यू.के. पौंड+अन्य भत्ते यदि लागू हों ।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति - 2 वर्षों के लिए 8000/- रुपए प्रति माह की दर से । वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति 9000/- रुपए प्रतिमाह की दर से ।

आश्रम विद्यालयों का निर्माण

आश्रम विद्यालयों के निर्माण की लागत के लिए राज्यों को 50% और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय सहायता । उपस्करों, फर्नीचर, पुस्तकालय की पुस्तकों जैसी अनावर्ती मदों के लिए 50% केन्द्रीय सहायता

छात्रावासों का निर्माण

छात्रावासों के निर्माण की लागत के लिए राज्य सरकारों को 50% और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90% और अन्य विश्वविद्यालयों को 45% केन्द्रीय सहायता

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्षों की संख्या दर्शाते हैं ।

रुपए (31.12.2007 तक) निर्मुक्त किए गए हैं। 2004-05 से 2007-08 के दौरान स्वीकृत आश्रम विद्यालयों और निर्मुक्त किए गए अनुदानों के ब्यौरे **अनुबंध-13** पर हैं।

महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों की स्थापना

8.15 इस योजना को 1993-94 में कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरंभ किया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना 2001 की जनगणना के अनुसार संशोधनाधीन है। इसे गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी स्वायत्त निकायों तथा पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

8.16 **उद्देश्य :** इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश के पहचान किए गए कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से गरीब और अनपढ़ जनजातीय जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारना भी है।

8.17 **कवरेज :** इस योजना के अंतर्गत 14 राज्यों अर्थात् आंध प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश,

राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, थाना काठीवाड़ा, जिला झाबुआ (मध्य प्रदेश) द्वारा चलाए जा रहे अनुसूचित जनजातीय छात्राओं के लिए शैक्षिक परिसर

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन योजना

उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल के 136 जिले आते हैं, जिनमें 1991 की जनगणना के अनुसार, महिला साक्षरता 10% से भी कम थी । इस योजना में आदिम जनजातीय समूहों की समस्त जनसंख्या को भी कवर किया गया है चाहे उनकी महिला साक्षरता % कुछ भी हो ।

8.18 **वित्त पोषण पद्धति :** इस कार्यक्रम को केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है तथा मंत्रालय 100% वित्त पोषण की व्यवस्था करता है। यह जैंडर विशिष्ट योजना है।

8.19 **मुख्य विशेषताएं**

• शैक्षिक परिसरों को चिन्हित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है और इनमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है तथा इनका स्तर बढ़ाकर कक्षा 12 तक करने का प्रावधान है बशर्ते वहां पास कक्षाओं के कमरे, छात्रावास, रसोई, बागवानी तथा खेल की सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान हो ।

• शैक्षिक परिसर जनजातीय लड़कियों को न केवल औपचारिक शिक्षा देते हैं बल्कि विद्यार्थियों को कृषि, पशु-पालन तथा व्यवसायों और शिल्पों में प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं।

• कक्षा 1 से 3 कक्षा तक पढ़ाई, क्षेत्र की जनजातीय बोलियों में कराई जाती है और जनजातीय बोलियों में प्रवीणता प्राप्त अध्यापिकाओं को पढ़ाने का कार्य दिया जाता है।

• प्रत्येक कक्षा के लिए छात्रों की संख्या 30 निर्धारित है तथापि, अधिकतम 10 और छात्रों को, यदि उस इलाके में हों तो दिवा छात्रों के रूप में प्रवेश दिया जाता है।

• शैक्षिक परिसरों को आवास, भोजन, कपड़े, अध्यापकों के वेतन आदि पर व्यय के लिए आवर्ती अनुदान के रूप में 9000 रुपए प्रति छात्रा की दर से प्रदान किया जाता है ।

• छात्रों को शैक्षिक परिसर में उनके ठहरने के दौरान मुफ्त भोजन तथा दवाइयों के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष वर्दी के दो सैट तथा किताबों का एक सैट दिया जाता है ।

• 1000 रू0 प्रति छात्र का अनावर्ती अनुदान भी पांच वर्षों तक एक मुश्त अनुदान के रूप में चारपाइयों, गद्दों, बर्तनों तथा फर्नीचर की अन्य मदों के लिए दिया जाता है।

• निर्माण कार्यों पर कोई लागत की व्यवस्था नहीं की जाती ।

• आवर्ती अनुदान में किराए के भवन का निर्धारित किराया खर्च/अनुरक्षण खर्च शामिल है।

• प्रत्येक शैक्षिक परिसर में एक मुख्य अध्यापिका, प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापिका, 100 छात्राओं के लिए एक संगीत/कला/शिल्प अध्यापक, सारे परिसर के लिए एक अंशकालिक डाक्टर और प्रत्येक 100 छात्राओं के लिए एक चौकीदार तथा एक अंशकालिक स्वीपर के अलावा एक रसोइया, एक हेल्पर तथा एक आया होती है।

• छात्रों के माता-पिता को प्रतिमास 50/- रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी लड़कियों को विद्यालय भेज सकें ।

• चल रही योजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष संगठन को दो किस्तों में अनुदान दिया जाता है बशर्ते कि संगठन राज्य स्तरीय समिति की यथोचित सिफारिश के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन, लेखे का ब्यौरा तथा संबधित कलेक्टर/उपायुक्त और राज्य सरकार की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

8.20 **आबंटन :** दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 44.74 करोड़ रुपए आबंटित किए गए । इसके अतिरिक्त 20.00 करोड़ रुपए की राशि वित्तीय वर्ष 2007-08 की योजनाओं के लिए आबंटित की गई है । निधियों का वर्षवार आबंटन और व्यय नीचे दर्शाया गया है :-

करोड़ रू0 में

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2002-03	8.00	7.00	6.00
2003-04	8.00	6.00	5.74
2004-05	8.50	8.00	7.68
2005-06	6.00	6.00	6.00
2006-07	32.00	8.00	7.91
2007-08 (31.12.2007 तक)	20.00	20.00	8.71

8.21 **उपलब्धियां :** 2007-08 के दौरान (31.12.2007 तक) 59 शैक्षिक परिसरों के लिए 8.71 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं, जिससे 7775 अनुसूचित जनजातीय लड़कियां लाभान्वित हुई हैं ।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन योजना (पीएमएस)

8.22 यह योजना 1944-45 से प्रचालन में है ।

8.23 **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके ।

8.24 **क्षेत्र:** यह योजना सभी अनुसूचित जनजातीय छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1.08 लाख रुपए तक है, के लिए खुली है तथा छात्रवृत्तियां उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जहां के वे निवासी हैं ।

8.25 **मुख्य विशेषताएं :**

1. छात्रों को अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए अलग दरों से छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं । पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें 140/- रुपए प्रति मास से लेकर 740/- रुपए प्रति मास है । इसके अलावा, अनिवार्य शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जा रही है ।

2. दृष्टिहीन छात्रों के लिए रीडर्स भत्ते का प्रावधान है । विकलांगों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है ।

3. छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह छात्र के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है ।

8.26 **वित्त पोषण पद्धति :** इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्रतिबद्ध देयता के अलावा 100% सहायता मंत्रालय से प्राप्त करते हैं । प्रतिबद्ध देयता पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत उनके द्वारा किया गया वास्तविक व्यय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिबद्ध देयताएं वहन की जाती हैं । तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों को 1997-98 से अपनी प्रतिबद्ध देयता के लिए अपने स्वयं के बजटीय प्रावधान करने से छूट दी गई है तथा इस योजना के अंतर्गत उनके संबंध में सम्पूर्ण व्यय मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।

8.27 **योजना का कार्य - निष्पादन :**

दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिभा उन्नयन और पुस्तक बैंक की दो लघु योजनाओं का विलय मैट्रिकोत्तर योजना के साथ 383.09 करोड़ रु. कर दिया गया । वर्ष 2007-08 के लिए पूर्वोत्तर

संघटक सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 201.24 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। 140.86 करोड़ रुपए (31.12.2007 तक) उन राज्यों को निर्मुक्त किए जा चुके हैं, जिनसे पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान लाभार्थियों की राज्यवार कवरेज तथा निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता अनुलग्नक-14 पर दी गई है।

पुस्तक बैंक

8.28 **उद्देश्य :** व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में चुने गए अनेक अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कठिन होता है कि वे अपने विषयों की पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा जारी न रख पाएं, क्योंकि ये अधिकांशतः महंगी होती हैं। व्यावसायिक संस्थानों /विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ कर जाने की दर कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें खरीदने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

8.29 **प्रमुख विशेषताएं:** यह योजना उन सभी अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए खुली है जो मेडिकल (मेडिसिन और होमियोपैथी की भारतीय प्रणालियों सहित), इंजीनियरी, कृषि, पशुचिकित्सा, पॉलीटेक्नीक, कानून, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, व्यापार प्रबंधन, जैव विज्ञान विषय में पढ़ते हैं, जिन्हें मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।

(i) पुस्तक बैंक के प्रयोजन के लिए पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों तक सीमित हैं।

(ii) स्नात्तकोतर पाठ्यक्रमों और चार्टर्ड एकाउंटेंसी के संदर्भ में छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक पाठयक्रमों के दो छात्रों के लिए पुस्तकों का एक सैट खरीदा जाता है, जबकि इन दोनों पाठ्यक्रमों के प्रत्येक छात्र के लिए एक सैट खरीदा जाता है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकों के एक सैट का निर्णय लिया जाता है।

(iv) पुस्तकों के प्रत्येक सैट की जीवन-अवधि 3 वर्ष नियत की जाती है।

(v) पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित उच्चतम सीमा अथवा सैट की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, तक सीमित होती है।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	एक सैट की लागत (2 विद्यार्थियों के लिए एक सेट)
I	डिग्री पाठ्यक्रम	
	मेडिकल	7,500/-रुपए
	इंजीनियरिंग	7,500/-रुपए
	पशुचिकित्सा	5,000/-रुपए
	कृषि	4,500/-रुपए
	पोलिटेक्निक	2,400/-रुपए
	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	
II	मेडिकल, इंजीनियरिंग व्यवसाय प्रबंधन, कानून और बायो-साइंस	5,000/-रुपए (प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 1 सेट)

योजना में स्टील की अलमारी की खरीद, परिवहन लागत आदि के लिए 2000/- रुपए अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की व्यवस्था है। पुस्तकें संबंधित विश्वविद्यालय/कालेज को प्रदान की जाती हैं और शैक्षिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को जारी की जाती हैं।

8.30 **वित्तपोषण पद्धति** : यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और खर्चे केन्द्र और राज्य के बीच 50 : 50 के आधार पर बांटे जाते हैं। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासनों के संबंध में मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान दिए जाते हैं।

प्रतिभा उन्नयन

8.31 यह योजना जो पहले अलग योजना के रूप में चल रही थी, दसवीं पंचवर्षीय योजना में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में विलय कर दी गई है, तब से यह मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की उपयोजना के रूप में कार्य कर रही है।

8.32 इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय छात्रों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक उपचारी तथा विशेष कोचिंग प्रदान करना और साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को विशेष कोचिंग देना है।

8.33 **मुख्य विशेषताएं**

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्रावास की सुविधाओं वाले तथा कक्षा 9 से 12 की परीक्षाओं में छात्रों के कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता दिखाने वाले विभिन्न जिलों/शहरों में कुछ स्कूलों को चुनते हैं। मंत्रालय वार्षिक रूप से प्रत्येक राज्य के लिए पुरस्कारों (एवार्डों) की कुल संख्या निर्धारित करता है।

(ii) पहचान किए गए स्कूलों में कोचिंग 9वीं कक्षा से आरंभ हो जाती है और जब तक उम्मीदवार 12वीं कक्षा पूर्ण नहीं कर लेते हैं जारी रहती है।

(iii) कोचिंग भाषा विज्ञान, गणित में दी जाती है और इसके साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग दी जाती है।

(iv) जनजातीय छात्रों को चुनते समय उद्देश्य कम से कम 30% लड़कियों तथा 3% विकलांग छात्रों को शामिल करने का रहता है।

(v) 15000/- रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष एक पैकेज अनुदान प्रदान किया जाता है जिसमें प्रधानाचार्य या कोचिंग प्रदान करने वाले विशेषज्ञों को भुगतान किया जाने वाला मानदेय और साथ ही आकस्मिक व्यय को पूरा करना शामिल है।

(vi) विकलांग छात्रों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

(vii) यह एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन के लिए 100% सहायता प्रदान की जाती है।

8.34 **आबंटन:** दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना का विलय मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा पुस्तक बैंक की योजनाओं के साथ कर दिया गया

है तथा संयुक्त योजना के लिए आबंटन 383.09 करोड़ रुपए पर निर्धारित कर दिया गया है । वर्तमान वर्ष 2007-2008 के लिए प्रतिभा उन्नयन योजना के भाग के लिए 1.75 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था ।

8.35 **निष्पादन :** राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वर्ष 2007-08 के दौरान 31.12.2007 तक 93.52 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए हैं और 699 छात्र इस योजना से लाभान्वित हुए । वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान राज्यवार लाभार्थियों की कवरेज तथा निर्मुक्त राशि अनुबंध-15 पर है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना :

8.36 यह एक गैर - योजना स्कीम थी, जो 2007-08 से योजना स्कीम बन गई है। यह योजना 1954-55 से चल रही है।

8.37 **उद्देश्य :** इस योजना का उद्देश्य केवल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन (मास्टर्स, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर) कर रहे अनुसूचित जनजातीय छात्रों को सहायता प्रदान करना है।

8.38 **क्षेत्र :** मैट्रिकोत्तर, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए अधिकतम 13 अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों तथा दो आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवार को वार्षिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है।

8.39 **मुख्य विशेषताएं**

(i) यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवार (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है जिसकी आयु विज्ञापन की तारीख को 35 वर्ष तक हो, बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता - पिता अभिभावकों की कुल आय 25,000 रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं हो ।

(**ii**) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव हो, एम.फिल अथवा पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातक डिग्री हो तथा दो वर्षों का कार्य अनुभव हो। एम फिल या पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 60% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/कार्य अनुभव हो। पोस्ट डाक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के साथ डाक्टोरल डिग्री सहित 60% अंक या संगत क्षेत्र में समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री 5 वर्षों के अध्यापन/अनुसंधान/व्यावसायिक अनुभव सहित हो ।

(iii) उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से चयन की तारीख से 3 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है ।

(iv) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को अमेरिकी डालर 14,000 या 9000 पौंड प्रति वर्ष का अनुरक्षण

भत्ता प्रदान किया जाता है जिसे वे 2400 अमेरिकी डालर या 1560 पौंड प्रतिवर्ष अनुसंधान/अध्यापन असिस्टेंटशिप कार्य आरंभ करने के द्वारा सम्पूरित कर सकते हैं । इस सीमा से अधिक कमाई के मामले में, भारतीय मिशन तदनुरूप मंजूर किए गए अनुरक्षण भत्ते को कम कर सकता है।

(v) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को भारत लौटने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है।

8.40 इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को चार वार्षिक" यात्रा अनुदान" भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय/सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत, जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती, प्रतिभा छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं । यह योजना किफायती श्रेणी में (इकानॉमी क्लास) भारत से आने - जाने की यात्रा के लिए अनुदान उपलब्ध कराता है।

8.41 **वित्त पोषण पद्धति :** यह मंत्रालय द्वारा चुने हुए उम्मीदवारों को भारतीय मिशन के माध्यम से सीधे शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

8.42 **आबंटन :** 1.00 करोड़ रुपए का आबंटन वर्ष 2007-08 के लिए है ।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

यह योजना वर्ष 2005-06 से शुरू की गई ।

8.43 **उद्देश्य :** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता देना है ।

8.44 **कवरेज :** इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय/ संस्थान कवर किए जाएंगे ।

8.45 **वित्तपोषण पद्धति :** जेआरएफ एवं एसआरएफ अध्येतावृत्ति की दर समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी अध्येतावृत्ति के समान होगी। ये मौजूदा दरें नीचे दी गई हैं :-

फैलोशिप	8000/- रुपए प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 9000/- रुपए प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
आकस्मिक व्यय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए	10000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 20500/- रुपए प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
आकस्मिक व्यय (विज्ञान के लिए)	12000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25000/- रुपए प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विभागीय सहायता	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मेजबान संस्थान को 3000/- रुपए प्रतिवर्ष प्रति छात्र

अंगरक्षण/वाचक सहायता	शारीरिक एवं दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से

8.46 **मुख्य विशेषताएं :**

- योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को 667 अध्येतावृत्तियाँ दी जाएंगी।
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है ।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप प्रदान की जाती है।
- यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- इसमें स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम अंकों का अथवा नेट परीक्षा के पूर्व क्लीरेंस का कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।

8.47 **आबंटन :** चालू वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 26.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को (31.12.2007 तक) 10.99 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है ।

अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2007-08 से अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की एक नई अध्येतावृत्ति योजना की शुरूआत की है ।

8.48 **उद्देश्य :** योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातीय छात्रों के संस्थानों की चुनिंदा सूची में से किसी एक में, जिसमें छात्रवृत्ति योजना चालू होगी, डिग्री और पोस्ट-डिग्री स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है ।

8.49 **कवरेज :** योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में अनुमोदित 127 संस्थाएं हैं, जिनमें प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों क्षेत्र को कवर किया गया है। प्रत्येक संस्थान को पांच अवार्ड आबंटित किए गए हैं, जिनमें प्रतिवर्ष कुल अधिकतम 635 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।

8.50 **मुख्य विशेषताएं**

(i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी/सरकार द्वारा निधिकृत संस्थानों के संबंध में पूरा ट्यूशन शुल्क और अन्य गैर वापसी योग्य देय राशियों को शामिल करते हुए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तथापि पहुंचे निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रति छात्र 2 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी और वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण के लिए निजी क्षेत्र के उड़ान क्लबों के लिए प्रति छात्र 3.72 लाख रु. की सीमा होगी।

(iii) इस छात्रवृत्ति में (क) आजीविका व्यय प्रति माह 2220 रु. प्रति छात्र, वास्तविक व्यय के अधीन, (ख) पुस्तके और स्टेशनरी प्रति वर्ष प्रति

छात्र 3000 रु. और (ग) सहायक वस्तुओं सहित नवीनतम कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के दौरान एक मुश्त सहायता के रूप में 45000 रु. तक सीमित सहायता।

8.51 **आबंटन :** वर्तमान वर्ष 2007-08 के दौरान योजना के तहत 10.00 करोड़ रु. की राशि का आबंटन किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

8.52 इस योजना को 1992-93 में शुरू किया गया और तब से यह चल रही है।

8.53 **उद्देश्य :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसायों तथा स्व-रोजगार के लिए जनजातीय युवाओं के कौशल को विकसित करना है । इसका उद्देश्य उनकी आय में वृद्धि द्वारा उनकी सामाजिक- आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है ।

8.54 **कवरेजः** यह योजना सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करती है। यह क्षेत्र विशेष योजना नहीं है । निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं केवल किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के किसी भी भाग के जनजातीय लोगों को दी जाती हैं।

8.55 **वित्त-पोषण पद्धति :** इस योजना के अंतर्गत 100% अनुदान राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा इस योजना को कार्यान्वित कर रहे अन्य संगठनों को प्रदान किए जाते हैं ।

8.56 **मुख्य विशेषताएं :**

(i) इस योजना को राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा संस्थाओं या स्वायत्त निकायों के रूप में सरकार द्वारा स्थापित संगठनों या यथा निर्धारित कतिपय अपेक्षाओं को पूरा करने वाले सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त निकायों अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ।

(ii) हालांकि परियोजना तैयार करने के स्तर पर पूर्व परिभाषित लागत शीर्षों को निर्धारित नहीं किया जाता है, फिर भी प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी को कार्यक्रम संबंधी रूपरेखाएं तथा पृथक व्यय शीर्षों का उल्लेख स्पष्ट रूप से करते हुए निर्धारित प्रपत्रों में विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है। परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय परियोजना के प्रत्येक घटक की सहायता की सीमा का उल्लेख किया जाता है। कुल अनुदान के 20% की सीमा तक व्यय को एक मद से दूसरे मद को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति दी जाती है।

(iii) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यावसायिक केन्द्र उस क्षेत्र की रोजगार संभावना पर निर्भर रहते हुए परंपरागत कौशलों में पांच व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं । आंतरिक क्षेत्रों में यहां तक कि कुशल व्यक्तियों की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनजातीय लड़के/लड़की को उसके /उसकी पसंद के दो व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है । प्रत्येक व्यवसाय में पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह होती है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को छः माह के अंत में एक मास्टर शिल्पी के साथ अर्द्ध शहरी/शहरी क्षेत्र में छः माह की

अवधि के लिए चुने गए व्यवसायों/कौशल दोनों में व्यावहारिक अनुभव द्वारा अपने कौशलों को सीखने के लिए लगाया जाता है।

(iv) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने वाली एजेंसियों से ऋण तथा सब्सिडी का इंतजाम या तो आई टी डी पी के माध्यम से या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करने की अपेक्षा की जाती है ताकि प्रत्येक सफल प्रशिक्षार्थी को अपना नया कार्य आरंभ करने में समर्थ बनाया जा सके ।

(v) एजेंसियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को या तो किराए के भवन में या संगठन द्वारा अपने स्वामित्व के भवन में चलाने के लिए सहायता अनुदान दिए जाते हैं । किराए की दर अधिकतम 8000/- रुपए मासिक तथा संगठन/एजेंसी के स्वामित्व वाले भवन का अनुरक्षण अनुदान मासिक किराए के 10% की दर से नियत किया जाता है ।

(vi) प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र को पांच व्यवसायों में पाठ्यक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसा कि संबंधित एजेंसी द्वारा पांच वर्ष में एक बार 2.40 लाख रु. प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की दर से निश्चित किया जाता है।

(vii) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए आवर्ती अनुदान 13,500 रु. प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति वर्ष की दर से है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के पास एक मुख्य अनुदेशक/फोरमैन, चार व्यवसाय अनुदेशक, एक कार्यशाला परिचर, एक चौकीदार, एक चपरासी, एक अंशकालिक स्वीपर तथा एक लेखाकार होना चाहिए । केन्द्र में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 350.00 रु. प्रति माह वजीफा तथा 1200 रु. प्रति वर्ष की दर से कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है।

8.57 **आबंटन** : दसवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटन की राशि 67.12 करोड़ रुपए है (33.56 करोड़ रुपए राज्य सरकारों के लिए और गैर-सरकारी संगठनों के लिए उतनी ही राशि) । इसमें से वर्ष 2007-08 के दौरान इस योजना के तहत 9 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। (6.75 करोड़ रुपए तथा 2.25 करोड़ रुपए गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त किए गए हैं)।

8.58 **वर्ष 2007-08 के दौरान कार्य-निष्पादन:** राज्यों के लिए 6.75 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में, राज्य सरकारों को 31.12.2007 तक 4.99 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। गैर-सरकारी संगठनों के लिए 2.25 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में, 97 लाख रुपए (31.12.2007 तक) की राशि निर्मुक्त की गई है । वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त किए गए अनुदानों का ब्यौरा अनुलग्नक-16 पर दिया गया है । पिछले 3 वर्षों के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त किए गए अनुदान अनुबंध-17 पर हैं ।

अध्याय 9

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. तथा निगमों को समर्थन के लिए सहायता हेतु कार्यक्रम

9.1 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड)

9.1.1. ट्राइफेड बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 1984 (*अब बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम* 2002) के अंतर्गत वर्ष 1987 में सहकारी समितियों के रूप में स्थापित किया गया।

9.1.2. ट्राइफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था अपने अधिदेश के अनुसार देश की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उनके द्वारा उत्पादित/एकत्रित प्राकृतिक उत्पादों का संस्थागत ढंग से व्यापार करना और ऐसे राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (टी डी सी सी एस) राज्य वन विकास निगमों (एफ डी सी एस) अन्य राज्य स्तरीय एजेंसियों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए जो जनजातियों को उनके उत्पादों को खरीदने और उनका उचित मूल्य दिलाने और उन्हें विचौलियों और बेइमान व्यापारियों के शोषण से बचाने में कार्यरत हैं ।

9.1.3. पिछले निष्पादन की गहराई से समीक्षा और सावधानी पूर्वक विचार के बाद ट्राइफेड ने वर्ष 2003-04 में अपनी गतिविधियों का पुनः अभिमुखीकरण किया। इस नई कार्यनीति के तहत ट्राइफेड ने एमएफपी और एसएपी के थोक प्रापण को बंद कर दिया। इसके बजाए इसने जनजातीय उत्पादों के लिए विपणन विकास गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना आरंभ किया। इस प्रकार ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों के लिए एक विपणन विकास कर्ता और अपने सदस्य संघों के लिए सेवा प्रदाता के रूप में उत्पादों के लिए स्वयं को रुपांतरित किया है। इस प्रकार ट्राइफेड समाज के इस अव्यवस्थित वर्ग की बड़ी संख्या को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।

9.1.4. ट्राइफेड अपने विपणन गतिविधियों के भाग के रूप में अप्रैल, 1999, जब इसने नई दिल्ली में अपना पहला आउटलेट ट्राइब्स इंडिया के नाम से खोला, से जनजातीय हथकरघों का विपणन प्रारंभ किया, अपने एक आउटलेट से प्रारंभ करते हुए ट्राइफेड ने संपूर्ण देश में आउटलेटों की एक श्रृंखला स्थापित की।

9.1.5 वर्ष 2007-08 के दौरान 31.13.2007 तक ट्राइफेड ने लगभग 4.22 करोड़ रु. का व्यापार किया।

भारत के विभिन्न ट्राइब्स आउटलेटों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों की बिक्री और प्रेषण आधार पर आउटलेटों की बिक्री पिछले वर्ष संगत अवधि के दौरान 203.16 लाख रु. की पिछले वर्ष की बिक्री की तुलना में 334.85 लाख रु. तक पहुंच गयी है और इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 165 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

9.1.6. वर्ष 2007-08 के दौरान ट्राइफेड द्वारा की गई गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान ट्राइफेड ने निम्नलिखित गतिविधियां/परियोजनाएं की हैं

- दिल्ली में नवम्बर 2007 के दौरान तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय हस्तकला मेला आदिशिल्प का आयोजन किया गया, जिसमें 135 शिल्पकारों ने भाग लिया। इस मेले की कुल बिक्री 87.23 लाख रु. थी।

- दो जनजातीय शिल्पकार मेले आयोजित किए गए जिसमें 119 और 116 शिल्पकारों/शिल्पकार समूहों ने भाग लिया।

- एक परियोजना का आयोजन ग्रामीण शहद जमा करने वालों के आर्थिक सशक्तिकरण और वन्य शहद के प्रसंसाधन और विपणन पर जागरुकता के लिए कौशल उन्नयन के जरिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में किया गया।

- गोंद जमा करने वालों के कौशल उन्नयन द्वारा आय उत्पादन की परियोजना में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गोंद के वैज्ञानिक दोहन, कटाई, मूल्यवर्धन, सुखाने, ग्रेडिंग और भण्डारण पर प्रशिक्षण दिया गया।

- पश्चिम बंगाल में जनजातीय कलाकारों द्वारा विभिन्न हस्तशिल्पों के विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

- सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से जनजातीय समुदायों की आजीविका उत्पादन के लिए कार्यक्रम की पहल की गई।

- उड़ीसा के जनजातीय समूहों को शामिल करते हुए पत्तल बनाने का कार्य किया गया और इन्हें तिरुमाला तिरुपति देव स्थानों, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में प्रदान किया गया। लाख संवर्धन और विकास 1982 जनजातीय उत्पादकों को अभिविन्यास एवं अभिप्रेरण के आयोजन के बाद 690 जनजातीय उत्पादकों को क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के साथ 275 जनजनातीय उत्पादों के लिए प्रशिक्षक का प्रशिक्षण एवं 4 व्यापक लाख खेतों की स्थापना झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में की गई।

9.2. केन्द्रीय क्षेत्र योजना "ट्राइफेड को मूल्य समर्थन":

9.2.1. पूर्व अनुदेश के अनुसार ट्राइफेड से एमएफपी तथा अन्य उत्पादों की खरीद से जनजातीय व्यक्तियों को उनकी उचित कीमत देकर सहायता करने की अपेक्षा की जाती थी। पुनः ट्राइफेड द्वारा राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम, राज्य वन विकास निगम और अन्य राज्य स्तरीय एजेंसियों को विपणन समर्थन देना होता है, जो जनजातियों से इन उत्पादों के प्रापण में संलग्न है।

9.2.2. लघु वन उत्पादों और अधिशेष कृषि उत्पादों के मूल्य में उतार चढ़ाव आता है। ट्राइफेड से अपेक्षित था कि वह एमएफपी में व्यापार एक वाणिज्यिक गतिविधियों के रूप में न करते हुए एक कल्याण गतिविधि के रूप में करे इसका अर्थ था कि ट्राइफेड से सस्ती दरों पर सामान खरीदने की वाणिज्यिक बुद्धिमानी को नजरअंदाज करते हुए एमएफपी का प्रापण किया जाए अथवा इसके लाभ को अधिकतम बनाने के लिए सही समय पर खरीद पर बल दिया जाए।

9.2.3. ट्राइफेड को जनजातियों की वनोपज के उचित मूल्य देने की समर्थतता के विचार से और एमफपी/एसएपी के प्रापण और ब्रिक्री के प्रचालन में क्षतियों का सामना करने में ट्राइफेड को समर्थ बनाने के लिए, क्योंकि इनके मूल्य में उतार चढ़ाव होते हैं, मंत्रालय द्वारा ट्राइफेड को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि ट्राइफेड को मूल्य समर्थन की योजना के तहत उक्त क्षतियों को दूर रखा जा सके। यह योजना आरंभ में 1990-91 में आरंभ की गई थी।

9.2.4. लघु वन उत्पादों के प्रापण तथा विक्रय के प्रचालन में ट्राइफेड को भारी हानि हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी शेयर पूंजी कम हुई है तथा इसे संपूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया कराया गया है।

9.2.5. वर्ष 2006-07 के दौरान 31.03.2007 तक इस योजना के तहत अनुदान ट्राइफेड को पिछले समय में हुई क्षति की पूर्ति के लिए 8.98 करोड़ रु. की सीमा तक प्रदान किए गए।

9.2.6. वर्ष 2007-08 के दौरान बजट अनुमान : 2007-08 में 'ट्राइफेड को मूल्य समर्थन योजना' के तहत 29.99 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई। तथापि ट्राइफेड के नए अधिदेश को पाने में सहायता करने के लिए ट्राइफेड को मूल्य समर्थन के स्थान पर 2007-08 में एक नई योजना जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास, लाई गई।

9.2.7. अतः, वर्ष 2007-08 के लिए पूरक मांग के पहले बैच में योजना आरंभ की गई। मौजूदा योजना के तहत दी गई धनराशि पुनर्विनियोजन के लिए नई योजना में अंतरित की गई।

9.3. केन्द्रीय क्षेत्र की योजना : "जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास"

9.3.1. वर्ष 2007-08 के लिए मौजूदा योजना ट्राइफेड को मूल्य समर्थन के स्थान पर एक नई योजना लाई गई है। ट्राइफेड ने पहली बार 11वीं योजना अवधि (2007 से 12) के बीच प्रस्तावित

गतिविधियों से संबंधित एक व्यापक रोडमैप बनाया है। विस्तृत चर्चा और निर्धारित प्रक्रिया विधि के बाद इस मंत्रालय ने नई योजना जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास के अंतर्गत ट्राइफेड के रोड मैप को अनुमोदित किया है। नई योजना/ट्राइफेड के रोड मैप के अनुसार अब अगले 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित 4 गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगाः

- खुदरा विपणन विकास
- एमएफपी विपणन विकास
- अनुसूचित जनजाति के शिल्पकारों और एमएफपी के जमा करने वालों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण
- अनुसंधान और विकास/बौद्धिक संपदा अधिकार

9.3.2. अनुमोदित रोड मैप के अनुसार 69.59 करोड़ रु. 11वीं योजना अवधि के दौरान ट्राइफेड को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2007-12 की अवधि के लिए ट्राइफेड द्वारा प्रक्षेपित गतिविधिवार धन की आवश्यकता निम्नानुसार है

9.3.3. इस योजना के तहत सहायता के लिए शर्त के भाग के रूप में ट्राइफेड ने मंत्रालय के साथ 26.11.2007 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

9.3.4. वर्तमान वर्ष (2007-08- में 31.12.2007 तक) को मंत्रालय ने इस योजना के तहत ट्राइफेड को 18.69 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

(लाख रु.)

	गतिविधि	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल 5 वर्षों के लिए
	मंत्रालय से ट्राइफेड के लिए आवश्यक धनराशि						
क	खुदरा विपणन विकास कार्यकलाप	550	623	392	-10	-243	1312
ख	एमएफपी विपणन विकास कार्यकलाप	761	710	500	380	414	2765
ग	अनुसूचित जनजाति के शिल्पकारों और एमएफपी के जमा करने वालों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण	371	403	438	488	530	2230
घ	अनुसंधान और विकास/बौद्धिक संपदा अधिकार	187	146	119	99	101	652
	क+ख+ग+घ के लिए आवश्यक धन राशि	1869	1882	1449	957	802	6959

9.4. केन्द्रीय क्षेत्र की योजना : ***"ट्राइफेड की शेयरपूंजी में निवेश"***

9.4.1. यह योजना वर्ष 1987 में शुरू की गई तथा इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ट्राइफेड की शेयर-पूंजी में निवेश कर सकती है ।

9.4.2. वर्तमान में ट्राइफेड की अधिकारिक पूंजी 300 करोड़ रुपए है, इसकी तुलना में दिनांक 31.3.2007 तक भुगतान की गई शेयर पूंजी 100,51,72,000 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान एक नए सदस्य की वृद्धि हुई है । मंत्रालय ने अब तक 99.75 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

9.4.3. वर्ष 2006-07 ट्राइफेड के इक्विटी शेयर की पूंजी में इस योजना के तहत कोई निवेश नहीं किया गया। वर्तमान वर्ष (2007-08)के दौरान इस योजना के तहत केवल 0.01 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया। यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में ट्राइफेड की इक्विटी शेयर की पूंजी में कोई निवेश नहीं किया जाएगा। अतः वर्तमान वर्ष (2007-08 को 31.12.2007) में योजना के तहत कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

9.5. लघु वन उत्पादों के प्रचालन हेतु एस. टी. डी. सी. सी. को अनुदान सहायता

9.5.1. अनुसूचित जनजातियां, जिनमें से अधिकांश वन क्षेत्रों में निवास करते हैं, लघु वन उत्पादों जैसे इमली, मधु, साल के पत्तों, तेंदू पत्ता, महुआ फूल तथा महुआ के बीज पर अपनी जीविका निर्भर हेतु करते हैं । इस प्रकार इन लघु वन उत्पादों पर इनकी निर्भरता 70% तक है । अतः लघु वन उत्पाद इसके लिए आय सृजन के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं ।

9.5.2. आरंभ में जनजाति के लोग अपने उपयोग/उपभोग के लिए एमएफपी जमा किया करते थे। तथापि एमएफपी की बड़ी मांग जनजातीय क्षेत्रों के बाहर भी है। जमा किए गए किसी अतिरिक्त एमएफपी को नकद कम मूल्य या उधार पर आस-पास के क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार में बेचने के लिए जमा किया जाता था।

9.5.3. वर्षों तक अन्यत्र जनजातीय उत्पादों के विपणन मूल्य के विषम में उनकी अज्ञानता तथा बाहर के बाजार से उनके प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने का लाभ उठाते हुए व्यापारी तथा बिचौलियों ने इसमें प्रवेश किया । इससे कुछ क्षेत्रों में जनजातियों का शोषण हुआ, जिसके कारण से जनजातियों का समेकित रूप से मोल भाव करने की शक्ति का अभाव, नष्ट होने वाले वस्तुओं को बनाए रखने की क्षमता का अभाव, विभिन्न अन्य कारणों से विचौलियों पर निर्भर करना था । फलस्वरूप जनजातियों को अपने लघु वन उत्पादों के मूल्य का एक छोटा अंश ही मिला था ।

9.5.4. अतएव, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकारों ने गरीब जनजातियों के बचाव में उतरने तथा उन्हें

अपने लघु वन उत्पादों हेतु लाभप्रद मूल्य दिलाने का निर्णय किया तथा इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर सरकारी संगठनों की स्थापना की ।

9.5.5. केन्द्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय सहकारी समिति, अधिनियम, 1984 (अब एमएससीएस अधिनियम, 2002) के अंतर्गत ट्राइफेड की स्थापना की । निजी व्यापारियों द्वारा जनजातियों के शोषण को रोकने हेतु राज्य सरकारों ने कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण लघु वन उत्पादों का राष्ट्रीयकरण करना प्रारंभ कर दिया तथा राष्ट्रीयकृत तथा गैर राष्ट्रीयकृत उत्पादों का एसटीडीसीसीएस, वन विकास निगम (एफडीसीएस) इत्यादि के माध्यम से पारिश्रमिक मूल्य पर प्रापण करने की व्यवस्था की है ।

9.5.6 इस योजना की शुरूआत वर्ष 1992-93 में हुई । इस योजना के अंतर्गत निधियां राज्य टीडीसीसीए/एफडीसीएस को उपलब्ध कराई जाती हैः-

- यदि आवश्यक हो, प्रचालन हानि को कम करते हुए संचालित लघु वन उत्पाद के परिमाण में अभिवृद्धि;
- वर्तमान में संचालित लघु वन उत्पाद के परिमाण में अभिवृद्धि करते हुए लघु वन उत्पादों के प्रचालन हेतु निगम की शेयर पूंजी आधार को बल प्रदान करना;
- जहां आवश्यक हो, वैज्ञानिक भंडारणगृह सुविधाओं की स्थापना;
- जनजातियों के लिए लघु वन उत्पादों पर अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसके मूल्य वर्धन हेतु प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना;
- जनजातियों को उपभोक्ता ऋण देना;
- अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियों के प्रयासों को पूरक बनाना

9.5.7. दसवीं योजना के दौरान योजना का परिव्यय 78.31 करोड़ रुपए था । वर्ष 2006-07 का बजट अनुमान 16.00 करोड़ रुपए है । योजना के अंतर्गत, उत्तर-पूर्वी घटक के अंतर्गत 2.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है । अभिज्ञात एसटीडीसीसी को अनुदान दिए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न राज्यों को वर्ष 2006-07 (31.03.2007 तक) के दौरान योजना के अंतर्गत 17.9129 करोड़ रुपए की राशि (पूर्वोत्तर संघटक सहित) संवितरित की गई ।

9.5.8 2007-08 के लिए बजट अनुमान 20.00 करोड़ रुपए है । योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर संघटक के अंतर्गत 2.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है । अब तक (31.12.2007 तक) उन क्षेत्रों, जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है, के पुनर्मूल्यांकन के लंबित होने के

कारण इस योजना के अंतर्गत कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई है ।

क्र.सं	राज्य	2006-07 (31.3.2007 से) के दौरान निर्मुक्त धनराशि (लाख रुपए)
1	आंध्र प्रदेश	141.00
2	अरुणाचल प्रदेश	-
3	असम	38.61
4	छत्तीसगढ़	168.00
5	गुजरात	150.00
6	हिमाचल प्रदेश	48.00
7	कर्नाटक	57.00
8	केरल	50.00
9	मध्य प्रदेश	302.00
10	महाराष्ट्र	215.00
11	मेघालय	--
12	उड़ीसा	240.00
13	राजस्थान	79.00
14	त्रिपुरा	152.68
15	पश्चिम बंगाल	150.00
	कुल	**1791.29**

9.5.9 10वीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान और 11वीं योजना (2007-08 (31.12.2007 तक) के प्रथम वर्ष इस योजना के अंतर्गत की गई निर्मुक्तियों के ब्यौरे **अनुबंध-18** पर दिए गए हैं ।

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी) एंड स्टेट ट्राइब्ल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एसटीडीसीसीएस)

9.6 संगठनः नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना एक सरकारी कम्पनी (एक लाभ न कमाने वाली कम्पनी) के रूप में अप्रैल, 2001 में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन एस एफ डी सी) को विभाजित करने के सरकार के निर्णय लेने के बाद की गई।

9.7 मुख्य उद्देश्यः एन एस टी एफ डी सी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए योजना(योजनाओं)/ परियोजना (परियोजनाओं) को वित्त पोषित करने के लिए शीर्ष संस्था है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के मुख्य उद्देश्य निम्निलिखित हैं:-

➢ पात्र अनुसूचित जनजातियों को अभिज्ञात ट्रेडों/ कारोबार/ व्यवसायों तथा महत्व के अन्य आर्थिक कार्यकलापों में वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि रोजगार का सृजन किया जा सके तथा/ अथवा उनके आय का स्तर बढ़ाया जा सके;

➢ उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के कौशल और उद्यमी विकास का उन्नयन;

➢ मौजूदा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/विकास अभिकर्मों को पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में शामिल करना।

कार्य

- एनएसटी एफडीसी द्वारा केन्द्रीय/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से जीवक्षम स्वरोजगार उद्यमों/गतिविधियों के लिए रियायती वित्त प्रदान किया जाता है जिन्हे संबंधित मंत्रालयों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में शामिल किया जाता है।

- एनएसटीएफडीसी द्वारा अनुसूचित जनजातियों की ओर से जमा किए गए/उगाए गए कृषि/लघु वनोपज के प्रापण/विपणन गतिविधियों को समर्थन देने के लिए एससीए/सरकार के संस्थानों/राष्ट्रीय संघों के माध्यम से विपणन समर्थन सहायता भी प्रदान की जाती है।

- पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल तथा उन्नयन विकास के लिए सरकारी/ अर्ध सरकारी/स्वायत्त सरकार के निकायों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एससीए को अनुदान प्रदान करना।

- आवधिक प्रशिक्षण के माध्यम से एससीए के अधिकारियों के कौशल उन्नयन हेतु सहायता देना।

9.8 अंश पूंजी : निगम की अधिकृत अंश पूंजी 500.00 करोड़ रुपए है । एनएसटीएफडीसी की कुल प्रदत्त अंश पूंजी 230.50 करोड़ रुपए है ।

9.9 पात्रता शर्तः एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित हैं:

- लाभार्थी अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हों ।

- लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दुगुनी से अधिक न हो, वर्तमान सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 39,500 रुपए प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 54,500 रुपए प्रतिवर्ष है ।

9.10 महिला सशक्तिकरणः एनएसटीएफडीसी ने मात्र अनुसूचित जनजाति की महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए स्वयं सेवी समूह के माध्यम से रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु " आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना " नामक योजना की शुरूआत की है ।

9.11 लघु ऋण वित्तः वर्ष के दौरान निगम ने लघु ऋण वित्त नामक एक नई योजना स्व सहायता समूहों के लिए आरंभ की है। यह योजना स्व रोजगार उद्यमों/गतिविधियों को केवल मौजूदा लाभकारी स्व सहायता समूहों के माध्यम से करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजातियों

को छोटे ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

सहित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। वर्ष 2006-07 के दौरान 28.49

9.12 एनएसटीएफडीसी के वित्तीय कार्यक्रमों के संक्षिप्त उधार मानक निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	सहायता के प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष तक प्रभार्य ब्याज एससीए	लाभार्थी
1	आय सृजनात्मक गतिविधियों - सावधिक ऋण एवं ब्रिज लोन (आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना को छोड़कर)	10.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3% (एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में 5.00 लाख रुपए प्रति इकाई/लाभ केन्द्र तक) 5% (एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में 5.00 लाख रुपए प्रति इकाई/लाभ केन्द्र से अधिक)	6% 8%
2	एएमएसवाई सावधिक ऋण	50.00 हजार रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3	स्वयं सहायक समूह (एसएचजीएस)- सावधिक ऋण	प्रत्येक स्वयं सहायक समूह हेतु 25 लाख रु.	50.000 हजार रु. प्रति सदस्य की सीमा तक इकाई लागत का 90%	5%	8%
4	लघु ऋण वित्त	-	.15,000 प्रति सदस्य और 3 लाख रु. प्रति स्व सहायता समूह	3%	6% (स्व सहायता समूह से प्रभार योग्य)
5	विपणन समर्थन सहायता -सावधिक ऋण	लाभार्थियों द्वारा निधियों के उपयोग हेतु, आय सृजनात्मक गतिविधियों हेतु सावधिक ऋण के लिए लागू दर पर ब्याज प्रभार्य , जैसा कि क्रम संख्या 1 में ऊपर दिखाया गया है । एससीए अन्य एजेंसियों द्वारा उनकी प्रचालन आवश्यकता हेतु उपयोग की गई निधि पर 7% ब्याज दर प्रभार्य ।			

टिप्पणी : लघु ऋण वित्त के मामले में स्व सहायता समूह के सदस्य अपने सदस्यों से स्व सहायता समूह द्वारा प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर तय करें, किन्तु यह 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.13. कार्य निष्पादनः एनएसटीएफडीसी ने वर्ष 2007-08 के दौरान नई योजनाओं /परियोजनाओं के लिए 120.00 करोड़ रुपए सैद्धांतिक रूप से आबंटित किए । वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 2007 तक निगम ने 89.45 करोड़ रुपए के अपने भाग करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में एनएसटीएफडीसी के एससीए ने 31 दिसम्बर, 2007 तक 3.14 करोड़ रुपए स्वीकृत योजना/परियोजनाओं के लिए आहरित किए । एनएसटीएफडीसी ने अनुसूचित जनजातियों के

उद्यम एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु 1.05 लाख रुपए निर्मुक्त किए । अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु संगत प्रमुख /निर्णायक क्षेत्रों की पहचान किए जाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रचालन का स्तर बढ़ाया जा सके ।

9.13.1 एनएसटीएफडीसी से और आगे निधियां प्राप्त करने हेतु विभिन्न मानदंडों में से एक एससीए द्वारा बकाया राशि का समायोजन एक महत्वपूर्ण प्राचल है जो धनराशि के सुचारु प्रवाह में बाधा डालता है। कुछ एससीए द्वारा बकाया राशि का समायोजन नहीं कर सकने के कारण इन्हें एनएसटीएफडीसी द्वारा और आगे निधियां नही दी गई, जिसके लिए एनएसटीएफडीसी तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने क्रमशः संबंधित एससीए तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से इस विषय में पैरवी की है। दिनांक 31.12.2007 के अनुसार विभिन्न चैनेलाइजिंग अभिकरणों से वसूली योग्य राशि 104.96 करोड़ रु. है और इसमें से 72.39 करोड़ रु. पूर्व शामिल अवधि के दौरान अग्रेषित ऋण से संबंधित है, जो एनएसटीएफडीसी के अतिदेय का 69 प्रतिशत से अधिक भाग बनाते हैं। बकाया राशि के सामाजिक समायोजन हेतु एनएसटीएफडीसी ने एससीए को ब्याज पर छूट देने हेतु एक प्रोत्साहन योजना चलाई है । इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा संयुक्त निगम के पक्ष में जारी प्रतिभूतियों के लिए इसका एनएसटीएफडीसी के पक्ष में हस्तांतरण/द्विभाजन करने की आवश्यकता है । इस प्रक्रिया को अभी पूरा नहीं किया गया है । निगम के प्रचालन कार्य को और बल देने के मार्ग में निधियों की निर्मुक्ति हेतु सरकार की प्रतिभूति की आवश्यकता भी आड़े आती है। इस विषय में जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा एनएसटीएफडीसी द्वारा संबंधित संगठन/राज्य सरकारों के साथ पैरवी की गई है ।

9.14 निगरानी : एनएसटीएफडीसी योजनाओं/परियोजनाओं का कार्यान्वयन समय-समय पर निगरानी करता है । इस निगरानी का प्रमुख उद्देश्य चालू योजनाओं की स्थिति लाभार्थियों पर इसके सामाजिक व आर्थिक प्रभाव का आंकलन करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का कार्यक्रम स्वीकृत किए जाते समय की गई अभिकल्पनाओं के अनुरूप हो रहे हैं । निगरानी कार्य हेतु निम्नांकित कदम उठाए गए हैं-

एनएसटीएफडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी निधियों के उद्देश्य हेतु उपयोग के मूल्यांकन तथा इन संपत्तियों के निरीक्षण इत्यादि हेतु क्षेत्रीय दौरा करते हैं, सीएमडी तथा अन्य अधिकारी जो मुख्यालय में स्थित हैं, अपने दौरे में एनएसटीएफडीसी से वित्त प्राप्त योजनाओं का नमूने के आधार पर निरीक्षण करते हैं ।

9.15 प्रचार/ जागरूकता एनएसटीएफडीसी ने अस्तित्व में आने के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया दोनों में विज्ञापनों की श्रृंखलाओं के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को उचित प्रचार देने के लिए कदम उठाए हैं। लाभार्थियों की व्यापक जानकारी हेतु एनएसटीएफडीसी ने अपने दिशा-निर्देश 10 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किए हैं ।

9.16.1 मूल्यांकनः योजना आयोग के परियोजना मूल्यांकन संगठन द्वारा एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड और उड़ीसा में संचालित परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन का काम सौंपा गया है । मूल्यांकन अध्ययन पूरा किया गया है और अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

9.16.2 एनएसटीएफडीसी को छत्तीसगढ़, नागालैंड और झारखण्ड राज्यों में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के तहत अनुसूचित जनजातियों को विस्तारित वित्तीय सहायता के संबंध में एक मूल्यांकन अध्ययन भी सौंपा गया है। यह कथित अध्ययन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज द्वारा किया गया है और रिपोर्ट जमा की गई है। इस अध्ययन में सकारात्मक प्रभाव दर्शाए गए हैं तथा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार के लिए सुझाव भी दिए गए हैं, ताकि प्रदाय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

9.17 समझौता ज्ञापन : प्रथम बार वर्ष 2006-07 में एनएसटीएफडीसी सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी बन गई है। समझौता ज्ञापन पर वर्ष 2007-08 के लिए हस्ताक्षर किए गए तथा विभिन्न गतिविधियों को बल देते हुए इस आपसी समझौते के मसौदे में निष्पादन हेतु लक्ष्य/मानदंड निर्धारित किए गए हैं । इससे आगामी वर्षों में कंपनी के कार्य निष्पादन में सुधार होने की आशा है, जिससे लक्षित अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों को लाभ मिलेगा । समझौता-ज्ञापन की प्रतियां भी संसद में रखी गई हैं । समझौता-ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय ने भी एनएसटीएफडीसी के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें की हैं ताकि समझौता-ज्ञापन के लक्ष्यों/पैरामीटरों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके ।

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)
एक सफलता की कहानी

श्रीमती मीना टोप्पो
ग्राम-बोदीनाथ पारा
डाकखाना - पटकटा
ब्लॉक - सदर
जिला - जलपाईगुड़ी
पश्चिम बंगाल

परियोजना लागत - 20,000/- रुपए
सब्सिडी - 10,000/- रुपए
एनएसटीएफडीस ऋण - 10,000/- रुपए

श्रीमती मीना टोप्पो को पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगम के माध्यम से "ग्रोसरी स्कीम" (पंसारी का व्यवसाय) के लिए एनएसटीएफडीसी की एएमएसवाई योजना के अंतर्गत वितीय सहायता प्रदान की गई थी। उन्होंने अपने नजदीक के बाजार में अपना व्यवसाय शुरू किया । उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और व्यवसाय कौशल के कारण कुछ समय बाद एक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। इस समय यह 2000/- रुपए प्रतिमाह कमा रही हैं । वह ऋण वापस करने में नियमित हैं और एनएसटीएफडीसी की लाभार्थी होने का उन्हें गर्व है ।

आदिवासी महिला सशक्तिकरण प्रतियोगिता (एएमएसवाई) - सफलता की कहानी

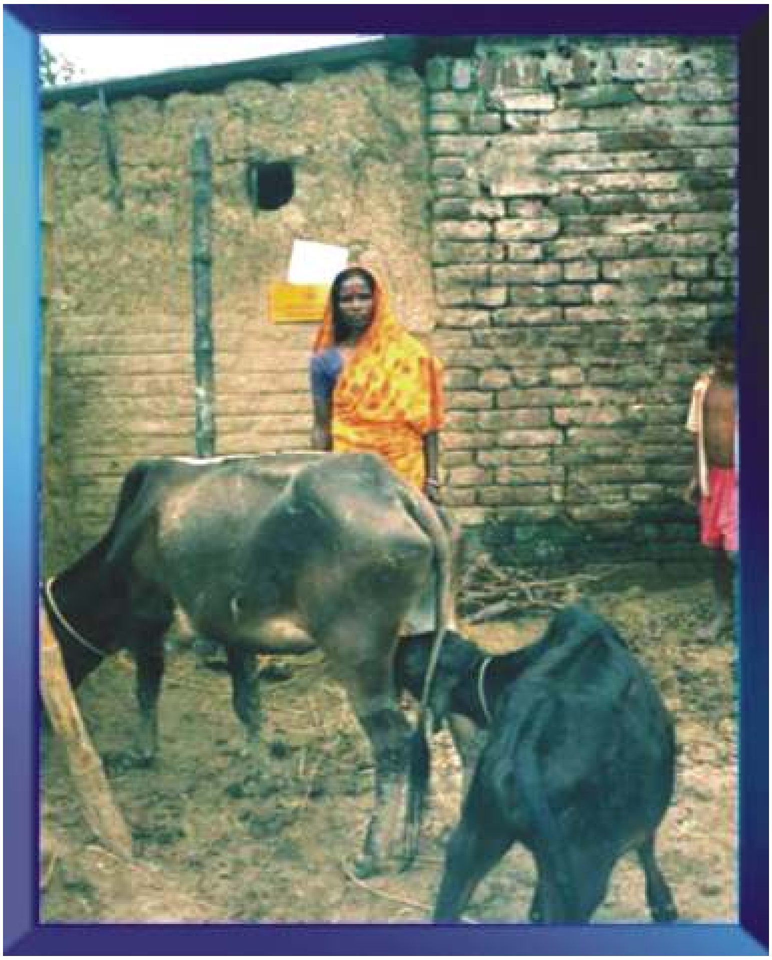

श्रीमती रेनुका मुडी
ग्राम - चदचंदनपुर
डाकखाना बुज्रुकदीह
कैटी ग्राम पंचायत
रैना ।। पंचायत समिति
जिला बर्दमान
पश्चिम बंगाल

परियोजना लागत
20,000/- रुपए
सब्सिडी 10,000/- रुपए
एनएसटीएफडीसी ऋण
10,000/- रुपए

श्रीमती रेनुका मुडी बहुत गरीब थीं और अपने परिवार की मूल आवश्यकताओं को भी पूरा करने में उन्हें कठिनाई हो रही थी । उन्हें पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगम के माध्यम से एनएसटीएफडीसी की एमएसवाई योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं के लिए वित्तपोषित किया गया । दूध बेचकर वह 200/- रुपए प्रतिमाह कमा रही है। उनकी ऋण किस्त की वसूली स्थिति संतोषजनक है । वह एनएसटीएफडीसी वित्तीय सहायता से खुश है ।

अध्याय -10

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

जनजातीय विकास में स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

10.1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता । स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों का आधार स्थानीय होता है और उनमें सेवा की भावना होती है, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है । यह सुनिश्चित करने में वे सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अत्यधिक लोगों तक पहुंचे । कुछ मामलों में स्वैच्छिक संगठन सरकारी योजनाओं को सरकार की अपेक्षा ज्यादा कुशलता से क्रियान्वित करने और निरंतरता बनाए रखने की बेहतर हालत में हैं। प्रमुख रूप से इसका श्रेय स्वैच्छिक संगठनों की कर्मठता और समर्पित मानव संसाधनों को जाता है।

10.2 गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही पहचानी जाने लगी है । बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं । कुछ अरसे से वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है । मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के सारे प्रयास कर रहा है कि सरकार के भागीदार के रूप में केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठनों को ही विकासात्मक क्रिया-कलाप चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

10.3 योजनाओं को अधिक पारदर्शिता तथा राज्य सरकार/ संघ शासित प्रशासनों के साथ कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2006-07 के दौरान प्रणाली को पुनः सुदृढ़ बनाया है । सभी राज्य/ संघ शासित सरकारों को राज्य के प्रधान सचिव/ सचिव की अध्यक्षता में गैर-सरकारी

संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर एक "स्वैच्छिक प्रयासों के लिए सहायक समिति" का गठन किया जाना था । सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों के राज्य के प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक/ जनजातीय विकास विभाग, की अध्यक्षता में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर एक "स्वैच्छिक प्रयासों के लिए सहायक समिति का गठन करना होगा । बहु-आयामी समिति गैर-सरकारी संगठनों के चालू प्रस्तावों और नए प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर सेवा वंचित जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है । इस संबंध में पहले दिशानिर्देश मंत्रालय द्वारा 2.6.2005 और उत्तरवर्ती दिशानिर्देश 13.3.2006, 4.5.2006 और 29.5.2006 को जारी किए गए ।

10.4 **स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणः** मंत्रालय द्वारा भी लगातार यह प्रयास किया गया था कि वह अखिल भारतीय स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों/ गैर सरकारी संगठनों का पता लगाए जो अपनी निःस्वार्थ सेवा और अनोखी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हों । उन्हें औरों के मुकाबले, नए प्रस्तावों को मंजूर करने के संबंध में तथा वार्षिक अनुदान समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निर्मुक्त करने से संबंधित सेवा शर्तों में ढील देने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए । इस दिशा में मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों का पता लगाया है और उन्हें "स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों" की श्रेणी में रखा है। मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संगठन के रूप में घोषित संगठनों के नाम नीचे दिए गए हैंः-

1. रामकृष्ण मिशन और इसके सम्बद्ध संगठन ।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन ।
3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इससे सम्बद्ध संगठन
4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इससे सम्बद्ध संगठन ।
5. सेवा भारती और उनके सम्बद्ध संगठन ।
6. विद्या भारती तथा उनके सम्बद्ध संगठन ।
7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।
8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली ।
9. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसायटी, पुणे, महाराष्ट्र।
10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्रप्रदेश ।
11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक ।
12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली ।
13. डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली ।
14. विनोबा निकेतन, केरल

स्वैच्छिक क्षेत्र की योजनाएं

10.5 मंत्रालय के पास इस समय चार सतत स्वरूप की योजनाएं हैं जो स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं-

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान और अवसंरचना के सुधार के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।

2. जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर।

3. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र।

4. आदिम जनजातीय समूहों का विकास।

कोचिंग और सम्बद्ध तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान की योजना

10.6 यह योजना 1953-54 में शुरू की गई थी् और अभी भी लागू है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान तथा कोचिंग एवं संबद्ध योजना तथा गैर-सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन की एक छत्री योजना के अंतर्गत कोचिंग एवं संबद्ध योजना तथा गैर-सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन योजना के साथ विलय कर दिया गया। यह योजना विशिष्ट रूप से महिला अथवा पुरूष के लिए नहीं है। यह अनुसूचित जनजाति पुरूषों तथा महिलाओं पर समान रूप से लागू होती है।

10.7 **उद्देश्यः** इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, बागवानी, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से सेवावंचित जनजातीय क्षेत्रों में अन्तराल को भरना और सरकार की कल्याण–योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजार्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातिओं के सामाजिक–आर्थिक उत्थान अथवा आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली कोई अन्य नई गतिविधि पर स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

10.8 **वित्त पोषणः** यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित राज्य समिति की बहु विषयक राज्य स्तरीय विभिन्न संस्तुति पर आवेदन करने वाले गैर सरकारी संगठनों को अनुदान दिया जाता है। आमतौर पर 90% तक निधियां सरकार द्वारा दी जाती हैं। शेष 10% को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की उम्मीद की जाती है।

10.9 गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में अलग लेखा रखने की जरूरत होती है और ये लेखे सरकार के सभी समुचित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं । गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लेखे की लेखा परीक्षा भी चार्टड एकाउंटेंट से करानी होती है और निर्धारित किए अनुसार लेखा परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सैट सामान्य वित्तीय नियमों के अधीन निर्धारित किए गए अनुसार सा0 वि0 नि0 19 (क) में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है ।

10.10 अनुदान प्रतिवर्ष दो किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है, बशर्ते गैर सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया जाए, जिसका आकलन जिला कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है ।

10.11 गैर सरकारी संगठनों के क्रिया-कलापों को मंत्रालय या राज्य सरकार के अधिकारियों या मंत्रालय द्वारा नामित किसी एजेंसी द्वारा करने के अलावा वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार मानीटर किया जाता है ।

10.12 योजना का कार्य-निष्पादन : इस योजना के लिए 10वीं योजना में 178.98 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था । मंत्रालय द्वारा 10वीं योजना की अवधि और वर्ष 2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान तालिका 10.1 में वार्षिक आबंटन और व्यय दिया गया है ।

तालिका 10.1: दसवीं योजना के दौरान निधियों का आबंटन और निर्मुक्ति 2007-08

करोड़ रू0 मे

वर्ष	बजट आबंटन*		व्यय
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
2002-03	32.00	31.95	30.89
2003-04	32.00	26.92	26.90
2004-05	32.00	30.40	29.88
2005-06	23.40	29.60**	26.89
2006-07	26.00	30.00**	31.60
2007-08 (31.12.2007 तक)	37.00	37.00**	20.83

** यह राशि अनुकरणीय सेवाओं, गैर सरकारी संगठनों एवं कोचिंग हेतु गैर सरकारी संगठनों को अनुदान में शामिल है ।*

*** पूर्वोत्तर के पूल से निधियां शामिल है ।*

10.13 योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की 27 श्रेणियां हैं, जिन पर विचार किए जा सकते है, इनमें से निम्नलिखित परियोजनाएँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है :

1. आवासीय स्कूल
2. गैर आवासीय स्कूल
3. छात्रावास
4. सचल औषधालय
5. दस अथवा अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल
6. कम्पयूटर प्रशिक्षण केन्द्र

लोकप्रिय परियोजनाएं

आवासीय स्कूल

10.14 आवासीय स्कूल एक लोकप्रिय परियोजना है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने पड़ोस में स्कूल न होने की वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और क्योंकि वे अपने गांवों/ घरों से बाहर शिक्षा पाने और रहने की लागत को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं । स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े होते हैं । आवासीय स्कूलों में छात्रों को रहने और खाने की मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । वर्दी की लागत, पुस्तकें, लेखन सामग्री और अन्य प्रासंगिक प्रभार भी योजना में से वहन किए जाते हैं । अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ के सदस्यों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान में से किया जाता है । आवासीय स्कूल परियोजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को खुद की बिल्डिंग में या किराए पर लेकर चला सकते हैं। रखरखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान अनुदान सहायता से किया जाता है । अनुसूचित जनजातीय लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है ।

10.15 2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान 20 राज्यों में 120 आवासीय विद्यालय चलाने के लिए 10.12 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए ।

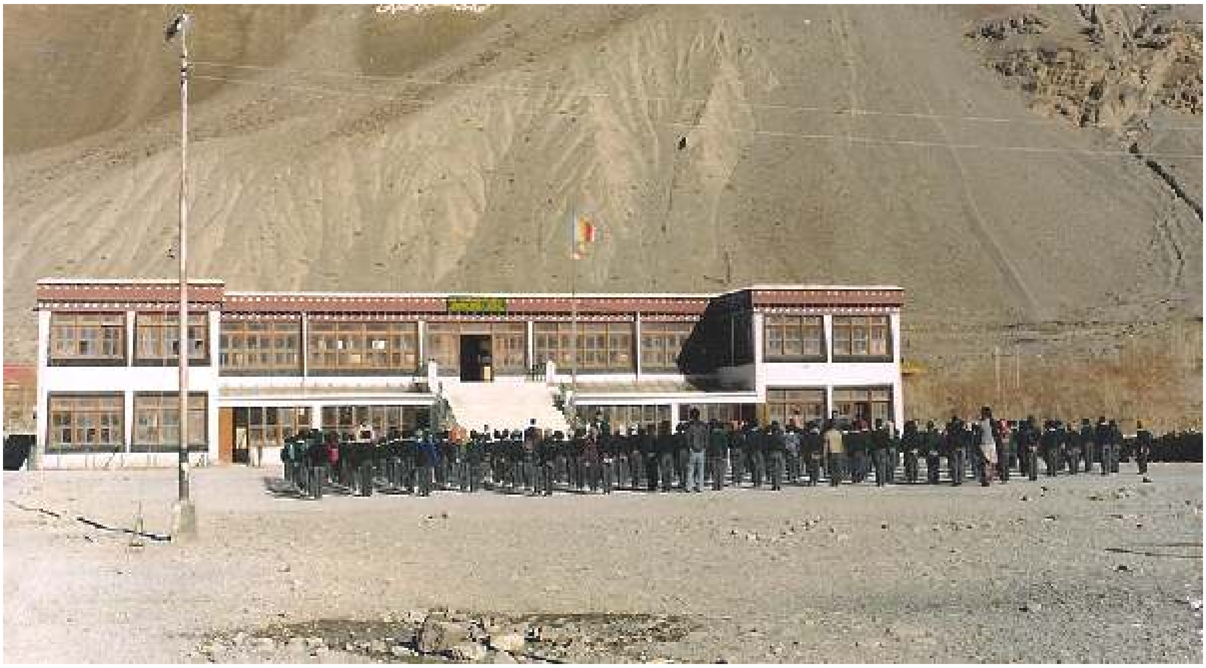

इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉसॉफी एंड ट्राइबल कल्चर सोसायटी, टाबो, जिला लाहौल और स्पीति (हिमाचल प्रदेश) द्वारा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा आवासीय विद्यालय

लम्दोन सोशल वेलफेयर सोसायटी, लेह लद्दाख, जम्मू व कश्मीर द्वारा अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा आवासीय विद्यालय

अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, जम्मू, जम्मू व कश्मीर द्वारा चलाया जा रहा आवासीय स्कूल

गैर-आवासीय विद्यालय

10.16 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय और सफल स्कीमों में से एक है। स्कूल में छात्रों की संख्या खुली रखी गई हैं। विद्यालय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहें हैं।

10.17 वर्ष 2007-08 के दौरान (31.12.2007 तक) 7 राज्यों में 20 गैर-आवासीय स्कूलों को चलाने के लिए 1.56 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं ।

छात्रावास

10.18 इस परियोजना का उद्देश्य उन जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राइमरी या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की हों लेकिन वे शहरों में रहन-सहन की उच्च लागत की वजह से बाहर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और उनके अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं नहीं हैं । ये छात्रावास उन शहरों और नगरों में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं ।

10.19 वर्ष 2007-08 के दौरान 10 राज्यों में 43 छात्रावासों को चलाने के लिए 2.93 करोड़ रूपए (31.12.2007 तक) स्वीकृत किए गए हैं ।

सचल औषधालय

10.20 सचल औषधालयों/ क्लीनिकों के जरिए अलग-थलग गांवों/ बस्तियों में रहने वाले जनजातीय लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले संगठन को सहायता प्रदान की जाती है । आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान मंजूर की जाती है । इसके अलावा, वैन, जीप, दवाइयों और उपस्करों की खरीद के लिए वार्षिक सहायता अनुदान दिए जाते हैं ।

हितेश्री सामाजिक संस्था, केसला ट्राइबल ब्लॉक, जिला हौशंगाबाद (मध्य प्रदेश) द्वारा चलाया जा रहा सचल औषधालय

10.21 वर्ष 2007-08 के दौरान (31.12.2007 तक) 14 राज्यों मे 45 सचल औषधालयों को चलाने के लिए 2.03 करोड़ रूपए स्वीकृत किए जा चुके हैं ।

दस अथवा उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

10.22 इस परियोजना को चलाने के पीछे विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकी दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने के लिए सहायता देना है । इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर आउटडोर रोगियों का इलाज होता है परंतु इन-डोर रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी हैं ।

10.23 फर्नीचर और फिक्सर, अस्पताल उपस्कर, एम्बुलैंस, जनरेटर सैट की खरीद और डाक्टरों, नर्सों, अन्य स्टाफ को मानदेय देने तथा दवाइयां खरीदने, बिल्डिंग किराए के आवर्ती खर्चों आदि को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

10.24 वर्ष 2007-08 के दौरान (31.12.2007 तक) 13 दस बिस्तर वाले अस्पताल 5 राज्यों में चलाने के लिए 1.74 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं ।

कम्पयूटर प्रशिक्षण केन्द्र

10.25 कम्पयूटर प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 30 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस परियोजना का विशिष्ट प्रयोजन कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग आदि का ज्ञान बढ़ाना और उन्हें सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों मे रोजगार पाने की क्षमता प्रदान करना है। इन केन्द्रों में आयोजित पाठ्यक्रमों की मान्यता सुनिश्चित करने और इन्हें मान्यता प्रापण प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ जोड़ने के लिए मंत्रालय ने बल दिया है कि संगठन अपने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय के डीओईएसीसी द्वारा प्रत्यायित कराएं और वर्ष 2006-07 से मंत्रालय द्वारा प्रत्यायन के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक केवल भारत सेवाश्रम संघ, दिल्ली द्वारा केवल एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा हैं। कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र को डीओईएसीसी द्वारा प्रत्यायित किया गया है।

10.26 वर्ष 2007-08 के दौरान (31.12.2007 तक) 6 राज्यों में 8 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 0.16 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं ।

विशेष परियोजनाएं :

10.27 **दिव्यायनः** यह परियोजना रामकृष्ण मिशन, मोराबादी (रांची) तथा आर. के. मिशन आश्रम, कालाहांडी, उड़ीसा द्वारा कृषि और संबद्ध विषयों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए स्थापित की गई है, जिसके लिए मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह परियोजना एक नया समेकित ग्रामीण विकास मॉडल है, जिसे संगठनों द्वारा शुरू किया गया था। सुधरी हुई कृषि तकनीकों को अपनाने के जरिए जनजातियां

आत्मनिर्भर बन गई हैं और इस प्रकार उन्हें बहुत लाभ पहुंचा है । यह मान्यता प्राप्त कृषि विज्ञान केन्द्र है ।

10.28 **बनस्थली विद्यापीठ :** योजना के अंतर्गत मंत्रालय, राजस्थान के टोंक जिले में बनस्थली विद्यापीठ को उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप प्रत्येक से 15 जनजातीय लड़कियों को अपनी रुचि के विषय में मुफ्त शिक्षा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । इस प्रकार इन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष में 150 लड़कियों को बनस्थली में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए चुना जाता है और मंत्रालय इस लागत की प्रतिपूर्ति 26,250/ - रुपए प्रति छात्रा, प्रतिवर्ष के हिसाब से करता है । संगठन को यह अनुदान छात्र/ छात्रा को अपनी पढ़ाई पूरी करने तक जारी रहता है ।.

10.29 इस योजना के अधीन 10वीं योजना अवधि के दौरान 2007-08 (31.12.2007 तक) स्वयं सेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई उनकी सूची **अनुबंध-14** पर है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग

10.30 अनुसूचित जनजातियों की कोचिंग (पूर्व कोचिंग और संबद्ध) की संशोधित योजना चौथी पंचवर्षीय योजना से प्रचालनरत है। इस योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में संशोधित किया गया है ।

10.31 **उद्देश्य :** वंचित परिवारों और उपेक्षित परिवेश से आने वाली अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत पृष्ठ-भूमि से आए लोगों के साथ प्रतियोगिता करना कठिन होता है। एक स्तरीय खेल का मैदान प्रोत्साहित करने तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए जनजनातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता कोचिंग संस्थानों में वंचित अनुसूचित जनजातीय प्रत्याशियों को कोचिंग प्रदान करने की एक योजना को समर्थन दिया जाता है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें और सिविल सर्विस तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी पा सकें।

10.32 **कार्यान्वयन एजेंसियां तथा वित्त पोषण पद्धति :**

राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/ विश्वविद्यालय तथा पंजीकृत निजी कोचिंग संस्थान परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं । निधियां प्रति यूनिट आधार पर प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय से विश्वविद्यालयों/निजी संस्थाओं को ठेके के आधार पर 100% की सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है जबकि राज्यों द्वारा संचालित संस्थाओं को सहायता का 80% प्रदान किया जाता है।

10.33 वित्त पोषण में शामिल हैं कोचिंग शुल्क (संकाय के प्रभार, विज्ञापन प्रभार, प्रत्याशियों को

वजीफा, बाहर से आने वाले छात्रों को रहने और भोजन की सहायता सहित)।

10.34 मुख्य विशेषताएं

• राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा कोचिंग संस्थानों से विज्ञापन के जरिए प्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

• राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से निजी संस्थानों के संदर्भ में सफलता दर के अनुसार ट्रेक रिकॉर्ड और वास्तविकता की पुष्टि की जाती है।

• प्रस्तावों की जांच समिति द्वारा की जाती है और संस्थाओं को समिति के सामने अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए दिया जाता है।

• कोचिंग संस्थानों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। मंत्रालय द्वारा एक बार चुने जाने पर कोचिंग संस्थाओं को परियोजना अवधि के दौरान विज्ञापन के उत्तर में दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक कि उन्हें दोबारा ऐसा करने के लिए न कहा जाए।

• कोचिंग संस्थाओं को निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार प्रस्ताव जमा करने की आवश्यकता होती है।

• गैर-अनुसूचित जनजातियों के छात्रों सहित कुल छात्रों की संख्या योग्यता के आधार पर प्रवेश के अनुसार 40 छात्र प्रति कक्षा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की कुल संख्या में वरीयतः 30 प्रतिशत महिला अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी और 5 प्रतिशत विकलांग अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी होने चाहिए।

• एक कोचिंग संस्थान द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध स्थानों से अधिक होने पर योग्यता एवं निष्पादन अर्हकारी परीक्षाओं के आधार पर चयन प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।

• कोचिंग कक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह के अंदर संस्थानों को अपने प्रत्याशियों के फोटो सहित पाठ्यक्रम वार नाम और उनके अन्य विवरण तथा पूरे पते निर्धारित फॉर्मेट में देने होते हैं।

• किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र योग्यता वाले कोई प्रत्याशी इस मंत्रालय की वित्तीय सहायता पाने वाले कोचिंग संस्थान में आवेदन कर सकते हैं। ये संस्थान प्रत्याशियों को स्थान भरने तक "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर प्रवेश दे सकते हैं।

• प्रत्याशी किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत केवल एक बार और कुल मिलाकर अधिकतम दो कोचिंग पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। प्रत्याशियों को संस्थान को यह वचन देना होगा कि वे पहले किसी संस्थान में इस मंत्रालय की सहायता वाले किसी कोचिंग संस्थान का लाभ नहीं उठा रहे हैं/नहीं उठाया है।

• प्रत्याशी की आय सीमा (माता-पिता की आय यदि उन पर निर्भर हैं और/या अपनी स्वयं की आय) इस योजना के तहत 2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• संशोधित योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की बड़ी संख्या को शामिल किया गया है और शुल्क संरचना वर्तमान रुझानों के अनुसार संशोधित की गई है।

• कोचिंग संस्थानों को एक वित्तीय वर्ष में उनके सभी प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विज्ञापन करने के लिए बीस हज़ार रु. दिए जाते हैं।

• संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को एक वित्तीय वर्ष में स्थानीय/लोक समाचार पत्र ने इस योजना के विज्ञापन के लिए 25 हजार रुपए भी प्रदान किए जाते हैं।

• छात्रों को पूरी कोचिंग अवधि में प्रतिमाह एक हजार रुपए की निश्चित राशि का स्टाइपैंड दिया जाता है।

• प्रति छात्र बाहरी छात्रों को 2 हजार रुपए की वित्तीय सहायता रहने और भोजन के लिए दी जाती है। संबंधित कोचिंग संस्थानों को बाहरी छात्रों के लिए व्यवस्था करनी होती है और प्रमाणित करना होता है कि छात्र बाहर से आया है।

• एक विशेष पाठ्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता की सीमा समय-समय पर संशोधित और योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानकों तक सीमित होती है।

• राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वर्ष में कम से कम एक बार कोचिंग संस्थान चलाने की निगरानी करनी होती है और निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय में एक रिपोर्ट जमा करनी होती है।

• कोचिंग संस्थानों को प्रिंट मीडिया/होर्डिंग के माध्यम से योजना का प्रचार इस प्रकार करने की आवश्यकता होती है कि दूर दराज के अनुसूचित जनजाति छात्र इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

• कोचिंग संस्थानों को वित्तीय वर्ष के आरंभ में अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की पाठ्यक्रम वार सूची तथा वित्तीय वर्ष के अंत में घोषित परिणामों की सूची जमा करनी होती है, तब तक इन प्रत्याशियों के रोल नं. के साथ प्रत्येक परीक्षा का विवरण दिया जाता है।

• कोचिंग संस्थानों को निरंतर वित्तीय समर्थन 3 वर्ष के अंत में कोचिंग संस्थान के निष्पादन की मध्यावधि समीक्षा के अधीन और इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के परिणामों के आकलन पर आधारित होता है।

• कोचिंग संस्थानों का निधिकरण जारी रखना विभिन्न् प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग संस्थानों द्वारा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की सफलता और उनके निष्पादन पर पूरी तरह आश्रित होता है।

• कोचिंग संस्थानों को निरंतर समर्थन के लिए प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत सफलता दर पाने की आवश्यकता होती है।

10.35 **आबंटन** : वर्ष 2007-08 के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग हेतु आबंटन 2.50 रु. करोड़ रहा I.

10.36 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्व संशोधित योजना के अंतर्गत विस्तारित वित्तीय सहायता पाने वाले राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और निजी कोचिंग संस्थानों की सूची अनुबंध-21 में दी गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान चूंकि संशोधित योजना तीसरी तिमाही में अनुमोदित की गई है, प्रस्तावों को अब आमंत्रित किया गया है तथा अभी धन राशि जारी करना शेष है।

महिलाओं में साक्षरता विकास के लिए कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर योजना

10.37 इस योजना पर विस्तार से रिपोर्ट के अध्याय-7 (शिक्षा संवर्धन के लिए कार्यक्रम) में चर्चा की गई है ।

10.38 इस योजना के अधीन 10वीं योजना अवधि के दौरान (31.12.2007 तक) जिन स्वयं सेवी/गैर सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों की स्वायत्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई है, उनकी सूची **अनुबंध -20** पर है ।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए योजना (वीटीसी)

10.39 इस योजना पर विस्तार से रिपोर्ट के अध्याय-8 में चर्चा की गई है ।

10.40 इस योजना के अधीन 10वीं योजना अवधि के दौरान (31.12.2007 तक) जिन संगठनों को सहायता दी गई, उनकी सूची **अनुबंध-17** पर है ।

अध्याय 11

आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए कार्यक्रम

आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए योजनाएं (पीटीजी)

11.1 अनु. जनजातियों के बीच, कुछ जनजातीय समूह ऐसे हैं जिनमें घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, प्रौद्योगिकी का कृषि - पूर्व स्तर है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं । 17 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई है और उन्हें आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया हैं । आदिम जनजातीय समूहों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार तथा उनकी विभिन्न जनगणनाओं के दौरान आंकी गई संख्या की सूची **अनुबंध-22** पर है। इन समूहों मे से अधिकांश समूह संख्या में कम हैं, सामाजिक और आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं । सामान्यतया उनका वास स्थान दूर है जहां प्रशासनिक तथा अवसंरचना आधार कमजोर है। इसलिए ये अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक कमजोर समूह बन जाते हैं अतः प्राथिमकता इसे दी जाती है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, उनकी आबादी के घटते रुझान को नियंत्रित किया जाए तथा उनके विकास को बढ़ावा दिया जाए।

11.2 उद्देश्य : चूंकि जनजातीय समूहों में आदिम जनजातीय समूह अत्यंत असुरक्षित वर्ग है इसलिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/ केन्द्रीय रूप से प्रायोजित तथा राज्य योजना से पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता है । तथापि, यह देखने में आया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां पर्याप्त रूप से उन तक नहीं पहुंच रही हैं। अतः 1998-99 में आदिम जनजाति समूहों के अनन्य विकास के लिए एक अलग 100% केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित योजना आरंभ की गई । इस बीच ज्ञान और अर्जित अनुभव के आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2007-08 में इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजना में सुधार किया गया है।

11.3 क्षेत्र : इस योजना में अनुसूचित जनजातियों में से केवल 75 आदिम जनजातीय

बगीचा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के हिल कोरवा आदिम जनजातीय समूह, अदरक की खेती को प्रदर्शित करना। प्रभाव - नकद कृषि फसल द्वारा आयसृजन।

समूह शामिल किए गए हैं। यह योजना अत्यंत लचीली है क्योंकि यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर केन्द्रित करने मे सक्षम बनाती है, जिन्हें वे अपने आदिम जनजातीय समूहों के लिए संगत तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों में आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश संबंधी प्रयोजन के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की अधिष्ठापना, जनश्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा अथवा पीटीजी के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नई गतिविधि, विशेष रूप से खानाबदोश प्रकार के पीटीजी के लिए । इस योजना के अंतर्गत निधियां उन मदों/कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो पीटीजी के जीवन संरक्षण और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन निधियों की उपयोगिता को शासित करने वाले दिशानिर्देशों द्वारा विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई हैं । निधियों और कार्यकर्ताओं की समाभिरूपता का सामान्य सिद्धांत भी लागू होता है ।

हिल कोरवा आदिम जनजातीय समूह - जशपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा अधिगृहित क्षेत्रों में फार्म बंडिंग तथा भूमि लेवलिंग प्रभाव - बारेन भूमि में धान की खेती

11.4 योजना का कार्यान्वयनः 2007-08 के दौरान, सभी 17 राज्य सरकारों और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र ने अपने राज्य में प्रत्येक पीटीजी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक दीर्घावधि "संरक्षण व विकास (सीसीडी) योजना" का सूत्रपात किया है। ये सीसीडी योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 5 वर्षों की अवधि अर्थात् संपूर्ण ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए तैयार की गई है और जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को, विशेष रूप से खानाबदोश पीटीजी के लिए निवास/हैमलेट विकास दृष्टिकोण को ध्यान में रखने का परामर्श दिया गया है। सीसीडी योजनाएं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान और उस कार्यकलाप के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसी को भी दर्शाती है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को उनके राज्य में पाए गए सभी पीटीजी के लिए वित्तीय संसाधनों के आनुपातिक प्रवाह और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उचित हस्तक्षेप किए जाने वाले कार्यकलापों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। एक ही क्षेत्र में हस्तक्षेप को दोहराने से बचा जाना है। सुपुर्दगी तंत्र को नई योजनाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से सुदृढ़ किया जाना है।

हिल कोरवा आदिम जनजातीय समूह द्वारा अधिगृहित क्षेत्र में 2500 मीटर लम्बी नहर का निर्माण जिला - जशपुर, छत्तीसगढ़, प्रभाव - 100 एकड़ भूमि में दुगुनी फसल

11.5 सीसीडी योजनाओं की जांच और अनुमोदन

एक विशेषज्ञ समिति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सीसीडी योजनाएं की जाँच करती हैं। विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :

1 सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष

2. संबंधित संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - सह-अध्यक्ष

3. सलाहकार, योजना आयोग

4. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

5. पीटीजी के लिए भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण से विशेषज्ञ

6. निदेशक (एसजी-1 और एसजी-2), जनजातीय कार्य मंत्रालय

7. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को देख रहे निदेशक/उपसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

8. निदेशक/उप सचिव (एनजीओ) - सदस्य-सचिव

अध्यक्ष को, जब कभी अपेक्षित हो, किसी अन्य अधिकारी(यों)/गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य (ों) को सहयोजित करने की स्वतंत्रता है ।

चेंचू स्वयं सहायक समूह की महिलाऍं चर्चा करती हुई

11.6 सीसीडी योजनाओं को 17 राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच के लिए प्रस्तुत किया गया है । निधियों की अनुमोदित सीसीडी योजनाओं के अनुसार वर्ष 2007-08 (31.12.2007 तक) के लिए प्राथमिकता प्राप्त कार्यकलापों के आधार पर 7 राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा को निधियां निर्मुक्त की गई हैं ।

11.7 राज्य सरकारों से निधियों की पहली और उत्तरवर्ती निर्मुक्ति के साथ किए जाने वाले कार्यकलापों और उनकों जारी रखने अथवा पूरा करने के संभावित समय की अनुसूची प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि परियोजना प्रगति मानीटरिंग दक्षता से की जा सके । उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि क्षेत्रीय स्तर पर, एक उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र यथास्थान रखा जा सके और सीसीडी योजनाएं इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के पर्यवेक्षण के अधीन कार्यान्वित की जा सके ।

11.8 **कार्यान्वयन एजेंसीः** यह योजना समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई टी डी पी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए), जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) तथा गैर सरकारी संगठनों, के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

डोंगरिया कोंड़ोस हेतु हस्तशिल्प प्रशिक्षण

11.9 **वित्तपोषण पद्धति :** यह एक 100% क्षेत्र की योजना है । निधियां सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार एक किस्त में राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की जाती हैं । गैर-सरकारी संगठनों के पक्ष में निधियां, सीसीडी योजना के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे निर्मुक्त की जाती है ।

11.10 **मानीटरिंगः** सीसीडी योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मानीटर किया जाना अपेक्षित है । मंत्रालय के पास किसी भी समय मानीटरिंग और प्रगति को सुधारने के लिए प्रपत्र अथवा दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है। इस रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों को शामिल करना भी अपेक्षित होता है ।

हिल कोरवा, पीटीजी, जिला जासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा अधिकृत क्षेत्र में मिट्टी के बांध का निर्माण प्रभाव - धान का आश्वस्त उत्पादन

जनश्री बीमा योजना

11.11 वर्ष 2004-05 के दौरान मंत्रालय ने समस्त आदिम जनजातीय समूहों के प्रत्येक परिवार से एक अर्जक सदस्य को भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने का निर्णय लिया और यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों के भीतर समस्त आदिम जनजातीय समूहों के प्रत्येक परिवार को इसमें शामिल कर लिया जाए । वर्ष 2004-05 के लिए मंत्रालय ने 16 राज्यों के एक लाख अर्जक परिवारों का योजना के अंतर्गत बीमा कराने के लिए 5 करोड़ रुपए, वर्ष 2005-06 के दौरान 15 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र के 2 लाख ऐसे अर्जक परिवारों के लिए 10.00 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की । वर्ष 2006-07 के दौरान पीटीजी परिवारों के 1.095 लाख अर्जक सदस्यों को कवर करने के लिए 5.48 करोड़ रुपए की राशि 9 राज्यों को

निर्मुक्त की गई है। वर्ष 2004-05 से जनश्री बीमा योजना के तहत जोड़े गए लाभार्थियों और जारी की गई राशि के विवरण **अनुबंध- 23** में दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी

1) दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 50,000 रुपए का भुगतान;

2) सामान्य मृत्यु की अवस्था में बीमित व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 20,000 रुपए;

3) आंशिक अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपए; एवं

4) बीमित व्यक्ति के 9वीं कक्षा में और उससे ऊपर तक पढ़ने वाले दो बच्चों को 300 रुपए प्रति तिमाही शिक्षा अनुदान ।

11.12 आबंटन : दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पीटीजी की विकास योजना के अंतर्गत किया गया वार्षिक आबंटन तथा आबंटन की तुलना वर्ष 2007-08 में 31.12.2007 तक की गई निर्मुक्तियां तालिका 10.1 में दी गई हैं :-

तालिका 10.1 : 10वीं योजना तथा 2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान निधियों का आबंटन तथा निर्मुक्ति

वर्ष	आबंटन	निर्मुक्ति
2002-03	20.00	13.75
2003-04	20.00	16.13
2004-05	21.50	21.06
2005-06	24.75	22.77
2006-07	31.50	31.32
2007-08 (31.12.2007 तक)	40.00	34.00

11.13 वर्ष के दौरान निष्पादन : सीसीडी योजनाओं के आधार पर, 2007-08 के दौरान (31.12.2007 तक) 7 राज्यों को 34.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं । बजट के राज्य शीर्ष के अंतर्गत निधियों की अनुपलब्धता के कारण अन्य राज्यों को निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं । मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और निधियां प्राप्त करने के लिए मामले को योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया है । 10वीं योजना और 2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-14** पर है ।

अध्याय-12

अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

अनुसंधान

12.1 अनुसूचित जनजातियों जैसे अति महत्वपूर्ण मानवशास्त्रीय मूल्यों से संबंधित विषयों में अनुसंधान के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है । जैसाकि इस प्रकार के अनुसंधान कई संगठनों, यथा-भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय इस प्रकार के अनुसंधानों को सीमित स्तर तक निधियां देने को महत्वपूर्ण मानता है । मंत्रालय की अनुसंधान योजना के निम्नलिखित तीन घटक हैं-

1. राज्य और केन्द्र के मध्य 50:50 के आधार पर जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान ।.

2. जनजातीय विकास के विभिन्न पहलुओं मे 100% के आधार पर अनुसंधान फेलोशिप देना ।

3. अखिल भारतीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की परियोजनाओं को समर्थनः अखिल भारतीय या अन्तर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता अनुदान अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने तथा जनजातीय मुद्दों से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करने के लिये संस्थाओं/संगठनों/विश्वविद्यालयों को 100% के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता - अनुदान

12.2.1 आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, तथा त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में इस योजना के अधीन अब तक स्थापित 18 जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं।

12.2.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को जनजातीय अनुसंधान संस्थान के पक्ष में प्रशासनिक लागत सहित अपने व्यय पूरे करने के लिए 50% केन्द्रीय अंश तथा संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान निर्मुक्त करता है। अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्थापित जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने अभी कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है ।

12.2.3 ये संस्थान राज्य सरकारों को योजनाएं बनाने में सहायता करने, अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों का संचालन, आंकड़े एकत्र करने, प्रशिक्षण संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित कर पारम्परिक कानूनों का प्रलेखन करके, जनजातीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना करके सहायता करने के कार्य में लगे हुए हैं ।

12.2.4 मंत्रालय जनजातीय कला, शिल्प एवं वास्तु संस्कृति के संरक्षण हेतु जनजातीय अनुसंधान की गतिविधियों के भाग के रूप में इसके (जनजातीय अनुसंधान संस्थान के प्रांगण) में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण को भी समर्थन देता है ।

आबंटन :

12.2.5 वर्ष 2007-08 के लिए बजट अनुमान 7.00 करोड़ रु. है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1.00 करोड़ रु. शामिल हैं। संघ राज्य क्षेत्र की टीआरआई के लिए बजट अनुमान 2007-08 के लिए 0.26 करोड़ रु. है। दसवीं योजना के दौरान और ग्याहरवीं योजना में 31.12.07 तक जारी धन राशि का विवरण **अनुबंध XXV** में दिया गया है।

अखिल भारतीय या अन्तर्राज्यीय प्रकृति की सहायक परियोजनाएं-

12.3.1 यह योजना 1979-80 से चल रही है । यह महसूस किया गया है कि अध्ययन, सेमिनार/ कार्यशालाओं और जनजातीय साहित्य को प्रकाशित करने के माध्यम से जनजातीय मुद्दों, समस्याओं और विकास की योजनाओं एवं कार्यों के बारे में लोगों में ज्ञान का प्रसार किया जाए । इस योजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 100% आधार पर गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैः

1. अनुसंधान एवं विकास अध्ययन
2. अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रमों से संबंधित कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रसार एवं
3. जनजातीय विकास पर साहित्य का प्रकाशन ।

योजना और सहायता की राशि ऊपरी दिशा में संशोधन के लिए विचाराधीन है।

सहायता की प्रकृतिः

12.3.2 अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है । प्रत्येक परियोजना के लिये अनुसंधान अनुदान अधिकतम 2.50 लाख रूपए है जिसे 8 से 12 माह में पूरा किया जाना होता है ।

12.3.3 **प्रस्ताव प्रस्तुत करना** : अनुसंधान/ मूल्यांकन अध्ययन करने की इच्छुक संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालय को इस योजना

के दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन करना होता है और मंत्रालय की बेवसाइट www.tribal.gov.in पर डालना होता है ।

12.3.4 **संवीक्षा एवं स्वीकृति :** परियोजना के प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और उनका चयन अनुसंधान सलाहकार समिति करती है । समिति में जनजातीय कार्य/विकास के क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं और उसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव/उप निदेशक की अध्यक्षता में किया जाता है ।

12.3.5 इस योजना के अन्तर्गत अनुसंधान के परिणामों के प्रसार महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाने में सहायक कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के आयोजन, समस्यात्मक क्षेत्रों और जनजातीय मुददों एवं विकास के पहलुओं के विकास के वृहत क्षेत्र की पहचान के लिए संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविधालयों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है । प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और चयन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव/उप महानिदेशक की अध्यक्षता में स्थापित मंत्रालय के भिन्न प्रभागों के अधिकारियों से गठित आंतरिक चयन समिति द्वारा किया जाता है ।

12.3.6 **सहायता की प्रकृति :** संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित प्रतिमान पर अनुदान दिए जाते हैं :

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	**धनराशि रु. में**
एक दिन के लिए	50,000/-
दो दिन के लिए	75,000/-
तीन दिन के लिए	1,00,000/-

2007-08, के दौरान संपूर्ण देश में आयोजित किए जाने वाली संगोष्ठियां, कार्यशालाओं के 18 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया । जनजातियों, विकास एवं जनजातियों के बीच परिवर्तन इत्यादि से संबंधित पर्यावरण, स्वास्थ्य, जनजातीय महिलाओं के अधिकार, लैंगिक मुद्दों के क्षेत्रों में चयनित प्रमुख विषयों में वर्ष 2007-08 के दौरान प्रायोजित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों की सूची **अनुबंध-26** पर है ।

प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान

12.3.7 जनजातीय मुददों/विकास से संबधित हाल में किए गए अनुसंधान कार्य के प्रकाशन के लिए संस्था या व्यक्तिगत अनुसंधानकर्त्ता को प्रकाशन अनुदान दिए जाते हैं। एक परियोजना/पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000 रू. की सहायता दी जाती है ।

निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन

12.4.1 इस योजना की शुरूआत वर्ष 2005-06 में की गई । इस योजना के अधीन, अनुसूचित

जनजातियों के कल्याणार्थ एवं विकासार्थ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन विशिष्ट एजेंसियों द्वारा होता है तथा मंत्रालय द्वारा 100% अनुदान दिए जाते हैं । वर्ष 2005-06 के दौरान इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित संस्थानों/संगठनों को मूल्यांकन अध्ययन कार्य सौंपे गए:

1. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान एवं जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना में मूल्यांकन हेतु वाटर एंड पावर कनसलटेंसी सविर्सेज लिमिटेड, नई दिल्ली (डब्ल्यूएपीसीओएस) को

2. "अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान " की योजना के आंकलन हेतु टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), मुम्बई को

3. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना अध्ययन आदिम जनजातीय समूह की योजना, अनुसूचित जनजातियों हेतु कोचिंग एवं संबद्ध योजना, अनुसूचित जनजाति लड़के तथा लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण, महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर की सहायता योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली को

4. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना तथा आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली को दिया गया।

12.4.2 उपर्युक्त अध्ययनों के लिए अध्ययन रिपोर्टें प्राप्त कर ली गई हैं और सिफारिशों पर अगली कार्रवाई करने के लिए ऊपर उल्लिखित योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए संबंधित प्रभागों को भेज दी गई हैं।

सूचना तथा जनसंचार माध्यम

12.5.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचना तथा जनसंचार के कार्यक्रमों के अंतर्गत जनजातीय जीवन पर उनकी संस्कृति, परंपराओं, शिक्षा तथा सामाजिक - आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं सहित एवं मंत्रालय की कल्याण योजनाओं पर फिल्में और वृत्त-चित्र बनवाए । यह आशय है कि जनजातियों का एक वैज्ञानिक तथा शोधपूर्ण तरीके से प्रलेखन किया जाए जिसमें मुख्य रूप से उनके भौगोलिक फैलाव, जनसांख्यिकीय, ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक ब्यौरों, आर्थिक स्थितियों, लोक नृत्यों आदि का उल्लेख हो ताकि इन्हें मंत्रालय के संदर्भ रिकार्ड के रूप में रखा जा सके और आम जनता में भी सूचना का प्रचार-प्रसार किया जा सके ।

12.5.2 दूरदर्शन-1 पर "जनजातीय दर्पण " नामक कार्यक्रम के माध्यम से मंत्रालय द्वारा निर्मित वृत्तचित्रों को प्रत्येक शुक्रवार प्रातः 9.00 बजे साप्ताहिक प्रसारण किया जा रहा है।

12.5.3 जनजातीय जागरण इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तिमाही सूचनापत्र है जिसमें मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों की सूचना दी जाती है और सूचना प्रसारित करने के लिए इसकी प्रतियां जनजातीय जनसंख्या वाली पंचायतों तक भेजी जाती हैं।

12.5.4 "प्रकृति " कहे जाने वाले राष्ट्रीय जनजातीय पर्व का आयोजन 5 से 7 दिसम्बर, 2007 को किया गया, यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय का

राष्ट्रीय जनजातीय त्यौहार ''प्रकृति'' के दौरान नृत्य प्रदर्शित करते हुए जनजातीय नृत्य दल

संयुक्त उद्यम था। राष्ट्रीय जनजातीय पर्व में देश के विभिन्न भागों से 21 जनजातीय नृत्य और संगीत मंडलियों ने भाग लिया।

12.5.5 राष्ट्रीय स्तर की फोटो प्रतियोगिता जनजातियों के रंगीन जीवन के विभिन्न पहलुओं को अनावरित करने के लिए, जनजातीय कार्य

एटर्निटी - श्री बुद्धादेव साहा द्वारा प्रथम पुरस्कृत फोटो

"साउंड ऑफ हर्ट" - श्री शैलेश निगम द्वारा द्वितीय पुरस्कृत फोटो

" वर्ल्ड कप ।।" - श्री प्राणबेंदु समाजपति द्वारा तृतीय पुरस्कृत फोटो

मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो प्रभाग के सहयोग से चालू वर्ष अर्थात 2007-08 से एक राष्ट्रीय स्तर की फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया है । इस फोटो प्रतियोगिता के माध्यम से, उनकी जीवन शैली के सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक संघटकों को स्पष्ट करने के लिए एक प्रयास किया गया है । भविष्य में जनजातियों के जीवन के असाधारण पहलुओं को खोजने के लिए तथा प्रदर्शन, संप्रेषण और मनोरंजन के कलात्मक रूप में उन्हें कैद करने के लिए ऐसी फोटो प्रतियोगिताएं सभी शौकीन और जनजातीय फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करेंगी । देशभर में सभी प्रतियोगिताओं से प्राप्त 1949 प्रविष्टियों की जबर्दस्त प्रतिक्रिया में से, विशेषज्ञ अभिनिर्णायकों (जूरी) ने 13 पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रविष्टियों को चुना और अन्य 111 फोटोग्राफ प्रदर्शनी में दिखाने के लिए चुने गए । पहले तीन विजेताओं को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 5 दिसम्बर, 2007 को जनजातीय पर्व "प्रकृति" के दौरान नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया । पश्चिम बंगाल, बर्द्धवान से श्री बुद्धदेव साहा ने अपनी फोटोग्राफ "एटर्निटी" (शाश्वत) के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया ।

यह फोटो प्रदर्शनी "मेघदूत ओपन एयर थियेटर" रवीन्द्र भवन कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली की फोटो गैलरी में आयोजित की गई । ये फोटोग्राफ आगे

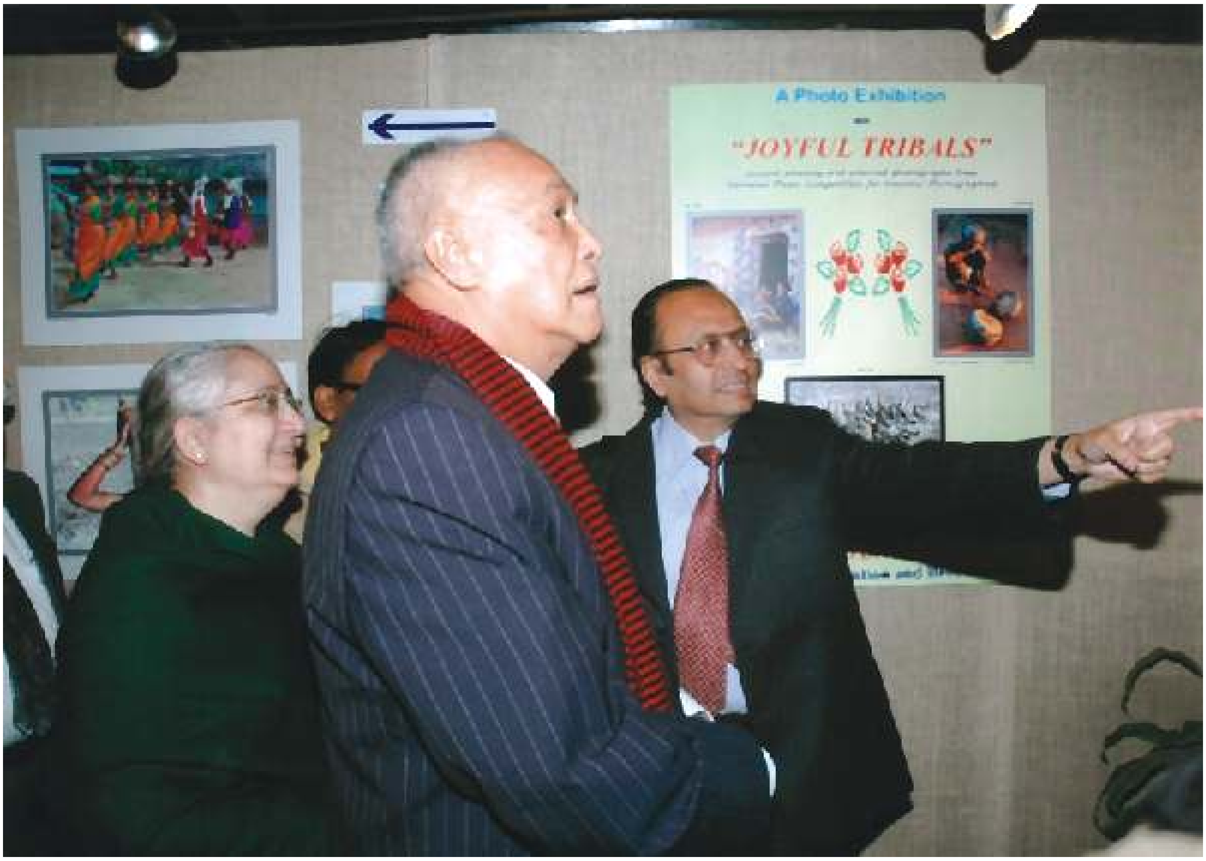

श्री पी.आर. किन्डिया को प्रदर्शनी के बारे में बताते हुए सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय

भी सक्रिय जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा तथा कहीं और भी प्रदर्शनियों द्वारा प्रयोग में लाए जा सकेंगे ।

जनजातियों द्वारा परस्पर भ्रमण

12.6.1 **लक्ष्य :** इस योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों/प्रतिनिधियों को विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क संबंधी यात्राओं को आयोजित करना है जिससे वे कृषि, पशुपालन, गैर काष्ठीय जंगली उत्पादों एनटीएफपी के प्रसंस्करण, रेशम प्रसंस्करण, लघु उद्योगों आदि में अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली नवीनतम तकनीकों से परिचित हो सकें। यह योजना खेल या सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के लिए देश के विभिन्न भागों की जनजातियों के मेल-मिलाप पर भी विचार करती है। देश के एक भाग के जनजातीय समूह का देश के दूसरे भाग में प्रस्तुतियों के माध्यम से मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक बंधनों को सुनिश्चित करने और साथ ही आदिवासियों में निहित प्रतिभाओं को निखारने और संवारने में दूरगामी प्रभाव पड़ने की आशा है। भ्रमण की अवधि यात्रा समय को छोड़कर 10 दिन की होती है। राज्यों को ऐसे भ्रमण आयोजित करने के लिए उत्साहित किया जाता है।

12.6.2 इस योजना के अनुसार 10 जनजातीय व्यक्तियों के एक दल/समूह में 3 महिलाएं तथा स्थानीय निकाय या पंचायतों के 3 चुने हुए सदस्य अनिवार्य रूप में शामिल होते हैं । एक समूह में एक

केरल "जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान टीम" यात्रा शुरू करने के लिए तैयार

जनजातीय समुदाय के 4 से अधिक व्यक्ति नहीं होगें । उनके साथ गृह राज्य से एक आरक्षी अधिकारी होगा । कोई भी व्यक्ति एक यात्रा से अधिक के लिए चुने जाने का पात्र नहीं है । ये सहभागी 3-टायर ए सी से यात्रा करते हैं और आवास और यात्राओं का प्रबंध मेज़बान राज्य द्वारा किया जाता है। इस यात्रा के दौरान भाग लेने वालों को 150 रुपए प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता है । राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया गया व्यय मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाता है, बशर्ते यह निर्धारित मानकों के अनुसार हो।

12.6.3 **वित्तपोषण पद्धतिः** मंत्रालय 100% आधार पर सहायता देता है ।

12.6.4 **आबंटनः** वर्ष 2007-08 के लिए बजट अनुमान 0.30 करोड़ रुपए था ।

अध्याय - 13

पूर्वोत्तर पर ध्यान

पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय विकास

13.1 योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों के लिए अपने बजट आबंटन का कम से कम 10% निर्धारित करना आवश्यक है । इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के विकास के लिए निधियों का आबंटन कर रही है । सामान्यतया 10% से अधिक धनराशि आबंटित की जाती है ।

13.2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है । मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान भी सीधे देता है । जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) की योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को अनुदान को छोड़कर राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर तथा योजनाओं के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के अनुसार सभी योजनाओं के अंतर्गत अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं । मंत्रालय ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त करते समय पूरा ध्यान रखता रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों को इन योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन का कम से कम 10% का प्रवाह सुनिश्चित करता है।

13.3 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत की गई निर्मुक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-28 में दर्शाया गया है । यह सूचना नीचे दी गई आकृति 13क में दी गई है :

आकृति 13(क) : केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में की गई निर्मुक्तियां

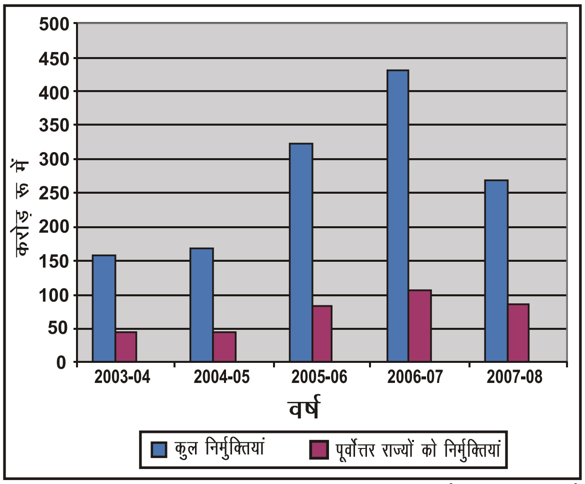

(31.12.2007 तक)

13.4 वित्तीय वर्ष 2007-08 (31.12.2007 तक) के लिए इसी प्रकार के आंकड़े अनुबंध-29 में दिए गए हैं।

13.5 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन वर्षवार निधियों के प्रवाह का प्रतिशत नीचे दिए आकृति 13ख में दर्शाया गया हैः

आकृति 13(ख) : केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सिक्किम व पूर्वोत्तर राज्यों को निधियों के प्रवाह की प्रतिशतता

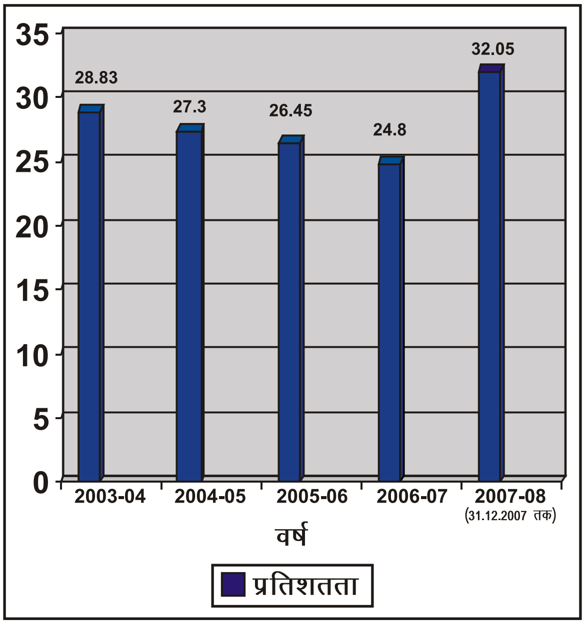

अध्याय -14

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

14.1 "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" सार्वजनिक प्राधिकारियों पर सूचना तक पहुंच तथा कुछ निश्चित श्रेणियों की सूचना को प्रकाशित करने हेतु अधिकार सौंपने का दायित्व प्रदान करता है।इस अधिनियम के अंतर्गत लोक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी के पद सृजित करें, जो सूचना के लिए प्राप्त अनुरोधों का निपटान करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा जो लोग सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उनकी सहायता करेंगे । इस अधिनियम के अंतर्गत 30 दिन की समय सीमा के भीतर सूचना हेतु अनुरोधों का निपटान करना होगा ।

14.2 इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में जनजातीय कार्य मंत्रालय में कार्यरत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों का विवरण अनुबंध-30 में दिया गया है । इन अधिसूचनाओं (यथा संशोधित) को इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर दिया गया है ।

14.3 इसी प्रकार की अधिसूचनाएं/ नियम पुस्तिकाएं (1) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड); (2) नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी); और (3) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रकाशित की हैं और उन्हें अपने-अपने संगठनों की वेबसाइट पर दी हैं तथा इनको मंत्रालय की वेबसाइट से लिंक किया गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 31.12.2007 तक प्राप्त आवेदनों तथा उनके दिए गए उत्तर के विवरण निम्नोक्त हैं :

सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदनों की संख्या	: 197
उत्तर दिए गए आवेदनों की संख्या	: 186

अध्याय - 15

प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति

15.1 स्वतंत्रता प्राप्ति से, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, विभिन्न संरक्षणात्मक कानूनों , पर्याप्त विकासात्मक शुरूआतों, जनजातीय उप योजना (टीएसपी) दृष्टिकोण और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम (पेसा) 1996, अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक दशाओं में केवल सीमान्त रूप से ही सुधार हुआ है। अनुसूचित जनजाति के मानव विकास सूचकांक शेष जनसंख्या की तुलना में बहुत ही निम्न है । साक्षरता स्तरों में अंतर और शिशु मृत्यदर काफी अधिक है ।अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के अधिक परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं । इस प्रकार, उनकी दशा शेष जनसंख्या की तुलना में बहुत ही दयनीय है और विकास के उस परिकल्पित स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं, जहां पहुंचकर वे तेजी से बढ़ रही अर्थ व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले नए अवसरों से लाभान्वित हो सकते हैं ।

15.2 ऊपर उल्लिखित के अलावा जनजातियों के लिए प्रमुख चिंता के विषय इस प्रकार हैंः जनजातीय अर्थ व्यवस्था की क्षमता में कमी, जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों में घटिया अवसंरचना, जनजातीय क्षेत्रों में निजी उद्यम और सार्वजनिक–निजी भागीदारी, जो रोजगार सृजन कर सकता है, की कमी; वन घोषणा की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण काश्तकारी असुरक्षा, बेदखली का भय, परंपरागत अधिकारों का धीरे–धीरे समाप्त होना और जनजातियों के कष्टों से निकापता जा रहा उच्चभूमि; विकासात्मक गतिविधयों के कारण विस्थापन; उनकें प्राकृतिक आवास एवं उनकी भूमि से उन्हें बेदखल किया जाना तथा पैसा अधिनियम की भावना के अनुरूप कानुन एवं नियम बनाने के लिए अधिकतर राज्य सरकारों की अनिच्छा।

15.3 यद्यपि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा उनकी सुरक्षा हेतु अनेक प्रावधान करता है तथा अनेक केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियम, दस्तावेज तथा घोषणाएं, जिनका एक समान उद्देश्य है, विद्यमान हैं, परन्तु, अनुसूचित जनजातियों के समेकित एवं समग्र रूप में विकास एवं सुरक्षा से संबंधित कोई एक नीति नहीं है।

15.4 निम्नत्तर कम एचडीआई, घटिया आधारभूत अवसंरचना; प्राकृतिक संसाधन आधार पर घटता नियंत्रण, अपने रहने के स्थान से बेदखल होने का निरंतर बना हुआ भय, समाज की प्रमुख धारा से अलग-थलग और संपदा और अवसरों के वितरण

में असमानता और गैर -सशक्तिकरण तथा संविधान के प्रावधानों का अपर्याप्त कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं के निदान तथा विकास कार्यों में उनकी सक्रियता और सुनिश्चित सहभागिता का सुनिश्चय करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातियों की चिंताओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों को समाहित करते हुए *प्रारूप राष्ट्रीय जनजाति नीति* तैयार की है ।

15.5 यह नीति संविधान में निहित सिद्धांतों तथा पेसा अधिनियम, 1996 से शक्ति प्राप्त करती है । साथ ही यह नीति जनजातियों की रीति-रिवाज एवं उनकी संस्कृति की शक्ति की पहचान करती है एवं इसके आधार पर विश्लेषणात्मक ढंग से विकासात्मक प्रक्रिया का निर्माण करती है ।

15.6 इस नीति में प्रमुख विषय जनजातीय भूमि का असंक्रमण; जनजातीय वन अंतरापृष्ठ , विस्थापन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास; मानवीय विकास सूचकांक में वृद्धि; महत्वपूर्ण अवस्थापना का निर्माण; उग्र अभिव्यक्ति; विशेषकर आदिम जनजाति समूह (पीटीजी) की सुरक्षा एवं सरंक्षण, जनजातीय उपयोजना रणनीति को अपनाना; सशक्तिकरण योजना; स्त्री-पुरूष समानता; गैर सरकारी संगठनों के समर्थन का सूचीकरण; जनजातीय संस्कृति एवं परम्परागत ज्ञान; जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियामक एवं सुरक्षात्मक रेजिम; जनजातियों का सूचीकरण व गैर सूचीकरण आदि से संबंधित है ।

15.7 प्रारूप नीति का इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया तथा जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा संबोधित एक प्रेस कान्फ्रेंस में इसकी प्रतियां मीडिया के सदस्यों को वितरित की गई । साथ ही मंत्रालय की वेबसाईट के माध्यम से देश की जनता को इससे अवगत कराया गया और इसकी प्रतियां केन्द्रीय मंत्रियों , भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र प्रशासनों, विद्धानों, स्वैच्छिक संगठनों, नृविज्ञानियों तथा सामाजिक कार्यकत्ताओं एवं विशेषज्ञों, जो जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु कार्यरत हैं तथा अन्य हितधारियों को उनकी टिप्पणी तथा उनके सुझाव हेतु वितरित की गईं ।

15.8 बड़े पैमाने पर परामर्श किए गए । मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ने सभी 11.10.2006 को नीति की जांच की और उस पर चर्चा की गई । नीति के अंतिम प्रारूप को अनुमोदनार्थ केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नीति को राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के प्रावधानों के साथ समन्वित करने और विचार करने हेतु गृह मंत्री श्री शिवराज वी. पाटिल की अध्यक्षता के अधीन मंत्रियों के समूह के पास भेज दिया । अब तक मंत्रियों के समूह की तीन बैठकें की जा चुकी हैं । नीति अभी भी मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है ।

अध्याय 16

अनुसूचित जनजातियों का विस्थापन, पुनर्स्थापना और पुनर्वास

16.1 कई दशकों से राष्ट्र निर्माण के प्रयोजन से जनजातीय क्षेत्रों से प्राकृतिक संसाधनों का सतत रूप से दोहन हो रहा है । अनुसूचित जनजाति के पारम्परिक निवास स्थानों में बड़े पैमाने पर विद्यमान देश के संसाधन समृद्ध क्षेत्रों को पूरे देश के संसाधनों के रूप में देखा जा रहा है और राष्ट्र के लिए इनका दोहन हो रहा है दुर्भाग्य से यह कार्य के वन भूमि के लिए नाम मात्र की धनराशि से क्षतिपूर्ति प्रदान करके स्थानीय निवासियों, मुख्यतः अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का हनन करके किया जा रहा है । जनजातीय समुदायों को उनके निवास स्थान, गृह भूमि खंड-खंड कर दी गई है । उनकी संस्कृति विघटित कर दी गई है, उनके समुदायों को छिन्न-भिन्न कर दिया गया है , संसाधनों के स्वामी और भली प्रकार सुगठित संतुष्ट समुदाय शहरी भीड़ में मजदूर बन गए हैं , भविष्य अनिश्चित जीवन चुनौतिपूर्ण बन गया है ।

16.2 चूंकि जनजातीय भूमि समान्यतया अहस्तांतरणीय है, भूमि बाजार अविकसित है तथा जनजातीय क्षेत्रों में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का मूल्य अत्यंत कम है, अतएव क्षतिपूर्ति की दर जो सांकेतिक बाजार मूल्य पर आधारित होता है, अनुचित है । परियोजना के कार्यान्वयन के उपरांत भूमि का मूल्य व्यापक रूप से बढ़ जाता है । फलस्वरूप, आवश्यकता से अधिक भूमि अधिगृहित करने की प्रकृति होती है, खनन कंपनियां विशेषतया आमतौर पर आवश्यकता से काफी अधिक भूमि अधिगृहित करती हैं ।

16.3 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 31.10.2007 को अधिसूचित नई पुनःस्थापना एवं पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति, 2007 (एनआरआरपी), में जनजातियों से संबंधित कुछ मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है, जिनमें मुआवजा पैकेज शामिल हैं और इसमें पैसा अधिनियम, 1996 के अनुसार ग्राम संभाओं के परामर्श का महत्व पहचाना जाता है, फिर भी ऐसे कुछ मुद्दों हैं जो छूट गए हैं और इन्हें नई पुनःस्थापना एवं पुनर्वास नीति 2007 के साथ प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति के अंतर्गत प्रावधानों के साथ सुम्मेलित करने के लिए मंत्रियों के समूह द्वारा विचार में लिया जा रहा है।

अध्याय 17

जेंडर संबंधी मामले

17.1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गई है, बल्कि राज्यों को भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद के उपाए अपनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकासात्मक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति करना रहा है । राट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के अधिनियम द्वारा 1990 में किया गया था ताकि महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकदारिता का संरक्षण किया जा सके । भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) में किए गए प्रावधान के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के लिए आरक्षण किया गया है । इस व्यवस्था से स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान किया गया है ।

17.2. किसी भी देश समग्र समाजार्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है । इसलिए, सामान्य रूप से महिलाओं का दर्जा बढ़ाना और विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं का दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से बल्कि यह एक रणनीतिक दृष्टि से भी आवश्यक है ।

17.3. जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति चिंतित है । अनुसूचित जनजातियां अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन और अलग-थलगता होने के कारण एक समूह के रूप में कष्ट झेलते हैं । मंत्रालय की प्रमुख नीतियों का लक्ष्य तद्नुसार, अनुसूचित जनजाति के पुरूषों और महिलाओं, दोनों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है । तथापि, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अक्सर अधिक नुकसान उठाती हैं । इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सामान्य योजनाओं से महिलाओं को समान रूप से लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के प्रयास करते समय कुछ विशेष योजनाएं भी बनाई हैं, जो अनुसूचित जनजाति महिलाओं और लड़कियों के लिए ही हैं, **अनुबंध-3** ।

17.4. मंत्रालय द्वारा भारतीय संविधान की धारा 275 (1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता दी जाती है। मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जाता है जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जनजातीय लड़कियों और

महिलाओं के उन्नयन पर केन्द्रित हैं, ताकि वे आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिता सकते हैं।

17.5 अनुसूचित जनजातियों में निम्न महिला साक्षरता एक विशेष चिंता की बात होने के कारण 1993-94 में 136 जिलों में जनजातीय क्षेत्रों, में महिला साक्षरता विकास के लिए निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना" योजना की शुरूआत की गई थी । 1991 में महिला साक्षरता 10 प्रतिशत से भी कम थी । इसके अतिरिक्त, महिला साक्षरता की प्रतिशतता की ओर कोई ध्यान दिए बिना ही, आदिम जनजातीय समूहों से संबंधित क्षेत्रों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था । इस योजना का कार्यान्वयन गैर सरकारी संगठनों, सरकारी स्वायत्त निकायों और पंजीकृत सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना करने के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करता है । एक परिसर 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए होता है और इसका दर्जा बढ़ाकर कक्षा 12 तक करने का प्रावधान भी किया गया है । प्रत्येक कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं की संस्था 30 निश्चित की गई है । इन शैक्षणिक परिसरों में न केवल जनजातीय लड़कियों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है, बल्कि छात्राओं को कृषि, पशुपालन और बहुत से अन्य व्यवसायों और शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि उनके आय सृजन कौशल में सुधार हो सके । छात्राओं के माता-पिता को अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजने के लिए 50/- रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं । वर्ष 2007-08 के दौरान यह योजना संशोधनाधीन है ।

17.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने की योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों को शेष देश के बराबर लाने के लिए अपेक्षित क्रिटिकल अवसंरचना के सृजन और उन्नयन से संबंधित विशिष्ट परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं । योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार , " किसी योजना की आयोजना से लेकर उसके कार्यान्वयन तक महिलाओं की भागीदारी सहित परियोजनाएं/योजनाएं तैयार करने में महिलाओं को प्रभावित करने वाली चिन्तनीय बातों /मुद्दों को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए । परियोजनाएं इस प्रकार बनायी जानी चाहिए कि परियोजनाओं से महिलाओं को पर्याप्त कम से कम 30% लाभ मिले ।

17.7 तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण की योजना और 1989-90 में शुरू की गई लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना का 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक योजना में विलय हो गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उन जनजातीय छात्रों को छात्रावास प्रदान करके जनजातीय छात्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना है जो आर्थिक दृष्टि से गरीब और शिक्षा संस्थान उनके गांवों से सुदूर होने के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने की स्थिति में नहीं होते हैं । मिडिल कक्षा से

लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्रों के लिए नए छात्रावासों के निर्माण विद्यमान छात्रावास भवनों का विस्तार करने के लिए इस योजना में प्रावधान किया गया है। यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत छात्रावास भवन के निर्माण की लागत केन्द्र और राज्य 50:50 के अनुपात में बराबर -बराबर वहन करते हैं। संघ शासित क्षेत्र के मामले में, केन्द्रीय सरकार भवन की पूरी लागत वहन करती है। वर्ष 2005-06 में, दिल्ली विश्वविद्यालय में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से आने वाली छात्राओं के लिए एक 500 सीटों वाले छात्रावास के निर्माण का अनुमोदन किया गया है। इसमें 40 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होंगी। कार्य प्रगति पर है।

17.8 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आय सृजन के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जनजातीय महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए " आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना" नामक योजना प्रारंभ की हैं।

17.9 वर्ष 2001-02 में "जनजातियों द्वारा दौरों का आदान-प्रदान" की योजना शुरू की गई है ताकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोग 10-12 दिन की अवधि के लिए देश के अन्य भागों का दौरा कर सकें। यह मंत्रालय पूरा व्यय वहन करेगा। योजना के अनुसार 10 जनजातीय लोगों के प्रत्येक दल/समूह में कम से कम तीन महिलाएं सम्मिलत होंगी। इससे उनके संदर्श को व्यापक बनाया जा सकेगा और देश में हो रहे विकास के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जा सकेगी।

17.10 जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी कुछ योजनाओं में 5% लड़कियों अथवा महिलाओं का मूल्यांकन करने के लिए विशेष ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 50% सीटें अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए होती हैं। एम.फिल से पीएच.डी के) राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत यूएसी को निर्देश जारी किए गए हैं कि 50% छात्रवृत्तियां महिलाओं को प्रदान करने के प्रयास किए जाएं। प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ शासित क्षेत्र से दो जनजातीय लोगों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य एक महिला और एक पुरुष को भेजे।

17.11 "विशेष क्षेत्र के अंतर्गत, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए समुदाय आधारित आय सृजनकारी कार्यकलाप/ दिशानिर्देशों में यह अनुबंध है कि निधियों का 30% "महिला संघटक, के लिए अलग रखा जाना है और महिला लाभार्थियों के आय सृजनकारी कार्यकलापों के लिए खर्च किया जाना है।"

अध्याय 18

महालेखा नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

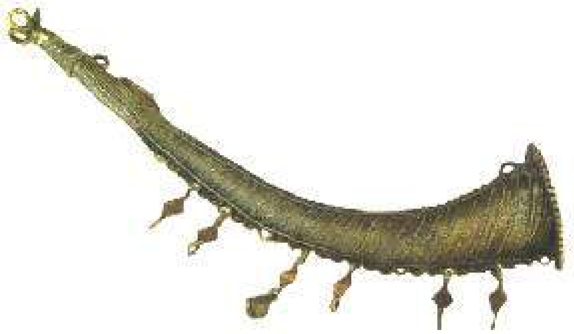

18.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्तूबर, 1999 में हुआ । मंत्रालय की पहली लेखा परीक्षा अप्रैल-मई, 2004 में हुई तथा उसके बाद दूसरी लेखा परीक्षा अप्रैल-मई, 2005 में की गई । तीसरी लेखा परीक्षा अप्रैल-मई, 2006 में हुई थी ।

18.2 महानिदेशक (लेखापरीक्षा) से जुलाई, 2005 में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 25 पैराग्राफों, जो वर्ष 2004 तथा 2005 की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप समाधान के लिए लंबित थे, में से 9 पैराग्राफों के संबंध में समाधान कर लिया गया था और 16 पैराग्राफ लंबित थे ।

18.3 उपर्युक्त 16 पैराओं के अतिरिक्त अप्रैल-मई, 2006 में की गई लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 7 नए पैराग्राफ (विवरण नीचे दिया गया है) शामिल किए गए हैं:

पैरा संख्या-1: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

पैरा संख्या-2: "जनश्री बीमा योजना" के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना

पैरा संख्या-3 : निष्पादन समीक्षा न कर पाना

पैरा संख्या-4 : आंतरिक लेखापरीक्षा न कर पाना

पैरा संख्या-5 : अनुदान पंजी का अनुचित रखरखाव

पैरा संख्या-6 : संपत्ति का अभिलेख नहीं रखा गया है

पैरा संख्या-7 : अभिलेखों की अप्रस्तुति

18.4 इन लेखा परीक्षा पैराग्राफों पर कार्रवाई चल रही है ।

18.5 वर्ष 2007-08 के दौरान, लोकसभा सचिवालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को केन्द्र सरकार के लेखों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2007 की सं. 1) के पैरा 8 में निहित लेखापरीक्षा पैरा के संबंध में पृष्ठभूमि टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया है । इस संबंध में 29.10.2007 और 1.1.2008 को आवश्यक कार्रवाई की गई ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय
संगठन चार्ट

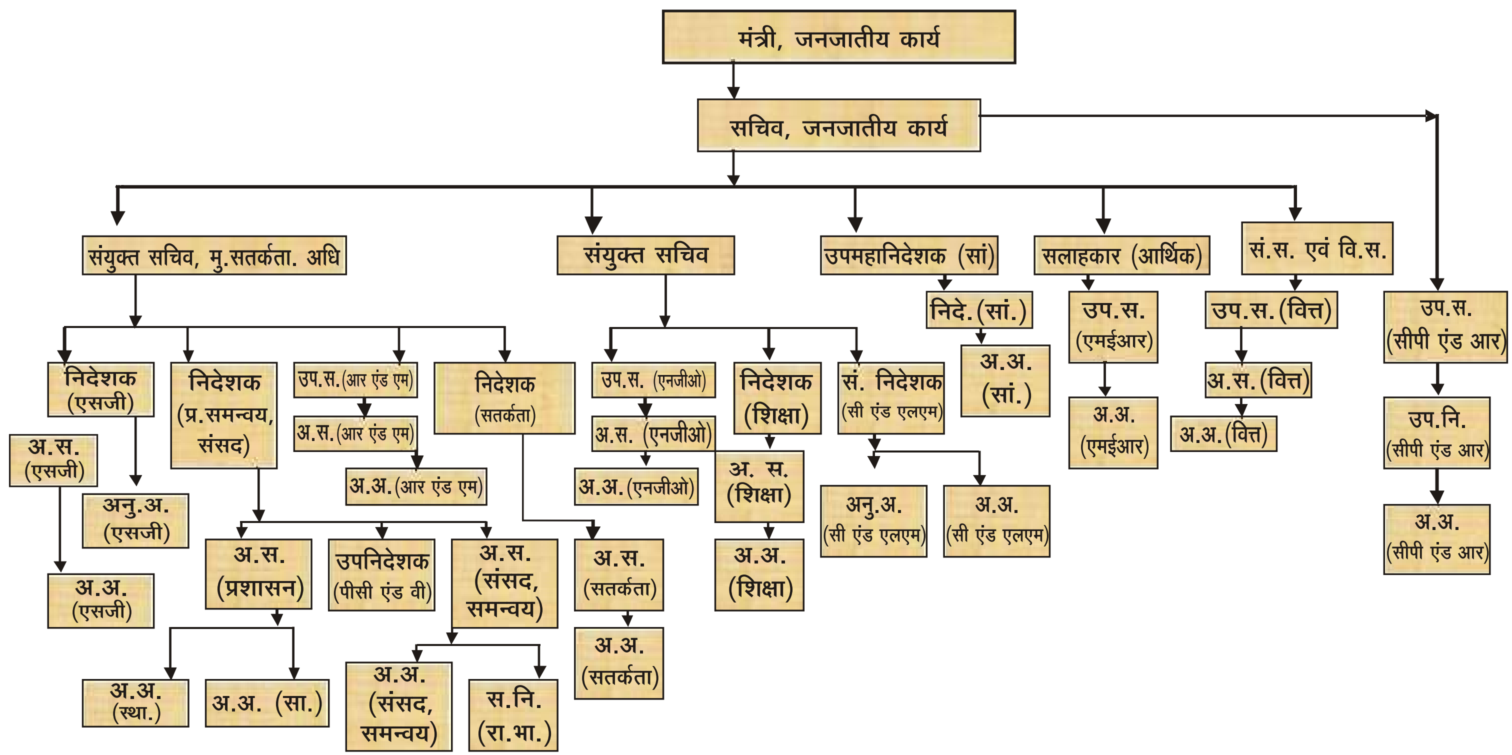

एसजी : राज्य अनुदान
प्रशा0 : प्रशासन
पीसी एंड वी : संसद, समन्वय एवं सतर्कता
सीपी एंड आर : सहकारी विपणन एवं विनियम

एनजीओ : गैर-सरकारी संगठन
शि. : शिक्षा
सीएलएम एंड आर : संवैधानिक एवं विधायी मामले एवं अनुसंधान

वि. : वित्त,
सा. (सामान्य)
स्था. : स्थापना
रा.भा. : राजभाषा

सं.नि. : संयुक्त निदेशक
अ.स. : अवर सचिव
उप.नि. : उपनिदेशक
स.नि. : सहायक निदेशक
अ.अ. : अनुभाग अधिकारी

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बजट आबंटन, संशोधित आबंटन तथा व्यय

(करोड़ रुपए में)

मुख्य शीर्ष	उप-योजनाओं के ब्यौरे	योजनाएं/कार्यक्रम	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06			2006-07		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2225	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	कोचिंग और सम्बद्ध योजनाओं और अनुकरणीय सेवा सहित अनुसूचित जनजाति के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	31.00	31.00	30.4866	30.00	25.21	26.903	30.00	29.00	29.3008	22.00	22.00	26.1087	24.00	26.77	30.7670
2225	अनुकरणीय सेवा के लिए गैर-सरकारी संगठनों को विशेष प्रोत्साहन					0.50	0.43		0.50	0.50		0.35	0.35		0.50	0.50	
2225	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं				0.1498	0.50	0.43	0.00	0.50	0.50	0.1377	0.40	0.40	0.1949	0.50	0.20	0.1976
	2225 का कुल		**31.00**	**31.00**	**30.6364**	**31.00**	**26.07**	**26.903**	**31.00**	**30.00**	**29.4385**	**22.75**	**22.75**	**26.30**	**25.00**	**27.47**	**30.9646**
3601	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं		**0.95**	**0.95**	**0.25**	0.95	0.80	**0.00**	**0.95**	**0.35**	0.43	0.60	0.60	0.60	0.90	0.53	0.5018
3602	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजनाएं		**0.05**	**0.00**	**0.00**	0.05	0.05	**0.00**	**0.05**	**0.05**	0.02	0.05	0.05	0	0.10	0.00	0.0
	2225,3601,3602 का कुल		**32.00**	**31.95**	**30.8878**	**32.00**	**26.92**	**26.90**	**32.00**	**30.40**	**29.8885**	**23.40**	**23.40**	**26.90**	**26.00**	**28.00**	**31.4664**
2225	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	6.00	3.00	2.3044	4.00	2.00	1.1801	4.00	1.50	0.5654	1.40	1.40	0.7341	1.50	1.50	1.4989
3601			6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.0001	4.50	4.50	4.50	4.00	4.00	4.85	4.00	6.50	6.9999
	कुल		**12.00**	**7.00**	**6.3044**	**8.00**	**6.00**	**5.1802**	**8.50**	**6.00**	**5.0654**	**5.40**	**5.40**	**5.5841**	**5.50**	**8.00**	**8.4988**
2225	जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	**8.00**	**7.00**	**6.00**	**8.00**	**6.00**	**5.7482**	**8.50**	**8.00**	**7.6793**	**6.00**	**6.00**	**6.00**	**32.00**	**8.00**	**7.9130**
2225	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन/निवेश	6.00	6.00	5.95	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.98	8.98
4225	ट्राइफेड में निवेश		0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	4.01	0.01	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	कुल		**6.01**	**6.01**	**5.95**	**6.01**	**6.01**	**6.00**	**10.01**	**6.01**	**6.00**	**10.00**	**4.00**	**4.00**	**10.00**	**8.98**	**8.98**
3601	लघु उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम	लघु उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम	**14.00**	**14.00**	**15.00**	**18.00**	**4.50**	**4.50**	**18.00**	**8.00**	**8.00**	**10.80**	**10.80**	**12.84**	**16.00**	**16.00**	**17.9129**
2225	ग्राम अन्न बैंक	ग्राम अन्न बैंक	**20.00**	**10.00**	**9.1882**	**30.00**	**1.50**	**1.0724**	**32.50**	**0.50**	0	0	0	0			
2225	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	6.00	5.00	5.00	6.00	4.75	4.75	6.00	6.00	5.8014	3.75	3.75	3.75	4.00	4.00	3.8879
3601			14.00	8.75	8.75	14.00	11.38	11.38	15.50	15.50	15.5000	21.0	21.0	19.0241	27.50	27.50	27.4308
	कुल		**20.00**	**13.75**	**13.75**	**20.00**	**16.13**	**16.13**	**21.50**	**21.50**	**21.3014**	**24.75**	**24.75**	**22.7741**	**31.50**	**31.50**	**31.3187**

मुख्य शीर्ष	उप-योजनाओं के ब्यौरे	योजनाएं/कार्यक्रम	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06			2006-07		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
4225	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को समर्थन	32.00	32.00	33.00	37.50	14.54	13.50	31.00	31.00	20.00	23.50	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00
4225	राज्य जनजाति वित्त एवं विकास निगम				2.20			3.79	4.50	4.50	4.75	3.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	कुल				35.20			**17.29**	**35.50**	**35.50**	**24.75**	**27.00**	**0.00**	**0.00**	**11.50**	**0.00**	**0.00**
4225	आदिवासी भवन का निर्माण	आदिवासी भवन का निर्माण							**7.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.005**
2225	जनजातीय संस्कृति का उन्नयन	जनजातीय संस्कृति का उन्नयन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.01	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
3601			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
	2225 : 3601 का कुल		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.50**	**0.02**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	0.15	0.10	0.0105	0.05	0.02	0.00	0.05	0.05	0.00	0.50	0.05	0.0237	0.08	0.04	0.0330
2225	पुस्तक बैंक					0.10	0.01	0.00	0.10	0.10							
2225 का कुल			**0.15**	**0.10**	**0.0105**	**0.15**	**0.03**	**0.00**	**0.15**	**0.15**	**0.00**	**0.50**	**0.05**	**0.0237**	**0.08**	**0.04**	**0.0330**
3601	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		68.34	37.99	53.8805	53.95	48.39	66.42	62.95	75.85	101.350	229.15	187.04	210.15	188.20	220.20	255.00
3601	पुस्तक बैंक					1.40	2.03		1.40								
3601	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए प्रतिभा उन्नयन की योजना					0.99	0.83	0.7688	0.99	0.99	0.3903	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50
3601 का कुल			**68.34**	**37.99**	**53.8805**	**56.34**	**51.25**	**67.1888**	**65.34**	**76.84**	101.74	**230.15**	**188.04**	**211.15**	**189.70**	**221.70**	**256.500**
	2225 तथा 3601 का कुल		**68.49**	**38.09**	**53.8910**	**56.49**	**51.28**	**67.189**	**65.49**	**76.99**	**101.74**	**230.65**	**188.09**	**211.174**	**189.78**	**221.74**	**256.533**
2225	लड़कियों के छात्रावास	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	3.00	0.50	0.00	1.00	0.84	2.3063	1.00	1.00	1.00		1.65	1.65	11.00	8.41	5.4091
2225	लड़कों के छात्रावास				0.00	2.00	1.68		2.00	2.00	2.00						
2225 का कुल			**3.00**	**0.50**	**0.00**	**3.00**	**2.52**	**2.3063**	**3.00**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**1.65**	**1.65**	**11.00**	**8.41**	**5.4091**
3601	लड़कियों के छात्रावास		21.00	13.50	6.34	12.00	9.29	15.8392	12.00	10.00	10.00		14.00	14.00	20.00	20.00	22.70
3601	लड़कों के छात्रावास				7.16	9.00	7.57		9.00								
3601 का कुल			**21.00**	**13.50**	**13.50**	**21.00**	**16.86**	**15.8392**	**21.00**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**14.00**	**14.00**	**20.00**	**20.00**	**22.70**
	कुल 2225 तथा 3601		**24.00**	**14.00**	**13.50**	**24.00**	**19.38**	**18.146**	**24.00**	**13.00**	**13.00**	**0.00**	**15.65**	**15.65**	**31.00**	**28.41**	**28.1091**
2225	आश्रम स्कूलों की स्थापना	आश्रम स्कूलों की स्थापना	0.50	0.50	0.00	0.50	0.42	0.00	0.50	0.50	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.50	0.00	0.0
3601			13.50	9.50	9.50	13.50	6.58	6.47	13.50	5.50	5.50	**0.00**	**6.00**	**6.00**	15.50	15.50	15.50
	कुल		**14.00**	**10.00**	**9.50**	**14.00**	**7.00**	**6.47**	**14.00**	**6.00**	**5.50**	**0.00**	**6.00**	**6.00**	**16.00**	**15.50**	**15.50**

3

मुख्य शीर्ष	उप-योजनाओं के ब्यौरे	योजनाएं/कार्यक्रम	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06			2006-07		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2225	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (प्रभारित)	अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार व अन्य				0.50	0.30	0.00	0.50	0.50	0	0.40	0.00	0.00	0.05	0.30	0.00
2225	अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय प्रकृति या अंतर्राज्यीय प्रकृति की समर्थक योजनाएं					0.50	1.25		0.50	0.50		0.40	0.40		0.50	0.70	
	निगरानी एवं मूल्यांकन		7.00	5.00	4.3419	0.00	0.10	2.6954	0.50	0.20	1.0839	0.30	0.30	1.6681	0.50	0.30	1.8050
2225	सूचना एवं मास मीडिया					1.50	1.50		1.50	1.50		0.75	0.60		0.50	1.00	
2225	जनजातीय त्यौहारों का आयोजन					0.50	0.10		0.50	0.01		0.30	0.30		0.30	0.23	
2225	जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान प्रदान					0.50	0.30		0.50	0.50		0.75	0.40		0.50	0.30	
2225	**का कुल**		**7.00**	**5.00**	**4.3419**	**3.50**	**3.55**	**2.6954**	**4.00**	**3.21**	**1.0839**	**2.90**	**2.00**	**1.6681**	**2.35**	**2.83**	**1.8050**
3601	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण		**3.50**	**2.00**	**2.00**	**3.50**	**2.94**	**2.5340**	**3.50**	**2.00**	**2.00**	**2.20**	**2.20**	**2.2001**	**4.65**	**5.10**	**5.10**
	कुल 2225 तथा 3601		**10.50**	**7.00**	**6.3419**	**7.00**	**6.49**	**5.2294**	**7.50**	**5.21**	**3.0839**	**5.10**	**4.20**	**3.8682**	**7.00**	**7.93**	**6.9050**
2225	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति											**7.95**	**7.95**	**7.95**	**15.90**	**15.90**	**15.90**
2552	पूर्वोत्तर के लिए एकमुश्त प्रावधान	पूर्वोत्तर के लिए एकमुश्त प्रावधान (राजस्व)	29.00	18.00	0.00	25.25	17.25	0.00	28.25	25.00	0.00	36.00	33.00	0.00	44.50	44.00	0.00
4522		पूर्वोत्तर के लिए एकमुश्त प्रावधान		3.20	0.00	3.75	2.75	0.00	3.75	0.25	0.00	3.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
	2552 तथा 4552 का कुल		**29.00**	**21.20**	**0.00**	**29.00**	**20.00**	**0.00**	**32.00**	**25.25**	**0.00**	**39.00**	**33.00**	**0.00**	**45.00**	**44.00**	**0.00**
2225	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	3.00	3.00	2.5901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3601			497.00	497.00	497.00	497.00	461.30	461.30	497.00	497.00	497.00	727.01	688.82	688.82	816.71	816.71	816.71
	कुल		**500.00**	**500.00**	**499.590**	**497.00**	**461.30**	**461.30**	**497.00**	**497.00**	**497.00**	**727.01**	**688.82**	**688.82**	**816.71**	**816.71**	**816.71**
3601	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**252.70**	**252.70**	**330.00**	**330.00**	**330.00**	**380.00**	**380.00**	**380.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**
	सूचना प्रौद्योगिकी	सूचना प्रौद्योगिकी					**0.25**	**0.047**	**1.00**	**0.06**	**0.0555**	**0.75**	**0.75**	**0.3895**	**2.00**	**2.00**	**1.9783**
	कुल		**1090.00**	**1012.00**	**1005.1034**	**1087.00**	**900.00**	**893.9045**	**1146.00**	**1069.45**	**1053.0640**	**1498.82**	**1398.82**	**1391.95**	**1656.90**	**1652.68**	**1647.7302**

अनुबंध - 3

2007-08 के दौरान महिला लाभार्थियों को कवर करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उप-योजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर बजट अनुमान 2007-08 (करोड़ रुपए में)	अभिज्ञेय, मापनीय और निरीक्षणीय परिणाम/उपलब्धियां	31.12.2007 तक प्राप्त लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं					
1	जनजातीय क्षेत्रों के कम साक्षरता वाले पॉकेटों में महिला साक्षरता के विकास के लिए शैक्षिक परिसर	जनजातीय क्षेत्रों के कम साक्षरता वाले पॉकेटों में महिला साक्षरता के विकास के लिए शैक्षिक परिसर	19.75	वित्तपोषित शैक्षिक परिसरों की संख्या तथा लाभान्वित जनजातीय लड़कियों की संख्या	यह योजना अन्नय रूप से अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए है। दिनांक 31.12.2007 तक 7775 जनजातीय लड़कियों को कवर करते हुए 59 शैक्षिक परिसरों को वित्तपोषित किया गया है तथा 8.71 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।
2	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	35.00	(1) सहाय्यित लाभार्थियों की संख्या (2) क्षेत्रवार सृजित भौतिक संपत्ति; (क) कृषि एवं सम्बद्ध; (ख) औद्योगिक; (ग) (सेवाएं)	दिनांक 31.12.2007 तक एनएसटीएफडीसी ने विभिन्न आय सृजित कार्यकलापों, विपणन समर्थन सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल 28.50 करोड़ रूपए आहरित किया, जिनमें से 10.88 करोड़ रूपए महिलाओं पर खर्च किए गए और कुल लाभार्थी महिलायें 61616 हैं।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उप-योजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर बजट अनुमान 2007-08 (करोड़ रुपए में)	अभिज्ञेय, मापनीय और निरीक्षणीय परिणाम/उपलब्धियां	31.12.2007 तक प्राप्त लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	अनुसूचित जनजातीय छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पुस्तक बैंक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	201.24	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने (क) समूह 1; (ख) समूह 2; (ग) समूह 3 और (घ) समूह 4 को पूरा कर लिया है ।	31.12.2007 तक 141.80 करोड़ रूपए जारी की गयी है। इनमें 47.79 करोड़ रूपए लड़कियों पर खर्च होने की सम्भावना है । 31.12.2007 तक कुल प्रत्याशित लाभार्थियों की संख्या 1052078 हैं जिनमें से 356328 प्रत्याशित लाभार्थियों में सभी समूहों में अध्ययनरत लड़कियां है।
4	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	37.00	(1) निर्मित छात्रावासों की क्षमता (2) अधिभोग दर	31.12.2007 तक 35.28 करोड़ रूपए खर्च हुए । जिनमें 14.87 करोड़ रूपए लड़कियों के 45 छात्रावास के लिए शामिल हैं ।
5	अनुसंधान सूचना तथा जनशिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य	जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	9.50	सहाय्यित लाभार्थियों की संख्या	अलग-अलग आकड़ा उपलब्ध नहीं है। फिर भी योजना में यह प्रावधान है कि 10 व्यक्तियों के हर ग्रुप में 3 महिलाएं हों ।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उप-योजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर बजट अनुमान 2007-08 (करोड़ रुपए में)	अभिज्ञेय, मापनीय और निरीक्षणीय परिणाम/उपलब्धियां	31.12.2007 तक प्राप्त लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	600.00	(1) सहाय्यित अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों की संख्या (2) अवयव-वार भौतिक संपत्ति/ निर्मित अवसर (क) कृषि/ बागवानी-हैक्टेयर में (ख) वाटरशेड विकास/ भूमि तथा आर्द्रता संरक्षण - हैक्टेयर में (ग) पशुपालन - संख्या में; (ड.) वन ग्रामों का विकास - 1500; (च) उद्यमशिलता विकास - सहाय्यित व्यक्तियों की संख्या (छ) सभी अवयवों में कवर किए गए महिलाओं की प्रतिशतता;	2006-07 हेतु लाभार्थी** संलग्न सूची के अनुसार है। (परिशिष्ट-1 से अनुलग्नक-4 तक) । 2007-08 में 31.12.2007 तक लाभार्थियों के विषय में सूचना राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजी गई है। 31.12.2007 तक 563.08 करोड़ रुपए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 563.08 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं । जिनमें से योजना के प्रावधान के अनुसार 168.92 करोड़ रुपए महिला लाभार्थियों पर खर्च होने की सम्भावना है । तथापि जैसाकि इस वर्ष के दौरान परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, परियोजनाओं की समाप्ति के बाद 12 महीनों के पश्चात अगले वर्ष के दौरान परिमाणीय परिणाम/ उपलब्धियों का आकलन किया जाएगा ।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उप-योजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर बजट अनुमान 2007-08 (करोड़ रुपए में)	अभिज्ञेय, मापनीय और निरीक्षणीय परिणाम/उपलब्धियां	31.12.2007 तक प्राप्त लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				राज्य द्वारा चलाई गई परियोजनाओं के प्रकार पर लक्ष्य एवं परिणाम निर्भर करेंगे तथा सभी परियोजनाओं की स्वीकृति/क्रियान्वयन के उपरांत ही परिणाम निर्धारित किए जा सकते हैं।	
7	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत योजना	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत योजना	400.00	लाभार्थी शैक्षिक भवनों की संख्या, अन्य निर्मित भवनों की संख्या, स्थायी रोड़ बनाए गए – कि.मी., निर्मित पुलों/पुलियों की संख्या, रोधक बांध एवं जल ठहराव तथा अन्य निर्मित संरचना, लघु सिंचाई में सुधार (हैक्टेयर में) बिजली का प्रावधान (घरों/समुदाय की सं.) रोधक बांध तथा जल ठहराव संरचनाओं जैसी संरचनाओं के माध्यम से लघु सिंचाई में सुधार, एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल (ईएमआरएस),	योजना के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि परियोजना की योजना इस प्रकार बनाई जाए कि इसका ठोस लाभ, अनुपात में कम से कम 30% महिलाओं के लिए लक्षित हो । अवस्थापना विकास तथा लघु सिंचाई के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों की समाप्ति परियोजनाओं के क्रियान्वयन अवधि पर निर्भर करता है । उपलब्धियों की रिपोर्ट करने का कम से कम समय एक वर्ष है । इसलिए वर्ष अर्थात् 2007-08 के दौरान स्वीकृत कार्यों के लिए उपलब्धि देना व्यवहार्य नहीं है ।

टिप्पणीः जनजातीय कार्य मंत्रालय की 16 योजनाओं में से उपर्युक्त योजनाएं महिला विकास और अधिकारिता पर विशेष जोर देते महिलोन्मुखी बजटिंग के लिए रेखांकित है ।

जनसांख्यिकीय आंकड़े : जनगणना, 2001

क्र.सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या 1991	कुल जनसंख्या 2001	दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	अनु.जन. जनसंख्या 1991	अनु.जन. जनसंख्या 2001	दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का %	भारत की कुल अजजा जनसंख्या की तुलना में राज्य में अजजा का %
0	भारत	838,583,988	1,028,610,328	22.66	67,758,380	84,326,240	24.45	8.2	
1	आंध्र प्रदेश	66,508,008	76,210,007	14.59	4,199,481	5,024,104	19.64	6.6	5.96
2	अरुणाचल प्रदेश	864,558	1,097,968	27.00	550,351	705,158	28.13	64.2	0.84
3	असम	22,414,322	26,655,528	18.92	2,874,441	3,308,570	15.10	12.4	3.92
4	बिहार	86,374,465	82,998,509		6,616,914	758,351		0.9	0.90
5	छत्तीसगढ़		20,833,803			6,616,596		31.8	7.85
6	गोवा	1,169,793	1,347,668	15.21	376	566	50.53		0.07
7	गुजरात	41,309,582	50,671,017	22.66	6,161,775	7,481,160	21.41	14.8	8.87
8	हरियाणा	16,463,648	21,144,564	28.43					
9	हिमाचल प्रदेश	5,170,877	6,077,900	17.54	218,349	244,587	12.02	4.0	0.29
10	झारखंड		26,945,829			7,087,068		26.3	8.40
11	कर्नाटक	44,977,201	52,850,562	17.51	1,915,691	3,463,986	80.82	6.6	4.11
12	केरल	29,098,518	31,841,374	9.43	320,967	364,189	13.47	1.1	0.43
13	मध्य प्रदेश	66,181,170	60,348,023		15,399,034	12,233,474		20.3	14.51
14	महाराष्ट्र	78,937,187	96,878,627	22.73	7,318,281	8,577,276	17.20	8.9	10.17
15	मणिपुर	1,837,149	2,166,788	17.94	632,173	741,141	17.24	34.2	0.88
16	मेघालय	1,774,778	2,318,822	30.65	1,517,927	1,992,862	31.29	85.9	2.36
17	मिजोरम	689,756	888,573	28.82	653,565	839,310	28.42	94.5	1.00

क्र.सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या 1991	कुल जनसंख्या 2001	दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	अनु.जन. जनसंख्या 1991	अनु.जन. जनसंख्या 2001	दशकीय वृद्धि प्रतिशत में	राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का %	भारत की कुल अजजा जनसंख्या की तुलना में राज्य में अजजा का %
18	नागालैंड	1,209,546	1,990,036	64.53	1,060,822	1,774,026	67.23	89.1	2.10
19	उड़ीसा	31,659,736	36,804,660	16.25	7,032,214	8,145,081	15.83	22.1	9.66
20	पंजाब	20,281,969	24,358,999	20.10	0				
21	राजस्थान	44,005,990	56,507,188	28.41	5,474,881	7,097,706	29.64	12.6	8.42
22	सिक्किम	406,457	540,851	33.06	90,901	111,405	22.56	20.6	0.13
23	तमिलनाडु	55,858,946	62,405,679	11.72	574,194	651,321	13.43	1.0	0.77
24	त्रिपुरा	2,757,205	3,199,203	16.03	853,345	993,426	16.42	31.1	1.18
25	उत्तरांचल		8,489,349			256,129		3.0	0.30
26	उत्तर प्रदेश	139,112,287	166,197,921		287,901	107,963		0.1	0.13
27	पश्चिम बंगाल	68,077,965	80,176,197	17.77	3,808,760	4,406,794	15.70	5.5	5.23
28	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	280,661	356,152	26.90	26,770	29,469	10.08	8.3	0.03
29	चंडीगढ़	642,015	900,635	40.28	0				
30	दादरा व नगर हवेली	138,477	220,490	59.22	109,380	137,225	25.46	62.2	0.16
31	दमन व दीव	101,586	158,204	55.73	11,724	13,997	19.39	8.8	10.20
32	दिल्ली	9,420,644	13,850,507	47.02	0	NST			
33	लक्षद्वीप	51,707	60,650	17.30	48,163	57,321	19.01	94.5	0.07
34	पांडिचेरी	807,785	974,345	20.62	0				
35	जम्मू व कश्मीर		10,143,700			1,105,979		10.9	1.31
	जोड़	**838,583,988**	**1,028,610,328**		**67,758,380**	**84,326,240**			

* मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के बाद वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तरांचल जैसे राज्यों का गठन किया गया था ।

शिशु लिंग अनुपात (0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या)

क्र.सं.	राज्य	1991 की जनगणना			2001 की जनगणना		
		कुल	सामान्य	अजजा	कुल	सामान्य	अजजा
	भारत 1, 2	945	940	985	927	919	972
	भारत 2	945	940	985	927	919	973
1	जम्मू व कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	941	939	979
2.	हिमाचल प्रदेश	951	945	966	896	876	955
3.	पंजाब	875	865	गै.अजजा.	798	767	गै.अजजा.
4.	चंडीगढ़	899	889	गै.अजजा.	845	834	गै.अजजा.
5.	उत्तरांचल	949	945	973	908	899	955
6.	हरियाणा	879	875	गै.अजजा.	819	807	गै.अजजा.
7.	दिल्ली	915	912	गै.अजजा.	868	861	गै.अजजा.
8.	राजस्थान	916	910	958	909	897	950
9.	उत्तर प्रदेश	927	926	967	916	911	973
10.	बिहार	953	950	983	942	938	975
11.	सिक्किम	965	960	973	963	963	964
12.	अरुणाचल प्रदेश	982	993	976	904	940	976
13.	नागालैंड	993	916	1003	964	919	969
14.	मणिपुर	974	979	968	957	955	959
15.	मिजोरम	969	988	969	964	909	966
16.	त्रिपुरा	967	954	984	966	956	981
17.	मेघालय	986	949	991	973	963	974
18.	असम	975	973	990	965	966	962
19.	पश्चिम बंगाल	967	967	983	960	958	981
20.	झारखंड	979	973	993	965	955	979
21.	उड़ीसा	967	951	998	953	938	979
22.	छत्तीसगढ़	984	978	996	975	962	998
23.	मध्य प्रदेश	941	929	987	932	915	979
24.	गुजरात	928	916	988	883	865	966
25.	दमन व दीव	958	966	911	926	923	983
26.	दादरा व नगर हवेली	1013	1005	1018	979	911	1009
27.	महाराष्ट्र	946	940	982	913	903	965
28.	आंध्र प्रदेश	975	972	978	961	957	972
29.	कर्नाटक	960	957	970	946	941	961
30	गोवा	964	964	1122	938	937	915
31.	लक्षद्वीप	941	1138	936	959	1057	957
32.	केरल	958	957	961	960	961	974
33.	तमिलनाडु	948	943	955	942	937	945
34.	पांडिचेरी	963	962	गै.अजजा.	967	962	गै.अजजा.
35	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	973	981	897	957	957	956

1. 2001 से जम्मू एवं कश्मीर शामिल नहीं है क्योंकि 1991 की जनगणना जम्मू एवं कश्मीर में नहीं कराई गई थी ।
2. 2001 में मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओमारन एवं पुरुल उप-मंडल शामिल नहीं हैं ।

कुल में सामान्य, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या शामिल है

उ.न. - उपलब्ध नहीं, गै.अजजा. - गैर-अनुसूचित जनजाति

सामान्य - अजा/अजजा जनसंख्या से अलावा, अजजा - अनुसूचित जनजाति

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश

क्र.सं	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिन पर लागू हैं
1	2	3	4
1	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संख्या 1950(सी.ओ.22)	6-9-1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
2	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 (सी.ओ. 33)	20-9-1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 (सी.ओ. 58)	31-3-1959	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
4	संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातीय ओदश, 1962 (सी.ओ. 65)	30-6-1962	दादरा व नगर हवेली
5	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 (सी.ओ.78)	24-6-1967	उत्तर प्रदेश
6	संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सी.ओ.88)	23-7-1970	नागालैंड
7	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 (सी.ओ.111)	22-6-1978	सिक्किम
8	संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 (सी.ओ. 142)	7-10-1989	जम्मू व कश्मीर

हरियाणा और पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार सूची

I आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध, **साधु आन्ध**
2. बगता
3. भील
4. चेन्चू
5. गदाबास, **बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कालायी गडाबा, परांगी गडाबा, कोयेरा गडाबा, कापु गडाबा**
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, **कोईतुर**
7. गोंडू (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलाम, **कोलवार**
13. कोन्डा धोरस, **कुबी**
14. कोन्डा कापस,
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोधू, देस्या कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंद्य, मेनिती कोंद्य, **कुविंगा**
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, सनरोना, सिद्वोपाइको
18. कोय, **डोली कोया, गुटटा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया,** राजा, रश कोया, लिन्गाधारी, कोया (सामान्य), कोहू मीने, कोया, राजकोया
19. कुलिया,
20. मालिस (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेडाक, नालगोड़ा निजामाबाद और वारंगल जिलों को छोड़ कर)
21. मन्ना ढ़ोरा
22. मुक्खा ढोहा, नोका ढ़ोरा,
23. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
24. परधान
25. पारेजा, पारंगी पेरजा
26. रेड्डी ढोरा,
27. रोना, रेना,
28. सवारस कपूसवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस,
29. सुगालिस, लम्बादिस, **बंजारा**
30. थोती (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेडक, नालगोडा, निजामबाद और वारंगल जिलो में)
31. वाल्मीकि **(विशाखापटनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)**
32. येनादिस, **चेल्ला येनादी, मांची येनादी, कपाला येनादी रेड्डी येनादी**
33. येरूकुल, **कोरचा डब्बा येरूकुला, कुंचापुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला**
34. **नक्काला, कुरविकरन**
35. **धुलिया, पैको, पुतिया (विशाखापटनम और विजयनगरम जिलों में)**

II. अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य की सभी जनजातियां

1. अबोर
2. आका
3. अपतानी
4. डफला
5. गालोंग
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिशमी, **इदु तारांव**
9. मोम्बा
10. कोई भी नागा जनजातियां
11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. **हरुसो**
14. **तागिन**
15. **खम्बा**
16. **आदि**

III. असम

**कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों में :-

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हजोंग
5. हमार
6. खासी जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लेंगंगम्
7. निम्नलिखित सहित कोई भी कूकी जनजाति :–
   (1) विआत, बिएत
   (2) चांगसान
   (3) छोगलाइ
   (4) डुंगेल,
   (5) गमाल्हू
   (6) गंगते
   (7) गुइते,
   (8) हन्नेग
   (9) हाओकिप हाउपिट,
   (10) हओलाई
   (11) हेंगना
   (12) होंगसुंग
   (13) हरंखवाल, रंगखोल,
   (14) जोगबी
   (15) खाओचुंग
   (16) खावाथलांग खोतालोंग
   (17) खेलमा
   (18) खोल्हू
   (19) किपजेन
   (20) कूकी
   (21) लेग थांग
   (22) ल्हांगम
   (23) ल्होउजेम
   (24) ल्होउत्युन
   (25) लुपहेंग
   (26) मांग जेल

(27) मिसाओ
(28) रियांग
(29) साइरचेम
(30) सेलनाम
(31) सिंगसन
(32) सिथल्होउ
(33) सुकेइ
(34) यादो
(35) थांगनगेऊ
(36) उइबुह
(37) बाइफेक

8. लाखेर
9. मान (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई)जनजाति
11. **करबी**
12. कोई भी नागा जाति
13. पावी
14. सिंथेग
15. **लालुंग**

**II असम राज्य में कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों को छोड़कर तथा बोडो भूमि टेरिटोरियल क्षेत्र जिला सहित :–

1. कचार में बरमन
2. बोरी, बोरोकचारी
3. देओरी
4. होजाइ
5. कचारी, सोनावाल
6. लालुंग
7. मेच,
8. मिरि
9. राभा
10. दीमासा
11. हजोंग
12. सिंगफो
13. खम्पती
14. गारो

IV बिहार

1. असुर, अगारिया
2. बइगा
3. बनजारा
4. बाथूडी
5. बेदिया
6. **हटा दिया गया**
7. बिनझिया
8. बिरहोर
9. बिरजिया
10. चेरो
11. चिक बारिक
12. गोंड
13. गोरइत
14. हो
15. करमाली
16. खारिया, **घेलकी, खारिया, दुघ खारिया, हिल खारिया**
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान , **नगेशिया**
20. कोरा, **मुडी कोरा**
21. कोरवा
22. लोहारा लोहरा,
23. महली
24. माल पहाडिया, **कुमारबाग पहाडिया**
25. मुंडा, **पतार**
26. ओरान, **धनगर ओरांव**
27. परहइया
28. सन्ताल
29. सउरिया पहारिया
30. सवार
31. **कवार**
32. **कोल**
33. **थारू**

V छत्तीसगढ़

1. अगारिया
2. अन्ध
3. वैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्रा
7. भील, भेलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीआर
11. बीन्जवार
12. विरहुल, विरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धनवार
15. गडावा, गाडबा
16. अराक, अराख, अगेरिया, अगारिया, आसुर, वादी मारिया, वादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियावूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डीमी मरिया, धुरू, धुर्वा, धोवा, धुलिया, डोरर्ला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मरिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कवेटार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मरयिा, कूचिका मरिया, मडिया, मरिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोंगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राझ, सोनझारी झरका, थाटिया, थोटिया, वादी मरिया, भादी मरिया, दरोई
17. हल्वा, हल्वी
18. कमार
19. करकु
20. कवर कैवर, कौर, छेरवा, राथिया तॅवर, छत्री
21. खैरवार, कोन्दार
22. खैरिया
23. कोन्घ्, खोन्द, कन्घ
24. कोल
25. कोलम
26. कोकरू बोपची, भेउआसी, नाहुल बोन्घी, बोन्देया
27. कोरवा, कोड़ाकू
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुण्डा

32. नागेसिया, नागासिया
33. ओरान धानका,, धनराड
34. पाओ
35. प्रधान, पाथरी, सरोटी
36. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, टंकिया
(1) बसतर, दांतेवाडा, कांकेर, रायगढ, जसपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिला और
(2) कोटगोडा, पाली, करतला और कोरवा जिले की कोरवा तहसील
(3) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले का तख्तपुर तहसीलें
(4) दुर्ग पाटनगुंडनडेही, धांदा, बलोद, गुरर और दुर्ग जिले के डोंडिल होडा तहसील
(5) चौकी, मानपुर और राजनंदगांव जिले का मोहाला रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर
(6) महासमुंद, सरायपाली और महासमुंद जिले की बसना तहसील
(7) बिंदरानावगढ रजीम और रायपुर जिले के देवभोग तहसील
(8) धमतरी, कुर्द और धमतरी जिले का सिहावा तहसील
37. परजा
38. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सोसिआ, सोर
39. साओन्ता, साउन्ता
40. साउर
41. सावार, सावारा
42. सोंर

VI. गोवा

1. धोदिया
2. दुबला (हलोअती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिद्धी (नायका)
5. वरली
6. कुन्बी
7. गवडा
8. वेलिप

VII. गुजरात

1. बारदा
2. बवाछा, बमाछा
3. भारवाड (अलेचा, बारदा और गिर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील डुंगरी गरासिया, मेवासी भील यगालिया, भीलाला पावरा, वासावा, बसाए, रावल भील, तडवी भीलध भगालिया
5. छारन (एल्वा वारदा और गिर के जंगलों में)
6. चौधरी (सूरत औेर बलसाद जिलों में)
7. चौधारा
8. धानका, ताडवी, तेतारिया, वाल्वी
9. धोदिया, **धोदी**
10. दुबला, तलावइया, हलपाती
11. गाामित गामता, गावित मावछी, पादवी
12. गोंड राजगोंड
13. कथोडी, कतकारी, ढ़ोर कतकारी, सोन, कठोदी कथकारी, सोन कतकारी
14. कोकना , कोकनी कुकना
15. **हटा दिया गया**
16. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
17. कुनबी (डांग जिले में)
18. नायकडा, नायका, चोली वाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
19. पधार
20. **हटा दिया गया**
21. परघी अदवीचिंचर, फान्से पारघी (अमरेली, भावनगर, नामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट, और सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
22. पटेलिया,
23. पोमला
24. रबारी (अलेच्छ, बरादा और गिर के जंगलों में)
25. राथवा
26. सिद्दी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ राजकोट, और सुन्दरनगर जिलों में)
27. **हटा दिया गया**
28 वरली
29. विटोलिया, कोतवालिया, बरोदिया
30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
31. तडवी भील, बावरा, वसावे,
32. पदवी

VIII. हिमाचल प्रदेश

1. भोत, बोध
2. गद्दी (लाहोल और स्थिति जिलों के अलावा पंजाब पुर्नगठन एक्ट, 1966 (1966 का 31) के उपखण्ड (1)के खण्ड 5 में उल्लिखित क्षेत्रों के अतिरिक्त)
3. गुज्जर (पंजाब पुर्नगठन एक्ट 1966 (1966 के 31)के तहत उल्लिखित क्षेत्रों के अतिरिक्त)
4. जाड, लाम्वा, खाम्पा
5. कनउख, किन्नर
6. लाहउल
7. पांगवाला
8. स्वांगला
9. **बेटा, बेडा**
10. **डोम्बा, गारा, जोबा**

IX. जम्मू व कश्मीर

1. बालटी,
2. बेदा
3. बोत, बोतो
4. ब्रोकपा, प्रोकपा, दारा, शिन
5. छांगपा
6. गारा
7. मोन

32. नागेसिया, नागासिया
33. ओरान धानका,, धनराड
34. पाओ
35. प्रधान, पाथरी, सरोटी
36. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, टंकिया
(1) बसतर, दांतेवाडा, कांकेर, रायगढ, जसपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिला और
(2) कोटगोडा, पाली, करतला और कोरवा जिले की कोरवा तहसील
(3) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले का तख्तपुर तहसीलें
(4) दुर्ग पाटनगुंडनडेही, धांदा, बलोद, गुरर और दुर्ग जिले के डोंडिल होडा तहसील
(5) चौकी, मानपुर और राजनंदगांव जिले का मोहाला रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर
(6) महासमुंद, सरायपाली और महासमुंद जिले की बसना तहसील
(7) बिंदरानावगढ रजीम और रायपुर जिले के देवभोग तहसील
(8) धमतरी, कुर्द और धमतरी जिले का सिहावा तहसील
37. परजा
38. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सोसिआ, सोर
39. साओन्ता, साउन्ता
40. साउर
41. सावार, सावारा
42. सोंर

VI. गोवा

1. धोदिया
2. दुबला (हलोअती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिद्धी (नायका)
5. वरली
6. कुन्बी
7. गवडा
8. वेलिप

VII. गुजरात

1. बारदा
2. बवाछा, बमाछा
3. भारवाड (अलेचा, बारदा और गिर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील डुंगरी गरासिया, मेवासी भील यगालिया, भीलाला पावरा, वासावा, बसाए, रावल भील, तडवी भीलध भगालिया
5. छारन (एल्वा वारदा और गिर के जंगलों में)
6. चौधरी (सूरत और बलसाद जिलों में)
7. चौधारा
8. धानका, ताडवी, तेतारिया, वाल्वी
9. धोदिया, **धोदी**
10. दुबला, तलावइया, हलपाती
11. गाामित गामता, गावित मावछी, पादवी
12. गोंड राजगोंड
13. कथोडी, कतकारी, ढ़ोर कतकारी, सोन, कठोदी कथकारी, सोन कतकारी
14. कोकना , कोकनी कुकना
15. **हटा दिया गया**
16. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
17. कुनबी (डांग जिले में)
18. नायकडा, नायका, चोली वाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
19. पधार
20. **हटा दिया गया**
21. परघी अदवीचिंचर, फान्से पारघी (अमरेली, भावनगर, नामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट, और सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
22. पटेलिया,
23. पोमला
24. रबारी (अलेच्छ, बरादा और गिर के जंगलों में)
25. राथवा
26. सिद्दी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ राजकोट, और सुन्दरनगर जिलों में)
27. **हटा दिया गया**
28 वरली
29. विटोलिया, कोतवालिया, बरोदिया
30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
31. तडवी भील, बावरा, वसावे,
32. पदवी

VIII. हिमाचल प्रदेश

1. भोत, बोध
2. गद्दी (लाहोल और स्थिति जिलों के अलावा पंजाब पुर्नगठन एक्ट, 1966 (1966 का 31) के उपखण्ड (1)के खण्ड 5 में उल्लिखित क्षेत्रों के अतिरिक्त)
3. गुज्जर (पंजाब पुर्नगठन एक्ट 1966 (1966 के 31)के तहत उल्लिखित क्षेत्रों के अतिरिक्त)
4. जाड, लाम्वा, खाम्पा
5. कनउख, किन्नर
6. लाहउल
7. पांगवाला
8. स्वांगला
9. **बेटा, बेडा**
10. **डोम्बा, गारा, जोबा**

IX. जम्मू व कश्मीर

1. बालटी,
2. बेदा
3. बोत, बोतो
4. ब्रोकपा, प्रोकपा, दारा, शिन
5. छांगपा
6. गारा
7. मोन

17. कुरूमान, **मुल्लु कुरूमान, माला कुरूमान**
18. **कुरुम्बास, कुरुम्बार, कुरुम्बान**
19. महा मालासर
20. मलाई आर्यान, **माला आर्यन**
21. मलाई पंडाराम
22. मलाई वेदान, **मालावेदान**
23. मालाकुरवन
24. मालासार
25. मालायन, **नत्तु मालायन, कोंगा मलायन, (कसारगोडे, कन्नानोर, वायनाड और कोजीकोड जिलों को छोड्कर)**
26. मालायरयार
27. मन्नान
28. **हटा दिया गया**
29 मुथुवन,मुदुगर, मुदुवन
30. पालेयान, **पालीयान, पालीयार, पालीयान**
31. **हटा दिया गया**
32. **हटा दिया गया**
33. पानियान
34. उलादन, **उलातन**
35. उरली
36. **माला वेत्तुवन (कसारगोड और कन्नुर जिलों में**
37. **तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान**
38. थाचानदान, थाचानदान
39. **चोलानैकान**
40. **माविलन**
41. **करीमपलान**
42. **वेट्टा कुरुमान**
43. **माला पनिक्कर**

XIII. मध्य प्रदेश

1. अगारिया
2. अन्ध
3. वैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्रा
7. भील, भेलाला, वरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीआर
11. बीन्जवार
12. विरहुल, विरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. डनवार
15. गडवा, गोडवा
16. गोंड अराक, अराख, अगेरिया, अगारिया, आसुर, वादी मारिया, वादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियावूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डीमी मरिया, धुरू, धुर्वा, धोवा, धुलिया, डोरर्ला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मरिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कवेटार, कोया, ख्रिवार, खिरवारा, कूचा मरयिा, कूचिका मरिया, मडिया, मरिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोंगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राझ, सोनझारी झरका, थाटिया, थोटिया, वादी मरिया, भादी मरिया, दरोई
17. हल्वा, हल्वी
18. कामर
19. करकु
20. कवर कैवर, कौर, छेरवा, राथिया तॅवर, सती,
21. **हटा दिया गया**
22. खैरवार, कोन्दार
23. खैरिया
24. कोन्घ, खोन्द, कन्घ
25. कोल
26. कोलम
27. कोकरू बोपची, भेउआसी, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
28. कोरवा, कोड़ाकू
29. मांझी
30. मझवार
31. मवासी
32. **हटा दिया गया**
33. मुण्डा
34. नागेसिया, नागासिया
35. ओरान घांका, धंगाद
36. पानिका छतरपुर (छह्मारपुर, दतिया, पन्ना, सतना, शादोल, सीधी तथा टीकमगढ़ जिलों में)
37. पाओ
38. प्रधान, प्राथी, सरोटी
39. **हटा दिया गया**
40. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, टकिया
(1) बसतर, झिन्दवारा, मांडला, रायगढ़ सेओनी और सुरगुजा जिलों में
(2) बाला घाट जिले में मैहर तहसील
(3) बेतुल जिले के बेतुल, शाहपुर और भैंस डेही तहसीलों में
(4) जवलपुर जिले के पटन और सिहोरा एवं मंझाली ब्लॉक
(5) विलासपुर जिले के काठगोड़ा और विलासपुर तहसील में
(6) दुग्र जिले के दुग्र और वालुद तहसील में
(7) राजनाद गाँव जिले के चौकी, मानपुर और मोहल्ला रेवेन्यु इन्सपेक्टर के क्षेत्र में
(8) होसंगाबाद और नरसिम्हापुर जिले के होसंगाबाद और सोहागेपुर तहसील में
(9) खोंड़वा जिले के हरसुद तहसील में
(10) रायपुर जिले के बिन्द्र नवागरह, धमाती और महासमुन्द तहसीलो में)
41. परजा
42. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सोसिआ, सोर
43. साओन्ता, साउन्ता
44. साउर
45. सावार, सावारा
46. सोनर

XIV. महाराष्ट्र

1. आन्ध्र,
2. बेगा
3. बारदा
4. बावाचा बामचा
5. भाइना

6. भारिया, भूमिया, भूइंहार, भूमिया, पान्डो
7. भातरा
8. भील, भीलगरासिया, दांत्री भील, ड्रगरी भील, डूगरी गरासिया,, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील भागालिया, भिलाला, पावरा, बसावा, बासावे,
9. मूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर
12. **हटा दिया गया**
13. धानका, ताद्‌वी, तेतरिया, वाल्वि
14. धानवार
15. धादिया
16. दुबला, तालाविया, हलपति
17. गामित, गमता, गवित, मावछी पाडवी
18. **गोंड राजगोंड,** अरख, अर्‌राख, अगारिया, असुर बादी मारिआ, बड़ा मारिआ, भटोला, भीम्मा, भूटा, कोइलाभूटा कोइलाभूटी, भार, विशोनहर मारिआ, छोटा मारिआ, दान्दभी मारिआ धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, काइकी, गात्ता, गात्ति, कोइतार कोया, खैरवार खैरवारा, कुछा मारिया, कुछकी मारिया, माडिया मारिया, माना, मान्नेवार, मान्नेवार, मोघया, मोंगिया, मोंघ्या, मुदिया, मुरिया नागारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झारेका थातिया, थेल्या, बाडे मारिया,
19. हलवा, हल्बी
20. कामर
21. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कथकारी, सोन कथोडी सोन कतकारी
22. कवर, कँवर, कौर, छेरवा, राथिया, तँवर, छत्री
23. खैरवार
24. खारिया
25. कोकना, कोकनी, कुकना
26. कोल
27. कोलम, मन्नेखारलू
28. कोलीढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्हार
31. कोंद्य खोंद्य कन्द्य
32. कोरकू, बोपची, मोउआसी, निहाल, नाहुल बोन्धी बोन्देया
33. कोया, भीने कोया, राजकोया
34. नागेसिया नागासिया
35. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक मोटा नायक, नाना नायक
36. ओरान, धनगर
37. परद्यान, पठारी सरोती
38. पारद्यी, अडवीचिंन्चेर, फान्स परद्यी फान्से परद्यी लांगोली परद्यी, बहेलिया, छिट्‌टा परद्यी, शिकारी, ताकन्कार ताकिया
39. पारजा
40. पटेलिया
41. पोमला
42. रथावा
43. सवार, सवारा
44. ठाकुर, का ठाकुर, का ठाकुर मा ठाकुर, मा ठाकर
45. **हटा दिया गया**
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बडोदिया

XV. मणिपुर

1. अइमोल
2. अनाल
3 अनगामी
4. छिरू
5. छोथे
6. गांगते
7. हमार
8. काम्बुई
9. कच्दा नागा
10. कोइराओ
11. कोइरेंग
12. कोम
13. लामगांग
14. माओ
15. मारम
16. मारिंग
17 कोई भी मीजो (लुशई) जनजाति
18. मोनसांग
19. मोयोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सीमा
24. सीमते
25. सुथे,
26. तांगरवुल
27. थाडोउ
28. **वाइफुई**
29. जोउ
30. **पौमाई नागा**
31. **ताराव**
32. **खराम**
33. **कोई कुकी जनजाति**

XVI. मेघालय

1. चकमा
2. दिमसा (कछारी)
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहितः
   (1) बड़ते बिएते
   (2) छंगसान
   (3) चोंगलोइ
   (4) डोउन्गेल
   (5) गमाल्हू
   (6) गंगत
   (7) गुइते
   (8) हान्नेंग
   (9) हाओकिप या हाउपिट
   (10) हाओलाई
   (11) हेंगना
   (12) होंनसुघ
   (13) हरांगकोवाल या रंगखोल
   (14) जोंगवे
   (15) खावचांग
   (16) खवथलांग या खोथालांग
   (17) खोल्हू
   (18) किपजेन
   (19) कुकी
   (20) लेनथांग
   (21) ल्हांगम
   (22) ल्होउजेम
   (24) ल्होउवेन

(25) लुपहेंग
(26) मांगजेल
(27) मिसाओ
(28) रिआंग
(29) सइरहेम
(30) सेलनाम
(31) सिंगसन
(32) सितल्होउ
(33) सुक्ते
(34) थादो
(35) थांगनेऊ
(36 उईबुह
(37) वाइफेई, सहित

8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. बोरो कचारिस
16. कोछ
17. राबा, रावा

XVII. मिजोरम

1. चकमा
2. दिमसा (कछारी)
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहितः

(1) बड़ते बिएते
(2) छंगसान
(3) चोंगलोइ
(4) डोउन्गेल
(5) गमाल्हू
(6) गंगत
(7) गुइते
(8) हान्नेंग
(9) हाओकिप या हाउपिट
(10) हाओलाई
(11) हेंगना
(12) होंनसुघ
(13) हरांगकोवाल या रंगखोल
(14) जोंगवे
(15) खावचांग
(16) खवथलांग या खोथालांग
(17) खोल्हू
(18) किपजेन
(19) कुकी
(20) लेनथांग
(21) ल्हांगम
(22) ल्होउजेम
(24) ल्होउवेन
(25) लुपहेंग
(26) मांगजेल
(27) मिसाओ
(28) रिआंग
(29) सइरहेम
(30) सेलनाम
(31) सिंगसन
(32) सितल्होउ
(33) सुक्ते
(34) थादो
(35) थांगनेऊ
(36 उईबुह
(37) वाइफेई, सहित

8. लाखेर
9. मन (थाई बोलने वाले)
10. कोई भी मीजो (लुसाई)जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. **पैते**

XVIII. नागालैंड

1. नागा
2. कुकी
3. कचारी
4. मिकिर
5. गारो

XIX. उड़ीसा

1. बगता, **भक्ता**
2. बइगा
3. बनजारा, बनजारी
4. बाथूडी, **बाथूरी**
5. भोत्ताड़ा, धोताडा, **भोतरा, भतरा, भत्तरा, भौतोरा, भतारा**
6. भूइया, भूयान,
7. भूमिया
8. भूमिज, **तेली भूमिज, हल्दीपोखरिया भूमिज, हल्दी पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज, देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज**
9. भूंजिया
10. बिजझाल, **बिंझवार**
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बिरहोर
13. बोंडो पोराजा, **बोंडा परोजा, बोंडा परोजा**
14. चेनछू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, **धुरूबा धुरूआ**
18. दिदायी, **दिदायी परोजा, दिदाई**
19. गडाबा, **बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा गडाबा, पेरंगे गदाबा, सोनो गदाबा**
20. गांडिया
21. खारा
22. गोंड, गोंडो, **राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड**
23. हो
24. होल्वा
25. जतापु
26. जुआंग
27. कंधा गौदा
28. कवार, **कंवर**

29. खारिया, खरियन, **बेरगा, खारिया, डेलकी खारिया, दुध खारिया, एरेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओरांव खारिया, खाडिया, पहाड़ी खारिया**

30. खरवार

31. खोंड, कोंड, कंधा, नंगुली, कंधा, सीता केंधा, कोंध, कुई, बुदा, **कोंध, बुरा, कंधा, देसिया कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गौडा, मुली कोंध, मालुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड**

33. किसान, **नगेसर, नगेसिया**

34. कोलाह लहारस, कोल लोहारस,

35. खोल्हा

36. कोली मल्हार

37. कोंउडोरा

38. कोरा, **खारा, खयारा**

39. कोरूआ

40 कोटिया

41. कोया, **गुम्बा कोया, कोइतुर कोया, कमार कोया, मुसार कोया**

42. कुलिस

43. लोधा, **नोध, नोधा, लोध**

44. मादिया

45. महाली

46. मनकिदी

47. मनकिरदिया, **मनकरिया, मनकिदी**

48. मत्या, **मातिया**

49. मिरधास, **कुदा, कोदा**

50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महालिस, **नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा**

51. मुंडारी

52. ओमनत्य, **ओमनत्यो, आमनत्य**

53. ओरांव, **धनगर, उरान**

54. परेंगा

55. परोजा, **प्रजा, बोडो परोजा, बरोंग झोदिया परोजा, चेलिया परोजा, झोदया परोजा, कोंडा परोज, पराजा, पोंगा परोजा, सोदिया परोजा, सोनो परोजा, सोलिया परोजा**

56. पेंटिया

57. राजौर

58. संताल

59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा **आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, कम्पा साओरा, ,किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कलपितिया साओरा, किराट साओरा, लांजिया साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लारिया सावर, मलिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पटरो साओरा, बेसु साओरा**

60. शबार, लोधा

61. सौंटी

62. थारूआ, **थारूआ बिंदानी**

XX. राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, ढोली भील,डुगरीभील, डुगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी, भगालिया, भीलाला, पावरा, वासवा, वासावे

2. भील मीना

3. वामोर, दामारिया

4. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वी

5. गरासिया (राजपूत गरासिया के अतिरिक्त)

6. कथोडि, काटकारी, ढोर काटकारी, ठोर कठोड़ी, सोन कठोडी, सोन काटकारी

7. कोकना, कोकनी, कुकना

8. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा

9. मीना

10. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक मोटा नायक, नाना नायक

11. पटेलिया

12. सेहारिया, सेहरिया सहारिया

XXI. सिक्किम

1. भुतिया (चुंबिपा, दोपथापा, दुकुपा, कागेती, शेरपा, तिबतेन, तरोमोपा, योल्मा सहित)

2. लेपहा

3. लिम्बू

4. तमांग

XXII. तमिलनाडु

1. आदियान

2. आरानादान

3. इरावल्लान

4. इरूलार

5. कादर

6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक के अलावा)

7. कनीकारन कनीक्कार (कन्याकुमारी व तिरूनेलवेल्लि जिले के शेनकोट्टा और **अम्बासमुद्रम तालुक** में

8. कनियान, कन्यान

9. कट्टनायकन

10. कोच्युवेलन

11. कोंडा कापस

12. कोंडारेड्डी

13. कोरगा

14. कोटा(कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़कर)

15. कुडिया, मेलाकुडी

16. कुरिच्छान

17. कुरूम्बा (नीलगिरि जिले में)

18. कुरमांस

19. महा मलासर

20. मलाई आर्य

21. मलाइ पण्डाराम

22. मलाई वेदन

23. मलाक्कुरावन

24. मालासर
25. मलयाली (धर्मपुरी, उत्तरी अरकोट, पुदुकोट्टाई, सालेम, दक्षिणी अरकोट और तिरूचना पल्ली जिले में)
26. मलायेकान्डी
27. मन्नान
28. मुदुगार, मुदुवान
29. मुत्थुवान
30. पल्लेयान
31. पल्लियान
32. पल्लियार
33. पनियान
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले वे तिरूनेलवलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़ कर)
36. यूराली

XIII. त्रिपुरा

1. भील
2. भूटिया
3. छइमल
4. चकमा
5. गारो
6. हालाम, **बेंगशेल, डुब केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रपिनी, सुकुचेप, थांगचेप**
7. जमातिया
8. खासी
9. कूकी, निम्न उप जन जातियों सहितः–
(1) बाइटे
(2) बेलालथुट
(3) छाल्या
(4) फुन
(5) हजांगो
(6) जांगतेइ
(7) खोरेंग
(8) खेफोंग
(9) कुन्तेइ
(10) लाइफांग
(11) लेन्तई
(12) मिजेल
(13) नामते
(14) पाइतु, पाइते
(15) रांगचांग
(16) रांगखोले
(17) थांगलुया
10. लेपचा
11. लुशाइ
12. माग
13. मुण्डा, कौर
14. नोआटिया, **मुरासिंग**
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्ताल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी तिप्पेरा
19. उछाई

XXIV. उत्तरांचल

1. भोतिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थारू

XXV. उत्तर प्रदेश

1. भोतिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थरू
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्रा जिले में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहारिया (ललितपुर जिले में)
9. परहइया (सोनभद्र जिले में)
10. बइगा (सोनभद्र जिले में)
11. पंखा, पैंका (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)
12. अगारिया (सोनभद्र जिले में)
13. पतारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)
15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)

XXVI. पश्चिम बंगाल

1. असुर
2. बइगा
3. बदिया, बेदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकबा, गगाते, तिब्वती योल्मो
6. विरहोर
7. बिरजिया
8. चकमा
9. छेरी
10. चिक बारिक
11. गारो
12. गोंड
13. गोरइत
14. हाजांग
15. हो
16. करमाली
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान
20. कोरा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लोधा खेरिया, खारिया
24. लोहार, लोहरा
25. माघ
26. महाली
27. माहली
28. माल पहारिया
29. मेच्छ
30. मरू
31. मुण्डा
32. नागेसिया
33. ओरान
34. परहाइया
35. रभा
36. सन्ताल
37. सउरिया पहरिया
38. सवार
39. लिम्बू (सुब्बा)
40. तमांग

XXVII. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

1. अंडमानी, चारयिार, चारी, कोरा, ताबो, बो येरे, केडे, बी, बलवा, बोजीगियाब, जुवाई, कोल
2. जारवास
3. निकोबारी
4. ओंगेस
5. सैंटिनलीस
6. शोम पेन्स

XXVIII. दादरा व नगर हवेली

1. घोदिया
2. दुबला हालपति सहित
3. कठोडी
4. कोकना
5. कोली धोर कोलघा सहित
6. नइकदा या नायक
7. वारली

XXIX. दमन व दीव

संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में:-

1. घोदिया
2. दुबला(हालपति)
3. नइकडा (तालावी)
4. सिद्दी (नायक)
5. वारली

XXX. लक्षद्वीप

सम्पूर्ण राज्य में :–

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी या जिनके माता–पिता इन द्वीपों में पैदा हुए।

**** संविधान (अनुसूचित जनजाति) के दिनांक 19.9.2003 का आदेश (संशोधन) विधेयक, 2003**

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

आंध्र प्रदेश*

(1) महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुक के बालमोर, कोदनांगोल, बनाल, बिलाकास, धारावारभ, अप्पाइपाली, रासुल छेरनुव, पुलेछेलमा मारलापया, बर्जु गुंडाल, अगारला , पेन्टा, पुल्लाइपाली, दुक्कान पेंटा, बिकिट पेंटा कारकार पेंटा, बोरामाठेरन्वू, येमेलापाया, इरलापेंटा, मुरारदीपेंटा, तेरकालदारी, वकारामामिदी पेंटा, मेडी मानकल, पंडीबोरे, संगरी गुण्डल, लिंगबोर, रामपुर, अप्पापुर मालापुर, जलापैंटा, पीमानपेण्टा, रायलेट, वेटीलापाली, पातुर बयाल, मावीपेंटा नारदी पेंटा, तयासीपेंटा, तपासीपेंटा, चन्द्रगुप्ता, युल्लुकातरेड्डू तिम्मारेड्डी वाल्लि सारला पाल्लि, ततिगुण्डाल, इल्पामायेछेना, कोमान पेंटा, कोल्लामपेंटा मानानूर, माछाराम, मलहामाम्डी, वेकेटेश्वरला बावी,, अमराबाद, तिरमालपुर, उपनुटोला, मघवनपल्लि, जगमरेड्डी पाल्लि, पेदरा, वेकटेश्वरम, चितलाम कुंटा, लाछमापुर, मनपुर, उदमेला, मारेड़, इप्पालापाली मड्डीमाडाग, अक्काराम, अइनोल, सिद्दापुर, बमानपाली, गनपुरा और मानेवारपल्लि गांव !

---

(2) आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुक के मलाइ बोरगोवा, अनकानपुर, जामुलाद्यारी, लोकारी, तान्तोली, सीतागोंटी, बुरनूर, नवगांव, पीपलदारी, पारदी बुजुर्ग, यापाल गुदा, छिनछूगुदा, छिनछूघाट, वानकोली, कानपा, अवसोदा बुरकी, मलकापुर, जारी, पालसी बुजर्ग, आरिल खुर्द, नन्दगांव, वाघापुर, पालसीखुर्द, लिंगी, काफर देनी, रतनापुर, कोसाइ, उमारी, मदनपुर, अम्बूगांव, रूयेअडी, सकानपुर, दादगांव, कसलापुर, डोरली, साहाजी, सांगवी, खोगदूर, कोबाई, पोनाला, छापराला, मंगरोल, कोपा, अरगूने, सोअनखास, खिडकी, खासल खुर्द, खासल बुजर्ग, जामनी, बोरगांव, सयेद पूर, खारा, लोहारा, मारीगांव, छिछदारी, खानापुर, खण्डाल, तीपा, हाती, घोता, करोदखुर्द, करोनी बुजर्ग, सिंगापुर, वुरानपुर, नागराला, बोदाद, छांदपेल्ली, पीतगेन, येकोरी, सादारपुर, वारूर, रोघर, तकाई तकली और रामखाम गांव !

---

(3) आदिलाबाद जिले के किनवात तालुक के अम्बारी,, बोदरी, छिकली, कामताला, घोती, मांडवा, मेरेगांव, मालबोर गांव, पटोडा, दहीगांव, दोमान घारी, दरसांगी, डिघरी, कनकवाड़ी, कोपरा, मलाकवाडी निसपुर मेन्डा, पीपलगांव, बलजा, यारोली, अन्जी, भीमपुर, सिरमेती, केरल, कोठारी, गोकुड़ा, गोगरवुडी, मलकापुर, द्योनोरा, रामपुर, पातरी, परोद्यी, बाओथ दरसांगी,, नीरगांव, उनरसी, गोदी, साउरखेर नायकवाड़ी, सरकानी, वाझेरा, मारदाप, अंजेरखेर, गोण्डवारसा, पलाइगुडा करालगांव, पाल्सी, पलेड़ा जवारला, पीपलगांव, कानकी, सिंगोरा, डोगरगांव, पीपल सेंद्या, जुरूर, मिनकी तुलसी, टाकरी, पारसा, वारसा, उमरा, अश्ता, हिंगनी, तिमारपुर, बाजरा, बानोला पाटसोन्डा, द्यनोरा, साकुर और डिगरी गांव !

---

(4) आदिलाबाद जिले के बोथ तालुक के हतनूर, बाकरी, पारद्यी, करतान्डा, सेरलापाल्लि, नेरादी–कोन्डा, डालीगाओ, कुनताला वेंकटपुर, हसनपुर, सुरदापुर, पोलमामदा, बाल्हनपुर, धर्मपुरी, गोकोड़ां मोताई, कोरसेकाल, पतनापुर, तेजापुर, गुरूज, खाहदीगुडी, राजुखाडी, इसपुर छानपुर, जतेरला, खान्तेगांव, साउरी, इछोरा, मुतनुर, गुडी हाटनूर, तालमेडी, गेरजाम छिनछोली, सिरछेलमा, मनकापुर, नारसापुर, धर्मपुर, हरकापुर, धामपुर, निगनी,,अजारवजार, चिन्तलबोरी,, रामपुर, गंगापुर और गयात्पाली गांव!

---

(5) आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुक के सभी गांव।

---

(6) आदिलाबाद जिले के असइफाबाद तालुक के राजमपेट, गुंजाला, इंघानी, समेला, तेजपुर, कन्नारगांव, कन्टागुडा, शकेनपाल्ली, जामुलद्यारी, गुडी, छोरपाली, सालेगुदा, बादीगुदा, सवाती, ढाबा, छोपनगुडा, नीमगांव, खिरदी, मेटापिपरी, साकरा सांगी, देवमुरपाली, खोटरा–रिंगनघाट, निशानी, कोटा परानडोली, मेसापुर, गोइगावं, द्यनोरा, पारद्या, सुरदापुर, केरीनेरी मुरकीनोनकी, देवापुर, छिन्ताकारा, इहेरी, आरा दासनपुर, कापरी, बेलगांव, सिरसगांव, मोआर, बादाम, द्यामिरीगुडा, दाल्लनपुर, छालवारडी, इहोरघाट, वाली झारी, साकमगुंडी, आरा, उप्पाल, नवगांव, अंकसोरपुर चिराकुन्ता, इल्लिपिट्टा, डोरली, मन्डरन्मेरा, दन्तान्पल्ली, देवदुर्ग, तुनपाली धांगलेश्वर, पादिबान्दा, तामरिन, मलगुण्डी, कन्दन मोओआर, जिओनेना, कुटेदा तिलानी, कानेपेल्लि, बोरवांउम, गरदेपाली, तकेपाली, चोउतेपाली, राने कन्नेपाली, सुंगापुरा, राला सामकेपाल्लि, छोपरी, दोदा, अर्जुनी, सेखाई, रापाल्लि, टेकमाडवा और अर्जुनी गांव।

---

(7) आदिलाबाद जिले के लक्षेतिपेत तालूक के गुदाम, कासीपेत, दांडे पाल्लि, छेलमपेटा राजमपेट, वेंकटपुर, राइल, कौवा, तारापेत, देवपुर, गधापाल्लि, रोतपाल्लि, माझडामारी, द्यर्मारोपेत, वेंकटपुर, चिंतागुडा और मुत्तेमपाली गांव।

---

(8) आदिलाबाद जिले के राजोरा, तालुक के बेंडवी, छिनछोली, गोडगांव, हीरापुर, साकरी, बालापुर, मनोली, अन्तारगांव, विरूर, डोगरगांव, टिमबेरवाई, सेरसी, बडोरा, व्मरजीरी, लाकारकोट, डरगांव, किरदी, सोंदो, देवरा, खोरफना, कानारगांव, छेनाई, कैरगांव, सामलहीरा, घनोली, मारनगांडी, येल्लापुर, काटलबोरी इसपुर, देवती, पाण्डेरवानी, वानसारी, पेरदा, वारगांव, नोकारी, मीरापुर, पारद्यी, कुतोडा, परसेवारा, मंगलरा, कारकी, नोकारी, मनोली, सोनपुर, इनापुर, मानगी, उपारवाई, तुतरा, लकमापुर, किरदी, इनजापुर, जामीनी, हरगांव, छिकली, पाटन, कोसुंडी, कोतारा और सोनोरली गांव।

---

(9) आदिलबाद जिले के सिरपुर तालुक के रालपेट, किस्तामपेट, तकलपात्ले छाकलपल्लि, अनाराम, मेपाल्लि, कोरसनी, इसगांव, छिन्तागुडा, अंकोरा, उसू रामपल्लि अरपाल्लि बोपालपट्टम, बालासागा, पारघी, तुमरीहाती, छिन्तालमानोपाल्लि, छिन्ताम, गुल्लातालोदी, दामदस, ढ़ोरपल्लि, कानकी, गारलापेट, गुदलाबोरी, गुरूमपेट, लोमवेली, मोगुरदागर, विरदान्डी, और छिलपुरदुबोर गांव।

---

(10) बारंगल जिले के मुलुग तालूक के कन्नइगुडा, अंकनगुड्डा, राघवापट्टनम, मेडारमोला, कोएटला, पारसा, नागाराम, मुथापुर, मोटलागुड्डा, वेंगलपुर, येलपाक काने बोएनपल्लि, मेदाराम, कोंडरेड, छिन्तागुडा, गोंडापारथी, मेलसेथिपाल्लि, अल्ला मरि धुत पुर, रामपुर, माल्क पल्लि, छेत्ताल मूपतिपुर, गंगाराम, कन्नइगुडा राजन्नापेट, मूताराम, अक्केला, सिखारपुर, गंगाराम भूपतिपुर, पुम्बापुर, रामपुर, अकामपाली, कामााराम, कामसेलिगुण्डम, आशनागुडा, मेल्लापुर, अल्लागुड़ा, नरसापुर, पुस्छापुर, भातुपाल्लि, लावनाल, वाड्डगुडा, कोथूर, पेगदापाल्लि, सारवाई, गंगागुदा, तुपालकालगुदा, अकुलवारी, धानपुर, शाहपलि, गागपेल्लि, छिन्ना–विओपल्लि, वेकरपुर, नरसापुर, अनवाराम, लिंगाल, बालेपाल्लि बंडल और धुपमापुर गांव।

---

(11) वारंगल जिले के नरसामपेत तालुक के वेवेल्लि, पोलारा, बाकाछिन्ताफाद, गांजाद, गोपालपुर, खिस्तापुर, तातीनारी, वेनपाल्लि, पत्तल, भूपति, चन्देलपुर, बत्तालपल्लि अदवारमपेट, साल्यिानगर, दुका, मोथवाडा, मंगाला वारपेत, कारलाई, अरकालकुंता, कोदसापेत, गुडेरपाल्लि मसामी, मात्तवारती गुदेम, मर्मादीगुदम, पंगोन्डा, रोतुराई, सतरे द्दीपाल्लि, कोनापूर, कोंदापुरम, पोगुलापाल्लि, गोविन्दपुरम, माकनदापल्लि, पागुलापल्लि, मुराइगुडेम, येलछागुडेम, तुम्मापरुम, कुन्दापाल्लि, नीलापाल्ली, दारावारिना पाल्लि, कारनेगुंड, महादेवागुडेम, मारिगुडेम, जंगनपाल्लि, बवारगुडा ओआर वाक, गंगाराम, मुछेरला अमरोन्छा कामाराम छिन्टागुंडम, निलावाच्छा, कांगारगिड्डा, मडागुड्डेम दालुरपेट, कोठागुडेम, कोटापाल्लि, दुर्गाराम, दूबागुडेम, रून्दावाराम नरसूगुडाम, कोमातलागुडेम, राजवे पल्लि, और वोल्लिपाल्लि गांव।

(12) वारंगल जिले के येल्लांडु तालुक के सभी गांव (येलान्डू, सिगारेनी, और सिरपुर गांव और कोठागुडा के कस्बे के अतिरिक्त)

(13) (1) वारंगल जिले के पालोचा तालुक के सभी गांव, पलोंधा, वोर गाम पद, अश्वारा ओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (2) पलोन्छा का समस्थान

14. विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र {एजेन्सी लक्ष्मीपुरुम, छिद्दीकाडा, कोनसासिगि, कुमारापुरुम, कश्णादेवी पेता, पिछी गान्थि कोथागुडेम गोलू गोण्डापेटा, मुनुपुडी, मुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनाम, वादुरपालि पेदाजेग्गामपेटा गांवों के क्षेत्र के अलावा} {विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अगराहरम, रामचन्द्र नराजा जुपेटा, अगराहरम, ओर कोंडावातिपुड़ी अगाहराम !

15 पूर्वी गोदावरी क्षेत्र {रामचन्द्र पुरम, गांव और इसके पुरवा पुरूड्ढोतापट्टनम के क्षेत्र को छोड़ कर}

16 पश्चिम गोदावरी जिले के पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. संख्या 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख) राज्य) आदेश 1950 (सा.आ.संख्या 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेशर) आदेश 1951 (सा.आ. संख्या 50) और आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेशर) आदेश 1955 (सा.आ. 30) के तहत संशोधित किया गया ।

1. मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेशर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल ।
2. आंध्रा अनुसूचित क्षेत्र (सेशर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल ।

गुजरात**

1. सूरत जिले के और बारदोली उयेच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाध वालोद, मांगरोल तालुक
2. भडौच जिले के देदिया पादा, सागवारा, वालिया, नन्दोद, और भगाडिया तालुक।
3. डांग जिला व तालुका
4. वलसाड जिले के बांदसा, धर्मपुर चिरवाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुक।
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमरवेडा और देवगढ़ बारिया तालुक
6. बडोदरा जिले के छोटाउदयपुर, और निसवाडी तालुक और तिलकवाडा महल
7. साबरकांठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुक और विजयनगर महल।

* गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सा.आ. 109) दिनांक 13.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया ।

हिमाचल प्रदेश***

1. लाहोल और स्फीति जिले
2. किन्नोर जिला
3. चम्बा जिले के पांगी तहसील और भारमोर सब–तहसील

*** अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश आदेश, 1975 (सा.आ. 102) दिनांक 21.11.1975 के तहत विनिर्दिष्ट ।

महाराष्ट्र

1. थाणे जिले में निम्नलिखित

क. धहानु, तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील

ख. पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं ।

पालघर तहसीलः

(1) तारापुर
(2) कुन्दन
(3) दहीसर टार्फ तारापुर
(4) घिवाली
(5) वो
(6) अक्कारपत्ती
(7) कुरगांव
(8) पारनाली
(9) वेनगानी
(10) पठारवाली
(11) नेवले
(12) शिगांव
(13) गारगांव
(14) चिंचारे
(15) अकेगावान
(16) नानीवाली
(17) अंवढ
(18) बरहानपुर
(19) सलगांव
(20) खुताद
(21) खानीवाड़े
(22) रावते
(23) अकोली
(24) असेरी
(25) सोमते
(26) परस्थाल
(27) बोइसार
(28) बोरसेती
(29) महागांव
(30) किराते
(31) वाडे
(32) खाडवाने
(33) माडवान
(34) विस्थले
(35) कोडगांव
(36) कारसूद
(37) बेतेगांव
(38) वारंगदे
(39) लालोड़
(40) घांड
(41) काम्पालगांव
(42) मान
(43) घानोघर
(44) बाढ़े
(45) छारी बुदर्ग
(46) बिखाडी
(47) काल्लाले
(48) पादघे
(49) पोले
(50) नानडोरे
(51) गिरनोली
(52) बोरान्डे
(53) देवखोये
(54) सागवे
(55) कोसबाद
(56) कोकानेर
(57) नागणारी
(58) छारी खुर्द
(59) बेलगांव
(60) खुताल
(61) छिलहर
(62) भोपोली
(63) नीहे
(64) दामखाण्ड
(65) कोंधान
(66) आवनधान
(67) बेगारचीले
(68) शील
(69) लोवारे
(70) बंधन
(71) नन्द गांव टार्फ मानोर
(72) शील शेट
(73) कताले
(74) अम्मान
(75) वासरोइ
(76) खारशेट
(77) मानोर
(78) ताकवाल
(79) सवारखण्ड
(80) नालशेट
(81) केव
(82) वाकाडी
(83) मासवान
(84) वान्डीवाली
(85) नेताली
(86) साये
(87) तेन
(88) कारालगांव
(89) गोवादे
(90) तामसाइ
(91) दुरवेस
(92) धुकतान
(93) पोछादे
(94) होलाले
(95) खामलोली
(96) वाहदोली
(97) बोत
(98) डम्बूर इराम्बी
(99) दानिसारी टार्फ मानोनर
(100) कुडे
(101) गुण्डावे
(102) गांजे
(103) वेहालोली
(104) सवारे
(105) वराई
(106) जानसाई
(107) खाइरे
(108) ढेकाले
(109) गांजे
(110) जायेशेते
(111) शेलवाडे
(112) वेमूर
(113) अम्बादी
(114) नवाली
(115) मोरावाली
(116) वारखुन्ती
(117) कामार
(118) टोकराले
(119) बन्डाते
(120) जांजरोली
(121) छाडे
(122) वसारे
(123) खादकोली
(124) सखारे
(125) रोथे
(126) लालथाने
(127) नवाजे
(128) तान्डुलवाडी
(129) गिराले
(130) पारगाव
(131) नागवे र्टाफा–मानोर
(132) उम्बारपदा
(133) युधवाली
(134) सफाले
(135) सोनावे
(136) माकने कापसे
(137) कारवाले
(138) वाधिव सरावली
(139) पेनान्ड
(140) कान्डारवान
(141) दाहीवाले
(142) दारशेट
(143) नवगढ़
(144)उम्बारपादा–टर्फ–मानोर।

(ii) वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं

वसाई (बसीन) तहसील

(1) दाहीसार
(2) कोशिम्बे
(3) तुलिंज
(4) सकवार
(5) छिमान
(6) हेडवडे
(7) काशिदकोपर
(8) खानीवाडे
(9) भालीवाली
(10) कावेहर
(11) शिरसाद
(12) मान्धवी
(13) छानदीप
(14) भातने
(15) शिवनसाई
(16) उसगांव
(17) मेघे
(18) बादघर
(19) मीनार
(20) एम्बोडे
(21) कालभाने
(22) उनदने
(23) साया
(24) पारोल
(25) शिरवाल
(26) माझीवाली
(27) कारांजीन
(28) तिलहर
(29) धाविव
(30) पेल्हार
(31) अहोले
(32) वालिव
(33) सतिवाली
(34) राजवली
(35) कोल्ही
(36) छिनछोती
(37) जुचन्द्र
(38) वापना
(39) देवदाल
(40) कामम
(41) सरजामोरी
(42) पोमान
(43) सिलहीत्तार
(44) सासुनावहार
(45) नागले

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

भिंवाडी तहसीलः

(1) भिवाली
(2) गनेशपुरी
(3) वाडावाली वाजरेश्वरी
(4) अकोली
(5) सवारोली
(6) खन्तिली
(7) उसगांव
(8) घोटगांव
(9) बाढ़े
(10) वारेच
(11) चाने
(12) असनोली–टार्फ – दुगद
(13) दुगद
(14) मनीवाली
(15) वादवाली टर्फ दुगद
(16) मालबीडी
(17) मोहिर्लीी
(18) नन्दीथान
(19) देपोली
(20) सखरोली
(21) सूपेगांव
(22) पिलांजे खुर्द
(23) पिलांज बुदुर्क
(24) अलखीवाली
(25) वाघीवाले
(26) देवहोल
(27) सागोआं
(28) इकसाल
(29) चिन्चावाली–टर्फ–कुंडे
(30) वूधानी
(31) वापे
(32) घदाने
(33) कुंडे
(34) घोतावाडे
(35) माइडें
(36) करमाले
(37) कांडली बुदर्क
(38) कोल्हे
(39) कांडली खुर्द
(40) दीघाशी
(41) नेवादे
(42) अम्बादी
(43) दालोंड
(44) जाम्भीवाली टार्फ–खाम्बाले
(45) उम्बारखण्ड
(46) अशिवाली
(47) जिदके
(48) खारीवाली
(49) बासे
(50) गोंडाडे
(51) पहारे
(52) सेदगांव
(53) पच्छापुर
(54) गोंड्रवली
(55) जाम्भीवाली–टर्फ–कुंडे
(56) असनोली–टर्फ–कुडे
(57) शिरोले
(58) दाभाद
(59) महानडुल
(60) शिरगांव
(61) पिंपल सेठ भुसेठ
(62) खादकी खुर्द
(63) खादकी बुदरूक
(64) चिम्बीपाडे
(65) कूहे
(66) घामने
(67) लाखीवाली
(68) पालीवाली
(69) पाये
(70) गाने
(71) दाहयाले
(72) फिरंगपद

(iv) मुरबाद तहसील के सतत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मुराबाद तहसीलः

1) कासगांव
(2) किसाल
(3) बडवाली
(4) सखारे
(5) खटालबोर गांव
(6) अम्बेल खुर्द
(7) सयाले
(8) इंदे
(9) खेडाले
(10) तलवाली–टर्फ–घोराट
(11) इकलाहारे
(12) छाफे–टर्फ–खेडुल
(13) पिम्पालघर
(14) देहगांव
(15) पारहे
(16) कांडली
(17) धसाई
(18) अल्यानी
(19) पालू
(20) देवगढ़
(21) मांढ़
(22) सोनावाले
23) वेक
(24) अलावे
(25) बरसुंगे
(26) मांडुस
(27) खेड
(28) वनोटे
(29) साई
(30) शेलगांव
(31) शिरोशी
(32) तालेगांव
(33) फंगालकोशी
(34) मेरडी
(35) वाल्हीवार
(36) माल
(37) जडाई
(38) अम्बीवाली
(39) डिंघेपाल
(40) दीवान पाद
(41) कोचरे खुर्द
(42) कोचने बुदर्ग
(43) छोसाले
(44) खूरल बंगला
(45) नयाहांडी
(46) मोराशी
(47) फंगुल गांवाहन
(48) सवरने
(49) थिताबी–टर्फ–वैड्ढा खरे
(50) कुदशेट
(51) फंगाने
(52) खपारी
(53) हेडावाली
(54) कारचोंड
(55) जडघर
(56) उडालदोहा
(57) महोरांडे
(58) टोकवडे
(59) वालेगांव
(60) तलवानी (बडागांव)
(61) वैशाखरे
(62) मनवाली–टर्फ–खेडुल
(63) पेनढारी
(64) उमरोली बुदर्क
(65) ओजीवाल
(66) मंदावत
(67) महाज
(68) पडाले
(69) कोलोशी
(70) जयगांव
(71) कलामबाद (भोडीवाले)
(72) खेवारे
(73) दुधनोली
(74) उमारोली खुर्द
(75) खोपीवाली
(76) मील्हे
(77) गोरखगाद

2. नासिक जिले में निम्नः

(ए) पेंट, सुरगाना और कलवान तहसील

बी) (i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

डिन्डोरी तहसील

(1) मोखनाल
(2) मांडवाल
(3) डेहारे
(4) कारंजली
(5) गंडोले
(6) पलासविहिर
(7) वारे
(8) वजजोले
(9) अम्बाद
(10) वनारे
(11) तितवे
(12) देवधान
(13) नानाशी
(14) छारोसे
(15) देवगढ़
(16) कउदासर
(17) विनी खुर्द
(18) पिंपलगांव धम
(19) जोरान
(20) महाजे
(21) सदराले
(22) नालवाडी
(23) ओजे,
(24) गोलसी
(25) जलखंड
(26) निगडोल
(27) कोकोगांव बुर्दक
(28) उम्बारले खुर्द
(29) अम्बेगांव
(30) छाछदगांव
(31) बाघाद
(32) पोपल वाडे
(33) धाउर

(34) उम्बाले बुदुर्क
(35) जम्बूतके
(36) पिम्पराज
(37) नालेगांव
(38) विलवांडी
(39) रासेगांव
(40) कोछारगांव
41) तिलहोली
(42) रावलगांव
(43) डेहरे वाडी
(44) ढ़ागुर
(45) देवसाने
(46) सरसाले
(47) करांजखेड
(48) पंगलवाडी
(49) इकलाहारे
(50) चउसाले
(51) पिम्परी अंचला
(52) अहिवंतवाडी
(53) गोलडारी
(54) हास्ते
(55) कोलहेर
(56) जिरवाडे
(57) छामदारी
(58) मालदुमाला
(59) मंडाने
(60) कोशिम्बे
(61) पुजेगांव
(62) पंडाने,
(63) अंबानेर
(64) चंदीकपूर
(65) भाटोडे
(66) दाहिवी
(67) मुलाने
(68) कोकनागांव खुर्द,
(69) मालेगांव
(70) पिम्पराखेड
(71) फोपासी
(72) बानी कास्बे
(73) संगमनेर
(74) खेडले
(75) मवाडी
(76) करंजवान,
(77) डाहेगांव
(78) वागलूड
(79) कश्शणगांव
(80) वारखेड
(81) कदवामहालुंगी,
(82) गांओंडेगांव
(83) हतनोर
(84) नीलवांडी
(85) पिंपलगांव केतकी
(86) राजपुर
(87) डिंडोरी
(88) जोपुल
(89) माडकी जाम्ब
(90) पालखेड
(91) इन्दोर
(92) कोरहते,
(93) छिंचखेड
(94) टालेगांव डिंडोरी
(95) अकराले,
(96) मोहाड़ी,
(97) पिम्पसालानारे
(98) खाटवाड
(99) रामसेज
(100) अम्बे डिंडोरे
(101) ढाकम्बे
(102) जानोरी
(103) मानोरी
(104) शिवर्ना
(105) वारवांडी
(106) जउलके डिंडोरी,

(ii) इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

इगातपुरी तहसली

(1) ढाडोशी,
(2) भीलमाल,
(2) पाहिने,
(4) जारवाड खुर्द,
(5) टाक–हर्ड्डी,
(6) हसावली हर्ड्डी,
(7) समुन्द्री
(8) खारोली
(9) कोजोली
(10) अवहाते
(11) खुशगांव
(12) मेतचन्द्रायची
(13) अलवांड
(14) दापुरे
(15) मेत हुम्बाची
(16) जारवाड बुदुर्क
(17) महासुरी
(18) शेवगेड़ाग
(19) वानजोले
(20) देवगांव
(21) अहुराली
(22) नन्द गांव
(23) वावी हर्ड्डी
(24) नागोसलाई
(25) ढ़ारगांव
(26) ओडली
(27) सातुरली
(28) अवाली डुमला
(29) कारहाले,
(30) रायाम्बे
(31) राकेड गांव
(32) मेटेलयाच्वी
(33) बितुरली,
(34) वालविहार,
(35) मालवी बुदर्क
(36) पिंपलगांव भाराटा
(37) कोपरागांव
(38) कुरनोली
(39) ढ़ारनोली
(40) वाकी
(41) छिनंछाले (खाइरे)
(42) ट्रिंगलवाडी,
(43) अदवान,
(44) अवालखेडे ,
(45) पारदेरी,
(46) बलायदूरी,
(47) खम्बाला,
(48) टेक घोटी,
(49) घोटी बुदुर्क
(50) तालगांव,
(51) गिरनार,
(52) तितोली,
(53) बोरटम्भे ,
(54) तातोशी,

(55) नन्दगांव साडे,
(56) पिंपरी सेर्दोदीन,
(57) तेलघा,
(58) कंचनगांव,
(59) शेनवार्ड बुदुर्क,
(60) फंगुलगांव,
(61) बोरली,
(62) मानवेदे,
(63) भवाली खुर्द
(64) कालूस्ते,
(65) जामुन्डे,
(66) गाहुन्डे,
(67) भारवाज,
(68) कारूंगवादी,
(69) निरपन,
(70) मनिआरगांव,
(71) अम्बेवाडी,
(72) खाडखेड,
(73) इन्दोर,
(74) उम्बारकोन,
(75) सोमाज घादगा ,
(76) उभाडे (वंजुलवाडी)
(77) मेगारे,
(78) बेलगांव तारहाले ,
(79) धामनगांव,
(80) देओले,
(81) खैरगांव,
(82) पिम्पलगांव मोर,
(83) धामिनी,
(84) अदसारे खुर्द,
(85) अदसारे बुदर्क,
(86) आछरवाड,
(87) ताकेट खुर्द,
(88) ताकेट बुदर्ग,
(89) खेड,
(90) वारसिंगवे,
(91) सोनोशी,
(92) मइदारा धानोशी
(93) वासाली,

(iii) नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नासिक तहसीलः

(1) साप्टे,
(2) कोने,
(3) खारवाल
(4) वरासविहिर
(5) वघेरा
(6) रोहिले,
(7) नन्दगांव
(8) गोरथान,
(9) हिरदी
(10) मालेगांव
(11) बेलुन्जे
(12) गणेशगांव वघेरा,
(13) पिम्परी त्रिम्बाक
(14) मेट कवारा,
(15) ब्रहम्णवाडे त्रिम्बाक,
(16) तोआनगांव,
(17) धुंबदी
(18) बेसे
(19) चकोर
(20) अम्बोली
(21) अम्बाई
(22) श्रीरासगांव
(23) तालवाडे त्रिम्बाक,
(24) पिम्पलाड त्रिम्बाक,
(25) खामबाले,
(26) सापगांव,
(27) काचुरली,
(28) अनियानेरी,
(29) तालेगांव त्रिम्बाक,
(30) पोगलवाडी त्रिम्बाक,
(31) वाछोली,
(32) उब्बारांडे,
(33) कालमुस्ते
(34) तिम्बार्क (देहात),
(35) हर्डुवाडी
(36) मेरघेराकिला टिम्बार्क
(37) मुलेगांव
(38) लादाची
(39) नायकवाडी,
(40) वेले,
(41) सादगांव,
(42) वादगांव,
(43) मनोली,
(44) ढोडेगांव
(45) दारी
(46) गिरनाल
(47) इगांव
(48) देवरगांव
(49) नांगलवाडी
(50) ओजारखेडा
(51) चांदसी
(52) गंगामहलुंगी
(53) जलालपुर
(54) सवारगांव
(55) गोवरधन
(56) शिवगांव
(57) पिंपलगांव गरूडेश्वर
(58) राजवाडी
(59) गंगावारहे,
(60) गणेशगांव टिंबार्क
(61) गणेशगांव नाशिक
(62) वसाली
(63) दूदगांव,
(64) महिरावनी
(65) तालेगांव अंजानेरी,
(66) जाटगांव,
(67) सारूल
(68) पिंपलाड नासिक
(69) राजोर वहुला,
(70) दहीगांव,

(3) धूले जिले में निम्न:—

(ए) नंवपुरा, तालोडा, अक्काल कुआ और अकरानी तहसील

बी) (i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

सकरी तहसील

(1) छोपाले
(2) रोथोड
(3) जामखेल
(4) खरसूवाडे
(5) सुतारे
(6) धानेर
(7) अमाले
(8) माछमाल
(9) खांडवारे
(10) रायकोट
(11) बुस्धे
(12) पानगांव
(13) लागडवाल
(14) रायतेल
(15) ब्रहमणवेल
(16) आमखेल
(17) जाम्बोरे
(18) वारसस
(19) जामको
(20) रूनमाली
(21) वसखेडी
(22) डामकानी
(23) सालटेक
(24) दाहीवेल
(25) मोनगांव
(26) वादगांव
(27) मेनडान
(28) दापुर
(29) शेहन
(30) जेबापुर
(31) अमोड
(32) किरवाड़े
(33) घोडाडे
(34) सुरपान
(35) कोरडे
(36) वालव्हे
(37) विटावे
(38) कासबे चहेडवैल
(39) बसार
(40) इसराडे
(41) पेटाले
(42) पिंपलगांव
(43) मोहनी
(44) तेम्भे, परगान वारसे
(45) शिरसोले
(46) उमारपेरा
(47) मालगांव, परगान वारसे
(48) खारगांव
(49) कालाम्बे
(50) छोरवाड
(51) लखाल
(52) वारसे
(53) सेनवाड
(54) कुदासी
(55) मनजारी
(56) मापालगांव
(57) डांगासेर वाडे
(58) बोपखी
(59) शिव
(60) खात्याल
(61) वारदोली
(62) काकसाद
(63) पानखडे

(ii) नंदुरबार तहसील और नंदुरबार शहर के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नंदुरबार तहसील

(64) सामोडे
(65) महासदी, पनगाने पिम्पलनेर
(66) पिंपलनेर
(67) चिकासे
(68) जोरापुर
(69) कोकनागांव
(70) शेवागे
(71) धामानधार
(72) विरखेल
(73) पारगांव
(74) मंडाने
(75) बालहाने
(76) देशिरवाडे
(77) काडयाल
(78) ढ़ोगाड़िडगार
(79) शेलबारी
(80) डेगांव

1. भांगडे
2. मंगलूर
3. वसलाई
4. अर्दितारा
5. धानोरा
6. पावले
7. कोठडे
8. उमज,
9. कोथाली खुर्द
10. वदाजकान
11. निंबोन बुदरुक
12. जालखे
13. शिरवादे
14. रनाले खुर्द
15. नटवाड
16. करांजवे
17. शेजवे
18. पिंपलोड-टर्फ-धानोर
19. लोया
20. वेलावेद
21. वयाहुर
22. धुलवाड
23. गुजर भवाली
24. गुजर जम्बोली
25. कर्णखेडे
26. फुलसारे
27. उमर्दे बुदरुक
28. नारायणपुर
29. धिरासागोन
30. धेकवाड
31. बिलाडी
32. खैराले
33. खामगांव
34. नागासार
35. विरचक
36. टोकारटेल
37. वाघले
38. ओजार्दे
39. आस्थे
40. थानेपाडा
41. अमरावे
42. पथराई
43. धामदाई
44. वारुल
45. अदाच्छी
46. लोंखेडे
47. कराजकुपे
48. नालवे खुर्द
49. सुंदारदे
50. नालवे बुदरुक
51. दुधाले
52. नंदारखे
53. भाने
54. वसादरे
55. ववाद
56. चाकले
57. दहींडुले बुदरुक
58. दहींडुले खुर्द
59. कथोरे दिगर
60. उमार्दे खुर्द
61. चौपाले
62. अकराले
63. वादबारे
64. अखातवाड़े
65. हट्टी एलियास इंडि
66. पलाशी
67. घुली
68. रक्षावाडे
69. वाघोडे
70. पाटोंडे
71. हाल-टर्फ-हवेली
72. खोडासगांव
73. शाहदे
74. शिंडे
75. कोल्डे
76. भागसारी
77. धामदोड
78. सवाल्दे
79. कोरित
80. सुजातपुर
81. तिशि
82. धांधाने

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शाहदा तहसील

(1) आकासपुर
(2) नवगांव (वन ग्राम)
(3) वीरपुर
(4) दारा
(5) भूटा
(6) कनसाइ (वनग्राम)

(7) नन्दया कुसुमवाडे (वनग्राम)
(8) छिराडे
(9) नागजिरि (वनग्राम)
(10) कुसुमवाडे
(11) नन्दया (वनग्राम)
(12) पिम्परानी
(13) रानीपुर (वनग्राम)
(14) फत्तेपुर
(15) लक्काडोत (वनग्राम)
(16) कोटबन्धनी (वनग्रम)
(17) पिंम्पलोड
(18) कुड्डावाड
(19) लाच्छोर
(20) कन्नाडी–टर्फ–हवेली
(21) शीरूद–टर्फ–हवेली
(22) अमोडे
(23) अलखेड
(24) पाडाले बुदर्क
(25) बुदिगांवन
(26) उमारती
(27) पिम्पारी
(28) महासवाद
(29) अनकवाडे
(30) सुलवाडे
(31) तवलाई
(32) मुबारकपुर
(33) कलमाडी–टर्फ–बेआरदी
(34) वेलवाड
(35) वाडी
(36) सोनावद–टर्फ–बोआरदी
(37) थेंगचे
(38) जावाडे–टर्फ–बोआरदी
(39) तारहाडी–टर्फ–बोआरदी
(40) बारधे
(41) पारी
(42) कोठारी–टर्फ–हवेली
(43) औरंगपुर
(44) चिरवाली बुदुर्क
(45) करनखेड
(46) नन्दारडे
(47) बइजाली
(48) बाघोडे
(49) परकाशे
(50) धामलाड
(51) काथारेडे बुदर्क
(52) काथारडे खुर्द
(53) कलसाडी
(54) धुरखेडे
(55) भाडे
(56) पिनाने
(57) गानोर
(58) आदगांव
(59) खारागांव
(60) कोछारे
(61) बिलाडी–टर्फ–हवेली
(62) बहिरापुर
(63) ब्रहमणपुर
(64) सुल्लातनपुर
(65) रायखंड
(66) खेड दिगर
(67) नावलपुर
(68) चांदसाइली
(69) गोदीपुर
(70) पडालडे खुर्द
(71) भागपुर
(72) जावखेड
(73) सोनवाई–टर्फ–हवेली
(74) कवालीथ
(75) तुकी
(76) सावरवेडे
(77) कारजोत
(78) लाहोर
(79) गोपापुर
(80) कुरांगी
(81) तिधारे
(82) दामालेड
(83) कालामांड–टर्फ–हवेली
(84) चिरवाली खुर्द
(85) भारेटेक
(88) उखालसेम
(89) वघारदे
(90) जाम
(91) जवादे–टर्फ–हवेली
(92) तितारी
(93) होल मुबारकपुर(वनग्राम)
(94) वेदगांव
(95) पिम्पारदे
(96) आशालोड
(97) मंडाने
(98) अवागे
(99) तिखोरे
(100) उन्तावाद
(101) होल
(102) मोहिडे–टर्फ–हवेली
(103) जुनवाने
(104) लोनखेडे
(105) तेम्भाली
(106) टोलगु जारी
(107) आसुस
(108) बुपकारी
(109) मलोनी
(110) डोगरागांव
(111) कोथाल–टर्फ–शहादा
(112) मटकुट
(113) बोराले
(114) कामरावेद
(115) कहतुल
(116) वेदेहिल
(117) लोंनढोर
(118) उहालोड
(119) निम्बोरे
(120) धांडे बुदर्क
(121) चिरकान (वनग्राम)
(122) असलोड (नया) (वनग्राम)
(123) मानगारा वनग्राम
(124) जैनघर
(125) दांडेरे खुर्द (वनग्राम)
(126) ममोडया वनग्राम
(127) दुतरवेडे (वनग्राम)
(128) वदाली
(129) कोठावाल
(130) भुलाने (वनग्राम)
(131) चांद साइली (वन ग्रम)
(132) उभादगांद (वनग्राम)
(133) काकराड खुर्द
(134) खापरखेडे (वनग्राम)
(135) मालगांव (वनग्राम)
(136) लंगादी भवनी (वनग्राम)
(137) शहना (वनग्राम)
(138) काकरदे बुदर्क
(139) अम्भानपुरा बुदुर्क
(140) काटघर
(141) निम्बारडी (वनग्राम)

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शिरपुर तहसील

(1) बोरपानी (वनग्राम)
(2) मलकाटार (वनग्राम)
(3) फत्तेपुर (वनग्राम)
(4) गादहाडदेव (वन ग्राम)
(5) कोडिड (वनग्राम)
(6) गुरहाडपानी (वनग्राम)
(7) भुदाकी बनग्राम (वनग्राम)
(8) वाघपदे (वनग्राम)
(9) सइगारपद (वनग्राम)
(10) मंजरी बुरदी (वनग्राम)
(11) छोन्दी (वनग्राम)
(12) भुदकी (वनग्राम)
(13) छंदसुयारा (वनग्राम)
(14) बरोदी (नया)(वनग्राम)
(15) काकडामल (वनग्राम)
(16) वाकवाड (वनग्राम)
(17) डोडवाडा (वनग्राम)
(18) तेम्भा (वनग्राम)
(19) खैरवान (वनग्राम)
(20) डोडवाडा (वनग्राम)
(21) तेम्भा (वनग्राम)
(22) खैरखान (वनग्राम)
(23) बोआरदी
(24) वसारदी
(25) नन्दारदे
(26) चान्दसे
(27) वाडी बुदर्क
(28) वाडी खुर्द
(29) जालोड
(30) अभनापुर खुर्द
(31) तारहाड
(32) उखालवाडी
(33) मुखेड
(34) नीमजारी
(35) वरजाडी
(36) वाघबारदा
(37) समरचापद
(38) लउकी
(39) सूले
(40) फत्तेपुर
(41) हेदाखेल
(42) अरूनपुरी बांध
(43) संगवी
(44) हाटेड
(45) जेन्दया अन्जान
(46) पलासनेर
(47) खाम्बले
(48) पानाखेड (वनग्राम)
(49) खरकुटी (वनग्राम)
(50) जोदाया (वनग्राम)
(51) छिलारे (वनग्राम)
(52) लकड्या हनुमान(वनग्राम)
(53) महादेव डोन वाडे(वनग्राम)
(54) मालापुर (वनग्राम)
(55) रोहिनी
(56) भोड़ती
(57) अम्बे
(58) खामखेडे परगने अम्बे
(59) हिवारवेडे (वनग्राम)
(60) हिगांव
(61) वाडेल खुर्द
(62) कालापानी (वनग्राम)

4. जलगांव जिले में निम्नलिखित

(क) (i) छोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

छोपडा तहसील

(1) मराठा (वनग्राम)
(2) मूरढिडा (वनग्राम)
(3) उमारती (वनग्राम)
(4) सत्रसेन (वनग्राम)
(5) कृशणपुर (वनग्राम)
(6) अंगुरने
(7) खारया पडव (वनग्राम)
(8) वइजापुर (रेवन्यू)
(9) मुलुयाउत्तर (वनग्राम)
(10) वइजापुर (वनग्राम)
(11) बोराजन्ती (वनग्राम)
(12) मालापुर (वनग्राम)
(13) बोरामाली (वनग्राम)
(14) करजाने (वनग्राम)
(15) मेलान (वनग्राम)
(16) विशनपुर (वनग्राम)
(17) देवहारी (वनग्राम)
(18) देवजिरि (वनग्राम)
(19) कुंडयापानी (वनग्राम)
(20) इच्चापुर परगने
(21) बधवनी
(22) बधानी
(23) कनदाने
(24) मोहराद
(25) असालवाडी (वनग्राम)

(ii) यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

यावल तहसील

1. मनापुरी
2. टोलाने
3. खालकोट
4. इचकहेडे
5. मलोद (वन ग्राम)
6. हरिपुरा (वन ग्राम)
7. वाघाजीरा (वन ग्राम)
8. प्रसादे बुदरूक
9. बोरखेड़े खुद
10. लांगदा अम्बा
11. जामन्या (वन ग्राम)
12. गदरया (वन ग्राम)
13. उसमाली (वन ग्राम)

(iii) रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रावेर तहसील

(1) महुमांडली (वनग्राम)
(2) पिम्परकुंड (वनग्राम)
(3) अन्धारमालि (वनग्राम)
(4) तिड्या (वनग्राम)
(5) निम्नद्या (वनग्राम)
(6) गारबारदी (वनग्राम)
(7) जानोरी
(8) छिनछाती
(9) पाल
(10) मारवाल
(11) जिनसी
(12) लालमारी (वनग्राम)
(13) अवहोडे बुदर्क
(14) लाहोर
(15) सहसरालिंग (वनग्राम)
(16) कुसम्भे बुदर्क
17) कुसम्बे खुर्द
(18) पिम्परी
(19) मोहगांन बुदर्क
(20) पडाले बुदुर्क
(21) महुमांडली (पुराना) (विरान)

5. अहमदनगर जिले में निम्नलिखितः-
(क) अकोली तहसील के चौरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अकोली तहसील

(1) तिरधे
(2) पडोसी
(3) महाजुंगी
(4) एकडारे
(5) संगावी
(6) केली रूमहानवाडी
(7) बिताका
(8) खिरवीरे
(9) कोम्भालने
(10) तहकारी
(11) सम्सेरपुर
(12) सावरगांव पाट
(13) मुथालने
(14) बारी
(15) वारंधुसी
(16) लाडागांव
(17) शेनित
(18) पाभुलवांडी
(19) बाभुलवांडी
(20) अंवेवांगन
(21) देवगांव
(22) पेंडशेट
(23) मानहेर
(24) शेलविहीरे
(25) पंजारे
(26) छिनचोंद
(27) वाकी
(28) तितावी
(29) पिंपरकाने
(30) उदादावाने
(31) कोदानी
(32) घाटघर
(33) सिगनवाडी राजौर
(34) मुरशेट
(35) शेंडी
(36) समराड
(37) भंडारडारा
(38) रानाड बुदर्क
(39) रानाड खुर्द
(40) मालेगांव
(41) कोहीन्डी
(42) दिगम्बर
(43) गुहिरे
(44) कतालपुर
(45) रतनवाडी
(46) शिरपुंजे खुर्द
(47 घामनवन
(48) अम्बित
(49) बालधान
(50) मानिक ओजार
(51) पुरूचवाडी
(52) मवेशी
(53) शिसवाद
(54) वाप जुल सेत
(55) गोंडोशी
(56) खादकी
(57) साकिर वाडी
(58) पचनानी
(59) छिछावने
(60) पदालने
(61) मुतखेल
(62) तेरूनगांव
(63) राजोर
(64) विथे
(65) कोटलेम्भे
(66) कालूगांव
(67) जामगांव
(68) शिरपुंजे वुदर्क
(69) सवारकुटे
(70) कुरूक्षेत्र
(71) शिरपुंजे बुदर्क
(72) पिंपरे
(73) विहिर
(74) शिंडा
(75) अंबिट खिंडा
76) पालसुंडे
(77) शिलवांडी
(78) कोहोने
(79) लिवाली ओतुर
(80) तेले
(81) कोथाले
(82) सोमलवाडी
(83) विहिर
(84) शिंडा

(85) अम्बित खिंड
(86) पालसुंडे
(87) पिसेवाडी
(88) फोपसांडी
(89) सातवाडी
(90) केली ओतुर
(91) केली कोतुल
(92) खेतवाडी
(93) इसारथाव
(94) करांडी

6. पुणे जिले में निम्नलिखित:-

(क)(i) अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अम्बेगांव तहसील

(1) डोन
(2) पिम्परागान
(3) अघाने
(4) अहूपे
(5) तिरपाड
(6) नहावेद
(7) असाने
(8) मलीन
(9) नानावाडे
(10) अमाडे
(11) वरसावने
(12) कोंढारे
(13) आदेवारे
(14) बोरघर
(15) पाटन
(16) कुसीरे खुर्द
(17) पंचालबुदर्क
(18) कुसीरे बुदर्क
(19) दिगाद
(20) पंचाल खुर्द
(21) महिलुंगे–टर्फ–अम्बेगांवट
(22) सवारली
(23) मेघोली
(24) वाछापे
(25) साकेरी
(26) पिमपारी
(27) अम्बेगांव
(28) जाम्बोरी
29) कालाम्बाई
(30) कोन्ढावाल
(31) फूलवाडे
(32) फलोडे
(33) कोलटावाडे
(34) तेरूनगांव
(35) विम्भे बुदुर्क
(36) महालुंगे–टर्फ–घोडा
(37) राजपुर
(38) छिक्काली
(39) राजेवाडी
(40) सूपेघर
(41) तालघर
(42) मापोली
43) डिम्भे खुर्द
(44) पोरवारी
(45) गोहे बुदर्क
(46) निगाडाल
(47) गोह खुर्द
(48) अपाती
(49) गंगापुर खुर्द
(50) अमोंडी
(51) कनासे
(52) गंगापुर बुदुर्क
(53) सिनोली
(54) पिम्पागांव–टर्फ–घोडा
(55) साल
(56) ढाकले

(ii) जुन्नार तहसील के पैंसठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

जुन्नार तहसील

(1) छिल्लेवाडी
(2) अम्बेहवाइन
(3) जामभूलसी
(4) खिरेश्वर
(5) माघालाने
(6) कोल्हेवाडी
(7) कोपारे
(8) मंडावे
(9) सिंगनोर
(10) आलू
(11) खूबी
(12) पिम्पालगांव
(13) कारंजाले
(14) माछ
(15) पांगरी–टर्फ–माध
(16) कोलवाडी
(17) परगाव– टर्फ –मोद
(18) तालेरान
(19) सीतेवाडी
(20) वाधाले
(21) निमगिर
(22) अनजानवाले
(23) हदसर
(24) देवाले
(25) खाइरे
(26) घाटघर
(27) जलवांडी
(28) हिरदी
(29) उनदेखादेक
(30) राजपुर
(31) खाटकाले
(32) मणिकोध
(33) खाड कुम्बे
(34) उरसान
(35) वेवादी
(36) तेजपुर
(37) फंगलघावन
(38) छावान्ड
(39) पुर
(40) खानगांव
(41) मानकेश्वार
(42) सुरले
(43) अम्बोली
(44) शिरोली
–टर्फ–कुकादनेर

(45) वानेवाडी
(46) अपटाले
(47) कोली
(48) शिवाली
(49) उतचिल
(50) बोतारडे
(51) धालेवाडी–टर्फ–मिनहर
(52) भिवांडे बुदर्क
(53) इंगालून
(54) भिवाडे खुर्द
(55) घंगालडारे
(56) सोनावाले
(57) ताम्बे
(58) हिवारे–टर्फ–मिनहर
(59) हतविज
(60) अम्बे
(61) पिंपलवाडी
(62) सुकालेवाडे
(63) गोदरे
(64) खामगांव
(65) सोमतवाडी

7. नानडेड जिले में निम्नः–
किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किनवत कस्बा

किनवत तहसील

(1) तकली
(2) पदसा
(3) सायपाल
(4) मुरली
(5) वादसा
(6) कोली
(7) अस्थता
(8) गोण्डेगांव
(9) मदनपुर
(10) बोंण्डगांव
(11) उमरा
(12) मछन्द्र पारद
(13) करालगांव
(14) स्वरखेड
(15) डिगडी (कुटेमार)
(16) वाई
(17) हरदाप
(18) नाइकवाडी
(19) हिनगानी
(20) वाजरा
(21) तुलसी
(22) गोंडवासा
(23) अंजानखेड
(24) भोराड़
(25) छोराड़
(26) धनोरा (सिंदखेड)
(27) रामपुर
(28) पाथरी
(29) खाम्बला
(30) पारदी
(31) सिन्दखेड
(32) चिंचखेड
(33) होटाला
(34) वाइफानी
(35) धुंद्रा
(36) गउरी
(37) बोथ
(38) सइलू
(39) करनजी
(40) भगवती
(41) वाराजबुदर्क
(42) उमरी
(43) उनकदेव
(44) चाइस
(45) पिंपलसेंडा
(46) सरखानी
(47) देलही
(48) निराला
(49) नूरगांव
(50) टिट्वी
(51) लिंगी
(52) नागपुर
(53) जुनुनी
(54) दिगदवजारा
(55) डारसांगवी (सिंदखेड)
(56) डोगरगांव
(57) पिपलगांव (सिंदखेड)
(58) जरूर
(59) मिनको
(60) सिंगोडा
(61) सिरपुर
(62) ताम्भी
(63) वेलागांव
(64) कनकी
(65) कोठारी
(66) पंचुडा
(67) वनोला
(68) जवारला
(69) दिगदवाजरा
(70) पचुण्डा
(71) वनोला
(72) साकुर
(73) मैंडकी
(74) डिगडी
(75) मोहनपुर
(76) धनोरा
(77) मुनगस
(78) सिंगदी (किनबत)
(79) मालबोरगांव
(80) नेजपुर
(81) राजगाड
(82) वडोली
(83) अनजी
(84) कनकवाडी
(85) लोनी
(86) धमनधारी
(87) पंधारा
(88) बेल्लोरी
(89) मारेगांव
(90) कमथाला
(91) अम्बादी
(92) खेरदा
(93) मलकापुर
(94) घोती
(95) सिरमेत्ती
(96) भीमपुर
(97) पिपलगांव
(98) घोराडवाडी
(99) गोकुंडा
(100) माण्डवा
(101) डिग्डी
(102) नागजरी
(103) कोठारी
(104) परधान संगवी
(105) बेन्डी

(106) अमाडी
(107) मदनापुर
(108) शानीवार पेठ
(109) दभादी
(110) चिरवली
(111) हुदी (चिखर्ली)
(112) एन्धा
(113) मूलजा
(114) डारसंगवी
(115) मालकवाडी
(116) पेन्डा
(117) परधी खुर्द
(118) केरल
(119) डेगांव
(120) लिंगधार
(121) परदी बुदर्क
(122) बोधादी खुर्द
(123) बोधादी बुदर्क
(124) सिंदगी
(125) अंधबोरी
(126) कोपारा
(127) पीपरफोडी
(128) परोडा (छिकली)
(129) पिपरी
(130) धनोरा
(131) सवारी
(132) धारा
(133) पोथ रेड्डी
(134) सिगारवाडी
(135) अन्जेगांव
(136) भंडारवाडी
(137) जलधारा
(138) बेलोरी (छिखिली)
(139) मालकोलारी
(140) डिगरास
(141) डोंगरगांव
(142) शिवोनी
(143) परोरी
(144) स्वरगांव
(145) जलधारा
(146) कोठारी
(147) हुड्डी (इसपुर)
(148) करांजी (इसपुर)
(149) कुपटीखुर्द
(150) कुपटी बुदर्क
(151) वाग धारी
(152) तलारी

8. अमरावती जिले में निम्नलिखितः-

(क) चिखलाधरा और धानी तहसील

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखितः-

(क) (i) मारेगांव तहसील के एक सौ तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मारेगांव

1. घोगुलदारा
2. शिओनाला
3. बुरांडा
4. फापल
5. कन्हलगांव
6. खेपाडवाई
7. घोदाधारा
8. नरसाला
9. धमानी
10. मदनापुर
11. बोरी खुर्द
12. पिसगांव
13. वडगांव
14. फिसकी (वन ग्राम)
15. भालेवाड़ी
16. पथारी
17. चिंचाला
18. पान हरकावाला
19. खर्दा (वन ग्राम)
20. पिम्परद (वन ग्राम)
21. फपरवाड़ा
22. सलाभाटी (वन ग्राम)
23. दोलदोंगरगांव
24. माचिन्द्रा
25. पंडविहार
26. जाल्का
27. पंधारदेवी (वन ग्राम)
28. अम्बोरा (वन ग्राम)
29. चिंचोनी बोटोनी
30. अवलगांव (वन ग्राम)
31. कन्हलगांव
32. खारीगांव
33. सराती
34. बुरांडा
35. दुर्गादा
36. वागधारा
37. मेंधानी
38. धानपुर
39. खंडानी
40. खापरी
41. उचातदेवी (वन ग्राम)
42. मारेगांव (वन ग्राम)
43. खंडानी
44. महासदोदका
45. पालगांव

46. बोटोनी
47. गिर्जापुर (वन ग्राम)
48. पछ्पोहर
49. अम्बेजारी
50. रोहपात
51. रैनपुर
52. सगनपुर
53. हिवारा बरसा
54. रामपुर
55. कतली बोरगांव
56. पारदी
57. शिबला
58. चियाली (वन ग्राम)
59. बोरगांव (वन ग्राम)
60. पेंधारी
61. अर्जुनी
62. कागांव
63. रजनी
64. माजरा
65. गंगापुर (वन ग्राम)
66. भोइकुंड (वन ग्राम)
67. वाधोना
68. सुसारी
69. सुरला
70. गोदानी
71. निमानी
72. दरारा
73. आसन
74. जगलोन
75. जामकोला
76. इसापुर
77. किलोना
78. उमरघाट
79. वल्लासा
80. जुनोनी (वन ग्राम)
81. लेंचोरी
82. चिंचघर
83. अम्बिजारी, खुर्द
84. अम्बेजारी बदरूक
85. करगांव खुर्द
86. निम्बादेवी
87. टेम्फी
88. कुंडी
89. मांडिव
90. जुनाई
91. प्रम्भा
92. पोखरनी (वन ग्राम)
93. पिवारदोल
94. भोराद (वन ग्राम)
95. चिखालदोह
96. मुलगवान
97. भीमनाला
98. चटवान
99. अराइकवाड़
100. गवारा
101. माथार्जुन
102. महदापुर
103. पंधारवानी
104. देमाद देवी
105. मंडवा
106. डोंगारगांव
107. दभाड़ी
108. उमरी
109. मुधाती
110. प्रसोदी
111. कोडपखिंडी
112. मंगरूल खुर्द
113. मंगरूल बदरूक
114. गोपालपुर
115. रामपेठ
116. चालबरडी
117. जामनी
118. शिरोला
119. अदकोली
120. खालकलोह
121. बिरसापेठ
122. मुछी
123. मारकी बुदरूक
124. मरकी खुर्द
125. गणोशपुर
126. पवांर (वन ग्राम)
127. कृष्णपुर (वन ग्राम)
128. खेकाड़ी
(वन ग्राम)
129. शेकापुर
130. यिओती

(ii) रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रालेगांव तहसील

1. लोहारा
2. एकलारा
3. सोनेर्डी
4. वाटक हेर
5. जलका
6. वर्णा
7. पिंपारी दुर्ग
8. मांडवा
9. कोलवान
10. शोए
11. वरूद
12. बुकाई
13. जरगद
14. खादकी सुकली
15. डोंगर गांव
16. तेजानी
17. अंजी
18. लोनी
19. बोराती (वन गांव)
20. सराती
21. खैरगांव कसार
22. वारधा
23. भुलगद
24. पिंपलशेंडा, (75),

25. अतमुर्डी
26. सावरखेड
27. चोंधी
28. वधोडा
29. खेमकुन्ड
30. पार्डी (वन गांव)
31. उमरविहिर
32. अदनी
33. खटारा
34. मुन्जाला
35. पलासकुन्ड
36. वीर गांव
37. खैर गांव
38. देवधारी
39. सिंगल द्वीप
40. सोनुर्ली
41. सिन्दुला
42. जोतिंगदारा
43. साखी खुर्द

(iii) केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव और पन्धार्कवारा शहर शामिल किया गया

केलापुर तहसील

1. मोदारी
2. जोगीन कोहला
3. मीरा
4. जीरा
5. घोद्दारा (वन गांव)
6. साखी बुदरूक
7. वधोना खुर्द
8. जोलापुर (वन गांव)
9. करानी
10. वधोना वुदरूक
11. तिवसाला (वन गांव)
12. कोथाड़ा
13. सुदेवी
14. चनई
15. असोली
16. मुहारा
17. कारेगांव
18. चिखालदारा
19. किसनापुर
20. दाभा
21. मारवा
22. खैरगांव
23. वघोली
24. कुसलगांव
25. चोपन
26. मल्कापुर (वन गांव)
27. केगांव
28. वादनेर
29. जुली
30. भाद उमारी
31. प्टोरा
32. प्हपाल
33. नगजारी खुर्द
34. बहत्तार
35. सुसारी
36. नईकसुकली (वन गांव)
37. पेधारी
38. पिल्पाली
39. डोंगारागांव
40. बेथ
41. माले गांव खुर्द (वन गांव)
42. हिवारदारी (वन गांव)
43. मालागांव बुदरूक (वन गांव)
44. दरियापुर
45. पिल्वाहरी
46. अर्ली
47. रिवारी
48. पिंपालशेंडा
49. कारागांव,
50. वाडवत
51. खैरी
52. घुवाडी
53. कोंघारा
54. सखारा वुदरूक
55. धारना
56. मांगी
57. ढाकी
58. वायी
59. पिंपालपुर
60. गणेशपुर
61. खैरगांव,
62. पाह
63. निलजई
64. मारगंव
65. अंभोरा
66. डोंगरगांव,
67. पिंपारी
68. खैरगांव
69. मुची
70. मंगुर्दा
71. पन्धारवानी बुदरूक (वन गांव)
72. कोंधी
73. वेदाद
74. बागी
75. घनमोडे
76. नन्दगांव
77. गणेशपुर
78. टाटापुर
79. ज्न्जापुर
80. गेंडवाकाडी
81. च्लबर्दी
82. ब्लुरी
83. टादुमारी
84. बरगांव
85. अकोली बुदरूक
86. महानदोली
87. सखारा
88. मराठवाकाडी
89. ढोकी
90. वल्लारपुर
91. टोकवनजारी
92. व्नजारी
93. खारीगांव बुदरूक
94. टिमभी
95. राधापुर (वन गांव)
96. पिलखाना (वन गांव)
97. वाजएरी
98. अन्धअरवाडी,
99. यलापुर (वन गांव)
100. चनाखा
101. निमधेली
102. रूधा
103. सुकली

(iii) गिंताजली तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गिंताजली तहसील

1. मरवेली
2. रजुरवाडी
3. लिंगी
4. कोली खुर्द
5. कोली वुदर्क
6. रामपुर उन्धार्नी
7. कपाशी
8. डेटोडी
9. गुधा
10. वारूड, (240),
11. जपारवाडी
12. उमरी (242)
13. पलोडी
14. कापरी (244)
15. घोटी
16. बुडाडी
17. मुधाडी (वन गांव)
18. जलान्द्री
19. मनुसधारी
20. अयाते
21. काप
22. कवाथा बुदरूक
23. बिलायत
24. खादकी
25. चिमटा
26. कोपरी खुर्द
27. चिंचोली (268)
28. किंधी (वन गांव), (269),
29. गवारा (वन गांव)
30. टिटवी
31. मुरादगवन (वन गांव)
32. पिंपाल खुटी (वन गांव)
33. खरोनी (वन गांव)
34. वधोना
35. डोर्ली
36. राहती
37. रासा (वन गांव)
38. जताला
39. चिखालवार्धा
40. तड–सवाली
41. सैफाल
42. नागेजरी बुदरूक
43. कवाथा (वन गांव)
44. पारवा
45. मझाडा
46. पार्दी
47. जम्ब
48. कालेश्वर
49. शेराद
50. धूंकी (वन गांव)
51. मथानी (वन गांव)
52. राजागांव (वन गांव)
53. खापरी (वन गांव)
54. होनेगांव
55. गनेडी

10. गदचिरोली जिले में निम्नलिखितः-

(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धनोरा, गुरखेड़ा तहसील ।

(ख) (ii) गदचिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गदचिरोली तहसील

1. नबगांव (636)
2. चाक चुरचुरा
3. कुराधी
4. चाक मउसी
5. मरमेडी
6. बोथेडी
7. पेलनदुर,
8. गिलगांव (658),
9. चाक खारपुर्डी,
10. जपरा,
11. चाक धिबाना
12. मेरउमबोडी
13. कुरकेडी
14. खुरसा
15. वीजापुर
16. सोनापुर
17. मोंधा (680)
18. सावरगांव 683
19. कनरी
20. पुलखाल
21. मुदजा बुदरूक
22. मुदजा तुकुम
23. कुरूपाला
24. मसली
25. रणभूमि
26. चन्दाला
27. रणमोल
28. कुम्भी पत्च
29. कुम्भी मोकासा
30. मादे मुल
31. मारोदा
32. कोसाम घाट
33. रायपुर
34. रवानजोरा
35. पेकिनकासा
36. सवेला
37. सुईमारा
38. सखेरा
39. कर्कजारा
40. कन्हलगांव
41. केलीगाटा
42. तोहागांव
43. गजनगुद्दा
44. बनोली
45. सूयडोंगरी

46. सलाईटोला
47. विटानटोटा
48. पोटेगांव
49. रजोली
50. मद्रास
51. जालेर
52. देवापुर
53. रामगाड,
54. गावलहेटी
55. डेउडा
56. खरादगुडा
57. तालकुडा
58. जामगांव
59. खाडसी
60. कोरकुटी
61. नागवेली
62. जालेगांव

(ii) अरमोली तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अरमोली तहसील

1. कोरागांव
2. कालमगांव
3. कुरल
4. सलेडा
5. सलेडा लाम्बा
6. कसारी तुकाम
7. कसारीगांव
8. शिवराजपुर
9. पोटेगांव
10. विहिरगांव
11. पिंपालगांव
12. अरात–तोन्डी
13. डोंगारगांव (हलाबी
14. प्लासगांव
15. न्वारगांव
16. प्थारगोटा
17. मंगेवेडा
18. टरमोरी
19. स्लमारा
20. थानेगांव
21. पटानवेडा
22. पुरानवैरागड
23. देउलगांव (69),
24. सुकला
25. मोहाजारी उर्फ सखारबोडी
26. चाक केरनाडा
27. लोहारा
28. चाक सोनपुर
29. हीरापुर
30. डोंगर तमसी
31. सिहानी खुरूद
32. चावहेला
33. मोहाताला चाक कुकोडी
34. मेंधा
35. डोंगारतमसी पेच
36. न्गरवाडी
37. चाक नरोती
38. चाक कुरोंडी
39. वाडेगांव
40. थोटीबोडी
41. थ्दलवांडी
42. म्नापुर
43. केसारी
44. म्नगोडा
45. तुलतुली
46. च्कनागारवाधी
47. विहिरगांव
48. कुरांडी
49. उमारी
50. यंगाडा
51. पिसेवाडढ़ा
52. परासवाडी
53. डवान्डी
54. खादकी
55. भाकरांडी
56. नरोती मालगुजार
57. कोरेगांव
58. वारखेडा
59. खराडी
60. भंशी
61. डोर्ली
62. वनारचुवा
63. जमभाली
64. मिंधा
65. नारचोली
66. खेहारी
67. मारगांव पेच
68. मारगांव
69. चाक मारगांव
70. चाक चिचोली
71. मुसी खुम्ब
72. वेलागांव
73. चिचोली
74. वानखेडा

(iii) चामोरसी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

चामोरसी तहसील

1. सगानपुर
2. वनढोना
3. गिलगांव
4. भिंडी कनाल
5. देटारी
6. चाइट कनवर
7. कलामगांव
8. कुरूड
9. मेलर
10. कुलीगांव
11. नाचागांव
12. बहेडविहिड
13. वालसारा
14. चाक विजापुर
15. जोगाना

16. मुरमुरी
17. रावनपाली
18. सोनापुर
19. डरली
20. रेखागांव
21. यदनूर
22. पेलसानपेथ
23. पन्धारी भटाल
24. राजनगेट्टा
25. चाक अमरगांव न. 1
26. मुतनूर (27)
27. अबापुर
28. मुरानदेपी
29. लिनगुडा
30. अदयल (31)
31. कर्कापल्ली
32. चाक कर्कापल्ली
33. जंगामुकुरल
34. फियूजर
35. दिकानी
36. चाक मुदोली न. 2
37. लक्ष्मणपुर
38. सगानपुर
39. अम्बोली
(40) गहुबोदी मिसिंग
(41) छाक नारायनपुर संख्या 2
(42) छाक नारायनपुर संख्या 2
(43) राजुर वुदर्क
(44) भादविड
(45) मांगनेर
(46) छिचपाल्ली
(47) वानारछुवा
(48) जयरामपुर
(49) वाइगांव
(50) नारायणपुर
(51) राजौर खुर्द
(52) हलदवाही
(53) मुधोली
(54) कोठारी
(55) बम्हनी देव
(56) सोमनापल्लि
(57) कान्हलगांव
(57) सिंगेला
(59) बेलगाट्टा
(60) पेठाताला
(61) छाक पेठाताला सं. 1
(62) पारादीदेव
(63) मादापाल्ली
(64) राजपुर
(65) जाम्भाली रिथ
(66) दर्पन गुडा
(67) छाक बेलगत्ता
(68) मांजी गांव
(69) मच्छाली गोट
(70) छाक माक्केपल्लि
(71) दर्पन गुडा
(72) छाक माके पल्लि
(73) छाक माकेपल्लि
(74) गारांजी
(75) छाक मेड आमगांव संख्या
(76) छाक मेड आमगांव संख्या 1
(77) छाक मेड आमगांव संख्या 2
(78) तुभाडी
(79) रिगाडी
(80) माकेपाल्लि मालगुजारी
(81) बोरघाट
(82) अस्टी नोकेवाडा
(83) ब्राहमणपेठ
(84) वेंगानूर
(85) नोकेवाडा
(86) अल्ला पाल्लि
(87) रेगेवाही
(88) कोलपाल्लि
(89) अम्बेला (वनग्राम)
(90) गोट्टा (वनग्राम)
(91) अडगेपाल्लि
(92) सुरगांव (वनग्राम)
(93) येल्लूर
(94) थाकरी
(95) राजगट्टा
(96) लोहरा
(97) मुकरीटोला
(98) भोलखांडी (वनग्राम)
(99) हेतलकासा
(100) बोलपाल्लि
(101) पिल्लूगुड्म
(102) कुनगादा
(103) कालपुर
(104) गंगापुर
(105) चंदन खेडी
(106) मालेरा
(107) बसारवाडा
(108) छपराला
(109) छइदामपेट्टी
(110) मुकाडी (वनग्राम)
(111) फुसकी
(112) सिगनपाल्लि
(113) धामनपुर
(114) कोठारी
(115) अम्बारपाल्लि
(116) गोमानी
(117) लागमहेट्टी
(118) दामनपुर
(119) बन्दुकपाल्लि
(120) कोडीगांव
(121) छिछेला
(122) नागुलवाही
(123) छितुगुंहा
(124) तुमुगुडा
(125) माछिनगट्टा
(126) येल्ला
(127) चिकपाल्लि
(128) मरपाल्लि
(129) जामगांव
(130) कुलथा
(131) रामपुर
(132) लागम छाक

11. चंद्रपुर जिले में निम्नलिखितः-

(ii) राजौरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजौरा तहसील

(1) परसौदा
(2) रायपुर
(3) खतौडा खुर्द
(4) गोविंदपुर
(5) खतौडा वुदरूक
(6) मेंहदी
(7) परदी
(8) जैवरा
(9) चनाई खुर्द
(10) अकोला
(11) कोरपाना
(12) दुर्गादी
(13) रूपापेठ
(14) चनाई बुदरूक
(15) मांडवा
(16) कनेरगांव वुदरूक
(17) कथावौडी
(18) शिवपुर
(19) चौपान
(20) करमवौडी
(21) कुकुलवौडी
(22) टीपा
(23) मंगुलहीरा
(24) खोदकी
(25) जमुलधारा
(26) वोरगांव बुदरूक
(27) वोरगांव खुर्द
(28) आशापुर
(29) तानगोला
(30) खेरगांव
(31) हतलौनी
(32) एरगांव
(33) उमारजारा
(34) एलापौर
(35) शिंगार पैथौर
(36) लंवौरी
(37) सेदवाई
(38) नरपाथर
(39) कोदापुर
(40) घरपाना
(41) नोकवाडा
(42) गुडसेला
(43) वानी
(44) कोकाजारी
(45) मोहदा
(46) पुदियाल मोहदा
(47) कमलापुर
(48) चिचखोंड
(49) वनसाडी
(50) पराम्बा
(51) देवघाट
(52) कुसाल
(53) वाहेगांव
(54) सोनुरली
(55) करगांव खुर्द
(56) धनोली
(57) पिपराडा
(58) छिनछोली
(59) करगांव बुदुर्क
(60) मारकागोंडी
(61) बेलगांव
(62) जुलबारदी
(63) सवालहीरा
(64) खीरागांव
(65) पांढरवानी
(66) जांम्बुलढ़ारा
(67) धानकदेवी
(68) येरमी इसपुर
(69) सारंगपुर
(70) जिवाती
(71) नागपुर
(72) मारकोलमोट्टा
(73) धोंदा अरगुनी
(74) धोंधा मांडवा
(75) टेका अर्जुनी
(76) टेका मांब्बा
(77) राहपल्लि
(78) छिखिली
(79) पाटन
(80) हीरापुर
(81) इसपुर
(82) आसन खुर्द
(83) आसन बुदुर्क
(84) पीपलगांव
(85) पालजारी
(86) बोरिनवे गांव
(87) नन्दा
(88) बीबी
(89) धुनकी
(90) धामनगांव
(91) काखमपुर
(92) बाडगांव
(93) इंजापुर
(94) चंदूर
(95) कुकादसात
(96) खिरदी
(97) थुतरा
(98) बहलामपुर
(99) मनोली खुर्द
(100) जमानी
(101) नोकरी बुदर्क
(102) सोनापुर
(103) उप्पार वाई
(104) भुरखुंडा खुर्द
(105) कदकी
(106) नोकरी खुर्द
(107) नगराला
(108) पालेजारी
(109) काकबान
(110) डोगरागांव
(111) छिखाली
(112) भुरखुंडा बुदुर्क
(113) पाछगांव
(114) सेनगांव
(115) ताताखोंडी
(116) भेंडवी
(117) सुरकादपालि
(118) मारकागोंडी
(119) तित्वी
(120) नादपा

(121) चिरगांवन
(122) कावादगोंडी
(123) सोरकसारा
(124) कुसम्बी
(125) जनकपुर
(126) पुनागुडा
(127) देवाडा
(128) कदकी रायपुर
(129) गोतेनपुर
(130) मारियापाटन
(131) उमराजारा
(132) राहपल्लि खुर्द
(133) धर्मराम
(134) भोकसापुर
(135) बाम्बेजारी
(136) भारी
(137) पांडरवानी
(138) सिंडोला
(139) सोंडो
(140) बेलगांव
(141) काकडघाट
(142) गनेरी
(143) खिरदी
(144) सेदवाई
(145) बाबरपुर
(146) हीरापुर
(147) सखारी
(148) मनोलल बुदर्क
(149) गोयेगांव
(150) हरडोनाखुर्द
(151) हरडोना बुदुर्क
(152) विसेरगांव
(153) मांगी
(154) वांगी
(155) पांढरपुनरी
(156) अहेरी
(157) कोच्छी
(158) गोराज
(159) बारबूर
(160) रानीवेली
(161) भेडोडा
(162) ताम्भुरखाही
(163) चिरूड
(164) छिंछवोडी
(165) कवथाला
(166) सोनुरली
(167) सिरसी
(168) बेरडी
(169) भेंडाला
(170) केलजारी
(171) नवेगांव
(172) छिंछाला
(173) वीरूर
(174) सिद्घेश्वर
(175) घोट्टा
(176) डोगरागांव
(177) सुवाई
(178) कोस्ताला
(179) लाक्कदकोर
(180) अम्बेजारी
(181) अन्तारगांव
(182) अन्नूर

महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा0आ. 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित खेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सा.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था ओर अपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सा.आ. 123) दिनांक 2.12.1985 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया है *

उड़ीसा##

1. मयूरभंज जिला

2. सुंदरगढ़ जिला

3. कोरापुट जिला

4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील

5. क्योंझर जिले में, क्योंझर सबडिविजन की क्योंझर और तेलकोइहसीले और बाल्लिगुडा सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें।

6. बोध-खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब डिवीजन की खोण्डमाल तहसील और वालीगुडा सब डिवीजन की वालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें ।

7. गंजाम जिले में आर. उदयगिरी तहसील और पारलखेमुण्डी तहसील के गूमा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब डिवीजन के गजलबाडी और गोचा ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम ।

8. कालाहांडी जिले में, कालाहांडी तहसील के रामपुर खंड और लांजिगढ खंड ।

9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब-डिवीजन के नीलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड ।

##उड़ीसा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. संख्या 9) दिनांक 23.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध उड़ीसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सा.आ. 109) दिनांक 31.12.77 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया ।

राजस्थान$

1. बांसवाड़ा जिला

2. डुंगरपुर जिला

3. उदयपुर जिले में निम्न फालसिया

(क) फालसिया, खेरवारा, कोटरा, सारदा, सालुमबार और सासादिया तहसीलें

(ख) गिरवा तहसील के निम्न 81 गांव,

(1) सिसरमा पंचायत के सीसरमा, देवली, बलेचा, सेठजी की कुण्डल, रायता, कोडियात और पीपलिया गांव

(2) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया, गुरहा, पोपालती और नया खेड़ा गांव

(3) नाई पंचायत का नाईं गांव

(4) दोदावाली पंचायत का, दोदावाली, कालीदास, कार नाली सुरना, बोरावारा का खेरा मादरी, बच्छर और केली गांव

(5) बड़ी उन्दरी, छोटी उन्दरी पीपलवास कुमारिया खेरवा गांव

(6) आलसीगढ़ पंचायत के आलसीगढ़, पाई और गांव

(7) पदूना पंचायत के पदूना, अमर पूरवा और ज्वाला गांव

(8) चंदवाडा पंचायत का चंदवाडा गांव

(9) सारू पंचायत के सारू और बान गांव

(10) तीरी पंचायत के तीरी बोरीखुआ और गोजिया गांव

(11) जवार पंचायत के तीरो बोरीखुआ और गोजिया गांव

(12) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव

(13) जवार पंचायत के काया और चांदनी गांव

(14) तरीदी पंचायत के तीरादी, फांडा, बिलिया, दाकन कोड्‌डा, धुलिया की पट्‌टी और सावीना खेरा गांव

(15)कानपुर पंचायत का कानपुर गांव

(16) वाली पंचायत के वाली बूदेल, लालपुरा पारवल, खेरी और जसपुर गांव

(17) चंदसापंचायत के चंदसा दामोरोब का गुडा, मामादेव, झामर कोटरा, सथपुरा गुंजारन, सतपुरामीना, जया घूरा, खारवा, मानपुरा और जोधपुरिया गांव

(18) जगत पंचायत का जगत गांव

(19) दातीसार पंचायत के दातीसार, सीजा, बासू और परोला गांव

(20) लोकारवास पंचायत के लोकार वास और परोला गांव

(21) भाला का गुरहा पंचायत के, भाला का गुरहा, कारगेत, भेसधा और बिछड़ी गांव

4. चितौड़गढ जिले में प्रतापगढ़ तहसील

5. सिरोही जिले की आबुरोड तहसील में आबूरोड खंड

राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और ऊपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध राजस्थान राज्य से है, रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट कर दिया गया है ।

झारखंड **$$**

1. रांची जिलाऽ
2. लोहरदगा जिला
3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला
5. लातेहर जिला
6. पूर्वी-सिंहभूम जिला
7. पश्चिमी-सिंहभूम जिला
8. सरायकेला-खरसावां जिला
9. साहेबगंज जिला
10. दुमका जिला
11. पाकुर जिला
12. जामतारा जिला
13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें
14. गढ़वा जिला-भंडारिया ब्लॉक
15. गोड्डा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

$$संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले

आदेश को रद् करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सा.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया । बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया । जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12..1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सा.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है । अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आदेश 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सां.आ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है ।

मध्य प्रदेश###

1 झाबुआ जिला

2 मंडला जिला

3 सरगुजा जिला

4 बस्तर जिला

5 धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी और मानवार तहसील

6. खारगोने (पश्चिम निमार) जिले के बारवानी, राजपुर, सेन्दवा, भीकनगांव, खारगोने और महेश्वर तहसील

7. खण्डवा (पूर्व निमार) जिले के बुरहानपुर तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और हरदा तहसील के खालवा

जनजाति विकास खण्ड।

8. रतलाम जिले का सैलाना तहसील

9. बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा)और मिनसेदी तहसील।

10. सोनी जिले के लाखनडोन तहसील और कुराई जनजाति विकास खण्ड।

11. बालाघाट जिले का मैहर तहसील

12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड

13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसील

14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड

15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड

16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास ख्ड

17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं0 10 से 12 और 16 से 19 तक, पटवारी सर्किल सं. 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 25 का बहमानी गांव । हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटावारी सर्किल सं0 28 से 36, 41, 43, 44 और 45 बी तक ।

बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटावारी सर्किल सं0 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किल सं0 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं0 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं0 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 28 के नीलकंठ और धवादिखाना गांव ।

छत्तीसगढ़ $$$

1. सरगुजा जिला

2. कोरिया जिला

3. बस्तर जिला

4. दांतेवाड़ा जिला

5. कांकेर जिला

6. बिलासपुर जिले में मारवाही, गोरिल्ला- 1, गोरिल्ला-2 आदिवासी विकास खंड और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल

7. कोरबा जिला

8. जशपुर जिला

9. रायगढ़ जिले में धर्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड

10. दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति विकास खंड

11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड

12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड

13. धमतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खंड

$$$ संयुक्त राज्य मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सा.आ. 9) दिनांक 23.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद् करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सा.आ. 109) दिनांक 13.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12..1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सा.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है *

अनुबंध - 9

दसवीं योजना तथा 11वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान 31.12.2007 तक जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

					(लाख रुपए में)		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	धनराशि					
		2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-08 (31.12.07 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	2732.80	2459.52	2459.52	2751.14	3344.33	3216.00
2	असम	3058.99	2753.09	2064.82	3066.59	3601.59	3220.27
3	बिहार	556.56	500.90	250.45	543.57	656.00	715.50
4	छत्तीसगढ़	4626.18	4405.12	5397.76	4641.08	5477.04	4666.81
5	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	133.00
6	गुजरात	3930.91	3743.09	3537.82	3963.52	4882.13	4694.00
7	हिमाचल प्रदेश	643.53	612.79	750.87	825.90	1022.14	982.00
8	झारखंड	5870.24	5283.22	5283.22	5896.10	7041.25	6771.00
9	जम्मू व कश्मीर	971.94	925.50	874.75	901.28	1088.00	956.24
10	कर्नाटक	771.33	694.19	899.97	1029.06	1242.00	1372.00
11	केरल	273.70	260.62	319.35	274.03	318.13	305.00
12	मध्य प्रदेश	7833.22	7458.93	9139.70	8186.01	10126.02	7625.08
13	महाराष्ट्र	3723.83	3351.45	3351.45	3351.45	3888.00	4293.00
14	मणिपुर	761.96	725.55	685.76	685.76	796.00	879.00
15	उड़ीसा	6495.30	6184.94	7578.63	6516.82	7695.87	7400.00
16	राजस्थान	3649.56	3284.60	3284.60	3490.91	4214.00	4654.00
17	सिक्किम	108.02	102.86	126.04	109.49	135.52	243.00
18	तमिलनाडु	323.32	290.99	377.25	323.70	375.55	86.55
19	त्रिपुरा	1041.03	991.29	1214.66	1045.03	1240.34	1163.08
20	उत्तर प्रदेश	32.10	30.57	37.45	33.63	0.00	425.36
21	उत्तरांचल	92.91	88.47	83.62	83.62	50.00	0.00
22	पश्चिम बंगाल	2202.57	1982.31	1982.31	1982.31	2270.00	2507.00
कुल जोड़		**49700.00**	**46130.00**	**49700.00**	**49701.00**	**59573.91**	**56307.89**

अनुबंध - 10

दसवीं योजना तथा 11वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007- 08 (31-12-07 से)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	2160.30	1785.00	2300.46	3112.31	2830.31	2114.73
2	अरुणाचल प्रदेश	300.00	200.00	273.72	384.06	322.52	296.81
3	असम	1023.40	668.87	1155.00	1381.41	1514.17	1086.53
4	बिहार	209.00	209.00	229.90	0.00	293.00	319.20
5	छत्तीसगढ़	2689.50	2089.00	2858.56	3479.69	4131.86	2644.91
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	68.45
7	गुजरात	2250.00	2280.00	2515.00	5660.96	3964.38	3148.94
8	हिमाचल प्रदेश	80.00	80.00	109.36	133.88	330.33	142.62
9	जम्मू व कश्मीर	318.00	367.00	398.70	361.29	427.00	2583.06
10	झारखंड	2808.00	2208.00	2428.80	400.00	3244.15	286.61
11	कर्नाटक	904.35	797.00	957.88	1519.35	1526.87	1458.05
12	केरल	588.00	158.00	161.56	0.00	497.19	77.00
13	मध्य प्रदेश	4052.32	3821.58	5173.57	6420.27	6052.44	5149.26
14	महाराष्ट्र	2925.00	2672.00	2939.20	3459.20	2508.35	3610.310
15	मणिपुर	424.55	230.00	253.00	0.00	411.00	311.96
16	मेघालय	555.00	50.55	759.50	0.00	0.00	638.83
17	मिजोरम	240.00	240.00	488.41	422.62	384.17	353.28
18	नागालैंड	0.00	0.00	529.58	700.93	812.22	746.720
19	उड़ीसा	3641.60	2830.00	4346.98	4445.48	4029.11	3428.39
20	राजस्थान	2224.48	2070	2200.00	2240.48	3160.00	146.44
21	सिक्किम	83.00	33.00	45.20	143.92	50.99	87.50
22	तमिलनाडु	210.00	250.00	287.40	619.57	477.62	0.00
23	त्रिपुरा	665.50	313.00	428.30	412.28	570.32	418.15
24	उत्तर प्रदेश	27.00	27.00	36.82	0.00	0.00	418.67
25	उत्तराखंड	78.00	128.00	135.80	0.00	249.00	107.81
26	पश्चिम बंगाल	1543.00	1763.00	1987.30	2702.30	2151.00	1854.890
	कुल जोड़	**30000.00**	**25270.00**	**33000.00**	**38000.00**	**40000.00**	**31499.12**

अनुबंध-11

कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर तथा साक्षरता की दर में अंतर - भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : 1991-2001

आंकड़े प्रतिशत में

अ.जन. कोड	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र #	साक्षरता दर - 1991		साक्षरता दर में अंतर	साक्षरता दर - 2001		साक्षरता दर में अंतर
		कुल	अ.जन.		कुल	अ.जन.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	52.2	29.6	22.6	64.8	47.1	17.7
	भारत (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर)	-	-	-	64.8	47.2	17.6
01	जम्मू व कश्मीर	एनएएसटी	एनएएसटी	एनएएसटी	55.5	37.5	18.1
02	हिमाचल प्रदेश	63.9	47.1	16.8	76.5	65.5	11.0
03	पंजाब	58.8	एनएएसटी	-	69.7	एनएएसटी	-
04	चंडीगढ़ #	77.8	एनएएसटी	-	81.9	एनएएसटी	-
05	उत्तरांचल	57.8	41.2	16.6	71.6	63.2	8.4
06	हरियाणा	55.8	एनएएसटी	-	67.9	एनएएसटी	-
07	दिल्ली #	75.3	एनएएसटी	-	81.7	एनएएसटी	-
08	राजस्थान	38.6	19.4	19.2	60.4	44.7	15.8
09	उत्तर प्रदेश	40.7	20.0	20.7	56.3	35.1	21.1
10	बिहार	37.5	18.9	18.6	47.0	28.2	18.8
11.	सिक्किम	56.9	59.0	2.1	68.8	67.1	1.7
12.	अरुणाचल प्रदेश	41.6	34.4	7.2	54.3	49.6	4.7
13.	नागालैंड	61.6	60.6	1.0	66.6	65.9	0.6
14.	मणिपुर	59.9	53.6	6.3	70.5	65.9	4.7
15.	मिजोरम	82.3	82.7	0.4	88.8	89.3	0.5
16.	त्रिपुरा	60.4	40.4	20.0	73.2	56.5	16.7
17.	मेघालय	49.1	46.7	2.4	62.6	61.3	1.2
18.	असम	52.9	49.2	3.7	63.3	62.5	0.7
19.	पश्चिम बंगाल	57.7	27.8	29.9	68.6	43.4	25.2
20.	झारखंड	41.4	27.5	13.9	53.6	40.7	12.9
21.	उड़ीसा	49.1	22.3	26.8	63.1	37.4	25.7
22.	छत्तीसगढ़	42.9	26.7	16.2	64.7	52.1	12.6
23.	मध्य प्रदेश	44.7	18.4	26.3	63.7	41.2	22.6
24.	गुजरात	61.3	36.4	24.9	69.1	47.7	21.4

अ.जन. कोड	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र #	साक्षरता दर - 1991		साक्षरता दर में अंतर	साक्षरता दर - 2001		साक्षरता दर में अंतर
		कुल	अ.जन.		कुल	अ.जन.	
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	दमन व दीव	71.2	52.9	18.3	78.2	63.4	14.8
26.	दादरा व नगर हवेली	40.7	28.2	12.5	57.6	41.2	16.4
27.	महाराष्ट्र	64.9	36.8	28.1	76.9	55.2	21.7
28.	आंध्र प्रदेश	44.1	17.2	26.9	60.5	37.0	23.4
29.	कर्नाटक	56.0	36.0	20.0	66.6	48.3	18.4
30.	गोवा	75.5	42.9	32.6	82.0	55.9	26.1
31.	लक्षद्वीप	81.8	80.6	1.2	86.7	86.1	0.5
32.	केरल	89.8	57.2	32.6	90.9	64.4	26.5
33.	तमिलनाडु	62.7	27.9	34.8	73.5	41.5	31.9
34.	पांडिचेरी #	74.7	एनएएसटी	-	81.2	एनएएसटी	-
35.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह #	73.0	56.6	16.4	81.3	66.8	14.5

1 जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, जहां 1991 में जनगणना नहीं हुई ।

2 मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाता, माओ एवं पुरुल उप-मंडल के आंकड़ों को छोड़कर ।

एनएसटी : राज्यों में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं ।

अनुबंध-13

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता-अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2004-2005			2005-2006			2006-07			2007-08 (31.12.2007)		
	क्षेत्र का नाम	धनराशि	स्कूल	सीट	धनराशि	स्कूल	सीट	धनराशि	स्कूल	सीट	धनराशि	स्कूल	सीट
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	86.49	38	4560	200.0	बकाया	-	156.52	बकाया	-	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	300.00	बकाया	-	200.0	बकाया	-	624.01	बकाया	0	273.81	बकाया	-
13.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	कर्नाटक	77.51	बकाया	-	150.00	10	1250	400.00	बकाया	-	100.00	4	500
22.	महाराष्ट्र	86.00	बकाया	-	50	बकाया	-	256.71	बकाया	-	0	0	0
23.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	112.76	0	0	0	0	0
24.	उत्तराखंड	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	कुल	**550.00**	**38**	**4560**	**600.00**	**10**	**1250**	**1550.00**	**11**	**415**	**373.81**	**4**	**500**

* सहायता-अनुदान किस्त के आधार पर निर्मुक्त किया गया है तथा आने वाले वर्षों में इन स्कूलों के लिए भी निर्मुक्ति की जाएगी।

अनुबंध-14

विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या के साथ मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता-अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08(31.12.97)	
		धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी	धनराशि	प्रत्याशित लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	1084.23	107562	3606.79	132252	4403.27	147213	2284.39	174128
2	अरुणाचल प्रदेश	0	*13347	0	*13347			0	0
3	असम	100	15117	1200.32	44832	2360.46	102730	1857.136	49050
4	बिहार	0	1785	0	2982			0	0
5	छत्तीसगढ़	206.45	46752	1254.04	57803	853.71	63365	130.24	69151
6	गोवा	12.09	557	6.04	617	70.445	675	13.804	745
7	गुजरात	222.43	97923	2447.59	89030	910.67	96287	315.965	105165
8	हिमाचल प्रदेश	9.17	2810	6.61	3153	0	3930	59.72	4716
9	जम्मू व कश्मीर	196.07	6010	508.08	4611	200	**12048**	43.44	0
10	झारखंड	200	20452	841.26	21626	461.07	15396	107.97	16755
11	कर्नाटक	400	37468	2020.5	41976	1178	44814	456.87	53118
12	केरल	146.14	5783	289.72	6301	311.42	7493	29.79	8344
13	मध्य प्रदेश	899.04	55019	288.7	54073	2092.405	62217	294.78	66920
14	महाराष्ट्र	1042.86	77923	1031.44	88908	750	99759	2155.56	104523
15	मणिपुर	538.97	31427	1794	32796	1316.45	33183	1438.78	36501
16	मेघालय	926.28	43962	1925.31	45000	550	43791	0	48170
17	मिजोरम	900.99	38368	840.85	25920	1153.02	27886	1370.2	38096
18	नागालैंड	507	30309	982.5	29416	2694.79	31820	1593.495	35002
19	उड़ीसा	0	33623	100	34608	1410.34	43313	95.97	46781
20	राजस्थान	1792.57	73297	1261.98	43682	3496.74	123186	1452.023	135504
21	सिक्किम	15.01	647	9.94	1131	9.63	1231	1.09	1601
22	तमिलनाडु	49.05	2108	17.86	1786	75.53	2854	4.76	4152
23	त्रिपुरा	296.19	7438	195.14	8802	348.183	10512	294.89	12528
24	उत्तर प्रदेश	107.62	5079	56.07	4986	93.68	**4900**	7.5	0
25	उत्तराखंड	137.5	10277	85.05	12241	312.26	14536	32.35	15608
26	पश्चिम बंगाल	345.31	20764	245.21	15804	447.92	16020	44.79	24790
27	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2.74	184	3.09	292	3.416	376	0.39	513
28	दमन व दीव	0	24	0	30		156	0	217
	कुल	**10137.71**	**785788**	**21018.09**	**804658**	**25503.409**	**1009691**	**14085.903**	**1052078**

*** प्रत्याशित लाभार्थी (वर्ष 2006-07 के लिए प्रत्याशित लाभार्थी मोटे अक्षरों में)**

प्रतिभा उन्नयन की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता-अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-08(31.12.07)	
		निर्मुक्त धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	3.60	24	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	9.00	60	0	0	0	0	9.00	60
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	केरल	0	0	3.00	23	3.95	26	0	0
8.	उड़ीसा	0	0	0	0	10.20	136	0	0
9.	राजस्थान	0	0	11.36	50	0	0	6.00	54
10.	त्रिपुरा	2.40	16	0.96	16	3.84	32	0	0
11.	पश्चिम बंगाल	7.83	72	0	0	10.13	72	7.68	72
12.	सिक्किम	2.25	15	2.85	19	2.40	16	2.40	16
13.	मध्य प्रदेश	0	0	77.40	516	51.60	344	25.80	172
14.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	छत्तीसगढ़	17.55	140	0	0	36.30	280	21.00	140
17.	कर्नाटक	0	0	0	0	6.60	44	6.15	41
18.	झारखंड	0	0	0	0	11.70	78		
19.	गुजरात	0	0	4.43	34	3.70	35	7.90	70
20.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	1.80	12		
21.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	4.18	46	5.19	58
22.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	2.40	16
23.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**39.03**	**303**	**100.00**	**658**	**150.00**	**1145**	**93.52**	**699**

अनुबंध -16

दसवी योजना और 2007–08 (31.12.2007) के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत कुल राज्यवार निर्मुक्तियां

लाख रुपए में

क्र.सं.	संगठन का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (31.12.07 तक)
1	आंध्र प्रदेश	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	18.99	21.09	28.08	53.10	42.06	13.98
4	छत्तीसगढ़	1.41	0.00	0.00	0.00	8.43	0.00
5	दादरा व नगर हवेली	2.40	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
7	कर्नाटक	27.23	6.99	13.98	0.00	27.96	5.14
8	मध्य प्रदेश	44.17	28.60	13.98	14.46	27.96	27.50
9	महाराष्ट्र	4.80	6.99	0.00	0.00	25.06	0.00
10	मणिपुर	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	मेघालय	2.40	6.78	0.50	3.97	13.80	10.78
12	नागालैंड	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
13	उड़ीसा	23.29	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
14	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00
15	तमिलनाडु	2.40	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
16	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00
	कुल	**230.45**	**118.01**	**56.54**	**73.42**	**149.89**	**97.25**

अनुबंध -17

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (31.12.07 को)
असम						
1	डा.अम्बेडकर मिशन कामरूप, असम	1410000	1410000	1386000	1410000	
2	ग्राम विकास परिषद, गांव रंगालू, डाकघर-जुमारमुर, जिला- नौगांव असम	699000	0	2526000	1398000	1398000
3	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट बार लाइब्रेरी, नौगांव, असम	0	1398000	1398000	1398000	
	कुल	**2109000**	**2808000**	**5310000**	**4206000**	**1398000**
छत्तीसगढ़						
1	जिमोलॉजीकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ओल्ड आरटीओ बिल्डिंग देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़	0	0	0	842500	परियोजना रोक दी गई
	कुल	**0**	**0**	**0**	**842500**	**0**
दादरा व नगर हवेली						
1	रूरल डेवलपमेंट फाउण्डेशन आदर्श टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लिम्दावाला दवाखाना कम्पाउण्ड, स्टेशन रोड, आनंद - 388001	723000	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है।
		723000	**0**	**0**	**0**	**0**
गुजरात						
1	सेवा - रूरल सोसायटी फार एजूकेशन, वेलफेयर एण्ड एक्शन गुमानदेव, पी.ओ. - कपालसाडी, तालुका - झागाडिया, जिला - भरूच - गुजरात - 393110	0	0	0	0	1500000
	कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**1500000**
कर्नाटक						
1	सोशल, एजूकेशनल एण्ड वोकेशनल एशोसिएशन, (सेवा), सं.12-11-61, अरब मोहल्ला, रायचूर - 584101, कर्नाटक	0	699000	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है।
2	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्यापीठ संस्था, देवेनगिरि	699000	699000	0	2796000	
3	अशोका ट्रस्ट फार रिसर्च इन इकोलॉजी एंड दि इनवायरनमेंट, नं. 659, 5वां "ए" मेन रोड, हेब्बल, बंगलौर, पिन-560024	0	0	0	0	513750
	कुल	**699000**	**1398000**	**0**	**2796000**	**513750**
मध्य प्रदेश						
1	अंकित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति विनय नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1683000	1398000	0	2796000	
2	बंधेवाल शिक्षा समिति	1176750	0	1446000	0	2749500

	भोपाल					
	कुल	**2859750**	**1398000**	**1446000**	**2796000**	**2749500**
महाराष्ट्र						
1	प्रियदर्शिनी ग्रामीण एवं आदिवासी सेवाभावी संस्था, 1-दीपराज कॉम्पलैक्स, न्यू नगर रोड, संगमनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	699000	0	0	2506201	
	कुल	**699000**	**0**	**0**	**2506201**	**0**
मेघालय						
1	नोंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एशोसिएशन पी.ओ. - नांगक्रेम, वाया - मैडमरितिंग, शिलांग - 793021	677865	50135	396500	1380000	1078473
	कुल	**677865**	**50135**	**396500**	**1380000**	**1078473**
नागालैंड						
1	विटोले वूमन सोसायटी कोहिमा, नागालैंड	0	0	0	0	1122766
2	वूमेन वेलफेयर सोसायटी जूम्हेबोटो, नागालैंड	0	0	0	0	1362000
	कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**2484766**
उड़ीसा						
1	ग्लोबल आर्ट एंड कल्चर, राउरकेला, जिला सुंदरगढ़	2169000	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है।
2	इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर स्टडीज, अरबिंदों नगर, जेयपोर, जिला कोरापुट-764001	466000	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है।
3	विक्टरी, कांटा छक, पो0 पल्लाहट, पीएस-खुर्दा-752056	699000	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है।
	कुल	**3334000**	**0**	**0**	**0**	**0**
राजस्थान						
1	लक्ष्मी गृह उद्योग सहकारी समिति लि0, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान (न्यू)	0	0	0	462000	
	कुल	**0**	**0**	**0**	**462000**	**0**
तमिलनाडु						
1	भरथियार मक्कल नलवालू संस्थानम् 82, सन्यासी कुण्डू एक्सटेंसन, किचीपलायम, सलेम - 636015	699000	0	0	0	
	कुल	**699000**	**0**	**0**	**0**	**0**
दिल्ली						
1	भारत सेवाश्रम संघ, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	0	0	188793	0	यह कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र है, अब गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किया गया है ।
	कुल	**0**	**0**	**188793**	**0**	**0**

10वीं योजना और 11वीं योजना के दौरान "लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान" की योजना के अंतर्गत राज्यों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

	राज्य	10वीं योजना					11वीं योजना
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (31-12-2007 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	480.00	30.00	300.00	300.00	141.00	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	30.00	-	-	-	-
3.	असम	-	30.00	-	-	38.61	-
4	बिहार	-	-	-	-		-
5	छत्तीसगढ़	-	-	144.00	63.00	168.00	-
6	गुजरात	-	-	-	70.00	150.00	-
7.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	48.00	-
8.	कर्नाटक	-	-	-	80.00	48.00	-
9	केरल	225.00	-	-	-	50.00	-
10.	मध्य प्रदेश	-	300.00	356.00	144.00	302.00	-
11.	महाराष्ट्र	-	-	-	373.00	215.00	-
12.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-
13.	मेघालय	100.00	30.00	-	112.00		-
14.	उड़ीसा	400.00	30.00	-	50.00	240.00	-
15	राजस्थान	119.37		-	-	79.00	-
16.	त्रिपुरा	122.00	-	-	92.00	152.68	-
17	पश्चिम बंगाल	53.63	-	-	-	150.00	-
	कुल	**1500.00**	**450.00**	**800.00**	**1284.00**	**1791.29**	**-**

अनुबंध - 19

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान वित्तपोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपए में)

क्रम	स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (31.12.07 को)
	आंध्र प्रदेश		_	_	_	_	_
1	आंध्र प्रदेश गिरिजन सेवक संघ, चांदमामपेट, नन्दीगामा, जिला - कृष्णा, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय तथा 10 बिस्तरों वाला अस्पताल	2217496	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
2	अनंत रूरल डेवलपमेंट सोसायटी अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	सचल चिकित्सालय	200835	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
3	बापूजी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, गड्डामानुगू, जिला - कृष्णा, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	727515	727515	2889810	1451295	1455030
4	सेंटर फॉर रूरल एजूकेशन एण्ड डेवलपमेंट, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	1039320	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
5	ग्राम अभ्युदय सोसायटी फार इंटीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट 6वां वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उर्वाकोंडा, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	1509129	0	0	3073835
6	ग्रामीण संक्षेम संघम कालाकाडा, चित्तूर, आंध्र प्रदेश	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	0	601830
7	इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसायटी रैथूपेट, नन्दीगामा, जिला - कृष्णा, आंध्र प्रदेश	दस शैया चिकित्सालय एवं सचल चिकित्सालय	1440180	0	0	781740	
8	जागृति एजूकेशन एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसायटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	अजजा लड़कों के लिए आवासीय स्कूल	519660	0	1862990	0	
9	जनहित वात्सालय कॉम्पलैक्स, वात्साल्यपुरी, कोंडयापालेम रोड, नेल्लोर, पिन -524004, आंध्र प्रदेश	गैर-आवासीय स्कूल	0	1196820	964377	0	
10	जीयार एजुकेशन ट्रस्ट गंगनमहल कालोनी, डोमालगुडा, हैदराबाद, पिन 500027, आंध्र प्रदेश	आवासीय स्कूल	0	677160	1326342	852301	
11	के.एस.आर.मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट नायडूपेट, जिला - नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	अनावासीय विद्यालय	300915	0	594180	0	
12	महालक्ष्मी वेलफेयर सोसायटी, 5/8/10, दखिनी स्ट्रीट, विजयानगरम, आंध्र प्रदेश	अनावासीय विद्यालय	0	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
13	मल्लिकार्जुन सेवा समिति 1/18, नागपाटला, वाया - नरसिंहपुरम, चन्द्रगिरि मंडल, जिला - चित्तूर, आंध्र प्रदेश	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
14	पीपुल्स एजूकेशन सोसायटी, 13/1/45, निरीक्षण गृह के सामने, करीम नगर, आं.प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1060920	1035878	0	0	
15	प्रतिभा एजूकेशन सोसायटी नांदयाल, जिला - कुरनूल, आंध्र प्रदेश	अनावासीय विद्यालय	0	1008585	0	0	
16	प्रियदर्शिनी सर्विस आर्गेनाइजेशन विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1060920	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
17	आर.के.मिशन कोरूकोण्डा रोड, राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश	सचल चिकित्सालय	970364	1052533	334627	327164	

18	आर.के.मिशन आश्रम आर.के.बीच, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	सचल चिकित्सालय	1135501	1196454	161206	0	409653
19	रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एक्टिविटी, ग्राम एवं पोस्ट - मंथेनावानीपलेम, जिला - गुण्टूर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	1039320	1005246	1987776	1039320
20	सारदा एजुकेशनल सोसायटी वीनुकोंडा, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश	आवासीय स्कूल	0	2078640	0	1932228	
21	सेवा भारती, खम्माम, आंध्र प्रदेश	हॉस्टल	0	0	0	654192	
22	सिम्हापुरी विद्या सेवा समिति नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	दस शैया चिकित्सालय	710943	838314	962910	1245204	
23	सोसायटी फॉर असिस्टेंस एण्ड वोकेशनल एजूकेशन, मछलीपटनम, जिला - कृष्णा, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	1060200	0	0	416294
24	श्री गोविंदराजा स्वामी सोशल डेवलपमेंट सोसायटी, कुरनूल	आवासीय विद्यालय	1029420	519660	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
25	श्री लक्ष्मी महिला मंडली गड्डामानुगू, जिला - कृष्णा, आंध्र प्रदेश	अनावासीय विद्यालय	300915	864090	898223	593730	603630
26	श्री परमेश्वरी एजूकेशन सोसायटी अंकुर, जिला - कुरनूल, आंध्र प्रदेश	सचल चिकित्सालय	0	331072	0	347602	
27	श्री सांई राम सेवा संघम ग्राम - अन्नाराम, जिला - करीम नगर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	519660	519660	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
28	सुनीता महिला मंडली येलेश्वरन, जिला - पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	515160	0	0	2808108	
29	स्वान एजूकेशन सोसायटी डोक्कालम्मा मंदिर के पास, आर.पी.रोड, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय टंकण, सचल पुस्तकालय सह श्रव्य-दृश्य एकक	0	1523718	0	1141904	
30	ट्राइब्स डेवलपमेंट सोसायटी चिराला, जिला - प्रकाशम, आंध्र प्रदेश	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
31	वाणी निकेतन महिला मंडली नन्दीगाम, जिला - कृष्णा, आंध्र प्रदेश	अनावासीय विद्यालय	311130	311130	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
32	यूथ इन एक्शन सोसायटी, सत्या एपार्टमेंट, चप्पल बाजार, काचीगुडा, हैदराबाद	दस शैया चिकित्सालय	0	1005750	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
33	श्री सरस्वती विद्या पीठम श्रद्धामम, पोस्ट - किस्मतपुर, जिला - खम्माम, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	0	1802511	0	
34.	सोसायटी फार इंटिग्रेटिड रूरल इम्पावरमेंट (सीरी), 7/163-ए, प्रकाश रोड, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय स्कूल		0	2078640	976851	
35	हयूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एशोसिएशन, 13-2-1, कोटा इंडलू पुंगानुर, जिला- चित्तूर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	0	4117356	0	
36	मंडलाप्पु नारायण एजुकेशनल सोसायटी, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	आवासीय स्कूल	0	0	0	975771	

37	प्रगति हरिजन महिला मंडली, जिला कुडाप्पा, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय		0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
कुल			**14122385**	**19534948**	**18998418**	**16075866**	**7599592**
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह							
1	रामकृष्ण मिशन, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	0	430020	154152	129862
कुल			**0**	**0**	**430020**	**154152**	**129862**
अरुणाचल प्रदेश							
1	एबोटनी आश्रम वेलफेयर एशोसिएशन नाहरलागुन - 791110, अरुणाचल प्रदेश	हॉस्टल	0	0	0	1209528	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
2	अरूणाचल पाली विद्यापीठ चांगखाम, जिला - लोहित, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय एवं सचल चिकित्सालय	1695285	2180583	3098187	2564460	2459610
3	बुद्धिस्ट कल्वरल प्रिजरवेशन सोसायटी अपर गाम्पा, बामडिला, जिला - वेस्ट कमंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1654602	2818701	1424826	1408680	1644210
4	सेन्टर फॉर बुद्धिस्ट कल्वरल स्टडीज ग्राम एवं पोस्ट - तवंग, जिला - तवंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	843192	873072	1746144	1443939	
5	डोनी पोलो मिशन इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	हॉस्टल	5081940	0	0	0	
6	आर.के.मिशन नरोत्तम नगर, वाया - देवमाली, जिला - तिराप, अरुणाचल प्रदेश	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (2), आवासीय विद्यालय एवं सचल चिकित्सालय	4881024	6854048	5948658	6380676	
7	आर.के.मिशन विवेकानंदनगर, एलांग, पश्चिम सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	अनावासीय विद्यालय, दस शैया चिकित्सालय, सचल चिकित्सालय, हॉस्टल एवं श्रव्य-दृश्य एकक	5977160	3060840	6121680	3060840	3060840
8	आर.के.मिशन हॉस्पिटल इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	साठ शैया चिकित्सालय	4366710	5008423	4366710	4847160	4687684
9	रामकृष्ण शारदा मिशन खोनसा, जिला - तिराप, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2025835	3478402	2751669	2752569	2782494
10	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली	छात्रावास	0।	0।	355500	1733759	0
11	विवेकानंद केन्द्र अरुणज्योति, ईटानगर, ईटानगर, जिला पपुम्पारे, अरुणाचल प्रदेश	कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा सचल पुस्तकालय	377399	457830	415519	0	951055
12	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नजदीक नहारलगुन, पुलिस स्टेशन, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय स्कूल(पी+एस)	0	0	1915362	2092656	
13	पूर्वोत्तर जनजाति शिक्षा समिति माधव धाम, तेजपुर, असम	आवासीय विद्यालय	800671	1739800	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
	कुल		**27703818**	**26471699**	**28144255**	**27494267**	**15585893**
असम							
1	असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट इन्द्रकांता भवन, कनकलता पथ, उलूबारी, गुवाहाटी-781007, असम	सचल चिकित्सालय	0	0	586755	583155	
2	भारत सेवाश्रम संघ लाखरा रोड, काहिलीपुरा, गुवाहाटी, असम	सचल चिकित्सालय	510435	379233	0	0	

3	डा.अम्बेडकर मिशन धोपातारी, जिला - कामरूप, असम	दस शैया चिकित्सालय एवं सचल चिकित्सालय	664169	2103292	1439687	1440180	
4	ग्राम विकास परिषद ग्राम - रंगालो, जिला - नौगांव, असम	सचल चिकित्सालय	200835	0	781740	390870	390870
5	पठारी वोकेशनल इंस्टीव्यूट बार लिब्राग, नौगांव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	306330	312390	208260	208260	
6	प्रांतीय सर्वजन कल्याण केंद्र, लखीमपुर, असम	कढ़ाई एवं बुनाई केंद्र तथा टेलरिंग सेंटर, सचल औषधालय, टंकण एवं हॉस्टल	0	0	1137354	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
7	आर.के.मिशन, नरोत्तम नगर, वाया - देवमाली, जिला - तिराप, अरुणाचल प्रदेश	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	300000	0	0	0	
8	आर.के.मिशन आश्रम उलूबारी, गुवाहाटी, असम	हॉस्टल, सचल चिकित्सालय एवं पुस्तकालय	862110	810540	801900	799200	0
9	आर.के.मिशन सेवाश्रम सिलचर, असम	हॉस्टल	248375	0	959800	0	389430
10	सदाऊ आसाम ग्राम्य पुथीभारल संस्था तेलीपट्टी, जिला - नौगांव, असम	पुस्तकालय एवं अनावासीय विद्यालय	300915	392957	681282	706230	
11	सरस्वती विद्या मंदिर परिचालना समिति बोरो हॉफलांग, एन.सी.हिल्स, असम	आवासीय विद्यालय	809862	269862	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
12	शिशु शिक्षा समिति गुवाहाटी, असम	अनावासीय विद्यालय	418495	1610073	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
13	श्रीमंत शंकर मिशन नौगांव, असम	सचल चिकित्सालय	177435	177435	354870	390870	
14	उत्तर पूर्वांचल जनजाति सेवा समिति हॉफलांग, एन.सी.हिल्स, असम	हॉस्टल	495061	246359	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
15	अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली	4-छात्रावास	1739185	924628	3697074	1882152	
16	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055	छात्रावास	0 l	0 l	716853	471987	
	कुल		**7033207**	**7226769**	**11365575**	**6872904**	**780300**
	छत्तीसगढ़						
1	कछाना ध्रुव सेवा एंड कल्याण समिति, गाँव+पो0-पांडुका, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय स्कूल	0	0	0	54000	
2	नव अभिलाषा शिक्षण संस्थान ग्राम एवं पोस्ट - बुधवानी, जिला - राजनांदगांव, छत्तीसगढ़	अनावासीय विद्यालय (2007-08 से)	259655	348399	574493	1213133	1276020
3	आर.के.मिशन आश्रम नारायणपुर, जिला - बस्तर, छत्तीसगढ़	होस्टल तथा आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	1724974	778899	2300978	2414905	
4	सेवा भारती (मध्य प्रदेश), मातृच्छाया, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के सामने, हौशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-462001	सीटीसी की तीन इकाई, छात्रावास की दो इकाई एवं एक आवासीय स्कूल	0	1934973	946749	3238156	2547118
5	व्यक्ति विकास केन्द्र, भारत, ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट आफिस, कीर्ति स्टूडिया, देवीगंज रोड, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़-497001	सचल औषधालय एवं पेयजल	0	0	0	456111	
	कुल		**1984629**	**3062271**	**3822220**	**7376305**	**3823138**

	गुजरात						
1	अनुगृह आदिवासी एजूकेशन ट्रस्ट, ग्राम एवं पोस्ट - वादवा, जिला - दाहोद, गुजरात	सचल चिकित्सालय	0	365569	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
2	भारत सेवाश्रम संघ, नर्मदा, गुजरात	सचल चिकित्सालय	200835	918005	0	401670	
3	भारत सेवाश्रम संघ, नावासारी, गुजरात	सचल चिकित्सालय	3433262	1071400	547830	5143618	
4	भारत यात्रा केंद्र डेडियापाड़ा, नर्मदा, गुजरात	हॉस्टल, सचल चिकित्सालय एवं टंकण प्रशिक्षण केंद्र	1923773	745560	369270	1000881	386730
5	इनरेका, रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, डेडियापाड़ा, जिला- नर्मदा, गुजरात	आवासीय विद्यालय	777960	745338	0	756104	751041
6	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल ग्राम - धलसीमल, पोस्ट - मोली, तालुका - झालोड, जिला - झालोड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	0	1186920	0	3298500	
7	समाज केंद्र सोसायटी, गुजरात	प्राइमरी अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
8	संत श्री आशाराम आश्रम साबरमती अहमदाबाद, गुजरात	सचल चिकित्सालय	842760	801990	1606680	0	401670
9	शिव शक्ति एजूकेशन ट्रस्ट 17, म्यूनिसिपल शॉपिंग सेंटर, न्यू फॉयर स्टेशन के पास, दाहोद, गुजरात	सचल चिकित्सालय	549436	0	0	194814	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
10	श्री आदिवासी युवक सेवक संघ झालोद, जिला दाहोद, गुजरात	अनावासीय विद्यालय	300915	575910	1558980	2714162	मानव व्यापार के संबंध अध्यक्ष के विरुद्ध सीबीआई पूछताछ
11	श्री धाधेला केलवानी मंडल ग्राम एवं पोस्ट - धाधेला जिला - दाहोद, गुजरात	हॉस्टल	671714	0	0	932791	
12	श्री मंगलम एजूकेशन ट्रस्ट नाका, तालुका - खेदब्रह्मा, साबरकांठा-383275, गुजरात	अनावासीय विद्यालय	0	300915	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
13	श्री सदगुरू स्वामी अखण्डानंद चैरिटेबल ट्रस्ट, बारूमल, जिला - वलसाड, गुजरात	होस्टल	738100	1099073	1089558	0	2276229
14	श्री स्वामी नारायण एजूकेशन ट्रस्ट वलसाड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	519886	1038050	1051920	989325	1039320
15	श्री त्रिगुनी एजूकेशन विकास ट्रस्ट हिम्मत नगर, साबरकंठा , गुजरात	आवासीय विद्यालय	0	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
16	श्री विमुक्ति जाति कल्याण मंडल पितृछाया, महेतापुरा, मार्ग केंद्र के पास, हिम्मतनगर, गुजरात,	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	0	
17	स्वामी विवेकानंद एजूकेशन ट्रस्ट दाहोद, गुजरात	आवासीय स्कूल	1591380	1027395	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
18	यूनिवर्सल विजन फाउंडेशन देवजीकुरा, जिला - सूरत	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	79650	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
19	जरपन नसरपुर विभाग केलवानी मंडल सूरत	छात्रावास	128395	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है

20	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-55	दाहोद में कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	0	0	405535	
	कुल		**12359896**	**9876125**	**6224238**	**15837400**	**4854990**
	हिमाचल प्रदेश						
1	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ऑफ की गाम्पा, पोस्ट - के.गाम्पा, जिला - लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश	हॉस्टल	363960	0	811524	466110	512482
2	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन पोस्ट बॉक्स नं. 98, क्लब हाउस रोड मांडली, जिला - कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1542096	2388537	1665639	1569096	
3	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एण्ड ट्राइबल कल्चर सोसायटी, ताबो, जिला - लाहौल स्पीति , हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	575910	1500675	1037890	1039320	
4	रामधा बुद्धिस्ट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट - रंगरीक, जिला - लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश	हॉस्टल	445230	332730	764460	848160	1552446
5	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, योल कैन्ट, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1898600	1918600	958800	1914000	3871920
	कुल		**4825796**	**6140542**	**5238313**	**5836686**	**5936848**
	जम्मू व कश्मीर						
1	गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट गुर्जर कॉलोनी, जम्मू, जम्मू व कश्मीर	सचल चिकित्सालय	0	3892532	2937550	3324752	
2	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ग्राम - गुलाबगढ़, पोस्ट - अठौली, जिला - डोडा, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	2072430	0	1246743	2638260	
3	लॅमडन सोशल वेलफेयर सोसायटी, लेह, लद्दाख, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	1078088	1097903	0	1108364
4	महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	0	1298088	0	1066705
	कुल		**2072430**	**4970620**	**6580284**	**5963012**	**2175069**
	झारखंड						
1	भारत सेवाश्रम संघ ग्राम एवं पोस्ट - बाराजूरी, वाया - घाटशिला, जिला - पूर्वी सिंह भूमि, झारखंड	सचल चिकित्सालय, दस शैया चिकित्सालय एवं आवासीय विद्यालय	6315163	4360374	0	0	
2	भारत सेवाश्रम संघ ग्राम एवं पोस्ट - पाकुर, जिला - पाकुर, झारखंड	आवासीय विद्यालय एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	598790	1966263	1342060	0	2577150
3	भारत सेवाश्रम संघ सोनारी, रिवर मीट रोड, जमशेदपुर, झारखंड	सचल चिकित्सालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, केन एवं बांस प्रशिक्षण केंद्र, सचल पुस्तकालय, श्रव्य-दृश्य एकक एवं आवासीय विद्यालय	14407087	24458276	12045636	8895419	445270
4	आर.के.मिशन मठ गाम पोस्ट एवं जिला - जामतारा, झारखंड	सचल चिकित्सालय	275445	0	683846	338709	
5	आर.के.मिशन विवेकानंद सोसायटी विष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड	होस्टल, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टाइपिंग एवं ए.वी.एकक	659763	383606	1133232	763914	
6	आर.के.मिशन आश्रम मोराबादी, रांची, झारखंड	दिव्यायन यूनिट, ग्रामीण रात्रि पाठशाला, सचल चिकित्सालय, पुस्तकालय एवं ए.वी.यूनिट	9541809	9189206	6088709	4202830	4454814
7	आर.के.मिशन टी.बी. सैनेटोरियम रांची, झारखंड	पचास शैया चिकित्सालय एवं सचल चिकित्सालय	11164633	4839493	4880704	4112773	4914285

8	व्यक्ति विकास केंद्र 19, 11वां मेन रोड, 39वां मोड़, जयनगर, बंगलौर, झारखंड	सचल औषधालय एवं पेयजल	0	416790	0	589296	
9	भारत सेवाश्रम संघ, पो0 रानीश्वर, जिला दुमका, झारखंड	2 आवासीय स्कूल, सचल औषधालय, 10 बिस्तर वाला अस्पताल, कताई एवं बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र					4758371
	कुल		**42962690**	**45614008**	**26174187**	**18902941**	**17149890**
कर्नाटक							
1	आशीर्वाद रूरल डेवलपमेंट सोसायटी काजीपेट, गुडीबाण्डे, जिला - कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय एवं दस शैया चिकित्सालय	1026370	1034110	0	2055420	
2	भारती एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम - पाथापल्ली, तालुका - बागेपल्ली, जिला - कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	579420	504810	1024290	1025460	
3	डा.अम्बेकर एजूकेशन सोसायटी नालकुदारे गोमाला, तालुका - चन्नागिरी, जिला - देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	519660	1477710	0	2077830	
4	डा.जचानी राष्ट्रीय सेवापीठ 49, एच.बी.समाज रोड, बासवानगुडी, बंगलौर, कर्नाटक	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	0	1768433
5	हरिहर ग्रामीण अभिवृद्धि संघ ग्राम - सिद्धगणहली, जिला - कोलार, कर्नाटक	सचल चिकित्सालय	586305	390870	0	781740	
6	कुमुदवती रूरल डेवलपमेंट सोसायटी 32, आर.आर. एक्सटेंशन, मधुगिरि जिला - तुमकुर, कर्नाटक	अनावासीय विद्यालय	495000	0	1329043	0	1910718
7	नायक स्टूडेंट फेडरेशन गोकाक, बेलगांव, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	519660	331479	0	1011137	
8	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट - गेराहल्ली, तालुका - चिकबालपुर, जिला - कोलार, कर्नाटक	हॉस्टल	378180	1134540	756360	756360	
9	संत कबीरदास एजूकेशन सोसायटी गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	519660	373392	0	970137	
10	श्री कटेश्वर मल्टी परपज एण्ड क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी, 1138/ई/ए, पदमा, थर्ड.बी, मेन रोड, विजयनगर, सेकंड स्टेज, बंगलौर, कर्नाटक	सचल चिकित्सालय एवं केन तथा बांस प्रशिक्षण केंद्र	139230	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
11	श्री होयशाला विद्या संस्था ग्राम एवं पोस्ट - नीलगिरि, जिला - देवानगिरि, कर्नाटक	सचल चिकित्सालय	725895	0	0	2788702	
12	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था 4206/9, देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	515695	408588	0	1844593	1003819
13	श्री संत कबीर एजूकेशन सोसायटी चिंचोरी शिविर, गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	0	2078640	0	
14	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट रंगपुरा, जिला - तुमकुर, कर्नाटक	दस शैया चिकित्सालय एवं सचल चिकित्सालय	1567699	1564284	0	3207115	1632339
15	श्री विनायक सेवा ट्रस्ट 2608, शंकरपुरा, विजयनगर - द्वितीय, बंगलौर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1039320	1027268	1025820	1039320	

16	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट कंचनहल्ली, जिला - मैसूर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय, दस शैया चिकित्सालय एवं सचल चिकित्सालय	2041567	7484301	5466553	5170080	
17	यूनिटी एजूकेशनल एण्ड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, ग्राम एवं पोस्ट - पोथेनाहल्ली, जिला - कोलार, कर्नाटक	अनावासीय विद्यालय	557820	553770	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
18	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र चामराजनगर, कर्नाटक	सचल औषधालय, दस शैया चिकित्सालय एवं आवासीय विद्यालय	2737028	4385525	2851274	1439917	1439916
	कुल			**20670647**	**14531980**	**24167811**	**7755225**
	केरल						
1	मां अमृतानंदमयी मठ अमृत भवन, पारीपल्ली, जिला - कोलाम - 691574	दस शैया चिकित्सालय	0	856260	0	3046240	
2	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम ग्राम एवं पोस्ट - कलाडी, जिला - एरनाकुलम	हॉस्टल	549750	955725	941336	1008630	
3	स्वामी निर्मलानंद मेमोरियल बालभवन कयामकुलम	हॉस्टल	1041540	780030	622747	0	713385
4	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन वयानाड	दस शैया चिकित्सालय	1531645	2258811	1519513	0	1583710
5	वनवासी कल्याण आश्रम ट्रस्ट ग्राम एवं पोस्ट - पेरिया, जिला - वयानाड	आवासीय विद्यालय	889546	2773580	0	3681099	
6	विनोबा निकेतन ग्राम व पोस्ट - विनोबा निकेतन जिला - त्रिवेन्द्रम	सचल औषधालय	0	4613592	1182645	448853	393728
	कुल		**4012481**	**12237998**	**4266241**	**8184822**	**2690823**
	मध्य प्रदेश						
1	आशीर्वाद शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, ए.7, अमित एपार्टमेंट, फेज - 1, विजय नगर, लालघाटी, भोपाल	अनावासीय विद्यालय	0	300915	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
2.	आसदीप कल्याण समिति, 86, विनोबा वार्ड, सिहारो, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश	आवासीय स्कूल तथा कताई, बुनाई तथा हथकरघा	0	0	0	1387038	738157
3	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, पो0 अमरपुर, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय स्कूल	0	0	0	54000	
4	अन्नपूर्णा शिक्षा समिति ग्राम एवं पोस्ट - सेमोन खापारा जिला - मण्डला	अनावासीय विद्यालय	301365	712790	0	1976567	
5	बाहियार नारी उत्थान सेवा महिला मंडल, ग्राम एवं पोस्ट - बाहियार, जिला - बलूरघाट	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	1004279	
6	बंधेवाल शिक्षा समिति, 92, पुराना नारियल खेड़ा, भोपाल, मध्य प्रदेश	अनावासीय विद्यालय एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	1120473	0	217980	422507	1183948
7	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली -110055	सचल औषधालय, आवासीय स्कूल, कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0।	0।	1374120	0	839655
8	हितेशरी सामाजिक संस्था, एमआईजी-30/4बी, साकेतनगर, भोपाल, मध्य	सचल औषधालय	0	0	0	346500	0

	प्रदेश						
9	जन कल्याण आश्रम समिति, गांव सिद्धपुर, जिला हौशंगाबाद, मध्य प्रदेश	आवासीय स्कूल	0	0	0	157500	
10	जीवन ज्योति शिक्षा प्रसार समिति सिंगापुर, मण्डला	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	1117187	
11	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कलयाण समिति, उज्जैन	आवासीय विद्यालय	1027259	519660	2099183	940950	
12	एम.पी. वनवासी सेवा मंडल, महाराजपुर, मांडला, मध्य प्रदेश	गैर5आवासीय स्कूल	0	300915	681930	1368019	
13	पुष्पा कांवेन्ट शिक्षा समिति पुष्प नगर कॉलोनी, भोपाल	अनावासीय विद्यालय	300915	208350	0	0	1172430
14	रामा एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी भोपाल	अनावासीय विद्यालय एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	900720	516600	759417	428267	1173672
15	स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन शिक्षा समिति, गुना	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	570262	609090
16	युवक कल्याण सेवा प्रशिक्षण संस्थान, गांव रांगरी (ठोका), अनंगगांव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	आवासीय स्कूल (एस)	0	0	0	192500	
	कुल		**4553477**	**2559230**	**5132630**	**9965576**	**5716952**
महाराष्ट्र							
1	ए.बी.एम.समाज प्रबोधन संस्थान थाणे, महाराष्ट्र	बालवाड़ी/क्रेच सेंटर	0	2408400	2959920	4141760	4349042
2	अभ्युदय संस्थान मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र	अनावासीय विद्यालय	0	0	0	994019	
3	आदिवासी देवमांगरा एजूकेशनल सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट - नटावट, जिला - नंदूरबार, महाराष्ट्र	अनावासीय विद्यालय	300915	0	459810	0	554495
4	भटाई देवी महिला विकास मंडल नवालंगर, जिला - धुले, महाराष्ट्र	सचल औषधालय	200835	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
5	डागाडू नायक शैक्षणिक एण्ड सामाजिक संस्था, पलाईगुडा, तालुका - मोहुर, जिला - नांदेड, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	519660	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
6	देवनिल शिक्षण प्रसारक मंडल, चंदरपुर, महाराष्ट्र	आवासीय स्कूल (न्यू)	0	0	0	157500	
7	धर्मास्वामी महर्षि श्री संत गुलाबराव महाराज वरकारी एण्ड विकास शिक्षण संस्था, ग्राम एवं पोस्ट - कारला, जिला - अमरावती, महाराष्ट्र	दस शैया चिकित्सालय एवं सचल औषधालय	2973616	1316474	1715940	0	1005705
8	एकात्माता सामाजिक शिक्षण मंडल लोहारी, सवांगा, जिला - नागपुर, महाराष्ट्र	सचल औषधालय	200835	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
9	फेमिली प्लानिंग एण्ड मेडिकल एड ट्रस्ट, मुम्बई	सचल औषधालय सह ए.वी.एकक	0	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
10	हिंदुस्तान स्पोर्ट एण्ड जूडो कराटे एशोसिएशन, पिम्पालनू, जिला - धुले, महाराष्ट्र	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	1127970	
11	जयहिंद मित्र मंडल	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	588708	1371519

	कोल्हापुर, जिला - फूलबनी, महाराष्ट्र						
12	जय जगदम्बा बहुददेशीय संस्था सूरजपुर, तालुका - बरसी, जिला - शोलापुर, महाराष्ट्र	अनावासीय विद्यालय	0	0	0	1012098	
13	खांडेराव एजूकेशन सोसायटी, बसार, जिला - धुले, महाराष्ट्र	अनावासीय विद्यालय	300915	0	1315933	718169	
14	लेट आर सी पाटिल बहु-उद्देशीय शिक्षण संस्था, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राइमरी स्कूल	0	0	0	157500	
15	नवयुवति महिला मंडल, शिरुर, जिला लाटूर, महाराष्ट्र	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	1018373	
16	राजमाता जिजाऊ महिला मंडल, पारसोले, मेन रोड, तालोडा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र	अनावासीय प्राइमरी एवं सेकेन्डरी विद्यालय	300915	0	508230	0	545198
17	राजमाता शिक्षण प्रसारक मंडल, दोइथान, ताल-अशति जिला-बीड, महाराष्ट्र	आवासीय स्कूल (न्यू)	0	0	0	157500	956592
18	राजीव बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, पोस्ट नालवाडी, जिला वार्धा, महाराष्ट्र	अनावासीय विद्यालय	0	0	0	784526	
19	रेनूका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाणे, मालेगांव, महाराष्ट्र	अनावासीय प्राइमरी विद्यालय	300915	0	542713	0	730769
20	सार्थक शिक्षण प्रसारक समाज, मालरगांव केम्प, तालुक मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र	अनावासीय प्राइमरी विद्यालय	0	0	0	0	1131184
21	संकरुतयान शिक्षण प्रसारक मंडल, ग्राम मूल, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	286751	
22	शिव कृपा ग्रामीण ट्राइबल बहुउद्देशीय संस्थान मानस मंदिर वार्धा, महाराष्ट्र	सचल औषधालय	0	0	0	778899	
23	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय स्कूल (न्यू)	0	0	0	157500	
24	श्री कालिकादेवी बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल कासर सिरसी तालुक निलांगा, जिला लाटूर	अनावासीय प्राइमरी विद्यालय	0	0	0	1079042	
25	श्री कन्हैयालाल महारज ट्रस्ट, सामोडे, जिला धुले	आवासीय प्राइमरी विद्यालय	519660	0	918360	1035448	
26	श्री सांइनाथ एजूकेशन सोसायटी, प्रतापपुर,, तालुक तालोडा, नंदुरबार	होस्टल	378180	0	0	1183868	
27	श्री स्वामी स्वंय सेवा भावी संस्था, गनेशपुर, जिला धुले	आवासीय विद्यालय	519660	0	912960	1028493	
28	सिद्ध्कला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंदगांव, जिला नासिक	आवासीय प्राइमरी विद्यालय	0	0	918360	993888	1027458
29	सुष्मा शिक्षण प्रसारक मंडल, बांद्रा, महाराष्ट्र	आवासीय स्कूल (न्यू)				157500	
30	तापी परिसर एजुकेशनल एंड कल्वरल ट्रस्ट, नेवादे, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय स्कूल (न्यू)				157500	
31	थंगुबाइ संस्कार दयोरे सेवाभावी संस्था, संघमेश्वर, मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	1106145	
32	तुलजा भवानी सेवाभावी संस्था, गांव विटाइ, जिला धुले, महाराष्ट्र	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
33	उज्जवल रुरल डेवलपमेंट सोसायटी नेवादे, जिला धुले, महाराष्ट्र	होस्टल	378180	0	754110	739944	753330

34	यशवंत बहुउद्देशीय जनकल्याण, लोहारी, जिला नागपुर,, महाराष्ट्र	सचलऔषधालय	200835	0	390870	0	
35	यूथ वेलफेयर असोसिएशन ऑफ इंडिया, बुल्दाना, महाराष्ट्र	10 बिस्तरों वाला अस्पताल(न्यू)	0	0	0	381764	1690829
36	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-55	कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र	0।	0।	635980	376558	
37	साइ प्रसाद आदिवासी सेवा मंडल, पो0 वाशिंद (वेस्ट), ताल.शाहपुर, जिला थाणे, महाराष्ट्र	आवासीय स्कूल					289350
38	चंदराई महिला मंडल, पो0 पिम्पाल्नर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय स्कूल					157500
39	लेट यशवंत बाली राम पाटिल शिक्षण प्रसारक मंडल, तलाई, ताल.एरंडोल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय स्कूल					157500
	कुल		**8900611**	**3724874**	**12033186**	**20321423**	**14720471**
मणिपुर							
1	सेंटर ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विस, वांगवल, जिला - थोबाल, मणिपुर	टाइपिंग एवं आशुलेखन प्रशिक्षण	575910	166320	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
2	चिलचिल एशियन मिशन सोसायटी कांगला टांबी, मणिपुर	हॉस्टल	1119303	0	752310	411930	339930
3	क्रिश्चियन ग्रॉमर स्कूल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर थिंगखाम, तामेंगलांग जिला, मणिपुर	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	1051182	0	0	2299860	
4	डा.अम्बेडकर स्कूल प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी न्यू लांबका, चुराचांदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	1147563	1122174	0	1676709
5	हाइलैण्ड वेलफेयर एशोसिएशन सदर हिल्स, मणिपुर	लड़कियों का छात्रावास	378180	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
6	इंस्टीट्यूट आफ सोशल डेवलपमेंट फार वीकर सेक्शन, मणिपुर वाहेंगबम लीकाई, खोंगनंग होगीबी, न्यू कच्छार रोड, इम्फाल, मणिपुर	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	227160	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
7	इन्टीग्रेटेड एजूकेशनल सोशल डेवलपमेंट आगेनाइजेशन इम्फाल पूर्वी, मणिपुर	अनावासीय विद्यालय	958005	0	0	1309140	0
8	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल आगेनाइजेशन वांगबाल, पोस्ट - थाऊबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	4349862	2289510	2273580	2284335	
9	मणिपुर बार्डर एरिया डेवलपमेंट सोसायटी, चाकपिकारोंग, जपहोउ बाजार, चांडेल जिला, मणिपुर	टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	0	155160	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
10	मणिपुर एस.सी.वेलफेयर एशोसिएशन, पांगी बाजार, मणिपुर	सचल औषधालय	401670	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
11	मणिपुर ट्राइबल फामस डेवलपमेंट एशोसिएशन, इम्फाल, मणिपुर	हॉस्टल	237986	0	617130	0	
12	नॉथ इस्टन ब्वायज एण्ड गल्स गाइड एशोसिएशन, कोरेंगल,इम्फाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1141920	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
13	ओनूरी मिशन सोसायटी इम्फाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	638010	1163520	0	0	

14	रिसोर्स सेंटर फॉर सोशल वेलफेयर एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, चन्देल जिला, मणिपुर	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	221760	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
15	रिसोर्स सेंटर फॉर सोशल वेलफेयर एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इम्फाल, मणिपुर	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	0	316440	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
16	रूरल एजूकेशन एण्ड सोशियो इकोनामिक डेवलपमेंट आगेनाइजेशन, मणिपुर, थांगा टॉग ब्राम, लीकाई, जिला -विष्णुपुर, मणिपुर	अनावासीय विद्यालय	544262	0	289665	0	572148
17	रूरल वॉलंटियर्स सर्विस, थाउबल, मणिपुर	सचल औषधालय	200835	401670	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
18	रूरल पीपल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, हीरोक, मणिपुर	टंकण एवं आशुलपिक प्रशिक्षण केन्द्र	154170	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
19	सियामसिनपाल्पी, चुराचांदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	2610090	4885259	6814147	4544658
20	सोशल डेवलपमेंट फॉर वीकर सेक्शन वाहिंगबाम, इम्फाल, मणिपुर	कम्प्यूटर ट्रेनिंग	0	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
21	टीयर फण्ड इंडिया कमेटी ऑन रिलीफ एण्ड रिहैबिलिटेशन सर्विस चुराचांदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1038718	0	1964968	0	
22	ट्रिनिटी - इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, तामेंगलांग,	हॉस्टल	1555920	752560	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
23	टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थाउबाल	आवासीय विद्यालय	0	1720053	0	1926000	
24	डीएवी कालेज मैनेजिंग कमेटी, चित्रगुप्ता, रोड, नई दिल्ली	छात्रावास	0	505175	276210	0	
25	सोसायटी फार वीमेन एजुकेशन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन अथोकपाम खुनोऊ, पो0 थोउबाल, मणिपुर	सचल औषधालय	0	0	383670	190485	190485
26	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, डॉ0 अम्बेडकर मार्ग (लिंग रोड) नई दिल्ली	छात्रावास	0।	0।	777960	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
27	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस हीरोक, जिला - थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	0	1039320	1965060	
28	वालंटियर्स फॉर रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन लैमडिंग, बांगजिंग, मणिपुर	सचल औषधालय, टाइपिंग एवं शॉर्टहैण्ड प्रशिक्षण केंद्र	0	0	552870	0	
	कुल		**14567693**	**11455221**	**14935116**	**17200957**	**7323930**
मेघालय							
1.	आर.के.मिशन शिलांग, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	हॉस्टल, चल औषधालय एवं पुस्तकालय	1054100	1055400	1225500	1084300	1022800
2.	आर.के.मिशन आश्रम चेरापूंजी, जिला - ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	62 परियोजनाएं - एल.पी.एवं एम.ई. स्कूल, सैकेंडरी स्कूल हॉस्टल, एवं हायर सैकेंडरी स्कूल	26945747	35783271	32526377	31088385	30992553
3.	सेवा भारती शिलांग, मेघालय	2-सचल औषधालय एवं आवासीय विद्यालय	1869912	785741	2048736	0	1594567
	कुल		**29869759**	**37624412**	**35800613**	**32172685**	**33609920**
मिजोरम							
1	बैपटिस्ट चर्च ऑफ मिजोरम क्रिश्चियन हॉस्पिटल, सेरकॉन, पोस्ट -जॉटलैंग, जिला - लुंगई, मिजोरम	सचल औषधालय	0	0	0	0	401670

2	मिजोरम हिमेथाई एशोसिएशन आइजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय एवं सचल औषधालय	0	1554390	694000	0	
3	सैक्रेड हार्ट सोसायटी आइजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय	0	2194290	0	0	
4	सोशल गाइडेंस एजेंसी आइजोल, मिजोरम	सचल औषधालय	106875	106875	652950	299520	353430
5	थुंटक नूंटक नूनपुइतू टीम जुंगटुई, आइजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय	508860	508860	586900	0	764400
	कुल		**615735**	**4364415**	**1933850**	**299520**	**1519500**
नागालैंड							
1	अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली	छात्रावास	268380	483210	483210	974070	
2	हिकाई एंड सन्स सोसायटी, सताखा टाउन, जिला जुनहेबोतो, नागालैंड	आवासीय स्कूल (न्यू)	0	0	0	157500	
3	हिल व्यू वेलफेयर सोसायटी, दीफुपुर, दीमापुर, नागालैंड	आवासीय स्कूल (न्यू)	0	0	0	157500	1007820
4	के. होल्लोहोन वेलफेयर सोसायटी, दीमापुर, नागालैंड	गैर-आवासीय स्कूल (न्यू)	0	0	0	54000	522630
5	नागालैंड चिल्ड्रन होम, दीमापुर, नागालैंड	छात्रावास	0	0	1124689	525906	
6	रित्से सोशियो-इकोनोमिक एंड कल्चरल खेजहाकेनो गांव, जिला फेक, नागालैंड	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	88290	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
7	सोसायटी फार अबोरिगिनेस एंड कोहिमा, जिला कोहिमा, नागालैंड	कारपेंटिंग में प्रशिक्षण					27900
8	अबिजेनेसिस सोसायटी ममियास बलिस, 6, अंगामी खेल, नुटोन बोस्ती, दीमापुर, नागालैंड	सचल पुस्तकालय-सह-दृश्य प्रचार इकाई					571894
	कुल		**356670**	**483210**	**1607899**	**1868976**	**2130244**
दिल्ली							
1	भारत सेवाश्रम संघ श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	528610	531471	571743	601775	
2	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली - 110055	हास्टल एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	2500000।	7177454।	706302	842339	
3	सेवा भारती झण्डेवाला, नई दिल्ली	आवासीय विद्यालय	772470	1820867	605201	467680	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
	कुल		**1301080**	**2352338**	**1883246**	**1911794**	**0**
उड़ीसा							
1	आदिवासी सोशल एण्ड कल्चरल सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट - कुचिण्डा, जिला - सबलपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	518310	0	0	792925	3102470
2	अम्बेडकर एजूकेशनल काम्पलेक्स नीलाद्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	हॉस्टल	0	0	0	2113728	732600
3	एनीमल वेलफेयर सोसायटी ऑफ उड़ीसा, डेल्टा कॉलोनी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	सचल औषधालय	390870	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है

-

4	अरण्यक, ग्राम एवं पोस्ट - तालमुल सासन, पोस्ट - तालमुल, जिला - आंगुल, उड़ीसा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	90990	90990	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
5	अरूण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्राम - अश्वखोला, पोस्ट - करामुल, जिला - ढेंकानॉल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	519660	519660	2063628	1176705	1039320
6	एशोसिएशन फॉर सोसियो-कल्चरल रिफॉर्म्स एण्ड इनवायरमेंट (आश्रित) ढेंकानॉल, उड़ीसा	सचल औषधालय	195435	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
7	एशोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन दीमापुर, पुरी, , उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2327040	1162520	0	3394027	1152252
8	वनवासी सेवा समिति, बालीगुडा, जिला - कांधामल, उड़ीसा	हॉस्टल	324630	0	0	1446921	726120
9	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, कटक, उड़ीसा	हॉस्टल	1040337	0	1086440	2168662	1102860
10	भैरवी क्लब, कुंवरपाडा, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	519660	519660	2078640	0	2017755
11	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बारामुण्डा, भुवनेश्वर, उड़ीसा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम - अजा/ अजजा/अपिव के लिए	88290	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
12	कम्युनिटी लीगल एक्शन एण्ड रिसर्च सेंटर, बेनसिया, जिला - ढेंकानॉल, उड़ीसा	अनावासीय विद्यालय	905314	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
13	काउंसिल फार ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, प्लॉट नं. 420, साहिद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	94711	0	0	कोर्ट केस
14	कटक जिला हरिजन सेवा संस्कार योजना, हलादी, जिला - कण्डूपारा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1558980	0	921987	0	2958944
15	ग्लोबल विलेज फॉर रिहैबिलिटेशन एण्ड डेवलपमेंट, उदूलीबेडा, जिला - मलकानगिरि, उड़ीसा	सचल औषधालय	530879	0	307175	0	718626
16	गोपबंधु पथगारा, जिला - नयागढ, उड़ीसा	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
17	जीवन ज्योति, बीजेपी नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	दस शेया चिकित्सालय	2055420	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
18	जीवन ज्योति क्लब फॉर सोशल एण्ड रूरल, महादिया, पोस्ट - बेलापाडा, जिला - ढेंकानॉल, उड़ीसा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	90990	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
19	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, पाटा, खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2005250	0	0	2275920	4547340
20	नेचुरल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल वेलफेयर, न्यू जाम्पोसी, पोस्ट - सुकिंदा, जिला - जयपोर, उड़ीसा	टाइपिंग एण्ड शॉर्टहैण्ड प्रशिक्षण केंद्र	155070	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
21	नेहरू सेवा संघ बांगपुर, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	हॉस्टल	0	0	0	1521725	
22	निखिल उत्कल हरिजन सेवक संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	657344	0	1142000	2266883	1141920
23	आर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एण्ड रिकांस्ट्रक्शन, हरिकृष्णापुर, मयूरभंज, उड़ीसा	हॉस्टल	661040	0	1055978	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है

4	अरण्यक, ग्राम एवं पोस्ट - तालमुल सासन, पोस्ट - तालमुल, जिला - आंगुल, उड़ीसा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	90990	90990	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
5	अरूण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्राम - अश्वखोला, पोस्ट - कारामुल, जिला - ढेंकानॉल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	519660	519660	2063628	1176705	1039320
6	एशोसिएशन फॉर सोसियो-कल्चरल रिफॉर्म्स एण्ड इनवायरमेंट (आश्रित) ढेंकानॉल, उड़ीसा	सचल औषधालय	195435	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
7	एशोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन दीमापुर, पुरी, , उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2327040	1162520	0	3394027	1152252
8	वनवासी सेवा समिति, बालीगुडा, जिला - कांधामल, उड़ीसा	हॉस्टल	324630	0	0	1446921	726120
9	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, कटक, उड़ीसा	हॉस्टल	1040337	0	1086440	2168662	1102860
10	भैरवी क्लब, कुंवरपाडा, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	519660	519660	2078640	0	2017755
11	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बारामुण्डा, भुवनेश्वर, उड़ीसा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम - अजा/ अजजा/अपिव के लिए	88290	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
12	कम्युनिटी लीगल एक्शन एण्ड रिसर्च सेंटर, बेनसिया, जिला - ढेंकानॉल, उड़ीसा	अनावासीय विद्यालय	905314	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
13	काउंसिल फार ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, प्लॉट नं. 420, साहिद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	94711	0	0	कोर्ट केस
14	कटक जिला हरिजन सेवा संस्कार योजना, हलादी, जिला - कण्डूपारा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1558980	0	921987	0	2958944
15	ग्लोबल विलेज फॉर रिहैबिलिटेशन एण्ड डेवलपमेंट, उदूलीबेडा, जिला - मलकानगिरि, उड़ीसा	सचल औषधालय	530879	0	307175	0	718626
16	गोपबंधु पथगारा, जिला - नयागढ, उड़ीसा	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
17	जीवन ज्योति, बीजेपी नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	दस शेया चिकित्सालय	2055420	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
18	जीवन ज्योति क्लब फॉर सोशल एण्ड रूरल, महादिया, पोस्ट - बेलापाडा, जिला - ढेंकानॉल, उड़ीसा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	90990	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
19	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, पाटा, खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2005250	0	0	2275920	4547340
20	नेचुरल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल वेलफेयर, न्यू जाम्पोसी, पोस्ट - सुकिंदा, जिला - जयपोर, उड़ीसा	टाइपिंग एण्ड शॉर्टहैण्ड प्रशिक्षण केंद्र	155070	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
21	नेहरू सेवा संघ बांगपुर, जिला - खुर्दा, उड़ीसा	हॉस्टल	0	0	0	1521725	
22	निखिल उत्कल हरिजन सेवक संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	657344	0	1142000	2266883	1141920
23	आर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एण्ड रिकांस्ट्रक्शन, हरिकृष्णापुर, मयूरभंज, उड़ीसा	हॉस्टल	661040	0	1055978	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
24	आर्गेनाइजेशन फार दि रूरल वूमेन एंड यूथ डेवलपमेंट पो0 हरेकरशुनपुर, वाया-नलगंजा, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	आवासीय स्कूल	0	530190	0	748740	

25	उड़ीसा हरिजन सेवक संघ भंजपुर, पोस्ट - बारीपाडा, जिला - मयूरभंज, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	1421394	1179409	2216432	
26	उड़ीसा खादी एवं ग्रामीण उद्योग संघ, प्लाट नं. 805 और 823 (पी) 805, जयदेव विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	0	221265	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
27	ओरिसिस, पानी जांकी, जिला संबलपुर, उड़ीसा	कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
28	उड़ीसा सर्वोदय परिषद न्यूपाडा, उड़ीसा	हॉस्टल	224995	224915	0	899820	449910
29	उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नॉलोजी इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा	सचल औषधालय एवं आवासीय विद्यालय	962640	0	0	2099138	1120788
30	आर.के.मिशन विवेकानंद मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा	हास्टल एवं पुस्तकालय	481640	1383760	664920	592020	592020
31	आर.के.मिशन, पुरी, उड़ीसा	हॉस्टल, सचल औषधालय, टाइपिंग एवं आशुलेखन प्रशिक्षण	604352	1144216	759644	1391597	684630
32	रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत आश्रम कालाहांडी, उड़ीसा	सचल औषधालय	803340	0	0	0	319995
33	राष्ट्रीय सेवा समिति 9, ओल्ड हुजूर आफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	उड़ीसा में सचल औषधालय	0	519435	344591	0	827135
34	रिसर्च एण्ड एनालिसिस कंसलटेंट्स भुवनेश्वर, उड़ीसा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	339489	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
35	ऋषिकुल सेवाश्रम ट्रस्ट धूमूमल, पोस्ट - कुन्तरा, जिला - संबलपुर, उड़ीसा	सचल औषधालय एवं दस शैया चिकित्सालय(2)	0	2166641	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
36	समाज कल्याण संस्था झारपोखारिया, जिला - मयूरभंज, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	1588320	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
37	सेवा समाज गुनपुर, जिला - रायगाडा, उड़ीसा	हॉस्टल	299812	299813	599625	1199245	
38	श्री आर.के.मिशन आश्रम रामपुर, कालाहांडी, उड़ीसा	हॉस्टल एवं चल औषधालय, कृषि एवं संबद्ध प्रशिक्षण	2460404	0	786870	6487640	5300000
39	सोशल वीकर अवेयरनेश डेवलपमेंट एण्ड इकोनामिक सर्विस (स्वदेशी), गोपाल बंधु नगर, फूलबनी, जिला - कांधामल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	983010	0	2077290	441541	1615307
40	सोसायटी फॉर ट्राइबल एण्ड रूरल रिकांस्ट्रक्शन, घाटागांव, क्योंझरा, उड़ीसा	अनावासीय विद्यालय	300915	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
41	विश्व जीवन सेवा संघ सरदारपुर, खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	0	1039320	2032083	1039320
42	वर्ल्ड पीस ट्रस्ट सुंदरगढ़, उड़ीसा	अनावासीय विद्यालय	552639	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
43	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, जमशेदपुर, झारखड	आवासीय स्कूल, दो इकाई वाला सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल तथा कताई, बुनाई एवं हथकरघा प्रशिक्षण	3509719	2917569	3719718	2552569	
44	लक्ष्मी नारायण हरिजन एंड आदिवासी बैकवार्ड डेवलपमेंट सोसायटी, जयपुर, उड़ीसा	आवासीय स्कूल	2078640	0	1039320	0	
45	व्यक्ति विकास केन्द्र, नं. 19, 39वां क्रास, 11वां मेन चौथा टी ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर-560041	सचल औषधालय एवं पेयजल	0	416790	401670	0	

46	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली	छात्रावास	0 l	0 l	1131300	732690	851400
	कुल		**28538019**	**15221849**	**22399525**	**38551011**	**32040712**
	राजस्थान						
1	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, जिला - टोंक, राजस्थान	छात्रवृत्ति योजना	0	2730000	0	3885000	1286250
2	जनजाति महिला विकास संस्थान सवाई माधोपुर, राजस्थान	हॉस्टल	1017990	670064	714205	667113	
3	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	519660	850085	0	2038471	1028605
4	संत श्री आसाराम जी आश्रम ट्रस्ट साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात	सचल चिकित्सालय	200835	0	803340	0	401670
5	श्रद्धालय आश्रम समिति सूरजपोल, कोटा, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	519660	581760	0	0	2036646
	कुल		**2258145**	**4831909**	**1517545**	**6590584**	**4753171**
	सिक्किम						
1.	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ सिक्किम, चोगने, गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास	839475	0	2773945	1831508	
2	मुयाल लियांग ट्रस्ट योंगड़ा हिल्स, डी.पी.सी.ए. गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	2095920	0	0	2156108	
	कुल						
	तमिलनाडु						
1	ग्रामीय मक्कल अबीविरूदी इयाक्कम (जीएमएआई), 125, कुमारन गार्डन, इदायरपलायाम पिरवु, कुनियामुथुर पोस्ट, जिला कोयम्बटूर, पिन-641008, तमिलनाडु	10 बिस्तरों वाला अस्पताल एवं सचल औषधालय			0	1082829	
2	न्यू लाइफ एजेंसी फॉर ट्राइबल पीपुल अपलिफ्टमेंट, वेल्लोर	हॉस्टल	0	752093	756360	861795	
3	नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एशोसिएशन, कोटागिरि	सचल औषधालय और अस्पताल	0	4472200	0	0	2005-06 से पीटीजी योजना के अंतर्गत वित्तपोषित
4	साउथ इंडिया एस.टी. वेलफेयर एशोसिएशन, साइदापेट	आवासीय विद्यालय	2078640	958451	2032533	0	1015967
	कुल		**2078640**	**6182744**	**2788893**	**1944624**	**1015967**
	त्रिपुरा						
1	आल त्रिपुरा एस.सी./एस.टी. एण्ड माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट काउंसिल, अगरतला,	सचल औषधालय	486554	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
2	बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट, बिशनुपुर, त्रिपुरा	आवासीय स्कूल (न्यू)	0	0	0	157500	
3	आर.के.मिशन विवेकनगर, त्रिपुरा	हॉस्टल एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	447839	1343518	895680	582990	
4	व्यक्ति विकास केन्द्र, भरत, ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट आफिस, कीर्ति स्टूडियो, देवगंज रोड, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़-497001	सचल औषधालय एवं पेयजल		214994	0	401670	
5	त्रिपुरा आदिबाषी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय स्कूल	0	0	0	0	202500
6	त्रिपुरा काउंसिल फार वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रामनगर, त्रिपुरा	सचल औषधालय					346500

	कुल		**934393**	**1558512**	**895680**	**1142160**	**549000**
	उत्तर प्रदेश						
1	जन कल्याण एवं नारी उत्थान समिति साहेबगंज, जिला - फैजाबाद	सचल चिकित्सालय	0	390870	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
2	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी पुणे महाराष्ट्र	विभिन्न परियोजना	0	0	2134485	0	1476486
3	वनवासी सेवा संस्थान खीरी, उत्तर प्रदेश	आवासीय विद्यालय	519660	0	577080	0	
4	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई, रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली	सचल औषधालय एवं छात्रावास	0	1151591	0	0	
	कुल		**519660**	**1542461**	**2711565**	**0**	**1476486**
	उत्तराखंड						
1	अशोक आश्रम ग्रामएवं पोस्ट - अशोक आश्रम, वाया - डाक पत्थर, जिला - देहरादून, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	811801	823302	1767870	0	
2	कुमायूं सेवा संस्थान बागेश्वर, उत्तराखंड	स्पिनिंग एवं वीविंग ट्रेनिंग सेंटर	121940	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
3	महिला ग्रामीण उत्थान समिति दीवान निवास, जिला परिषद भवन, तिदुक्कड़ी, जिला - पिथौरागढ़, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	939870	573660	2078640	0	1039320
4	सीमांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संस्थान, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	0	552483	552483	0	599220
5	उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास समिति ग्राम एवं पोस्ट - ग्वालडन जिला - चमोली, उत्तराखंड	सचल चिकित्सालय	200835	0	398370	0	803340
6	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली - 110055	छात्रावास	0।	0।	588534	0	
7	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, महाराष्ट्र	आवासीय स्कूल एवं छात्रावास	0	700557	1263834	0	
	कुल		**2074446**	**2650002**	**6649731**	**0**	**2441880**
	पश्चिम बंगाल						
1	भारत सेवाश्रम संघ, (औरंगाबाद), पोः औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिमम बंगाल	छात्रावास एवं सचल औषधालय	1231610	1311340	1241208	0	1262386
2	भारत सेवाश्रम संघ (बलुरघाट), बलुरघाट, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, पुस्तकालय एवं सचल पुस्तकालय-सह-श्रव्य दृश्य इकाई	1889843	4661814	299800	8367800	4281000
3	भारत सेवाश्रम संघ, बेलडंगा, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	2-आवासीय स्कूल, सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल तथा टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	3287623	2975503	6170629	0	6854792
4	भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय स्कूल, 2-सचल औषधालय तथा कताई/बुनाई एवं हैंडलूम		2151612	0	4101340	2047212
5	भारत सेवाश्रम संघ (सुरी), जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	छात्रावास एवं सचल औषधालय		796700	0	1192410	1238850
6	भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा) गांव+पो0 डोकरा, जिला मिडनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय एवं आवासीय स्कूल		0	331412	1231797	
7	भारत सेवाश्रम संघ (दुर्गापुर), दुर्गापुर ब्रांच, जिला बुर्दवान, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	180000	210870	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
8	भारत सेवाश्रम संघ (फरक्का) बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास		437850	437850	0	875687

9	भारत सेवाश्रम संघ, पो0 बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास		437850	437850	0	873450
10	भारत सेवाश्रम संघ (घाकसोल), घाकसोल यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय एवं छात्रावास	715304	451773	0	949506	972538
11	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली), गांव पांजीपुरकुमर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	छात्रावास एवं पुस्तकालय	1610055	799339	791460	0	796880
12	भारत सेवाश्रम संघ (घाकसोल), घाकसोल यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	छात्रावास		1463126	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
13	भारत सेवाश्रम संघ (नादिया), वाया कुसुरिया, पो0 प्रीतिनगर, जिला नाडिया, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र तथा सचल औषधालय		2717253	1982068	1948539	0
14	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पो0 रघुनाथपुर, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र तथा सचल औषधालय	884790	884984	854993	0	737110
15	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	0	0	602505	591705	
16	भारत सेवाश्रम संघ (रानाघाट), रानाघाट, नादिया, पश्चिम बंगाल	कंप्यूटर एवं टंकण प्रशिक्षण केन्द्र	147960	0	0	0	
17	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर), ताजपुर यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय एवं छात्रावास	0	0	0	791294	1539547
18	भारत सेवाश्रम संघ (टियोर) गांव साहपुर, पो0 टियोर, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय एवं छात्रावास	1127200	1393098	0	2520600	1260300
19	भारत सेवाश्रम संघ (कुनोर), गाँव/पो0 कुनोर, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास		768600	732600	732600	732600
20	बिकास भारती वेलफेयर सोसायटी, 20/1/बी, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकता	सचल औषधालय	0	390870	195435	195435	781740
21	बिरसा मुंडा एजूकेशन सेंटर ग्राम - क्रांति, पोस्ट - क्रांति हाट, जिला - जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	874170	986970	1859088	4897917	
22	गोहालडिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड महिला कल्याण केंद्र गोहालडिहा, जिला - मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2078640	0	1039320	1039320	1039320
23	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन, बुद्ध केंद्र, सालूगाड़ा, पश्चिम बंगाल	अनावासीय विद्यालय	596430	0	357165	601830	601830
24	खालिसगड़िहा सोसायटी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट खालिसगड़िहा, जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	424350	0	766235	1039320	1024110
25	मानव सेवा प्रतिष्ठान 17.बी., नालिनी सरकार स्ट्रीट, कोलकला, पश्चिम बंगाल	हास्टल	0	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
26	निखिल भारत वनवासी पंचायत झारग्राम, जिला - मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2133684	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
27	पश्चिम बंगा खेरिया साबर कल्याण समिति, पश्चिम बंगाल गांव+पो0 राजनोवागढ़, जिला पुरुलिया, पिन-723128, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	0	220965	0	294862	

28	प्रणब कन्या संघ प्रणब पाली, पोस्ट – कोरा चण्डीगढ़, मध्यम ग्राम, जिला – नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	होस्टल	160673	154597	239513	0	875700
29	आर.के.मिशन ब्वायज होम राहारा, जिला – 24 नॉर्थ परगना, पश्चिम बंगाल	हॉस्टल	811310	815417	1518930	0	2100240
30	विवेकानंद आदर्श सेवा आश्रम गोलापी चौक, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	अनावासीय विद्यालय	300915	298215	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
31	विवेकानंद चाइल्ड वेलफेयर होम काकद्वीप, जिला – 24 परगना, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	1039320	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
	कुल		**28911829**	**24328746**	**19858061**	**30496275**	**29895292**

- दिल्ली राज्य, जहां संगठन का प्रधान कार्यालय है, के अंतर्गत वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के लिए भारतीय आदिमजाति सेवक संघ की सभी परियोजनाओं के लिए समेकित आंकड़े क्रम संख्या 2 पर उपलब्ध है ।

दसवीं योजना तथा 2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान की योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल निर्मुक्तियां

लाख रुपए में

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (31.12.07 तक)
1	आंध्र प्रदेश	168.73	141.22	195.35	189.98	160.76	76.00
2	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	4.30	1.54	1.30
3	अरुणाचल प्रदेश	251.93	277.04	264.72	281.44	274.94	155.86
4	असम	131.20	70.33	72.27	113.66	68.73	7.80
5	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ़	46.52	19.85	30.62	38.22	73.76	38.23
7	गुजरात	71.45	123.60	98.76	62.24	158.37	48.55
8	हिमाचल प्रदेश	57.72	48.26	61.41	52.38	58.37	59.37
9	झारखंड	357.15	429.63	456.14	261.74	189.03	171.50
10	जम्मू व कश्मीर	74.38	20.72	49.71	65.80	59.63	21.75
11	कर्नाटक	223.96	142.49	206.71	145.32	241.68	77.55
12	केरल	58.09	40.12	122.38	42.66	81.85	26.91
13	मध्य प्रदेश	50.32	45.53	25.59	51.33	99.66	57.17
14	महाराष्ट्र	70.67	89.00	37.25	120.33	203.21	147.20
15	मणिपुर	129.66	145.68	114.55	149.35	172.01	73.24
16	मेघालय	279.69	298.70	376.24	358.00	321.73	336.10
17	मिजोरम	72.19	6.16	43.64	19.34	3.00	15.20
18	नागालैंड	42.60	3.57	4.83	16.08	18.69	21.30
19	उड़ीसा	364.83	285.38	152.22	224.00	385.51	341.19
20	राजस्थान	51.53	22.58	48.32	15.18	65.91	47.53
21	सिक्किम	15.27	29.35	0.00	27.74	39.88	0.00
22	तमिलनाडु	62.07	20.79	61.83	27.89	19.45	10.16
23	त्रिपुरा	20.17	9.34	15.59	8.96	11.42	5.49
24	उत्तराखंड	92.28	20.74	26.50	66.50	0.00	24.42
25	उत्तर प्रदेश	15.97	5.20	15.42	27.12	0.00	14.76
26	पश्चिम बंगाल	243.33	289.12	243.29	198.58	304.96	298.95
27	दादर व नगर हवेली	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	दिल्ली	83.80	38.01	95.30	18.83	19.12	0.00
	कुल	**3038.44**	**2622.41**	**2818.64**	**2586.97**	**3033.21**	**2077.53**

अनुबंध - 20

जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों मे शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान वित्तपोषित संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	संगठनों के नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (31.12.07 को)
आंध्र प्रदेश						
1	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एण्ड रेजीडेंसियल एजूकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) **(श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, खम्माम, वारंगल, आदिलाबाद, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, कुडाप्पा, कुरनूल, महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेडक, निजामाबाद, करीमनगर तथा नलगोंडा जिले में 41 शैक्षिक परिसर)**	23700000	32003406	26242500	9850305	61541195
2	चैतन्य एजूकेशनल एण्ड रूरल डेवलपमेंट कुडप्पा, आंध्र प्रदेश	1293000	0	0	0	
3	जागृति एजूकेशनल एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसायटी जवाहर नगर, चिकडापल्ली, हैदराबाद	0	0	2136800	0	
4	नवोदय इन्टीग्रेशन कल्चरल सोशल एजूकेशन एण्ड वाल्यून्टरी एक्श, कुरनूल	1430037	0	1836378	0	1358000
5	प्रियदर्शिनी सर्विस आर्गेनाइजेशन विशाखापटनम	1078000	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
6	रूरल महिला वेलफेयर सोसायटी कुरनूल	0	858000	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
7	सरोजनी देवी हरिजन महिला मंडली 10/11/635, बुरहानपुर, जिला - खम्माम	159000	0	543760	308469	
8	सोशल एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट 131/बी, संजीव रेड्डी नगर, हैदराबाद	0	1089500	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
9	सोशल इन्टीग्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी नलगोण्डा	0	0	0	1900134	
10	वेनेला एजूकेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, हैदराबाद	0	0	1548908	757192	
	कुल	**27660037**	**33950906**	**32308346**	**12816100**	**62899195**
छत्तीसगढ़						
1.	विवेकानन्द इंस्टीच्युट ऑफ सोशल हेल्थ एण्ड वेल्फेयर सर्विस, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	920400	1173400	942800	1585800	
	कुल	**920400**	**1173400**	**942800**	**1585800**	**0**
गुजरात						
1	ग्राम स्वराज संघ, कच्छ, गुजरात	0	1466000	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
2	लोक निकेतन,एटी-ककनपुर, बंसकांथा, गुजरात	585900	535900	1100000	2005733	
3	एमजीपी सर्वोदय आश्रम, श्री अमीरगढ़,जिला बंसकांथा, गुजरात	408116	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
4	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, जिला बंसकांथा, गुजरात	478000	0	0	1124685	
5	सुशील ट्रस्ट, कच्छ, गुजरात	1125000	698417	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है

6	उत्तम ग्राम्य विकास सेवा ट्रस्ट,एटी/पीओः अम्बेटी, वाया, टाः कापराडा, जिला बलसाड, (गुजरात)	159000	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
7	जरपन नासरपुर विभाग केवलानी मंडल, एटी/पीओः वादी, जिला सूरत, वाया जनखाव, पिनः394440(गुजरात)	135000	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
	कुल	**2891016**	**2700317**	**1100000**	**3130418**	**0**
हिमाचल प्रदेश						
1	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली	0	338881	153600	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
	कुल	**0**	**338881**	**153600**	**0**	**0**
झारखंड						
1	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली	336471	338881	453600	300000	450000
	कुल	**336471**	**338881**	**453600**	**300000**	**450000**
कर्नाटक						
1	कर्नाटक रेजीडेंशियल एजुकेशनल सोसायटी, कर्नाटक (गुरुगुंटा, हुसकुरमाला, काक्केरा हथीकुनी तथा सागर जिले में 5-शैक्षिक परिसर)	0	5347000	0	0	
	कुल	**0**	**5347000**	**0**	**0**	**0**
मध्य प्रदेश						
1	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड, नियर ज्ञान मंदिर, हाईयर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर)	1157500	3882500	2616000	2820000	
2	बंधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	0	2316000	0	4193000	
3	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबाग्राम, इंदौर, मध्य प्रदेश	441320	88000	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
4	म.प्र.अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ, 166-ई, मुनिनगर,उजैन,मध्य प्रदेश	171000	0	642000	527957	
5	पुष्पा कान्वेंट एजुकेशनल सोसायटी, भोपाल, म.प्र.	0	1428000	1428000	0	2793000
6	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट, काठीवाड़ा, झबुआ, म.प्र.	1248000	451000	2019360	1090000	
7	रूरल डेवलपमेंट सर्विस सोसायटी, सिलवानी, मध्य प्रदेश	1126537	0	0	459000	450000
8	सब्या सांची सेंटर फोर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश	999500	0	0	1814000	
9	सेवा भारती, भोपाल, मध्य प्रदेश	0	377305	0	263872	
10	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई, रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली	1821357	1101000	1102000	1095000	
11	ग्रामीण सेवा केन्द्र, मंडलीनाथु, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश	0	0	562000	549000	
12	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर, पिन-484886, मध्य प्रदेश	527000	140000	0	1181607	569867
	कुल	**7492214**	**9783805**	**8369360**	**13993436**	**3812867**
महाराष्ट्र						
1.	एबीएम समाज प्रबोधन संस्था, जिला थाने, महाराष्ट्र	0	0	0	1238000	
2.	पीपुल्स एजूकेशन सोसायटी, 18, नियर सरकुलर रोड, बुलडाना, पिन-443001,महाराष्ट्र	159000	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है

3.	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, बड़गाँव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	159000	0	0	1537200	1392200
	कुल	**318000**	**0**	**0**	**2775200**	**1392200**
उड़ीसा						
1	अग्रगामी, पीओः काशीपुर,जिला रायगडा, उड़ीसा	547000	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
2	अरूण इंस्टीट्युट आफ रूरल अफेयर्स, एटी/अस्वखोला, पीओ- करमुल, जिला धेनकाना, पिन - 759014, उड़ीसा	1158000	0	1398000	2825466	1428000
3	ब्राइट कैरियर एकाडमी, कोरापुत, उड़ीसा	585000	2707600	1422000	1413000	1440000
4	काउंसिल आफ कल्वर ग्रोथ एण्ड कल्वर रिलेशंस मैत्री सारणी, कटक, उड़ीसा	646867	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
5	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, उत्कल ब्रांच, पीओ-सत्यभामपुर,जिला गोपालवाड़ी (केटिगुडा) जिला रायगाडा, उड़ीसा	0	965221	0	379886	
6	क्योझर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्युट, एटी-हरिचांदपुर,पीओ-हरिचांदपुर,जिला क्योंझर, पिन-758028, उड़ीसा	144000	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
7	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेश्न ग्राउंड फ्लोर, एनएसी कॉम्पलेक्स, सुनाबेदा, जिला कारोपुत, उड़ीसा	0	0	1822000	2014470	1440000
8	लिबरेशन एजूकेशन एण्ड एक्शन फोर डेवलपमेंट (एलईएडी) ग्रा. सुन्दरगढ़ जिला कोरापुत,उड़ीसा	1002000	0	0	2814200	1423000
9	मर-म्यूनिंग आश्रम, औरबिन्दो, कोरापुत, उड़ीसा	491000	0	1437300	1456300	975000
10	एनवाईएसएडीआरआई, ऐट-संथसारा, पीओ-संथापुर,जिला धेनकनाल, उड़ीसा	0	1043000	0	2570743	
11	परकल्पा, क्योंझर, उड़ीसा	459000	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
12	सत्य शंभु आर्गेनाइजेशन ग्राम एवं पोस्ट - बोईपारीगुडा, जिला - कोरापुट	150000	0	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
13	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी रायगाडा	233128	646953	0	882452	430706
14	सेवा समाज, जिला रायगडा	357500	1012500	0	1350000	
15	सोशल एजुकेशन फार एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड), नायपल्ली	0	498000	0	1752536	
16	सोशल वेलफेयर एण्ड रूरल डेवलपमेंट ग्राम एवं पोस्ट - बैनसिया, जिला- ढेंकानॉल	324000	249000	0	3137000	1401000
17	सोसायटी फॉर नेचर, हेल्थ एण्ड एजूकेशन भुवनेश्वर	0	2183000	0	2472000	
18	श्री रामाकृष्णा आश्रम ग्राम एवं पोस्ट - बादारोहिला, जिला - आंगुल	1152992	2586000	0	2837826	1428000
19	टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर, उड़ीसा	1184653	833782	1611931	1204000	
20	सर्वोदय समिति, कोरापुट, उड़ीसा	720000	690000	2037803	1989000	
21	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली	1009413	1016643	1360800	900000	
	कुल	**10164553**	**14431699**	**11089834**	**29998879**	**9965706**
राजस्थान						

1	जनजातीय महिला विकास संस्थान अनुराग निवास, जिला - सवाई माधोपुर	1614000	1353000	0	2595800	
2	लोक भारतीय प्रतिष्ठान ग्राम एवं पोस्ट - डूंगला, जिला - चित्तौड़	147000	0	0	0	740269
3	महावीर जैन विद्यालय संस्थान उदयपुर	687000	937000	966000	966000	
4	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति उदयपुर	1701000	1981000	2160000	2293000	2544000
5	राजस्थान बाल कल्याण समिति ग्राम एवं पोस्ट - झाडोल, जिला - उदयपुर	1125000	1755000	0	2813400	1634000
	कुल	**5274000**	**6026000**	**3126000**	**8668200**	**4918269**
उत्तर प्रदेश						
1.	अग्रगामी सेवा संस्थान तिवारीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	0	552000	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
2.	मानव विकास एवं शिक्षा संस्था 261, हिंद नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	0	2028311	0	0	वित्तपोषित नहीं की जा रही है
	कुल	**0**	**2580311**	**0**	**0**	**0**
पश्चिम बंगाल						
1	भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा, जिला - मुर्शिदाबाद, उत्तर प्रदेश	2588800	1474400	2456460	5862100	3668800
	कुल	**2588800**	**1474400**	**2456460**	**5862100**	**3668800**

10वीं योजना तथा 2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल निर्मुक्तियां

दसवीं योजना तथा 2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल निर्मुक्तियां

लाख रुपए में

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (31.12.07 तक)
1	आंध्र प्रदेश	211.83	276.60	339.51	323.08	128.16	628.99
2	अरुणाचल प्रदेश	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिहार	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	9.73	9.20	11.73	9.43	15.86	0.00
5	गुजरात	26.35	28.91	27.00	11.00	31.30	0.00
6	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	3.39	1.54	0.00	0.00
7	झारखंड	0.95	3.36	3.39	4.54	3.00	4.50
8	कर्नाटक	0.00	0.00	53.47	0.00	0.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	92.47	74.92	97.84	83.69	139.93	38.13
10	महाराष्ट्र	11.13	3.18	0.00	0.00	27.75	13.92
12	उड़ीसा	150.27	101.65	144.32	110.90	299.99	99.66
13	राजस्थान	34.52	52.74	60.26	31.26	86.68	49.18
14	तमिलनाडु	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	उत्तर प्रदेश	11.00	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
16	पश्चिम बंगाल	42.11	25.89	14.74	24.56	58.62	36.69
	कुल	**600.00**	**576.45**	**781.45**	**600.00**	**791.29**	**871.07**

अनुबंध-21

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा व्यक्तिगत संस्थानों को निर्मुक्त अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा व्यक्तिगत संस्थानों के नाम	योजना के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान				
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08* (31.12.2007 तक)
1	आंध्र प्रदेश	0.00	11.48	32.05	15.76	
2	असम	0.00	2.83	3.23	0.00	
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	2.36	
4	छत्तीसगढ़	0.00	3.05	0.00	0.00	
5	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	1.17	0.00	0.00	
6	गुजरात	0.00	11.31	0.00	0.00	
7	कर्नाटक	0.00	1.92	2.00	10.00	
8	केरल	0.00	0.00	0.48	0.00	
9	महाराष्ट्र	0.00	0.00	11.02	0.00	
10	मध्य प्रदेश	0.00	13.23	6.40	22.06	
11	उड़ीसा	0.00	0.00	4.82	0.00	
12	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	0.00	0.00	8.58	0.00	
13	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	0.00	0.00	0.00	7.56	
14	एच.एन. बहुगुणा विश्वविद्यालय	0.00	2.67	0.00	0.00	
15	दिल्ली एजुकेशन सेंटर, दिल्ली (एनजीओ)	0.00	8.31	1.69	5.52	
16	क्रेस्तर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	0.00	1.02	1.02	0.00	
17	स्टडी फार्म, जी-30, चान्मारी, आइजोल, मिजोरम	0.00	1.77	7.46	6.68	
18	इंस्टीट्यूट आफ सोशल डेवलपमेंट एंड वीकर सेक्शन, व्हेनबाम लीकाई, एनसी रोड, पो0 इम्फाल, मणिपुर	0.00	0.00	0.75	0.00	
	कुल	**0.00**	**58.76**	**79.50**	**69.94**	**0.00**

* **2007-08 के दौरान, तीसरी तिमाही में योजना संशोधित की गई तथा योजना को अंतिम रूप दिया गया। प्रस्तावों को आंमत्रित करने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, इसलिए अब तक निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी हैं।**

अनुबंध- 22

भारत में आदिम जनजातीय समूह और उनकी 1961 से 1991 तक जनसंख्या

(वास्तविक आंकड़े)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदिम जनजाति समूह का नाम	जनसंख्या			
		1961	1971	1981	1991
1.	2.	3.	4.	5.	6.
आंध्र प्रदेश	1.चेचूं	17609	24178	28434	40869
	2. बोडो गाडाबा	21840	25108	27732	33127
	3. गुटोब गाडाबा				
	4.डोंगरिया खोण्ड	21754	34382	39408	66629
	5.कुलतिया खोण्ड				
	6.कोलाम	16731	26498	21842	41254
	7.कोण्डा रेड्डी	35439	42777	54685	76391
	8.कोण्डासवारा		28189		
	9.बोण्डो पोरजा				
	10.खोण्ड पोरजा	9350	12347	16479	24154
	11. पारेंगी पोरजा				
	12. थोटी	546	1785	1388	3654
	योग	123269	195264	189968	286078
बिहार (झारखण्ड सहित)	13.असुर	5819	7026	7783	9623
	14. बिरहोर	2438	3461	4377	8083
	15. बिरजिया	4029	3628	4057	6191
	16. हिल खारिया	108983	127002	141771	151634
	17. कोरवा	21162	18717	219940	24871
	18. मल पहारिया	45423	48636	79322	86790
	19. परहइया	12268	14651	24012	30421
	20. सौरिया पहारिया	55605	59047	39269	48761
	21. सावर	1561	3548	3014	4264
	योग	257289	285719	325545	370638
गुजरात	22. कोलघा	-	29464	62232	82679
	23. काथोडी	-	2939	2546	4773
	24. कोतवालिया	-	12902	17759	19569
	25. पधार	-	4758	10587	15896
	26. सिद्दी	-	4482	5429	6336
	योग	-	54545	98553	129253
कर्नाटक	27. जेनू कुरूबा	3623	6656	34747	29371
	28. कोरागा	6382	7620	15146	16322
	योग	10005	14276	49893	45693

केरल	29. चोलानाइकायन	-	306	234	-
	30. कदार	-	1120	1503	2021
	31. कट्टूनायकन	-	5565	8803	12155
	32. कोरागा	-	1200	1098	1651
	33. कुरूम्बा	-	1319	1283	1820
	योग	-	9510	12921	17647
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34. अबूझ मारिया	11115	13000	15500	-
	35. बैगा	-	6194	248949	317549
	36. भारिया	-	1589	1614	-
	37. बिरहोर	513	738	561	2206
	38. हिल कोरबा	23605	67000	19041	-
	39. कमार	-	13600	17517	20565
	40. सहरिया	174320	207174	281816	332748
	योग	209551	309295	564998	673068
महाराष्ट्र	41. कथारी/कथोडी	-	146785	174602	202203
	42. कोलाम	-	56061	118073	147843
	42. मारिआ गोण्ड	-	53400	66750	-
	योग	-	256246	359425	350046
मणिपुर	44. मारम नागा	-	5123	6544	9592
उड़ीसा	45. चुकतिया भूंजिया	-	-	-	-
	46. बिरहोर	-	248	142	825
	47. बोनाडो	-	3870	5895	7315
	48. डिडाई	-	3055	1978	5471
	49. डोंगरिया खोण्ड	-	2676	6067	-
	50. जुआंग	-	3181	30876	35665
	51. खारिया	-	1259	1259	-
	52. कुटिया खोण्ड	-	3016	4735	-
	53. लानजिया सावर	-	4233	8421	-
	54. लोधा	-	1598	5100	7458
	55. मनकिरडिया	-	133	1005	1491
	56. पौड़ी भूयान	-	4424	8872	-
	57. साउरा	-	2845	2917	-
	योग	-	30528	77267	58225
राजस्थान	58. सहरिया	23125	26796	40945	59810
तमिलनाडु	59. इरूलर	79835	89025	105757	138827
	60. कट्टूनायकन	6459	5042	26383	42761
	61. कोटा	833	1188	604	752
	62. कोरूम्बा	1174	2754	4354	4768
	63. पानियान	4779	6093	6393	7124
	64. टोडा	714	930	875	1100
	योग	93794	105032	144366	195332
त्रिपुरा	65. रियांग	56579	64722	84004	111606
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	66. बुकसा	-	-	31807	34621

	67. राजी	-	-	1087	1728
	योग	-	-	32894	36349
पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर	-	-	658	855
	69. लोधा	-	45906	53718	68095
	70. टोटो	-	-	675	-
	योग	-	45906	55051	68950
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71. ग्रेट अण्डमानीज	-	-	42	32
	72. जरावा	-	-	31	89
	73. ओन्गे	-	-	97	101
	74. सेंटेनलेस्ट	-	-	-	24
	75. शोम पेन	71	212	223	131
	योग	71	212	393	377
अखिल भारत	कुल योग	773704	1403174	2042767	2412664

अनुबंध -23

आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के अंतर्गत जनश्री बीमा योजना के लिए राज्यों को 2004-05 से कवर किए गए लाभार्थियों तथा निर्मुक्त राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परिवारों की अनुमानित संख्या *	2004-05 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2004-05 के लिए परिवारों की लक्षित सं.	2005-06 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2005-06 के लिए परिवारों की लक्षित सं.	2006-07 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2006-07 के लिए परिवारों की लक्षित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	58000	60.00	12000	120.00	24000	110.00	22000
2	बिहार	5920	5.00	1000	10.00	2000	0.00	0
3	छत्तीसगढ़	45500	40.00	8000	90.00	18000	0.00	0
4	गुजरात	26000	25.00	5000	50.00	10000	55.00	11000
5	झारखंड	72000	70.00	14000	145.00	29000	0.00	0
6	केरल	4500	2.50	500	5.00	1000	15.00	3000
7	कर्नाटक	8500	10.00	2000	20.00	4000	12.50	2500
8	मध्य प्रदेश	90000	100.00	20000	200.00	40000	150.00	30000
9	महाराष्ट्र	70000	70.00	14000	140.00	28000	0.00	0
10	मणिपुर	2500	10.00	2000	2.50	500	0.00	0
11	उड़ीसा	16000	12.50	2500	25.00	5000	42.50	8500
12	राजस्थान	14000	12.50	2500	25.00	5000	0.00	0
13	तमिलनाडु	40000	40.00	8000	80.00	16000	80.00	16000
14	त्रिपुरा	25000	25.00	5000	50.00	10000	50.00	10000
15	उत्तराखंड/ उत्तर प्रदेश	6500	2.50	500	7.10	1420	0.00	0
16	पश्चिम बंगाल	15500	15.00	3000	30.00	6000	32.50	6500
17	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	80	0.00	0	0.40	80	0.00	0
	कुल	**500000**	**500.00**	**100000**	**1000.00**	**200000**	**547.50**	**109500**

* एक परिवार में पांच सदस्यों को मानते हुए 1991 की जनगणना के आधार पर परिवारों की संख्या दी गई है ।

अनुबंध -24

गत पांच वर्षों के दौरान आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निर्मुक्त अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य/गैर-सरकारी सगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सीसीडी प्लान) (31.12.2007 तक)
1)	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सरकार	192.850	190.805	255.226	374.000	300.000
		सेवा भारती, खम्माम आंध्र प्रदेश	8.926	0.000	8.926	0.000	0.000
		श्री सरस्वती विद्यापीठ, हैदराबाद	34.644	35.641	0.000	0.000	0.000
		सेंटर फार एनवयारनमेंट कनसर्न, हैदराबाद	0.000	25.900	0.000	0.000	0.000
		जनजातीय अनुसंधान संस्थान	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2)	बिहार	बिहार सरकार	0.000	5.000	10.000	0.000	0.000
3)	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ़ सरकार	30.010	264.370	201.000	267.810	700.000
		विश्वास, नारायणपुर, जिला बस्तर	25.150	0.000	15.060	4.260	0.000
		रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर	66.300	0.000	13.400	8.936	0.000
4)	गुजरात	गुजरात सरकार	40.000	116.500	149.790	155.530	0.000
		एसिल नवसृजन रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, लिंबाडी, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात	0.000	8.500	0.000	0.000	0.000
5)	झारखंड	झारखंड सरकार	0.000	110.000	145.000	380.000	0.000
		भारत सेवा आश्रम संघा, सोनारी, जमशेदपुर	135.806	168.477	170.256	134.954	0.000
		भारत सेवाश्रम संघ, घाटशिला, जिला ई.सिंहभूम	61.861	0.000	0.000	0.000	0.000
		विकास भारती, गुमला, ई.सिंहभूम	0.000	19.237	19.575	34.611	0.000
		भारत सेवा आश्रम संघ, पाकुर	0.000	25.645	25.695	25.695	0.000
6)	कर्नाटक	कर्नाटक सरकार	36.900	25.000	67.400	46.190	100.000
		स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, मैसूर जिला	18.640	0.000	17.473	8.350	0.000
		विवेकानंद फाउंडेशन(आर) मैसूर	6.932	0.000	9.926	0.000	0.000
7)	केरल	केरल सरकार	0.000	15.000	5.500	22.000	0.000
8)	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश सरकार	284.190	293.212	423.000	516.000	1000.000
		सेवा भारती, भोपाल	73.510	13.500	20.701	41.505	0.000
		बोंडेड लिब्रेशन फ्रंट, नई दिल्ली	0.000	13.288	17.220	11.677	0.000
9)	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार	288.000	107.000	140.000	440.600	0.000
		ट्राइबल एंड वीकर सेक्शन एम्पावरमेंट सोसायटी, पुणे	13.117	14.429	0.000	0.000	0.000
		दि डबलिंग, हैंडिक्राफ्ट, हैंडलूम, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन, गाँव केल्ती, पो0 धल्ली, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश	0.000	6.600	3.300	3.300	0.000
		आदिम ट्राइबल एंड वीकर सेक्शन डेवलपमेंट सोसायटी, पुणे-411 041, महाराष्ट्र	0.000	0.000	14.649	16.363	0.000
10)	मणिपुर	मणिपुर सरकार	0.000	10.000	2.500	0.000	0.000
		सेनापति जिला इकोनोमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, सेनापति जिला	0.512	11.548	0.000	20.786	0.000

11)	उड़ीसा	उड़ीसा सरकार	150.000	55.000	92.598	75.500	1000.000
		परकल्पा, क्योंझर जिला	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		बनबासी सेवा परकल्पा, जिला कालाहांडी	15.600	0.000	0.000	0.000	0.000
12)	राजस्थान	राजस्थान सरकार	10.000	62.500	62.000	77.000	0.000
		स्वार्क, जिला अजमेर	0.000	13.500	0.000	0.000	0.000
13)	तमिलनाडु	तमिलनाडु सरकार	10.000	176.500	159.550	109.574	0.000
		नीलगिरी आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन, कोटागिरी, नीलगिरी जिला, तमिलनाडु	0.000	0.000	38.419	78.357	0.000
14)	त्रिपुरा	त्रिपुरा सरकार	85.000	29.813	111.150	145.000	100.000
15)	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल सरकार	11.050	53.170	70.600	89.000	200.000
16)	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सरकार	0.000	2.500	0.000	0.000	0.000
17)	उत्तराखंड	उत्तराखंड सरकार	0.000	33.630	7.100	44.875	0.000
18)	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन	0.000	200.000	0.400	0.000	0.000
		कुल जोड़	**1612.998**	**2106.265**	**2277.414**	**3131.872**	**3400.000**

दसवीं योजना तथा 2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान आदिम जनजातीय समूहों की योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल निर्मुक्तियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (31.12.2007 तक)
1	आंध्र प्रदेश	1.45	2.46	2.52	2.64	3.74	3.00
2	बिहार	0.00	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	1.98	1.21	2.64	2.29	2.81	7.00
4	गुजरात	0.20	0.40	1.25	1.49	1.55	0.00
5	झारखंड	3.45	1.98	3.23	3.61	5.75	0.00
6	कर्नाटक	0.82	0.62	0.25	0.95	0.55	1.00
7	केरल	0.03	0.00	0.15	0.06	0.22	0.00
8	मध्य प्रदेश	1.85	3.58	3.20	4.61	5.69	10.00
9	महाराष्ट्र	1.27	3.01	1.28	1.58	4.60	0.00
10	मणिपुर	0.11	0.01	0.22	0.02	0.21	0.00
11	उड़ीसा	0.59	1.70	0.55	0.93	0.76	10.00
12	राजस्थान	1.14	0.10	0.76	0.62	0.77	0.00
13	तमिलनाडु	0.45	0.10	1.77	1.98	1.88	0.00
14	त्रिपुरा	0.16	0.85	0.30	1.11	1.45	1.00
15	पश्चिम बंगाल	0.15	0.11	0.53	0.71	0.89	2.00
16	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.34	0.07	0.45	0.00
17	उत्तर प्रदेश	0.10	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
18	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**13.75**	**16.13**	**21.07**	**22.77**	**31.32**	**34.00**

अनुबंध-25

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां : 10वीं योजना अवधि के दौरान जनजातीय अनुसंधान संस्थान तथा अनुसंधान अध्येतावृत्ति के अवार्ड के लिए सहायता अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/जनजातीय अनुसंधान संस्थान का नाम	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-08 (31-12-2007 तक)
		जन.अनु.संस्थान	जन.अनु.संस्थान	जन.अनु.संस्थान	जन.अनु.संस्थान	जन.अनु.संस्थान	जन.अनु.संस्थान
1	आंध्र प्रदेश	5.00	4.00	0.00	0.00	29.77	9.59
2	असम	5.31	36.00	0.00	24.85	31.48	27.25
3	झारखंड	6.00	44.00	0.00	0.00	25.08	17.43
4	गुजरात	6.00	36.21	0.00	19.53	12.87	
5	केरल	2.50	17.50	67.50	10.69	17.50	15.72
6	मध्य प्रदेश	101.04	21.16	35.50	56.91	176.36	
7	महाराष्ट्र	6.00	27.75	0.00	38.20	32.91	23.79
8	मणिपुर	0.00	0.00	80.00	0.00	21.00	
9	उड़ीसा	0.00	44.30	0.00	0.00	30.92	
10	राजस्थान	10.35	4.75	0.00	0.00	27.26	
11	तमिलनाडु	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	त्रिपुरा	5.00	15.72	0.00	23.87	31.68	25.13
13	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	पश्चिम बंगाल	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	36.335	
16	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	
17	कर्नाटक	0.00	0.00	2.00	17.30	25.00	15.50
18	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	-	
19	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	
20	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	5.00	27.00	6.83	14.83
	कुल	**222.10**	**251.39**	**190.00**	**218.35**	**534.495**	**149.24**

* 100% केन्द्रीय शेयर के अंतर्गत 2002-03 में जनजातीय अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर की स्थापना की हुई ।

2007-08 के दौरान स्वीकृत कार्यशाला/संगोष्ठियों के प्रथम बैच की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम व पता	विषय
1.	सोसायटी फार पीपल इकोनोमिक नीड्स ट्रूथ (स्पेंट), डी नं. 13-15के1, अप-स्टेयर्स, विद्यानगर, हिंदुपुर-515201	"जनजातीय महिलाओं की समस्याएं तथा स्वास्थ्य की आवश्यकता" पर संगोष्ठी
2.	इंडियन नेशनल कॉनफेडेरेशन एंड एकेडमी ऑफ एंथ्रोपॉलॉजी (इनक्का), कदामा कानोन, झारग्राम-721507, पश्चिम बंगाल	"मानव विकास, क्रम विकास तथा परिदृश्य" पर द्वितीय कांग्रेस
3.	भारती रूरल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस डेवलपमेंट सोसायटी (ब्रीड्स), मछिराजुवारी वीडी, नेक्वर्ट कोठरामुलावारी मंदिर, पुराना गुंटूर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	"जनजातीय क्षेत्रों में एनटीएफपी को मूल्य परिवर्धन" पर संगोष्ठी
4.	इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, वीआईपी रोड, धर्मपीठ, नागपुर	"जनजातीय कला के विकास तथा फैशन संसार में उनके प्रयोजन" पर कार्यशाला
5.	इंटिग्रेटिड रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशनल आर्गेनाइजेशन, लामसांग, मैमॉन लीकाई, ताओथोंग के सामने, बीपीआईओ लामसांग बाजार-795146, मणिपुर	"जनजातीय युवकों की कला संस्कृति के उत्थान में भूमिका" पर संगोष्ठी
6.	उदय भारती विद्या संस्था, एस. देवगनहल्ली, सिदलाघाट तालुक, कोलार, कर्नाटक-562104	"जनजातीय लोगों के भूमि मुद्दों तथा एनआरएलईजीपी कार्यक्रमों" पर संगोष्ठी
7.	चैतन्य शिक्षा समिति, ससाहा रोड, पामगढ़, जिला जंजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़-495554	"स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य परिचर्या तथा समिति की जिम्मेदारी" पर कार्यशाला तथा विशेषज्ञ समिति
8.	मेगा वेलफेयर एसोसिएशन, डेम साइड, नहारलगुन-791110, अरुणाचल प्रदेश	"ए.पी. कला एवं शिल्प तथा जनजातीय कलाकारों, कारीगरों तथा शिल्पकारों के विकास के लिए जारी रखी जाने वाली योजनाओं" पर कार्यशाला
9.	सेंटर फार डेवलपमेंट सर्विस (सीडीएस), प्लॉट नं. 3652/12, प्रगति विहार, पलासुनी, रसुलगढ़, भुवनेश्वर-751010	"उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष बनाकर जनजातियों के लिए भोजन सुरक्षा के सुनिश्चयन" पर कार्यशाला
10.	एसोसिएशन फार सोशल हेल्प इन रूरल एरिया (अशरा), पो0 तुसरा, जिला बलानगीर, उड़ीसा	"कला एवं शिल्प तथा जनजातीय कार्यों, कारीगरों तथा शिल्पकारों के विकास हेतु जारी रखी जाने योग्य योजना

11.	दि ऑल जिरिबाम वूमेन एसोसिएशन (अजवा), बाबूपारा, जिरिबाम, इम्फाल ईस्ट जिला, मणिपुर-7951003	मणिपुर में विद्रोह के संघर्ष भरे वातावरण में जनजातीय महिलाओं के मुद्दों तथा चुनौतियों" पर संगोष्ठी
12.	योजना, एचआईजी-108, कनन विहार (फेस-1), चंद्र सेखरपुर, पटिया, भुवनेश्वर-751	उड़ीसा के कोरापुट तथा मल्कानगिरी जिलों में जनजातीय बालिकाओं के शैक्षिक मुख्यधारा" पर संगोष्ठ
13.	यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, विश्वविद्यालय सौध, क्राफोर्ड हॉल, पोस्ट बॉक्स नं. 406, मैसूर-570005	"सोलिगैस" पर संगोष्ठी
14.	जय प्रकार यूनिवर्सिटी, डाक बंगला रोड, छपरा-841301	"सांविधिक सुरक्षोपाय एवं मानव सुरक्षा - अनुसूचित जनजातियों पर इसके प्रभाव" पर संगोष्ठी
15.	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पालिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, दक्कन जिमखाना, बीएमसीसी रोड, पुणे-411004	"भूमि वन अधिकार - विस्थापन एवं उत्प्रवास : अनुसूचित जनजाति की प्रमुख समस्या" पर कार्यशाला
16.	श्री नवोदया सोसायटी ऑफ सोशल वेलफेयर 4बी/13, गांधी नगर, सिविल लाइन, बेतुल, मध्य प्रदेश	"जनजातीय महिलाओं के गुणवत्तापूर्ण जीवन" पर कार्यशाला
17.	धनियाखली डिप्रैस्सड क्लासिस लीग, पो0 कामरकुंडु-712407	पश्चिम बंगाल के भारतीय हुगली, बंकुरा तथा पुरुलिया जिलों में जनजातियों के समाजार्थिक दशा" पर संगोष्ठी
18.	रूरल वूमेन डेवलपमेंट ट्रस्ट, मोकोकचुंग टाउन, पो0 बॉक्स-120, मोकोकचुंग जिला, नागालैंड	नागालैंड के मोकाकचुंग जिले की ग्रामीण महिलाओं हेतु नागालैंड की जनजातीय महिलाओं की जागरूकता" पर संगोष्ठी
19.	लाज़मी वेलफेयर सोसायटी, पोस्ट बॉक्स नं. 323, कोहिमा हैड पोस्ट ऑफिस, लाज़मी विलेज, कोहिमा, नागालैंड	"एचआईवी/एड्स तथा शारीरिक-सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त नागा जनजातियों पर संगोष्ठी" पर संगोष्ठी/कार्यशाला
20.	निविराज एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, 190-सुरज नगर, नजदीक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भदभदा रोड, भोपाल-462044, (मध्य प्रदेश)	"मध्य प्रदेश के मंडल जिले में स्वच्छता तथा स्वास्थ्य" पर तीन दिवसीय जागरण
21.	सोसायटी फार पीपल लिंक विद पीपल (पीएलपी), गांव-भूपतिपुर, पोस्ट-रामपुर (हाथीवार), वाराणसी-221204	"विंध्याचल क्षेत्र में जनजातीय स्वास्थ्य पर मिर्जापुर में दो दिवसीय संगोष्ठी के आयोजन हेतु सहायता अनुदान
22.	गौरामारी पल्ली मंगल क्लब, गाँव पो0 गौरामारी, थाना-हबीबपुर, जिला पिन नं. 732121	जनजातीय महिलाओं पर अत्याचार, भेदभाव, वंचन, शोषण तथा उत्पीड़न पर परियोजना प्रस्ताव की प्रस्तुति
23.	स्प्रैश इंडिया, वी-901, विजय पार्क, मौजपुर, गली नं. 4, शाहदरा, दिल्ली-92	बिरसा मुंडा के 107वें शहीदी दिवस पर कार्यशाला तथा "भारत के सामाजिक-आर्थिक वृद्धि मे अनुसूाचति जनजातियों को शामिल करने" पर चर्चा

अनुबंध - 27

पुनर्संरचित बीस सूत्री कार्यक्रम, 2006 के अंतर्गत लाभार्थी

(आंकडें अंकों में)

क्र.सं.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/राज्य का नाम	आयसृजन योजना	कौशल एवं उद्यमियों का विकास
1	2	3	4
क	**आयसृजन, कौशल एवं उद्यमियों के विकास की योजना**		
1.	ए.पी. एसटी को-आपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि0, आंध्र प्रदेश	1602	114
2.	अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह इंटिग्रेटिड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	132	12
3.	अरुणाचल प्रदेश प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अरुणाचल प्रदेश	228	18
4.	असम प्लेन ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, असम	1056	73
5.	बिहार स्टेट एससी को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिहार	240	17
6.	छत्तीसगढ़ राज्य अंतयसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, छत्तीसगढ़	2124	150
7.	दादरा व नगर हवेली दमन व दीव एससी, एसटी अदर बीसी एंड माइनोरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, दादरा व नगर हवेली	132	12
8.	गोवा स्टेट एसटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, गोवा	132	12
9.	गुजरात ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गुजरात	2400	170
10.	हिमाचल प्रदेश एससी एंड एटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश	132	12
11.	जे एंड के एससी, एसटी एंड बैकवर्ड क्लासिस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जम्मू व कश्मीर	360	24
12.	झारखंड स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, झारखंड	2274	162
13.	कर्नाटक एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कर्नाटक	1110	78
14.	केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फार एससी, एसटी लि0, केरल	132	12
15.	केरल स्टेट वूमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, केरल	132	12
16.	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, लक्षद्वीप	132	12
17.	मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, मणिपुर	310	22
18.	शबरी आदिवासी वित्त व विकास निगम, नासिक महाराष्ट्र	2742	192
19.	को-आपरेटिव अपेक्स बैंक लि0, मेघालय	642	42
20.	एम.पी. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश	3930	276
21.	मिजोरम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, मिजोरम	132	12

22.	मिजोरम अर्बन को-आपरेशन डेवलपमेंट बैंक लि0, मिजोरम	132	12
23.	नागालैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को-आपरेशन लि0, नागालैंड	288	18
24.	नागालैंड एससी एंड एसटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस को-आपरेटिव बैंक लि0	282	18
25.	उड़ीसा एससी एंड एसटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस को-आपरेशन लि0, उड़ीसा	2610	186
26.	राजस्थान एससी एंड एसटी फाइनेंस डेवलपमेंट को-आपरेटिव कॉरपोरेशन, राजस्थान	2280	162
27.	सिक्किम एससी, एसटी एंड बैकवर्ड क्लासिस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, सिक्किम	132	12
28.	तमिलनाडु आदि द्रविडर हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, तमिलनाडु	210	18
29.	त्रिपुरा एसटी को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, त्रिपुरा	318	21
30.	उत्तरांचल बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम, उत्तरांचल	132	12
31.	यू.पी. एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश	132	12
32.	वेस्ट बंगाल एससी एंड एसटी डेवलपेंट कॉरपोरेशन, पश्चिम बंगाल	1410	95
	उप-जोड़	28000	2000
ख	विपणन समर्थित सहायता		**120000**
ग	**वन निवासियों के अधिकार - वन निवासियों के मालिकों के लघु वन उत्पाद के अधिकार- लघु वन उत्पाद के मालिक**		**लक्ष्य निर्धारित नहीं**
घ	**आदिम जनजातीय समूह**		**90500**
	जोड़ (परिवारों की संख्या)		**249500**

अनुबंध-28

2003-04 से 2007-08 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को वर्षवार निर्मुक्ति

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजनाएं/कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08*	
		कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर
I	केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं	130.16	41.52	148.91	43.57	86.05	12.57	122.00	14.40	95.38	9.48
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	27.75	4.00	21.06	2.57	237.08	72.90	309.02	92.48	174.61	77.05
	उप-जोड़ (I+II)	157.91	45.52	169.97	46.14	323.13	85.47	431.02	106.88	269.99	86.53
	I तथा II की तुलना में पूर्वोत्तर को निर्मुक्त %		28.83		27.30		26.45		24.80		32.05
III	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	461.30	45.73	497.00	40.91	688.82	91.69	816.71	102.29	609.55	56.95
IV	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	252.70	17.35	330.00	39.34	380.00	34.45	400.00	40.65	314.99	39.40
	कुल से (I से IV)	871.91	108.60	996.97	126.39	1391.95	211.61	1647.73	249.82	1194.53	182.88
	I से IV की तुलना में पूर्वोत्तर को निर्मुक्त %		12.46		12.69		15.20		15.16		15.31

* 31.12.2007 तक

अनुबंध - 29

2007-08* के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को निर्मुक्त धनराशि

(लाख रुपए में)

राज्य	असम	अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल	अखिल भारत कुल	अखिल भारतीय निर्मुक्तियों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्ति का शेयर %
जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	3220.27	0.00	879.00	0.00	190.00	0.00	243.00	1163.08	5695.35	60955.00	9.34
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	1086.53	296.81	311.96	638.83	353.28	746.72	87.50	418.15	3939.78	31499.00	12.51
अजजा लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	0.00	145.00	564.61	0.00	0.00	186.50	0.00	218.78	1114.89	2733.00	40.79
कम साक्षरता वाले पॉकेटों के लिए शैक्षिक परिसर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00
व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र											
राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	65.28	0.00	18.30	0.00	83.58	499.00	16.75
गैर-स.संगठन	27.96	0.00	0.00	10.78	0.00	24.85	0.00	0.00	63.59	87.00	73.09
जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00
अनुसंधान सूचना, जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव एवं अन्य	0.2725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.52	169.00	0.31
लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आदिम जनजातीय समूहों का विकास											
राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3400.00	2.94
गैर-स.संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनु.जनजातीय छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	1866.14	0.00	1438.78	0.00	1370.20	1593.49	25.63	294.89	6589.13	14177.00	46.48
अनु.जनजातीय छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00
राष्ट्रीय संस्थान यदि जनजातीय कार्य (नीटा)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्कृष्ट/उच्च श्रेणी संस्थान के संस्थान की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार तथा कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना सहित अनु.जन. के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	15.82	223.96	83.73	336.09	15.20	21.30	0.00	5.49	701.59	1756.00	39.95
जनजातीय उत्पाद/प्रापण का विपणन विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1869.00	0.00
सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
कुल	**6216.9925**	**665.77**	**3278.08**	**985.7**	**1993.96**	**2572.86**	**374.43**	**2200.6413**	**18288.4338**	**119453.00**	**15.31**

* 31.12.2007 तक

सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	पता/दूरभाष सं.	विषय वस्तु
1	सुश्री जूथिका पाटणकर निदेशक (शिक्षा)	कमरा सं. 736, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाषः 23073176	1. सभी शैक्षिक योजनाएं 2. सतर्कता
2.	श्री ए.के. श्रीवास्तव निदेशक (राज्य अनुदान)	कमरा सं. 212, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाषः 2387444	1. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता 2. भारत के संविधान का अनुच्छेद 275(1) 3. आईटीडीपी/माडा/कलस्टर सहित जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों का सीमांकन 4. वन्य अधिकार अधिनियम 5. पेसा एंड पीआरआई 6. एनएसटीएफडीसी
3.	श्री बी.एस. खर्मावफ्लांग, निदेशक (प्रशासन, पी एंड सी)	कमरा सं. 214, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाष 23073706	1. मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थापना एवं लेखा संबंधी कार्य 2. सामान्य प्रशासन 3. सूचना प्रौद्योगिकी 4. संसद व अंतःमंत्रालयी समितियां 5. समन्वय 6. मंत्री की विवेक निधि 7. सूचना का अधिकार अधिनियम 8. नक्सल मामले 9. जनजातीय स्वास्थ्य से संबंधित मामले 10. राजभाषा/हिन्दी के मामले
4.	श्री एस.के. दास, निदेशक (सांख्यिकी)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 दूरभाषः 26182813	1. जनगणना/सांख्यिकी/राज्य प्रोफाइल 2. 20सूत्री कार्यक्रम 3. प्रवास से संबंधित मामले
5.	श्री अनुराग बाजपेई, उप सचिव (गैर-सरकारी संगठन प्रभाग)	कमरा सं. 401, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115 दूरभाषः 23070508	1. सभी गैर-सरकारी संगठन संबंधी योजनाएं 2. आदिम जनजातीय समूहों का विकास 3. विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पुनर्वास एवं स्थापन 4. जनजातीय नीति
6.	श्री सी. गोसकन उप सचिव (सी पी एंड आर)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 दूरभाषः 26182814	1. ट्राइफेड 2. लघु वन उत्पाद 3. सभी प्रशासनिक व संरक्षण योजनाएं - आर एंड आर, एलए, अन्यसंक्रमण, अत्याचार/अवैध व्यापार 4. एनसीएमपी 5. एनएसी

7.	श्री एस.के. गुप्ता उपसचिव (आईएफडी)	कमरा सं. 216-एच, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115 दूरभाषः 23385487	1. आंतरिक वित्त प्रभाग 2. महिलोन्मुखी बजट सहित बजट 3. अनुदान मांगे 4. वित्तीय निष्पादन 5. पूर्वोत्तर राज्यों में योजनाओं के व्यय का संकलन 6. लेखा परीक्षा 7. परिणामों की निगरानी
8.	डॉ0 सी.वी. धर्माराव उप सचिव (अनुसंधान एवं मीडिया)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाषः 26182428	1. अनुसंधान सूचना, मास मीडिया, शिक्षा-जनजातीय उत्सव तथा संस्कृति 2. एनआईटीए 3. अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं 4. निगरानी एवं मूल्यांकन 5. अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग 6. आदिवासी भवन 7. वार्षिक रिपोर्ट
9	सुश्री संतोष उपसचिव (एमईआर प्रभाग)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कॉमा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 दूरभाषः 26182823	1. विविध 2. वरिष्ठ पदों में आरक्षण 3. जेंडर योजना सहित योजना 4. नागरिक चार्टर
10.	डॉ0 एन.के. घटक संयुक्त निदेशक (सी एंड एलएम)	कमरा सं. 218-ए, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 दूरभाषः 23073176	1. सभी सांविधिक मामले 2. अनुसूचीकरण एवं अननुसूचीकरण 3. जनजाति एवं आदिम जनजातीय समूहों की घोषणा 4. पांचवीं तथा छठी अनुसूची संबंधी मामले 5. राज्यपाल की रिपोर्ट एवं जनजातीय सलाहकार परिषदें 6. अंडमान एवं निकोबार 7. लक्षद्वीप 8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती	पदनाम व पता	दूरभाष सं.	प्रभाग/अनुभाग
1.	डॉ0 बचित्तर सिंह	संयुक्त सचिव कमरा नं. 741, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23073489	एसजी/प्रशासन/ सामान्य/ पीसी एंड वी/आर एंड एम
2.	रुचिरा पंत	संयुक्त सचिव कमरा नं. 722, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23383622	एनजीओ/शिक्षा/सी एंड एलएम
3.	एच.के. शर्मा	उप महानिदेशक (सांख्यिकी), कमरा नं. 241, अगस्त क्रांति भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	26182094	सांख्यिकी/सी पी एंड आर
4.	बी.सी. मुंडा	सलाहकार (आर्थिक), कमरा नं. 242, अगस्त क्रांति भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	26182429	एमईआर
5.	एस.के. राय	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कमरा सं. 118, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23382696	आंतरिक वित्त प्रभाग

वर्ष 2007-08 (31.12.2007 तक) के दौरान योजनावार बजट आबंटन, संशोधित आबंटन तथा वास्तविक व्यय

करोड़ रुपए में

क्र.सं.	योजना का नाम	शीर्ष	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय (अनंतिम आंकड़ें)		
			योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1	**मंत्रिपरिषद - मंत्रालय द्वारा विवेकानुदान**										
	अन्य प्रभार	2013.00.105.05.00.50	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01
		कुल	**0.00**	**0.02**	0.02	**0.00**	**0.02**	0.02	**0.00**	**0.01**	**0.01**
2	**जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना**										
	आश्रम स्कूलों को सहायता-अनुदान	2225.02.800.08.00.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	आश्रम स्कूलों को सहायता-अनुदान	3601.04.360.04.00.31	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	3.74	0.00	3.74
		कुल	**20.00**	**0.00**	**20.00**	**20.00**	**0.00**	**20.00**	**3.74**	**0.00**	**3.74**
3	**पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान**										
	अनुसंधान सूचना, जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव एवं अन्य	2552.00.221.02.00.31	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार तथा कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना सहित अनु.जन. के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	2552.00.221.03.00.31	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	अनु.जनजातीय छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	2552.00.221.04.00.31	39.80	0.00	39.80	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
	अजजा लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	2552.00.221.05.00.31	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता-अनुदान	2552.00.221.07.00.31	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	2552.00.221.08.00.31	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
	जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	2552.00.222.02.00.31	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन	4552.00.117.01.00.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल	**50.30**	**0.00**	**50.30**	**50.30**	**0.00**	**50.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**जनजातीय कार्य के राष्ट्रीय संस्थान**										
	अन्य प्रभार	2225.02.800.25.00.50	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
	सहायता-अनुदान	2225.02.800.25.00.31	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
		कुल	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5	**अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम**										
	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग										
	वेतन	2225.02.001.06.00.01	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	1.49	1.49
	मजदूरी	2225.02.001.06.00.02	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.03	0.03
	समयोपरि भत्ता	2225.02.001.06.00.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.01	0.01
	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2225.02.001.06.00.06	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.03	0.03
	घरेलू यात्रा व्यय	2225.02.001.06.00.11	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.06	0.06
	विदेशी यात्रा व्यय	2225.02.001.06.00.12	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	कार्यालय व्यय	2225.02.001.06.00.13	0.00	1.00	1.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.31	0.31
	किराया, दर एवं कर	2225.02.001.06.00.14	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.03	0.03
	प्रकाशन	2225.02.001.06.00.16	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
	अन्य प्रभार	2225.02.001.06.00.50	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.03	0.03
	आदिम जनजातीय समहों का विकास	2225.02.277.05.00.31	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

करोड़ रुपए में

क्र.सं.	योजना का नाम	शीर्ष	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय (अनंतिम आंकड़े)		
			योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
	अनुसंधान सूचना, जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव एवं अन्य	2225.02.277.09.00.31	0.26	0.00	0.26	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
	अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार तथा कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना सहित अनु.जन. के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	2225.02.277.10.00.31	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.05	0.00	0.05
	अनु.जनजातीय छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225.02.277.13.00.31	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	11.00	0.00	11.00
	जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	2225.02.800.10.00.31	19.75	0.00	19.75	19.75	0.00	19.75	8.27	0.00	8.27
	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	2225.02.800.11.00.31	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	0.87	0.00	0.87
	विदेश में अध्ययनरत अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	2225.02.800.15.00.34	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार तथा कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना सहित अनु.जन. के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	2225.02.800.19.00.31	30.50	0.00	30.50	30.50	0.00	30.50	17.51	0.00	17.51
	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन/निवेश	2225.02.800.20.00.31	29.99	0.00	29.99	21.70	0.00	21.70	18.69	0.00	18.69
	अनुसंधान सूचना, जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव एवं अन्य (सहायता अनुदान)	2225.02.800.21.00.31	3.10	0.00	3.10	3.36	0.00	3.36	0.45	0.00	0.45
	अनुसंधान सूचना, जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव एवं अन्य (अन्य प्रभार)	2225.02.800.21.00.50	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निगरानी एवं मूल्यांकन (अन्य प्रभार)	2225.02.800.22.00.50	0.50	0.00	0.50	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय परंतुक के खंड(क) के अंतर्गत असम सरकार को अनुदान	3601.01.104.04.00.31	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता-अनुदान	3601.03.360.01.00.31	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	3601.03.360.03.00.31	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	4.99	0.00	4.99
	आदिम जनजातीय समहों का विकास	3601.03.360.04.00.31	34.00	0.00	34.00	52.42	0.00	52.42	34.00	0.00	34.00
	अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार तथा कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना सहित अनु.जन. के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	3601.04.360.10.00.31	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	अनुसंधान सूचना, जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव एवं अन्य	3601.04.360.13.00.31	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	1.24	0.00	1.24
	अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार तथा कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना सहित अनु.जन. के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	3602.04.360.04.00.31	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन/निवेश	4225.02.102.02.00.54	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	आदिवासी भवन का निर्माण (अन्य प्रभार)	4225.80.190.15.00.50	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		कुल	**187.01**	**5.36**	**192.37**	**197.43**	**4.26**	**201.69**	**97.07**	**1.99**	**99.06**
6	**अजजा लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना**										
	अजजा लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	2225.02.277.12.00.31	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	3.05	0.00	3.05
	अजजा लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	3601.04.360.12.00.31	23.50	0.00	23.50	23.50	0.00	23.50	24.28	0.00	24.28
		कुल	**34.50**	**0.00**	**34.50**	**34.50**	**0.00**	**34.50**	**27.33**	**0.00**	**27.33**
7	**उत्कृष्ट/उच्च श्रेणी शिक्षा के संस्थान की योजना**										
	उत्कृष्ट/उच्च श्रेणी शिक्षा के संस्थान की योजना	2225.02.277.14.00.31	10.00	0.00	10.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
		कुल	**10.00**	**0.00**	**10.00**	**1.50**	**0.00**	**1.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

करोड़ रुपए में

क्र.सं.	योजना का नाम	शीर्ष	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय (अनंतिम आंकड़ें)		
			योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
8	अनु.जनजातीय छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना										
	अनु.जनजातीय छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	2225.02.277.11.00.31	1.25	0.00	1.25	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	अनु.जनजातीय छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	3601.03.360.06.00.31	1.75	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75	1.02	0.00	1.02
	अनु.जनजातीय छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	3601.04.360.11.00.31	160.19	0.00	160.19	160.19	0.00	160.19	140.75	0.00	140.75
		कुल	**163.19**	**0.00**	**163.19**	**162.04**	**0.00**	**162.04**	**141.77**	**0.00**	**141.77**
9	**राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना**										
	विदेश में अध्ययनरत अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	2225.02.800.15.00.31	1.00	0.00	1.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
		कुल	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.23**	**0.00**	**0.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	**संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत योजना**										
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत योजना (प्रभार)	3601.02.104.03.00.31	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	314.99	0.00	314.99
		कुल	**400.00**	**0.00**	**400.00**	**400.00**	**0.00**	**400.00**	**314.99**	**0.00**	**314.99**
11	**जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत योजना**										
	जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत योजना (प्रभार)	3601.02.104.02.00.31	816.71	0.00	816.71	816.71	0.00	816.71	609.55	0.00	609.55
		छ्ब्एछ	**816.71**	**0.00**	**816.71**	**816.71**	**0.00**	**816.71**	**609.55**	**0.00**	**609.55**
12	**सचिवालय-सामाजिक सेवाएं**										
	वेतन	2251.00.090.16.00.01	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	3.58	0.00	2.54	2.54
	मजदूरी	2251.00.090.16.00.02	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.04	0.04
	समयोपरि भत्ता	2251.00.090.16.00.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.01	0.01
	चिकित्सा उपचार	2251.00.090.16.00.06	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.06	0.06
	घरेलू यात्रा व्यय	2251.00.090.16.00.11	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.34	0.34
	विदेशी यात्रा व्यय	2251.00.090.16.00.12	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
		2251.00.090.16.00.13	0.00	2.54	2.54	0.00	2.44	2.44	0.00	1.42	1.42
	प्रकाशन	2251.00.090.16.00.16	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.06	0.06
	अन्य प्रशासनिक व्यय	2251.00.090.16.00.20	0.00	0.10	0.10	0.00	0.40	0.40	0.00	0.17	0.17
	व्यावसायिक सेवाएं	2251.00.090.16.00.28	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
	सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य प्रभार)	2251.00.090.16.99.50	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.08	0.00	0.08
		कुल	**1.00**	**6.95**	**7.95**	**1.00**	**7.15**	**8.15**	**0.08**	**4.65**	**4.73**
13	**राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन**										
	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन	4225.80.190.13.00.54	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
		कुल	**35.00**	**0.00**	**35.00**	**35.00**	**0.00**	**35.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल जोड़		1719.71	12.33	1732.04	1719.71	11.43	1731.14	1194.53	6.65	1201.18

गैर-लेखा अनंतिम आंकड़ें वास्तविक हैं ।

अनुबंध -32

जनजातीय क्षेत्र तथा जनजातीय सलाहकार परिषद वाले जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तथा राज्यों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (माडा) पॉकेट तथा आदिम जनजातीय समूहों की स्थिति के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संख्या			
		आईटीडीपी/आईटीडीए	माडा पॉकेट	क्लस्टर	आदिम जनजातीय समूह
1	आंध्र प्रदेश #	8	41	17	12
2	असम	19	-	-	-
3	बिहार	-	7	-	9**
4	छत्तीसगढ़ #	1,9	9	2	7**
5	गुजरात #	9	1	-	5
6	हिमाचल प्रदेश #	5	2	-	-
7	जम्मू व कश्मीर	-	-		-
8	झारखंड #	14	34	7	9**
9	कर्नाटक	5	-	-	2
10	केरल	7	-	-	5
11	मध्य प्रदेश #	31	30	6	7 **
12	महाराष्ट्र #	16	44	24	3
13	मणिपुर	5	-	-	1
14	उड़ीसा #	21	46	14	13
15	राजस्थान #	5	44	11	1
16	सिक्किम	4	-	-	-
17	तमिलनाडु $	9	-	-	6
18	त्रिपुरा *		-	-	1
19	उत्तर प्रदेश	1	1	-	2 **
20	उत्तराखंड	-	-	-	2 **
21	पश्चिम बंगाल $	12	-	1	3
	संघ राज्य क्षेत्र	-	-	-	-
22	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	-	-	5
23	दमन व दीव	1	-	-	-
	कुल	192	259	82	75

*** त्रिपुरा में आईटीडीपी नहीं है । त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) हैं । दिनांक 03.10.2006 के त्रिपुरा राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.15-2/भाग-I/टीडब्ल्यू/एसपी/2004/14648 की सूचना के अनुसार संविधान के 49वें संशोधन द्वारा 1985 से प्रभावी त्रिपुरा की छठी अनुसूची के प्रावधानों को बढ़ाया गया ।**

**** बिहार तथा झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए आदिम जनजातीय समूह समान हैं ।**

 # राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय सलाहकार परिषदें (टीएसी) हैं ।

$ राज्यों में केवल टीएसी ही हैं ।

2006-07 के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत लाभार्थी

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थी	
		महिला	कुल अजजा लाभार्थी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27976	84775
2.	असम	--	--
3.	बिहार	--	--
4.	छत्तीसगढ़	57940	97845
5.	गोवा		
6.	गुजरात	53894	179647
7.	हिमाचल प्रदेश	--	--
8	झारखंड	--	--
9.	जम्मू व कश्मीर	--	--
10.	कर्नाटक	--	--
11.	केरल	452	1444
12.	मध्य प्रदेश	58780	437063
13.	महाराष्ट्र	--	--
14.	मणिपुर	--	--
15.	उड़ीसा	24928	82367
16.	राजस्थान	14967	47266
17.	सिक्किम	2600	8560
18.	तमिलनाडु	--	--
19.	त्रिपुरा	4810	11001
20.	उत्तर प्रदेश	--	--
21.	उत्तराखंड	--	--
22.	पश्चिम बंगाल	10527	14584
	कुल	256874	964552

जनजातीय कार्य मंत्री श्री पी.आर. किन्डिया के साथ जनजातीय अतिथि

गणतंत्र दिवस समारोह